खण्ड-385, अंक-2
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(11 मार्च, 1988 ई0)

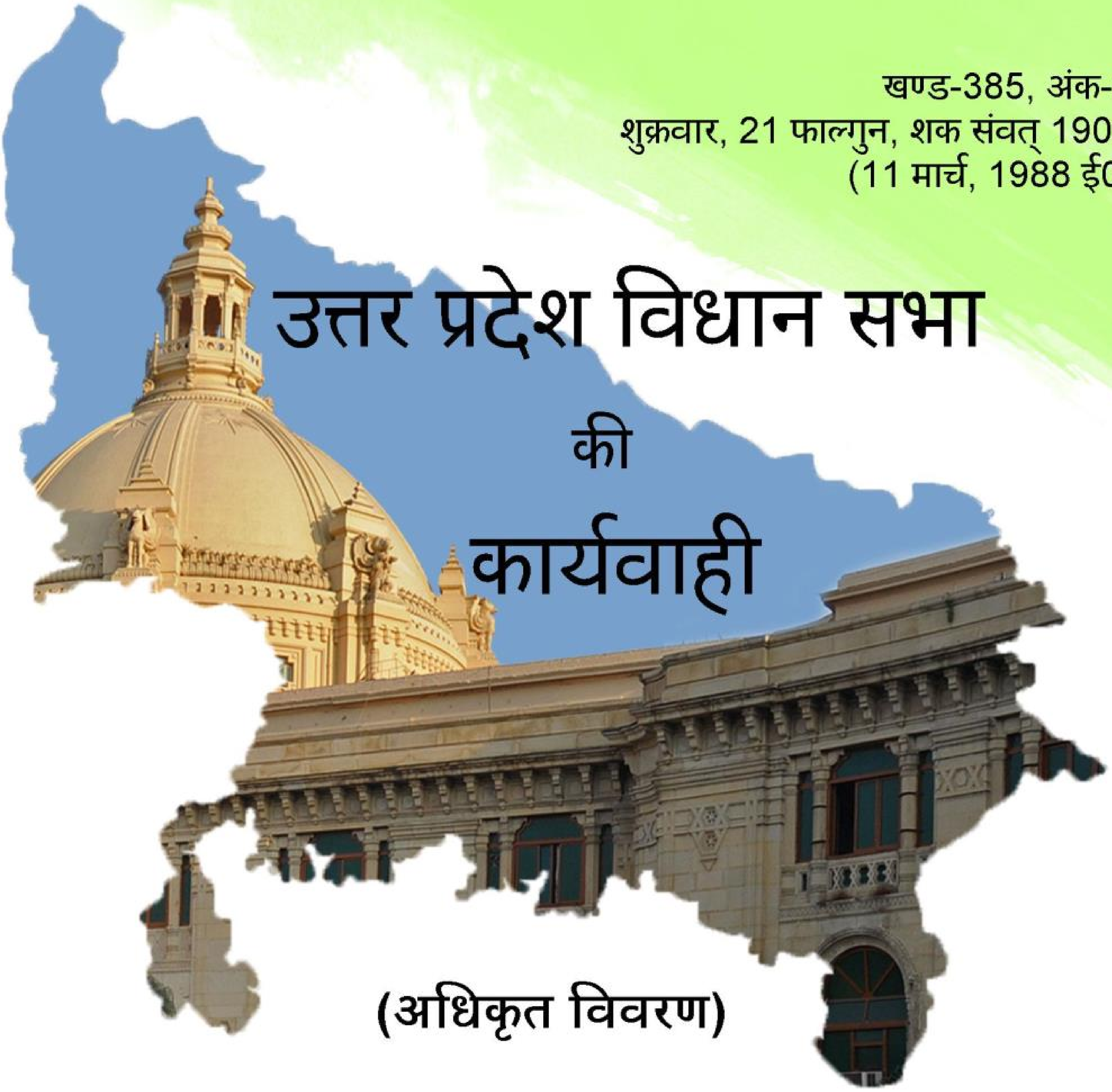

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–72
आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील घोसी में अबरा नाले की जल निकासी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	72
इलाहाबाद जनपद के अल्लापुर में रेलवे के डाट पुलों को चौड़ा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
आजमगढ़ जनपद की तहसील लालगंज में हरिजनों को वितरित ऋण में छूट न मिलने एवं वसूली में उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जिला वाराणसी की नगरपालिका भदोही के जल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद आजमगढ़ मे विद्युत आपूर्ति में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जिला मुरादाबाद की तहसील सम्भल के ब्लाक असमोली के विद्युत ट्रान्सफार्मर को ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75
जिला फतेहपुर वन विभाग द्वारा फर्जी मस्टर रोल बना कर सरकारी धन क घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.. ..	75
राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग में अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग तथा शासन द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	75–76
औचित्य के प्रश्नों की अन्य सूचनायें	77–85
अभिभाषण के प्रति धन्यवाद के संबंध में श्री राज्यपाल का पत्र (पढ़ा गया) ..	85
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	86–90
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 53–वन विभाग (स्वीकृत)	90–121
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक की मागों पर मतदान अनुदान संख्या 22–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	121–148
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ..	148–172
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	172

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की समितियों में सदस्यों के नाम निर्देशन कराने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	172–174
सूत के मूल्यों में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्य में वृद्धि न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे कतिपय विधायकों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर एक घंटे की चर्चा को आज स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	174–175
जिला मुजफ्फरनगर तथा प्रदेश के अन्य जनपदों के गन्ना किसानों को उनके गन्ने की खरीद में गड़बड़ी एवं गन्ने की न्यायोचित कीमत न मिलने के कारण किसानों में उत्पन्न असन्तोष के संबंध में दी गयी सूचना पर वक्तव्य ..	175–184
पुलिस उप निरीक्षक श्री जी० एफ० पवार, थाना किच्छा, नैनीताल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	184–185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी) श्री,	नैनीताल
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर
औसान सिंह, श्री	इटावा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
दीप चन्द्र सोनकर, श्री	जौनपुर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
बंशा राम, श्री	खीरी
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ
फ़रीद महफ़ूज किदवई, श्री	बाराबंकी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फ़र्रुखाबाद
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र सिंह, श्री	फ़र्रुखाबाद
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ़ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शिवनाथ सिंह, कुशवाहा	कानपुर
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा

विधान सभा

समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर	हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर

अस्थायी प्रतिलेख सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 1988

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले के महराजगंज कस्बे को जिला बनाने की मांग

**1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले के महराजगंज कस्बे को नए जिले का मुख्यालय एवं महराजगंज को जिला बनाने का निर्णय राजस्व परिषद् की पुर्नगठन संबंधी समिति ने ले लिया है ? यदि हां, तो तत्काल इसकी घोषणा न करने के क्या कारण हैं ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां। प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये अभी प्रस्तावित नये जिले की स्थापना की घोषणा करना संभव नहीं है।

मान्यवर, पहले आपने जब नत्थी (ख) पुकारा था, क्योंकि उस समय अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पास आन हो गया था, उसका मैंने 'सूचना एकत्र की जा रही है, जवाब दिया था। आपका आशय अल्पसूचित प्रथम प्रश्न से था। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उसका उत्तर इस प्रकार है। यह पास आन हो चुका है। उस समय चूंकि माननीय ओझा जी नहीं थे, आपने माननीय सदस्यगण की रुचि को देखते हुये बुला लिया था। उस समय माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी और माननीय वीरेन्द्र प्रताप शाही जी नहीं थे। ऐसी स्थिति में यदि आप की अनुमति हो तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर आपकी अनुमति से मैं पढ़ना चाहूंगा।

(नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पुनः पढ़े जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, संसाधनों के अभाव की बात कही गयी। मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ में मऊ, बस्ती में सिद्धार्थ नगर और सहारनपुर में हरिद्वार के नये जिले के सृजन की घोषणा हो चुकी है, उनका गठन हो रहा है। मान्यवर, जो देवरिया और गोरखपुर जनपद हैं, इसमें जो प्रश्नगत गोरखपुर जनपद है, उसकी आबादी 37 लाख से ऊपर है। दोनों जनपदों की आबादी 37 लाख से ऊपर है। मान्यवर, ऐसी स्थित में वहां काफी प्रशासनिक दिक्कत होती है। मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या सरकार 30 लाख से ऊपर की आबादी वाले जनपदों में नये जिले गठित करने का प्रयास करगी। मान्यवर, गोरखपुर में महाराजगंज और देवरिया में कुशीनगर तहसील की जब स्थापना हुई थी, तब यह आश्वासन दिया गया था कि कसया में नये जिले की स्थापना की जायेगी।

श्री अध्यक्ष

आप प्रश्न करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के महराजगंज और देवरिया के कसया इन दोनों जगहों को अब तक नया जिला घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नोट :—अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 1 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, सम्प्रति वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह तय है और जसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं भी कहा, गोरखपुर जनपद की जनसंख्या 37 लाख 96 हजार है यह तीन जनपद जो नये निर्मित हुए हैं, उसमें बस्ती में सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर में हरिद्वार, आजमगढ़ में मऊ यह तीनों जनपदों के सृजन की घोषणा हो चुकी है। माननीय शाही जी ने जो बात कही मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसकी घोषणा कर पाना संभव नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में गोरखपुर को दो जनपदों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। बस्ती में सिद्धार्द्ध नगर को नया जिला बनाने की बात आयी, मान्यवर, मैंने पूरा बजट पढ़ डाला, उसमें कहीं भी उसके लिये किसी भी धन का प्राविधान नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन नये जिलों को पिछले वित्तीय वर्ष म स्वीकार किया जा चुका है, उनके लिये संसाधन की व्यवस्था कर दी गयी है ?

श्री गौरी शंकर --

जिन जनपदों के सृजन की घोषणा की जा चुकी है, उनमें भी कौन सा क्षेत्र किस जनपद में आये, कितने एरिया में आये, अभी यह बात है कि जन प्रतिनिधियों की क्या आकांक्षायें हैं, इसके अलावा भौगोलिक परिस्थिति की बाबत देखने की बात है, इन सब जिज्ञासाओं के संबंध में जिलाधिकारियों से आख्या मांगी गयी है। उन पर चिंतन हो रहा है कि किस प्रकार से उनका गठन हो जिन जिलों के सृजन की घोषणा हो चुकी है, उनको तो पूरा किया ही जायगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि बस्ती में सिद्धार्थ नगर को नया जिला बनने के संबंध कलेक्टर को आख्या मांगी गयी है। उसम बांसी, डुमरियागंज और नौगढ़-इन तीन तहसीलों का मामला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अपने कक्ष में वहां के सभी जन प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके विचार जानने का कष्ट करेंगे, इसके लिये किसी तिथि की घोषणा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर --

मान्यवर, मैंने यह तो कहा ही कि सब कार्यवाही चल रही है। अब मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी कमाल साहब के साथ नहीं रहना चाहते, कमाल साहब दूसरे के साथ नहीं रहना चाहत, सांसद महोदय किसी अन्य के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो सारे राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे भौगोलिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी चीजों का समावेश किया जाय, उसी के लिये आख्या जिलाधिकारी की प्रतीक्षित है। उस पर विचार होता है। जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं के अनुरूप, शासन की घोषणा के अनुरूप, सृषन और गठन कर दिया जायेगा।

अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के बीच समझौता

**2--श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह ज्ञात है कि 3 फरवरी, 88 को लखनऊ में सचिव, हरिजन व समाज कल्याण विभाग तथा उ0प्र0 हरिजन समाज कल्याण विभाग कर्मचारी, अधिकारी महासंघ के बीच कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या था और उसको कब तक लागू कर सकेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (कुमारी सरस्वती अम्माल)—

जी नहीं। उक्त दिनांक को समझौता नहीं बल्कि संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्ता हुई थी। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोपाल राम दास—

मान्यवर, पहले जो मंत्री जी से महासंघ के लोगों के साथ वार्ता हुई थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर द दिया कि प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से जो वार्ता हुई थी उसमें जो प्रस्ताव था उसको कब तक स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि समझौता हुआ ही नहीं और जब समझौता हुआ ही नहीं, तो उसके संबंध में प्रस्ताव क्या होगा ? प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह कहकर कि कोई वार्ता नहीं हुई इसको हवा में उड़ा दिया। सारे प्रदेश में हरिजन विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं मार्च का महीना चल रहा है इससे बहुत नुकसान हो जायगा, क्या माननीय मंत्री जी इस मसले को लेकर जो समझौता हुआ है, इस संबंध में जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगी और उनसे बातचीत करके इस समस्या का कोई निदान निकालेंगीं और उनकी जायज मांगों को मानेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने मान्यवर, सविनय निवेदन किया कि समझौता नहीं हुआ है। दूसरी बात इन्होंने वार्ता के बारे में कही तो वार्ता तो होती ही रहती है। मान्यवर, आपकी छत्रछाया में कल्याण का कार्य कर रहे हैं समस्यायें तो मान्यवर, होती ही हैं और उसका निदान भी किया जाता है यह इतना बड़ा विभाग है तो यहां समस्यायें तो होंगी हीं। आपने मांगों के बारे में कहा, तो इनको इसलिए कांटा चुभ रहा है कि बाल विकास समेकित योजना का निदेशालय बना दिया गया है क्योंकि महिलाओं के कल्याण के लिये हमने छः कदम उठायें हैं इनको यही कांटा चुभ रहा है। मैं आप सबका सहयोग चाहती हूं।

(व्यवधान के मध्य)

कौन से परिवार में बाल बच्चे नहीं होते हैं ?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़—

यह बर्बाद कर रही हैं।

(शोर)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अभी कांटा चुभने की बात कही। उस कांटे के निवारण के लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ऐसा कोई सुझाव दिया है कि निदेशालय बना दिया जाय कोई दिक्कत नहीं किन्तु एक महानिदेशक बनाकर उसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के अन्य निदेशालय बनाये जायं और कार्य सुदृढ़ करें या ऐसा कोई प्रस्ताव कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ़ से आया है। यदि हां, तो उसको मान लेने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बेख्शी—

अभी जुम्मा-जुम्मा, कल बच्चे की पैदाइश हुई है। अभी निदेशालय बना है। बच्चा कल पैदा हुआ है उसकी बहू भी अभी आ जाय, यह कैसे होगा ? (हंसी)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि सचिव, हरिजन समाज कल्याण विभाग व उ० प्र० हरिजन समाज कल्याण विभाग कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बीच कोई समझौता हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उसका जवाब दे दिया है कि समझौता नहीं हुआ था।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह —

मान्यवर, कर्मचारी महासंघ के श्री एन० सी० सिन्हा तथा संयुक्त सचिव श्री जी० एन० तिवारी के बीच 3 फ़रवरी को कोई समझौता हुआ था। मंत्री जी ने कहा वार्ता हुयी थी। तो जो वार्ता हुई थी उसमें क्या-क्या बिन्दु थे और किस बिन्दु पर समझौता हुआ था वह बता दें ? निदेशालय बन रहा है, बाल पोषाहार की योजना चालू हो यह सब चाहते हैं लेकिन कर्मचारी महासंघ के बीच क्या समझौता हुआ था वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर हो चुका है कि समझौता नहीं हुआ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़—

मान्यवर, समझौता हुआ है। यह गुमराह कर रही हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

यह विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला है लिखित समझौता हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

जब वह कहती हैं कि समझौता नहीं हुआ है तो मैं इसकी काग़ज़ीजेंस नहीं लेता।

(शोर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, यह समझौते की कापी है। (काग़ज दिखाते हुये) मैं भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष —

आप मेरे पास भेजिये, मैं देखूंगा।

श्री शारदा प्रताप—

अभी माननीय मंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जैसा उन्होंने कहा कि संघ के कर्मचारियों और अधिकारियों से वार्ता हुई है तो वह कौन से बिन्दु थे, जिन पर वार्ता हुई है और वार्ता में क्या तय हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मेन बिन्दु यह था कि उनको यह आशंका थी, कर्मचारियों और अधिकारियों के मन में यह आशंका थी कि यह जो निदेशालय बना है उसके बनने से इनके हितों का नुकसान न हो। मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि चाहे नया निदेशालय हो या आई0सी0डी0एस0 या समाज कल्याण निदेशालय हो, जहां तक उसके कर्मचारियों/अधिकारियों के हितों का सवाल है उसका हम ध्यान रखेंगे और किसी के हितों का नुकसान नहीं होगा। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो दादी, बड़दादी, मौसी, सबको लाभ होता है उनको दान-दक्षिणा मिलती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी माननीया मंत्री जी भारत की रूढ़िवादी देश में पैदा हुई हैं, उनको छेड़ने की आपकी भी हिम्मत नहीं है, वह जिस प्रकार से जवाब दे आपको भी सुनना पड़ता है। मान्यवर, ऐसा है कि जब माननीया मंत्री जी की गर्जन होती है, तो हम सभी लोग भी उसी देवी के रूप में समाहित होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार के प्रदेश के अन्दर पुलिस विभाग में एक डाइरेक्टर इन्चार्ज पुलिस होता है जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं, उसी प्रकार से आप इस विभाग में भी एक डाइरेक्टर जनरल की नियुक्ति करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं तो आपके सामने इसका बहुत सुन्दर उत्तर दे चुकी हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मन्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि 3 फरवरी, 1988 को कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन वार्ता हुई है, तो मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जो वार्ता हुई है, वह किन-किन बिन्दुओं पर वार्ता हुई है ? मान्यवर, क्या यह जो निदेशालय की स्थापना हो रही है, उसमें यह जो नये लोगों की नियुक्तियां की गयीं हैं, वह इसलिये की गयी हैं कि ताकि उन लोगों को समायोजित करके, उनको पदोन्नति देकर उनको लाभ पहुंचाया जा सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने तो कहा है कि निदेशालय का जन्म बेटे के रूप में तो हो चुका है।

श्री सुखपाल पाण्डे--

पहले बेटे को तो दिखाइये।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीया मंत्री जी ने अभी कहा कि बच्चा पैदा हो चुका है, तो माननीया मंत्री जी मान्यवर, यह बता दें कि वह बच्चा जायज है या नाजायज है ?

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसके बारे में कल अम्मार साहब बड़ा सुन्दर शेर पढ़ चुके हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]--

बाल विकास निदेशालय खोलने का निर्णय

*1--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने बाल विकास निदेशालय खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस निदेशालय द्वारा क्या कार्य सम्पादित होगा और यह कार्य पहले कौन सा निदेशालय करता था ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस निदेशालय के खोलने से शासन पर प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा ?

कुमारी सरस्वती अम्मांल--

जी हां। बाल विकास परियोजना एवं पुष्टाहार से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कराया जायेगा। इसके पूर्व यह कार्य निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा सम्पादित किया जाता था। वर्ष 1987-88 में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने बार-बार बच्चे के पैदा होने की बात कही। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बाल विकास, पुष्टाहार निदेशालय जो खोला गया है, पहली बात तो इसमें यह है कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई बाल विकास तो दिखाई नहीं पड़ रहा है और पुष्टाहार की हालत यह है कि अधिकांश लोग तो भुखमरी के शिकार हैं। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यह निदेशालय किसी समस्या के समाधान के लिये नहीं, बल्कि नौकरशाही के दबाव में आपने किसी और आई० ए० एस० अधिकारी को डाइरेक्टर बनाने के लिये खोला है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक बात तो यह है कि यह जो स्कीम है बाल विकास समेकित योजना, यह केन्द्र शासन का है और उन्हीं की सहायता से हम इस स्कीम का संचालन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इस स्कीम के लिये एक अलग से निदेशालय बनाया जाय केन्द्र सरकार से 1986 से हमारी वार्ता चल रही है और उनके आदेश हमें प्राप्त हुए थे। आप लोगों के आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से और मान्यवर, आपके आशीर्वाद से यह हमारी नई स्कीम का पदार्पण हुआ और यह मैं आपके सामने कह रही हूं कि हमारी इस परियोजना की डिमान्ड जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं वह दिल पर हाथ रखकर कहें कि वह नहीं चाहते हैं कि उनके ब्लाक में उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में यह 100 आंगनबाड़ियां खोल दी जायें, सब चाहते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाह रही हूं कि इसमें क्या करना चाहती हूं? यह कदम उठाया है हमने कि गांव की लड़कियों को और कन्यायें जो मिडिल पास हैं, अष्ठम कक्षा तक या हाई स्कूल पास हैं उसको हमने उसके घर में ही समाज सेवा के काम के लिये पदासीन किया है।

(मेजों की थपथपाहट)

जो इसमें खर्चा है इसमें आपको क्या परेशानी है। केन्द्र सलामत है वहां से गंगा की धार बह रही है, बहती चली जा रही है।

(पुनः मेजों की थपथपाहट)

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी सही उत्तर न देकर सदन को गुमराह कर रही हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार की ओर से अनेक बार घोषणा की गयी कि सरकार प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता करना चाहती है। लेकिन हमारी इस जानकारी को सही मानकर कि सरकार का यह जो हरिजन कल्याण विभाग है इसके अन्तर्गत 8 निगम चल रहे हैं और 3 निदेशालय काम कर रहे हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने 1977 में, 79 में, 80 में और 83 में जो हिन्दुस्तान भर के सचिवों और निदेशक हरिजन कल्याण विभाग की बैठक हुई उस मीटिंग में भी यह मामला विचाराधीन आया था कि हरिजन में समाज कल्याण को अलग कर दें लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस निर्णय को नहीं माना क्योंकि जनहित में यह समझा गया कि यह सब काम एक महानिदेशक के अन्तर्गत होना चाहिए। इस बात की स्वाधीनता को स्वीकार करते हुए उस विभाग को टूटने से बचा लिया गया था। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी है जिसके कारण एक अलग से निदेशालय स्थापित किया जा रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि सम्प्रति 1987 में कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा। परन्तु इसी महीने निदेशालय का गठन हुआ है इस वर्ष तो कोई खर्चा होना नहीं है। हमने सवाल पूछा था कि प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा? तो मैं माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनावर्त वर्षों में रिकरिंग खर्चा क्या बढ़ जायेगा और मैं पहले जानना चाहता हूं कि शासन के निर्णय के बाद बिना सचिव और निदेशक की राय लिये हुए ऐसा निर्णय करने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह नये निदेशालय की जो स्थापना हुई है भगवान की कृपा से हमारा घर पहले से ही भरा पूरा है। सब हमारे घर में सेवा करने वाले बच्चों के लिये सब पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं। कोई नया दायित्व व्यय रखने की आवश्यकता नहीं होगी तो हमारे पास इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।

इसका खर्च केन्द्र दे रहा है। केन्द्र ने यह भी कहा है कि जो और ऊपर खर्च होगा, नये निदेशालय के लिये, उसको देने का केन्द्र पूरा प्रयास करेगा।

श्री अशोक वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने बड़ा स्पष्ट सा प्रश्न किया है कि इस पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आएगा? इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च तो सरकार को ही वहन करना होगा। दूसरी बात यह है कि प्रदेश स्तर पर इस निदेशालय की स्थापना की जा रही है और जिला स्तर पर भी इसके स्वतंत्र कार्यालय होंगे। उन पर प्रत्येक जिले में कितना खर्च आएगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में नये निदेशालय की जो स्थापना हुई है, उसके लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, केन्द्र में या जिलों में, वह हमारे पास सब मौजूद है। हमारे फील्ड आफिसर्स हमारे पास हैं। लेकिन अगर आपके अनुरोध पर कोई एक क्या 30 नयी योजनायें स्वीकृत कर दें तो इस पर व्यय तो बढ़ेगा ही।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो निदेशालय स्थापित हो गया है, बच्चा (निदेशालय) इनका पैदा हो गया है, तो जिला स्तर पर इस निदेशालय के काम की क्या रूपरेखा होगी, बताने का कष्ट करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां मान्यवर, फिर आप कहेंगे कि भाषण दे रही हैं, मुझे पूरा समझाना पड़ेगा। यह सब जानते हैं। माननीय राम आसरे वर्मा जी महान विद्वान हैं, उनको मालूम न हो ऐसा नहीं है, उनको सब मालूम है। यह शायद हमारा टेस्ट ले रहे हैं। मान्यवर 201 परियोजनाएं सब जिलों में, विकास खण्डों में चल रही हैं। 100 परियोजनाओं पर एक बाल विकास समेकित परियोजना है। एक परियोजना में 100 आंगनबाड़ी है। 100 आंगनबाड़ी पर 5 मुख्य सेविकायें हैं। छः परियोजनाओं पर एक प्रोग्राम आफिसर है। इस प्रकार हमारे पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने काम की रूप रेखा पूछी जो मंत्री जी नहीं बता रही हैं ?

[शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद गाजीपुर के काश्तकारों की क्षतिग्रस्त फसल की जांच

*1--श्री राजित प्रसाद यादव (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खरौना व कुशही तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर के काश्तकारों को सैकड़ों एकड़ रबी की एक फीट ऊंची फसल जो जनपद वाराणसी एवं गाजीपुर के स्थानीय प्रशासन को देख-रेख में पुलिस और पी0 ए0 सी0 तैनात कर जबरदस्ती उलटवाने के विरुद्ध जांच कराने से संबंधित नेता विरोधी दल विधान सभा द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक 4489/ने0 वि0 द0/85 दि0 26-12-85 तथा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्रांक 4490 ने0 वि0 द0/85 दिनांक 26 दिसम्बर, 85 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*2--श्री राजकिशोर सिंह--

[दिनांक 26-2-88 को ता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान पेंशन जीवन बीमा, ग्रेच्युटी आदि सुविधायें

*8--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बनने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों के समान पेंशन जीवनबीमा ग्रेच्युटी आदि सुविधाएं प्रदान करने का आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी सरस्वती अम्माल--

जी नहीं।

हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों के समान पेंशन, जीवन बीमा एवं ग्रेच्युटी आदि की सुविधायें प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह पाठशालायें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है और विभाग द्वारा मात्र अनुदान दिया जाता है इसलिये इन्हें जीवन बीमा ग्रेच्युटी आदि सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको वह सुविधायें नहीं मिल रही हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्राप्त है। माननीय मंत्रीजी ने बताया कि यह स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है। मान्यवर, इस बात को पूरा सदन जानता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् और बेसिक शिक्षा परिषद् के ज्यादातर विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं और उन्हें पूरी सुविधायें मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हरिजन समाज कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनको 50 रुपये वेतन मिलता है, ऐसे विद्यालय या संस्थाओं के खिलाफ मिनिमम वेजेज ऐक्ट की कार्यवाही क्या माननीय मंत्री जी करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक बात यह है कि जो हरिजन पाठशालायें हैं, यह स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं यह विभाग द्वारा संचालित नहीं हैं, इनको केवल वेतन दिया जा रहा है। जहां तक 50 रुपय की बात है, उनको हम अनुदान देते हैं और उस अनुदान से जो मैनेजिंग कमेटी है, वह अपने अध्यापकों को वेतन देते हैं। लेकिन एक बात मैं आप से कह देना चाहती हूं कि कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये अनुदान की व्यवस्था नहीं है, इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, कन्याओं की जो पाठशालायें हैं, उनके लिये जो पार्ट टाइम डाइट होती है, उसके लिये जरूर प्राविधान है और 40-50 रुपये दिये जाते हैं।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग द्वारा जो हरिजन पाठशालायें चलती हैं उन विद्यालयों को चलाने में हरिजन कल्याण विभाग 90 प्रतिशत सहायता देता है और इसके बावजूद भी वहां के अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी केवल वेतन पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब वह वृद्ध होकर रिटायर हो जायेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी उन्हें भी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि दिलाने के लिय स्वैच्छिक पाठशालाओं को बाध्य करेंगी, जो उन लोगों को भी मिलना चाहिये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित जो प्राइमरी पाठशालायें हैं, उनके अध्यापकों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि देने के लिय हमारे पास साधन नहीं है लकिन आपके मन में उन अध्यापकों के प्रति जो चिन्ता है वह हम लोग भी इस बात के प्रति चिन्तित हैं कि कैसे उनको सहायता दी जाये। मैं कहना चाहती हूं कि जब हमारे पास सामान होंगे तो इस विषय पर हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब आप सिद्धान्तः यह स्वीकार कर चुके हैं कि समान कार्य के लिये समान वेतन व्यवस्था हो और आपका यह कहना कि यह स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थायें हैं, यह इसलिये सही प्रतीत नहीं होता कि जब आपके विभाग का उस पर पूरा कन्ट्रोल है, उस स्वैच्छिक संस्थाओं पर, तो आप को उन्हें वतन भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का भुगतान करना चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई कानून बनायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि भविष्य मे जब हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे तो हम उन्हें भविष्य निधि, पेंशन आदि के विषय में अवश्य विचार करेंगे। इस समय हमारे पास साधन नहीं हैं और इसलिये हम इसके विषय में कोई आश्वासन नहीं दे सकते।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्राथमिक पाठशालायें चलाई जाती हैं, इसमें दो तरह की पाठशालायें हैं। एक तो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं और दूसरे, हरिजन एवं कल्याण अधिकारी के अधीन चलाई जाती हैं, समाज कल्याण अधिकारी उनका मैनेजर होता है। पहले तो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह भ्रामक है। इनकी वेतन बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की तरह क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए, लम्बे भाषण से कैसे काम चलेगा?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

यदि हरिजन समाज कल्याण विभाग के पास पैसा नहीं है तो इस असमानता को देखते हुए इन सारे विद्यालयों को बेसिक शिक्षा परिषद् को क्यों नहीं दे दिया जाता। आप केवल अनुदान देना और निदेशालय चलाना चाहिये। इनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह नीति विषयक प्रश्न है। आगे शासन की नीति क्या रहती है, उसके ऊपर देखा जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

यह सरकार हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा संचालित स्वैच्छिक विद्यालयों की उपेक्षा कर रही है, इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(तदोपरान्त श्री अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव सदन छोड़कर चले गये।)

कताई मिल में नियोजित लिपिक वर्ग को राज्य कर्मचारी के समान वेतन

*4--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से संबंधित कताई मिलों में नियोजित लिपिक वर्ग को राज्य कर्मचारी मानते हुए वेतन तथा अन्य सुविधायें देय हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी सरस्वती अम्माल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वस्त्र निगम एवं उसकी सहभागी कम्पनियों द्वारा स्थापित कताई मिलों में नियुक्त लिपिकीय कर्मचारी राजकीय कर्मचारी नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

राज्य वस्त्र निगम से ही मालूम होता है कि यह कोई सरकारी निगम है। इसमें काम करने वाले लिपिक व राज्य सरकार के लिपिकों के वेतनमान में अन्तर है। इस निगम के जो अध्यक्ष होते हैं और मैनेजिंग डाइरेक्टर होते हैं, वे आई0ए0एस0 आफिसर होते हैं। वह चाहे सचिव हो या किसी और पद पर, उसे समान सुविधायें होती हैं। तो, फिर इस निगम के लिपिकों व सरकारी लिपिकों के वेतनमान में अन्तर क्यों है और इसके कारण क्या है ?

कुमारी सरस्वती अम्माल--

मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों के कुछ फंडामेन्टल रूल्स हैं, जो कारपोरेशन में लागू नहीं होते हैं। इसलिये दोनों के वेतन में अन्तर है।

श्री फजलुल बारी--

वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से राज्य कर्मचारियों के रूल्स निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं ?

कुमारी सरस्वती अम्माल-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, कई बार ट्रिपरटाइड मीटिंगें हुई हैं कि मजदूर और अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक हो। क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, हम यह आश्वासन चाहेंगे कि दोनों के वेतन समान करने की कोशिश करेंगे ?

कुमारी सरस्वती अम्माल--

मान्यवर, ये सरकारी कर्मचारी तो हैं नहीं, इसलिये इसमें समान वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा प्रश्न यह था कि एक काम का एक वेतन मिले, ऐसी कई कान्फ्रेन्सेज हो चुकी हैं, जिसमें सरकार पार्टी रही है, चाहे कपड़ा मिल हो या बीड़ी का काम करने वाले हों या अन्य काम करने वाले हों।

कुमारी सरस्वती अम्माल--

समान कार्य के लिये समान वेतन तो नीति विषयक बात है, इसलिये मैं इस पर नहीं बता सकती हूं कि सरकारी कर्मचारियों और निगम के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि, समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय यह तो सैद्धांतिक बात है, निगम के कर्मचारी जो वेतन पा रहे हैं, किस कानून के अन्तर्गत पा रहे हैं ? मिनिमम वेजज ऐक्ट लागू है या सेकेण्ड पे कमीशन के आधार पर पा रहे हैं ? जो वेतन पा रहे हैं और सरकार, जो मास्टर इम्पलायर है, वह जो वेतन दे रही है, इन दोनों वेतनमानों के अन्तर को दूर करने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है ?

कुमारी सरस्वती अम्माल--

राज्य वस्त्र निगम और उसकी सहभागी कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है, उसी में वेतनमान निश्चित करते हैं और उसी के आधार पर बेसिक पे और दूसरी सुविधाय दी जाती हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के गरीब मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है। ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता जहां मालिक और मजदूर के बीच में एग्रीमन्ट हो जाय। अगर गरीब मजदूर अपनी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित मानक से कम लेने के लिये तैयार हों जाय, तो क्या सरकार उसे क्षमा कर देगी ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भी वेतन मिल रहा है, उसका आधार क्या है मिनिमम वेजेज ऐक्ट है, सेकेण्ड पे कमीशन की रिपोर्ट है या निगम के स्वतंत्र वेतनमान हैं? इन्हीं तीन में से किसी एक के आधार पर एग्रीमेन्ट हुआ होगा, तो वह आधार कौन सा है ? क्या यह सही है कि इन वेतनमानों में और सरकारी वेतनमानों में खाई है? यदि हां, तो उसे दूर करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कुमारी सरस्वती अम्माल--

मैं फिर कहना चाहूंगी कि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिये । एक बार आप द्वारा प्रश्न को स्वीकार कर लेने के बाद, इनको यह कहने का अधिकार नहीं है कि प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह आपकी अवमानना है, आपकी बेइज्जती की गयी है । आपके स्वीकार करने के बाद मन्त्री जी के पास उत्तर देने के अलावा कोई चारा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी । आपके पास अगर सूचना नहीं है तो सूचना मंगा लें ।

कुमारी सरस्वती अम्माल--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

(तारांकित प्रश्न सं0 5 पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि कृपया आप इस प्रश्न को स्थगित करा दें, आपने हमें क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अपने जवाब में कह दिया कि उन्हें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मान्यवर इसे स्थगित करा दे ।

श्री अध्यक्ष--

अब खतम हो गया, अब आप निवेदन करते रहिये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, इसमें मजदूरों के वेतन का सवाल है मजदूरों को उनकी मजदूरी के भुगतान की बात है इसीलिय मा0 गुप्ता जी कह रहे हैं कि इसको स्थगित करा दें । मंत्री जी पूरी सूचना लेकर इसका उत्तर दे दें । मान्यवर, इसको आप स्थगित करा दें । इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजियेगा, मैं करा दूंगा ।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें प्रदेश के हजारों और लाखों मजदूरों का इससे सीधा प्रश्न जुड़ा हुआ है माननीया मंत्री जी के पास अभी इसकी सूचना नहीं है, उन्होंने कहा है कि इसमें उन्हें सूचना की आवश्यकता है। आपसे निवेदन किया जा रहा है कि इसको आप स्थगित करा दें, यह विपक्ष के सदस्यों के अधिकार का भी प्रश्न है, आखिर इसको स्थगित करने में आपको आपत्ति क्या है ? प्रश्न को स्थगित करा देना कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीया मंत्री जी, कल तक आप इसका जवाब दे सकेंगी ?

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मैंने मूल प्रश्न का जवाब दे दिया है, बाकी के लिये सूचना की आवश्यकता होगी तभी मैं इसका जवाब दे सकूंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कब तक आप सूचना एकत्र कर सकेंगी ?

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र जवाब दे दूंगी।

माननीय सांसदों को उपलब्ध कराई गई जीपों का उपयोग

*5—श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा माननीय सांसदों को उपलब्ध करायी गयी जीप का उपयोग संबधित सांसद अपने क्षेत्र में करेंगे या कहीं और भी ? क्या उन जीपों का उपयोग शादी विवाह में शामिल होने के लिय हो सकता है और क्या उन राजकीय जीपों पर माननीय सांसदगण अपनी पार्टी का झण्डा लगा सकते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जीपों का उपयोग सबंधित माननीय सांसदो द्वारा केवल क्षेत्र में बीस सूतीय कार्यक्रम एवं अन्य विकास कार्यों के स्थलीय निरीक्षण हेतु दौरे के लिये ही किया जा सकता है तथा इनका प्रयोग निजी कार्यों हेतु नहीं किया जा सकता है जीपों पर पार्टी का झण्डा नहीं लगाया जा सकता है।

*6—श्री मित्रसेन—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद सहारनपुर तहसील नकुड़ के ग्रामों में चकबन्दी

*7—श्री राम शरण दास—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अभी तक कितने ग्रामों की चकबन्दी नहीं हुई है ? यह ग्राम परगना गंगोह, परगना नकुड़, परगना सरसांवा तथा परगना सुल्तानपुर में कितने-कितन आते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन ग्रामों की चकबन्दी न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन ग्रामों की चकबन्दी कराने पर विचार कर रही है ?

श्री गौरी शंकर—

जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ के 126 ग्राम ऐसे हैं जिनमें अभी चकबन्दी नहीं हुई है ।

परगना गंगोह के 39 ग्राम, परगना नकुड़ के 23 ग्राम, परगना सरसावां के 24 ग्राम तथा परगना सुल्तानपुर में 40 ग्राम आते हैं ।

तहसील नकुड़ के अवशेष ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण कराये जाने पर परगना नकुड़ के 6 ग्राम, परगना गंगोह के 16 ग्राम, परगना सरसावां के 9 ग्राम तथा परगना सुल्तानपुर के 11 ग्राम कुल मिलाकर 42 ग्राम पूर्वनिर्धारित मापदण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य पाये गये । उक्त 42 ग्रामों में चकबन्दी प्रसार कराये जाने हेतु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत दिनांक 10-8-87 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जिसका प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 2-1-88 को हुआ है । शेष ग्रामों के संबंध में संशोधित मापदण्ड के अनुसार पुनः सर्वेक्षण कराये जाने के निदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो 84 गांव रहे हैं और आपने इसमें कह दिया कि शेष ग्रामों के सम्बन्ध में संशोधित मापदण्ड के अनुसार पुनः सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं, तो यह सर्वेक्षण आप कितनी जल्दी करा देंगे यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में ही निवेदन किया है कि 42 ग्राम जो कि चकबन्दी नियम के अन्तर्गत धारा 4 (2) के अन्तर्गत आते थे उसकी दिनांक 10-8-87 की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और जिसका प्रकाशन राजकीय गजट में हो गया है । शेष जो ग्राम रह गये हैं, जिनका आपने हवाला दिया है, उनके लिये पुनः आदेश कर दिये गये हैं कि संशोधित एरिया के अनुसार जो गांव आते हैं, उनकी चकबन्दी भी समस्त प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर करा दी जायेगी ।

श्री राम शरण दास—

मैं केवल इतना जानता हूं कि सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा कर यह कार्य करा दिया जावेगा ? बस इतना हमको बता दें ।

श्री गौरी शंकर—

इन ग्रामों का सर्वेक्षण जैसे ही पूरा हो जायेगा कि यह गांव 30 परसेंट के एरियों में आते हैं या नहीं, बस इसके प्राप्त होते ही जो नियम हैं, उसके अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी और यदि आप संतुष्ट होना ही चाहते हैं हम यथा संभव और यथाशीघ्र ही कार्यवाही करने के प्रयास किये जायेंगे ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, चकबन्दी कराने की एक समान नीति तैयार की गयी है, लेकिन आज जो चकबन्दी हो रही है, वह मनमान ढंग से की जा रही है और मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से ग्राम हैं जिनकी चकबन्दी की जानी चाहिये परन्तु उनकी नहीं की जा रही है और जिन गावों की चकबन्दी 20 वर्ष पहले हो चुकी है, और उसी तरह की भूमि है, एरिया भी उतना ही है तो क्या सरकार ऐसी भूमि की भी चकबन्दी समान नीति के अनुसार कराने के आदेश देगी ?

श्री गौरी शंकर—

आपका कहना यही है कि चकबन्दी आज नीति के अनुरूप नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है मान्यवर, शासन की नीति स्पष्ट है। पहले जितने भी ग्राम 40 परसेंट में लिये जाते थे अब वह गांव 30 परसेंट में लिये जा रहे हैं, जिन ग्रामों की चकबन्दी प्रथम चक्र में हुई है, उनकी तो उसी हिसाब से हो गयी, लेकिन अब द्वितीय चक्र में जिन ग्रामों को लिया जा रहा है, निश्चित रूप से उन्हें 30 परसेंट के हिसाब से सम्मिलित किया जा रहा है, इस मानक में जितने भी ग्राम आयेंगे, सभी की चकबन्दी आवश्यक रूप से होती रहेगी।

श्री मूलचन्द्र—

क्या माननीय मंत्री जी तहसील भदोही के ग्राम सराय भाव सिंह के अन्तर्गत 67 गरीबों को 106 बीघा भूमि आवंटित की गयी है, और इनका नाम माल कागजात में दर्ज भी है, परन्तु वे चकबन्दी कराना नहीं चाहते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यहां की चकबन्दी भी कराने के आदेश देंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह वास्तव में अपने आप में बड़ा ही व्यापक प्रश्न है और यदि माननीय सदस्य जी इस गांव की चकबन्दी कराना ही चाहते हैं तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वह मेरे यहां किसी दिन एक कप चाय पर आयें, जिसमें विस्तार पूर्वक वार्ता कर निश्चित करनी होगी. . . . (शोर)

जनपद आगरा की तहसील आगरा में मकान हेतु आवंटित भूमि

*8—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की आगरा तहसील में स्थित ग्राम सलोवा व खाल में दिनांक 15-10-87 में आवंटित भूमि पर बने पूर्व आवंटियों के पूर्व निर्मित मकानों को पुलिस बल से परगनाधिकारी आगरा ने दिनांक 6 व 7 जनवरी, 1988 को तोड़वा कर नवीन नसबन्दी कराने वालों को कब्जा दिलाने के लिये गिरवा दिया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या औचित्य है ?

श्री गौरी शंकर—

जनपद आगरा की तहसील आगरा के कथित ग्राम खलौआ व खाल में दिनांक 15-10-67 को आवास हेतु कोई भूमि आवंटित नहीं हुई है। अतः उक्त तिथि में आवंटित भूमि के आवंटियों के किसी पूर्व निर्मित मकानों को तोड़वाने या किसी अन्य को कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल सत्य से परे है। मेरी श्रीमन् इस सम्बन्ध में यह निश्चित जानकारी है कि 15-10-67 में जनपद व तहसील आगरा के ग्राम खलौआ व खाल में जो भूमि निश्चित रूप से आवंटित की गयी है पर आप कह रहे हैं कि आवंटित नहीं की गयी है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस बात की जांच आगरा के किस अधिकारी द्वारा करायी गयी कि खलौआ व खाल की भूमि आवास हेतु आवंटित नहीं की गयी थी।

श्री गौरी शंकर—

माननीय सदस्य बदनसिंहजी स्वयं गरीबों के हितों की रक्षा करते हैं, मान्यवर, यह जो भूमि किसी सन्दर्भ दे रहे हैं, किसी को भी आवंटित नहीं हुई थी, इतना अवश्य था कि शीतकालीन दौरे में परगनाधिकारी ने इसको आवंटित किया तो जो लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुये थे उन्होंने कहा कि यह भूमि आवंटित हो चुकी है। तो इससे आप स्वयं सहमत होंगे कि चोरी और सीनाजोरी, आप हकदार भी उसके नहीं हैं और जब परगनाधिकारी ने आवंटन की कार्यवाही की तो यह मामला उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ अवश्य ही कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ व्यक्ति अनाधिकृत कब्जा करना चाहते थे और जो नये कब्जे दिये गये हैं वह नसबन्दी के आधार पर नहीं दिये गये हैं, तो जो व्यक्ति, कब्जा करना चाहते थे वह कौन-कौन लोग थे, क्या वह चीज आपके संज्ञान में है। मान्यवर आगरा जनपद में हर परगना के अन्तर्गत नसबन्दी के आधार पर पट्टा दिये जाने की व्यवस्था सामान्य रुप से लागू कर दी गई है, जो किसी भी नियम या विधि में नहीं है। क्या केवल नसबन्दी कराने के आधार पर पट्टा देनेकी व्यवस्था राजस्व नियमों के अनुकूल है ?

श्री गौरी शंकर

मान्यवर मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि जिलाधिकारी आगरा ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि गाटा संख्या 71 पर कुछ असामाजि तत्वों ने अनधिकार रूप से कब्जा करना चाहा, जिसे परगनाधिकारी ने अपने शीतकालीन दौड़ के समय दिनांक 7-1-1988 को रोंका। उक्त गाटा संख्या ग्राम सभा की संपत्ति है और वह पात्र व्यक्तियों को आवंटित की जा रही हैं।

श्री बदन सिंह

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि कुछ लोग नाजायज प से कब्जा करना चाहते थे, तो जैसा कि राना जी ने पूछा कि कौन-कौन लोग नाजायज कब्जा करना चाहते थे, क्या माननीय मंत्रीजी ने उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेंगे, जिससे कि उस समय के प्रधान की कार्यवाही रजिस्टर से मिलान कर ली जाती कि यह अनधिकार कब्जा कर रहे थे या इनको पट्टा किया गया था ? उस समय के प्रधान की कार्यवाही रजिस्टर में इसका उल्लख होगा और रसीद काटी गयी होगी और तब मकान बनाये गये तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस समय प्रधान की कार्यवाही रजिस्टर को तथा कट्टा रसीद को इस सिलसिले में देखा गया है या नहीं देखा गया है कि इन लोगों को भूमि आवंटित की गयी है या नहीं की गयी है

श्री गौरी शंकर

मान्यवर, गाटा सं0 90 से संबंधित पात्र व्यक्तियों को परगनाधिकारी ने अपने शीतकालीन भ्रमण के समय दिनांक 6-1-88 को कब्जा दिलाया था। कब्जा दिलाने में असमाजिक व्यक्ति अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि वे उस पर नजर लगाय हुये थे। यह भूमि उन व्यक्तियों को कभी आवंटित नहीं की गयी।

श्री शैलेन्द्र कुमार

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि जिन जगहों पर हरिजनों के पट्टे होकर एस0डी0एम0 या कलेक्टर के यहां प्रस्ताव गये हैं और विचाराधीन हैं, क्या सरकार उनको जल्दी पट्टा दिलाने में जल्दी करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया था

श्री जगदीश नरायन--

मान्यवर, म आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि हमीरपुर जनपद में जो पट्टे हुए हैं, जो नसबन्दी के पट्टे हुये हैं उनका एप्रूवल परगनाधिकारी नहीं कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष--

इससे तो बहुत व्यापक हो जायेगा।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन पात्र व्यक्तियों को नसबन्दी कराकर पट्टा देने की बात कही गई है क्या उनके लिये वहां पर ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव किस तारीख को पारित किया गया और यदि नहीं तो बिना ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किये परगना अधिकारी को पट्टा देने का अधिकार है ?

श्री गौरी शंकर

मान्यवर, ग्राम खाल में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 19-1-87 तथा परगाधिकारी आगरा के अनुमोदन दिनांक 18-10-87 के अनुसार गाटा संख्या 90 व 103 में कतिपय व्यक्तियों को आवास हेत भूमि आवंटित की गई थी जिसमें गाटा संख्या 90 से संबंधित व्यक्तियों को परगनाधिकारी आगरा ने अपने शीतकालीन भ्रमण के समय दिनांक 6-1-88 को कब्जा दिलाया था। कब्जा दिलाने के समय कतिपय असामाजिक व्यक्तियों द्वारा अवरोध पैदा करने का प्रयास किया गया क्योंकि वे उस भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते थे। बाद में विधिवत रूप से कब्जा दिलाने की कार्यवाही हुई।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर मंत्री जी इधर-उधर करके जवाब दे रहे हैं। इस प्रश्न पर गहराई से वे सोचते तो वस्तु-स्थिति मालूम हो जाती। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सन् 87 में ये पट्टा दिलाया गया ग्राम प्रधान खाल के ऊपर 195 (जी) की कार्यवाही चल रही थी। एस0डी0 एम0 ने उसे वापस लेकर नसबन्दी वाले लोगों को पट्टा दिला दिया और उसका अनुमोदन कराया गया। इसलिये क्या आप इस तथ्य की जांच करायेंगे और जैसा कि बदन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया था कि पहले ग्राम प्रधान ने जो पट्टा कराया था जिस पर 195 (जी) की कार्यवाही चल रही थी उसको निरस्त करके आप उसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, इसकी जांच करा लीजिये।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पात्र व्यक्तियों को वह भूमि आवंटित की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब इसकी जांच करा ली जायगी।

जनपद आगरा को विमुक्तिकर जिला पुर्नगठित समिति द्वारा फिरोजाबाद को जिला बनान की संस्तुति

*9--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी है कि वर्ष 1976 में अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में जिला पुनगर्ठन समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या जिला पुनर्गठन समिति जनपद आगरा को विमुक्त कर फिरोजाबाद को जिला बनाये जाने की संस्तुति सरकार को की थी ? यदि हां, तो शासन ने फिरोजाबाद को जिला बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां। जी हां। जिला पुनर्गठन समिति द्वारा की गई संस्तुति पर विचार किया गया परन्तु वित्तीय संसाधनों को देखते हुय फिरोजाबाद म सम्प्रति जिला स्थापित करना संभव नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जिला पुनगर्ठन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के संबंध में कहा जी हां और जिला बनाने के संबंध में कहा 'धन उपलब्ध नहीं है'। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभी 3 जिले घोषित किये उन तीन जिलों की घोषणा कौन-कौन मानक पूरा करते थ जिनका बनाया जाना अवश्यभावी हो गया और जिनको जिला पुनगर्ठन समिति बनाने के लिये कहा उनको नहीं बनाया। तो इन तीन जिलों के लिय कौन से अतिरिक्त मानक पैदा हो गये और फिराजाबाद को नहीं बनाया ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जहां तक समिति की संस्तुति का संदर्भ है वह तो माननीय सदस्य स्वयं उससे संतुष्ट है। जहां तक आपने यह पूछा कि दूसरे जनपद जिनका गठन किया उनके कौन से मानक थे तो उस संबंध में बताना चाहता हूं कि सहारनपुर में हरिद्वार, बस्ती में सिद्धाथनगर और आजमगढ़ में मऊ इन तीन जिलों क सृजन की घोषणा की गयी। जनपद सहारनपुरका क्षेत्रफलआगरा से अधिकतथा जनसख्या मिर्जापुर से अधिक है आजमगढ़ का क्षेत्रफल एव जनसंख्या भी आगरा से अधिक है। बस्ती का क्षेत्रफलएवं जनसंख्या भी आगरा से अधिक है। हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक स्थान है। अति-विशिष्टि व्यक्तियों का आवागमन भी प्रायः बना रहता है जिससे हरिद्वार में शान्त व्यवस्था का भार उत्तरोत्तर बना रहता है। अतः प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुये सहारनपुर को विभाजित कर हरिद्वार में नया जिला स्थापित करनेका निर्णय लिया गया। बस्ती तथा आजमगढ़ विभाजित करने का औचित्य वहां का क्षेत्रफल जनसंख्या तथा प्रशासनिक आवश्यकता है। अभी आगरा से फिरोजाबाद को जिला बनाने में संसाधनो का अभाव होने के कारण सम्भव नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ मे मैं जानना चाहूंगा कि जिला पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट पर शासन ने किस तारीख को विचार किया और उस समय जिला पुनर्गठन समिति ने किन-किन स्थानों में जिला बनाने की संस्तुति की थी और इनके निर्धारण के लिय उन्होंन क्या मानक बनाय थे और कौन जिल पहले बनाने के लिये कहा था ?

श्री गौरी शंकर--

जिला स्तरीय प्रशासनिक आयोग जिसने जिला प्रशासन को चुस्त और उसमें सुधार लाने के लिये वर्ष 1983 में कहा था। इसमें इलाहाबाद बस्ती मिर्जापुर को विभाजित करने की संस्तुति की थी। आजमगढ़ का औचित्य में बता चुका हूं तथा दूसरे जिलों का भी औचित्य मैं सामने रख चुका हूं।

श्री अमर चन्द्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला पुनर्गठन समिति जिसकी आख्या माननीय मंत्री जी को प्राप्त हो गयी है उसमें फिरोजाबाद को जिला बनाने के किय भौगोलिक स्थिति क्या रखी है। उसमें कौन-कौन तहसीलों को रखा गया है ?

श्री गौरी शंकर--

जिला पुनर्गठन समिति ने जो तीन जिलों के पुनर्गठन की बात बताई वह मैं बता चुका हूं। उसमें भौगोलिक और प्रासनिक इत्यादि परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है और उनको दृष्टि में रखकर ही संस्तुति की है।

(व्यवधान)

श्री अमर चन्द्र--

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया उसका उत्तर दिला दें। आगरा में फिरोजाबाद को जिला बनाने के लिये जो आख्या दी है उसमें भौगोलिक स्थिति की बात कही है। तो इसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र भी आता है मैं जानना चाहता हू कि फिरोजाबाद में कौन कौन छह तहसील शामिल की जा रही है ?

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्य ने अब प्रश्न स्पष्ट किया है तो इस नये जनपद के लिय जो संस्तुति की है उसमें हेड क्वार्टर फिरोजाबाद में हो। तो फिरोजाबाद फतेहाबाद और बाह, इन तीनों तहसीलों को नवसृजित जनपद फिरोजाबाद में रखने की संस्तुति की थी। आगरा जनपद म चार तहसीलों-आगरा, किरावली, एत्मादपुर और खैरागढ़ रखने की संस्तुति की है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला पुनर्गठन आयोग ने फिरोजाबाद को जिला बनाये जाने के लिये क्या औचित्य बताया है ? क्या उसमें फिरोजाबाद की संवेदनशीलता और फिरोजाबाद के कांच उद्योग की प्रगति का सवाल अंकित है अथवा नहीं ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, समिति ने संस्तुति किया है इसलिये सिद्धान्त: उस संस्तुति को मान रहे हैं। लेकिन अभी तक यह निवेदन किया कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में उसका घोषणा करना संभव नहीं है।

जहां तक शांति व्यवस्था आदि का विषय है, तो इसम तमाम कारण हैं और-आगरा का नागरिक प्रशासन तीन भागों में विभाजित है, यहां तीन ए0डी0एम0 हैं, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नगर और अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), फिरोजबाद है जो पूरा कंट्रोल चला रहे हैं। इस प्रकार फिरोजाबाद को जनपद म सृजित करके उसको तहसील बनाकर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वहां का कार्य संचालन करते हैं।

जनपद मेरठ में बड़ौत को तहसील बनाने का प्रस्ताव

*10—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में बड़ौत को तहसील बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त निर्णय की घोषणा कब तक कर दी जायेगी?

श्री गौरी शंकर

जी हां। इस विषय में अभी राजस्व परिषद की आख्या मांगी गई है।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्व परिषद की आख्या कब तक आ जायेगी और कितना समय लगेगा?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, आख्या मांगी गयी है और वह शीघ्रातिशीघ्र आख्या दें इस बात के लिये उनको निर्देशित कर दिया जायेगा।

(इस समय 12 बजकर 14 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष

प्रश्न संख्या—11, श्री हृदय नरायन दीक्षित।

श्री शैलेन्द्र कुमार

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न सं0 10 के संबंध में कि नई तहसील बनाने का आधार क्या है? इलाहाबाद में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चायल तहसील है यहां की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन शहर से दूर है, इसलिये हम चाहते हैं कि चायल ब्लाक में तहसील बनाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

10 वां प्रश्न समाप्त हो गया था इसलिये इसको छोड़ दें।

परगनाधिकारी तहसीलदारों व नायब तहसीलदार को परिवार कल्याण कोटा पूरा करने में लगा देने से मुकदमों की सुनवाई में अव्यवस्था

*11—श्री हृदय नरायन दीक्षित

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि परगनाधिकारी, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को परिवार कल्याण का कोटा पूरा करने में लगा देने से राजस्व का काम पिछड़ गया है और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकदमों की सुनवाई भी उक्त अधिकारीगण पूरे उ0प्र0 में समय पर नहीं कर पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

श्री गौरी शंकर—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न था तो जिले से सूचना नहीं मंगवाना था लेकिन मंत्री जी ने टालने के लिये उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है, इसलिये सूचना कहां से मंगा रहे हैं, यह बता दें?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, शासन की इसमें कोई कदाशयता नहीं है, हमारी सदस्यता पर वह शंका करें यह उचित नहीं प्रतीत होता है। इसकी आख्या शीघ्र आ जाये, इस हेतु कार्यवाही की जायगी।

जनपद गाजियाबाद में आवंटित पट्टी का निरस्त किया जाना

*12--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जारचा तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में खसरा सं0 658, 671, 693, 742, 1459 कुल रकबा 47.15,0 बीघा के पट्टे किस ग्राम के निवासियों को किए गए हैं? क्या यह पट्टेदारी इसी ग्राम के मूल निवासी हैं? यदि नहीं, तो इन पट्टों को किस अधिकारी की अनुमति से किया गया है? क्या शासन इन पट्टों के निरस्तीकरण करने की कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर--

ग्राम जारचा तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के कथित खसरा नम्बरों का कुल रकबा 47-15-0 नहीं बल्कि 70-9-0 है। उक्त नम्बरों के पट्टे ग्राम जारचा, नगलाकाशी, एवं करहेड़ा के निवासियों को किये गये हैं जिसमें से एक पट्टदार ग्राम जारचा का मूल निवासी है तीन पट्टेदार ग्राम नगला काशी एवं शेष अन्य 14 पट्टेदार ग्राम करहेड़ा तहसील, गाजियाबाद के निवासी हैं। इन पट्टों को तत्कालीन परगनाधिकारी सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर की अनुमति से किया गया था। यह समस्त पट्टे जांचोपरांत अवैध पाये गये एवं इन अवैध पट्टों के निरस्तीकरण के संबंध में बाद दायर कर दिये गये हैं, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री महेन्द्र भाटी--

मान्यवर, दादरी तहसील दिल्ली के बहुत नजदीक है और वहां कोई ही गांव शायद ऐसा बचा हो जहां अवैध पट्टे न हुए हों, तो क्या मंत्री जी को ऐसा आयोग बिठाने की कृपा करेंगे कि जो अवैध पट्टे किये गये हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, उन सबको रद्द किया जा सके?

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्य ने इसमें रुचि दिखाई है और शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है यह एक अच्छी बात है और उसी के आधार पर जो अवैध पाये गये उनका वैध नहीं किया गया है, उन पर शासन द्वारा कार्यवाही की गई है अतः उन्हें तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।

श्री महेन्द्र भाटी--

यह तो एक गांव में ऐसा पाया गया है जबकि यह स्थिति वहां सभी जगह है जो जांच करने पर मिलेगी। एक गांव में इतनी जमीन है कि जिसकी कीमत करीब 175 करोड़ रुपया है, बहुत पटटे बाहर के विदेशी लोगों को भी हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

न्यायालय में जब मामले हैं तो इसमें क्या हो सकता है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री महेन्द्र भाटी--

तो हमारा कहना यह है कि कोई ऐसा आयोग आप बिठायेंगे कि जो ऐसे अवैध पट्टे हो रहे हैं उनको रोका जा सके और उनको बेदखल किया जा सके।

श्री गौरी शंकर--

आपके स्वयं ज्ञान में है कि इसमें इस कार्य को भूमि प्रबन्धक कमेटी करती है और उसमें जांच करने के बाद जब परगनाधिकारी कन्विंस हो जाते हैं तो ही अप्रूव करते हैं और अगर पात्र व्यक्ति नहीं होते हैं तो नहीं करते हैं। इसी में आपने देखा है कि कुल 18 पट्टे हुए थे, जिसमें से समस्त 18 जांचोपरांत अवैध पाये गये थे और उनको निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अतः इसमें आयोग बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शासन ने पहले ही इन बातों की रोकथाम के लिए इस तरह की व्यवस्था कर रखी है।

श्री महेन्द्र भाटी--

कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां पर फर्जी पट्टे न हुए हों और यह तमाम अफगान नेशनल्स के हुए हैं, तो इन सारे गांवों के फर्जी पट्टे को रद्द करने के लिए क्या आयोग बनाने का या इस तरह की और कोई कार्यवाही हो रही है।

श्री गौरी शंकर--

आयोग का प्रश्न नहीं है, इसका राजस्व परिषद् भी देखता है।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी और से जांच करा लें।

श्री गौरी शंकर--

इसके लिए पूरी व्यवस्था है, एक पूरी कमेटी बनी हुई है, किसी आयोग के बिठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विजय सिंह राणा--

वाइस चेयरमैन, मंत्री जी ने बताया आपने सुना होगा कि कुछ पट्टे निरस्त कर दिए गये हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही चली गई है तो जो पट्टे निरस्त किए गये हैं और शासन के द्वारा निरस्त किए गये हैं तो क्या उस एस0 डी0 एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

पूरे प्रकरण की जांच के बाद तत्कालीन प्रधान बाल किशन शर्मा जो थे उनकी मृत्यु हो गई और जो लेखपाल किशन गुप्ता है वह बुलन्दशहर में है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है। परगनाधिकारी के बारे में कहा गया कि क्या इनके विरुद्ध कार्यवाही हो गई, तो पहले यह दूसरी जगह थे अब यह गाजियाबाद में आ गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त।

भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा पात्र व्यक्तियों को आवंटित भूमि की स्वीकृति

*13--श्री कमलेश बाबी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम समाज महुआधनी परगना उतरौला जिला गोण्डा ने अपनी बैठक दिनांक 14-12-85 में अपने ग्राम समाज की 125 एकड़ भूमि को गांव के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में यथाशीघ्र आवंटित करने का सर्व सम्मति से निर्णय

लिया था और उसी बैठक में 49 व्यक्तियों में 47 एकड़ ग्राम समाज की भूमि आवंटित करके उनकी सूची मय आवंटित रकबे के सर्व सम्मति से पास की थी ? क्या यह सही है कि भूमि प्रबन्धजक समिति की इस बैठक की यह कार्यवाही एप्रूवल के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेज दी गयी, लेकिन दिसम्बर, 87 तक तहसीलदार, परगनाधिकारी व जिलाधिकारी के पास बार-बार प्रयास करने पर भी उक्त कार्यवाही का एप्रूवल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन उस कार्यवाही का एप्रूवल शीघ्र कराकर भूमि को आवंटन करने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह सही है कि प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्ध, समिति महवाधनी तहसील उतरौला जिला गोण्डा ने समिति के कुछ अपने गुट के, सदस्यों के साथ दिनांक 14-12-85 को बैठक करके भूमि आवंटन का एक प्रस्ताव पारित किया, किन्तु यह सही नहीं है कि उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत था। उक्त आवंटन प्रस्ताव 45-13 एकड़ भूमि के संबंध में किया गया था।

आवंटन की स्वीकृति हेतु जो पत्रावली तहसील भेजी गई थी वह अपूर्ण थी और उसमें प्रस्ताव की प्रतिलिपि नियमानुसार संलग्न नहीं की गई थी। प्रधान द्वारा बार-बार आवंटन स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र दिये गये किन्तु उस वांछित प्रस्ताव की प्रतिलिपि उनके द्वारा 14-2-88 तक नहीं दी गई।

आवंटन प्रस्ताव की जांच कराने पर उसमें प्रक्रिया व नियम सम्बन्धी अनेकानेक त्रुटियां पाए जाने के कारण उसकी स्वीकृति नियमानुसार देना संभव नहीं था, जिसके कारण उसे स्वीकृत नहीं किया जा सका।

चूंकि आवंटन में नियमों तथा प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, अतः उसका अनुमोदित किया जाना संभव नहीं है।

रानीखेत को नया जनपद बनाने की विषयक विचार

*14—श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों का आकार छोटा कर प्रशासनिक पकड़ व विकास कार्यों को तीव्रगति देने के लिए नये जनपद बनाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ? क्या अल्मोड़ा जनपद के विस्तृत क्षेत्रफल व फैली आबादी को देखते हुए रानीखेत को नया जनपद घोषित करने पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता

जिला पुनर्गठन समिति या जिलास्तरीय प्रशासनिक आयोग ने इस विषय में कोई संस्तुति नहीं की है। अतः प्रशासनिक दृष्टि से किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया।

*15—श्री हर्ष वर्धन—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

ललितपुर, राजघाट बांध परियोजना में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण

*16—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेतवा नदी परीक्षित राजघाट बांध परियोजना ललितपुर में कार्यरत श्रमिकों के संगठन वर्कचार्ज कर्मचारी संघ का तेरह सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 26—1—86 को श्रमिक की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मांग पत्र को सदन के पटल पर रखने एवं यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रम मंत्री (सैयद सईदुल हसन)—

राजघाट, बांध परियोजना बेतवा नदी बोर्ड को झांसी में कार्यरत श्रमिकों के संगठन वर्कचार्ज कर्मचारी संघ का तेरह सूत्रीय मांग पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें नियमितिकरण, अवशेष वेतन के भुगतान, परियोजना भत्ता, पदोन्नति, वेतन विसंगतियां, सेवा नियमों में संशोधन, संघ को मान्यता, मेडिकल सुविधा, ओवर टाइम की सुविधा, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, दुर्घटना मुआवजा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी दरों में वृद्धि एवं वर्दी से संबंधित मांगों का उल्लेख है। इस मांग पत्र पर क्षेत्रीय श्रम कार्यालय झांसी द्वारा उभय पक्षों के मध्य समझौता वार्ता कराई गई। इस संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता बांध निर्माण मण्डल ने संघ की कुछ मांगों को स्वीकार करते हुए सभी मांगों के विषय में यूनियन को उत्तर भी दे दिया है।

खेत बटाईदारों के सिलसिले में शासन द्वारा नीति निर्धारण

*17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खेत बटाईदारों के सिलसिले में शासन द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157 में वर्णित निर्योग्य/अक्षम व्यक्तियों को छोड़कर उक्त अधिनियम की धारा 156 के अधीन कृषि भमि का पट्टे/बटाई पर उठाया जाना वर्जित है।

उत्तरकाशी जिले में जनजाति क्षेत्रों में किये गये आंदोलन के सत्याग्रहियों पर चल रहे मुकदमों की वापसी का आदेश

*18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिले में नौगांव, पुरवा तथा गौरी विकास खंडो को तथा कतिपय अन्य क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में किये गये आंदोलन के सत्याग्रहियों पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने के बारे में श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट, उत्तरकाशी का जो मांग पत्र प्रश्नकर्ता के उपरि-पत्र के साथ सितम्बर, 86 के दूसरे पखबारे में प्राप्त हुआ है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुकदमें वापस हो गये हैं? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

न्याय विभाग ने जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को जनहित में मुकदमा वापस लेने के आदेश जारी कर दिये गये।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के कलेक्ट्रेट में अस्थायी पदों पर तदर्थ नियुक्तियां

*19—श्री शफ़ीकुर्रहमान बर्क—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों पर लगाये गय रोक के बावजूद कलेक्ट्रेट, प्रतपगढ़ में अस्थायी लिपिकों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की जा रही है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? नियुक्तियों के लिए चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

कलेक्ट्रेट में लिपिकों के अस्थाई पदों पर नियुक्तियों के लिये शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

विकलांगों को तिपहिया साइकिल व इंजन चालित साइकिल की सुविधा

*20—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को तिपहिया साइकिल व इंजन चालित साइकिल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की योजना अब प्रदेश सरकार के नियंत्रण में आ गई है ? यदि हां, तो क्या सही है कि उक्त योजना में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1987—88 में इस मद में कितने रुपये का प्राविधान किया गया था और कितने को लाभान्वित किया गया है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

श्री शारदानन्द अंचल—

(दिनांक 26—2—88 को अतारांकित प्रश्न सं0 92 द्वारा उत्तरित)

श्रम विभाग के कारखाना निदेशालय में निदेशक की नियुक्ति

2—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत कारखाना निदेशलय में तमाम महत्वपूर्ण पद जैसे सहायक निदेशक, उप निदेशक और निदेशक के पद खाली पड़े हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

सैयद सईदुल हसन--

जी नहीं। यह बात सही नहीं है कि श्रम संगठन के कारखाना प्रभाग में बहुत से पद रिक्त पडे है। निदेशक कारखाना का पद रिक्त नहीं है उप निदेशक कारखाना के आ0 पदों में से 4 पद तथा सहायक कारखाना निदेशक के 40 पदों में से केवल 5 पद रिक्त हैं। इनको शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही हो रही है।

हरिजन निर्बल आवास निगम उ0प्र0 द्वारा प्रयुक्त सामान का क्रय

3--श्री सुखलाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि हरिजन निर्बल आवास निगम, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1986-87 व 1987-88 में चूना, सुर्खी, सीमेन्ट का जो सामान क्रय किया वह किन-किन फ़र्मों से किन-किन दामों पर क्रय किया गया और जो सामान क्रय किया गया उसमें 58 ट्रेड मार्क है या नहीं ? क्या उपरोक्त सामानों को जिला स्तर पर क्रय करने का आदेश नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

निगम द्वारा वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में क्रय किये गये चूने, सुर्खी एवं सीमेंट के संबंध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है:-

(1) चूना:-

निगम मुख्यालय द्वारा कोटेशन आमंत्रित करके निम्नलिखित फ़र्मों की चूने की दरें उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत की गयी हैं:-

फ़र्म का नाम	स्वीकृत दर	
	1986-87	1987-88
मैसर्स डायर्स लाईम एंड कैमिकल्स, कटनी ..	695.40 प्र.मी.टन.	738.10 प्र.मी.टन.
मैसर्स दून कैमिकल्स ..	604.65 ,, ,,	604.65 ,, ,,
मैसर्स अखिल लाइम ..	604.65 ,, ,,	604.65 ,, ,,
मैसर्स कमला मिनिरल्स, लखनऊ ..	678.60 ,, ,,	678.60 ,, ,,
मैसर्स भूषण कैमिकल्स ..	...	585.00 ,, ,,

परन्तु उपरोक्त फ़र्मों से आवश्यकतानुसार समय पर चूना न मिल पाने की स्थिति में जिला स्तर पर निर्माण इकाइयों द्वारा स्थानीय रूप से भी चूना क्रय किया जाता है।

(2) सुर्खी:--

निगम मुख्यालय द्वारा सुर्खी क्रय नही की जाती बल्कि सुर्खी का क्रय जिला स्तर पर निर्माण इकाइयों पर गठित क्रय समिति के अनुमोदन स्थानीय बाजार भाव पर किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1986-87 में सुर्खी का क्रय रु0-110 से 150 प्रति घन मीटर की दर तक किया गया है। वर्ष 1987-88 में रु0 115.156 प्रति घन मीटर की दर तक सुर्खी क्रय की गयी है।

(3) सीमेंट:--

सीमेन्ट का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित लेवी दरों पर क्षेत्रीय सीमेन्ट नियंत्रक, नई दिल्ली के आबंटन के अनुसार किया जाता है । चूंकि लेवी सीमेंट वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पायी है अतः नान लेवी सीमेन्ट भी पहले मुख्य रूप से उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 से ली जाती है परन्तु उनके द्वारा अपेक्षित मात्रा में समय से आपूर्ति न मिल पाने पर अन्य सीमेन्ट निर्माताओं से टेंडर के आधार पर क्रय की गयी है । सीमेंट का क्रय निगम मुख्यालय द्वारा किया जाता है । वर्ष 1986-87 में तथा वर्ष 1987-88 में लवी सीमेंट की दरें क्रमशः रु0-41.98 प्रति बोरी तथा रु0-49.33 प्रति बोरी थीं ।

नान लेवी सीमेंट निम्नलिखित फर्मों से समय-समय पर बाजार भाव के अनुसार रु0-48.00 प्रति बोरी से रु0 58.74 प्रति बोरी तक क्रय की गयी:--

फर्म का नाम:--

1--मैसर्स यू0पी0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0, चुनार, मुर्ज, मुर्जडाला ।

2--मैसर्स सतना सीमेंट वर्क्स, सतना ।

3--मैसर्स जे0पी0 रीवा, सीमेंट, रीवा ।

4--मैसर्स एसोसियेट सीमेंट कारपोरेशन, कानपुर ।

5--मैसर्स सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, राजवन ।

6--मैसर्स डायमन्ड सीमेंट दमोह ।

7--मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 मेवाड़, (राजस्थान)

8--मैसर्स महर सीमेंट, सरलानगर, सतना ।

उपरोक्त सामानों के क्रय हेतु 58 नम्बर का कोई भी ट्रेड मार्क निर्धारित नहीं है अतः इस प्रकार के किसी ट्रेड मार्क के सामान के क्रय का प्रश्न नहीं है ।

सीमेंट को छोड़कर चूने एवं सुर्खी को जिला स्तर पर क्रय किये जाने की अनुमति है तथा सुर्खी का समस्त निर्माण इकाइयों द्वारा जिला स्तर से आदेश देकर तथा चूने का क्रय मुख्यालय एवं निर्माण इकाइयों दोनों ही स्तर से किया गया है ।

4-5-श्री महावीर सिंह राणा--

(4थे शुक्रवार के लिए स्थगित)

होटल अवध क्लार्क के मजदूर संघ की मांगें

6-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि होटल क्लार्क अवध मजदूर संघ लखनऊ द्वारा अपने महाप्रबन्धक होटल क्लार्क अवध लखनऊ को 17 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 16-7-86 को दिया गया था तथा मांग पत्र पर उप श्रमायुक्त लखनऊ द्वारा यू0पी0आई0डी0 ऐक्ट के नियम 4 में संराधन कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो मांग पत्र में उल्लिखित मांगें क्या हैं तथा श्रम विभाग द्वारा मांगों की पूर्ति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सैयद सईदुल हसन--

जी हां। 17 सूत्रीय मांग पत्र पर दिनांक 16-7-86 होटल क्लार्क अवध मजदूर संघ द्वारा दिया गया था जिस पर यू0पी0आई0डी0 ऐक्ट के नियम-4 के अन्तर्गत प्रादेशिक संराधन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मांग-पत्र में उल्लिखित प्रमुख मांगे निम्न हैं:--

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 7-3-86 के अनुसार श्रमिकों को वेतन भुगतान किया जाय, वेतन पुनरीक्षण किया जाय। 1960-100 के मूल्य सूचकांक के 500 अंकों तक 2.65 पैसे की दर से महंगाई भत्ता दिया जाय और 500 अंक तक देय भत्ते को शत-प्रतिशत वेतन में जोड़ा जाय। 20 प्रतिशत नगर भत्ता दिया जाय। श्रेणी व कुशलता के आधार पर वेतन निश्चित किया जाय। अस्थाई कर्मचारियों व दैनिक कर्मचारियों को नियमानुसार न्यूनतम वेतन दिया जाय। सुरक्षा कर्मचारियों को 1, 2 एवं 3 के संबंध में समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय समस्त अस्थाई कर्मचारियों का नाम हाजिरी रजिस्टर में अंकित किया जाय। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर दी जाय। होटल क्लार्क अवध में कार्यरत् समस्त पंजीकृत यूनियनों, संघों की सदस्यता की जांच कराकर मान्यता प्रदान की जाय होटल क्लार्क अवध मजदूर संघ को नोटिस बोर्ड तथा कार्यालय दिया जाय, केनटीन की व्यवस्था में सुधार हो, कर्मचारियों से संबंधित पत्राचार हिन्दी में किया जाय। प्रत्येक कर्मचारी को 15 दिन का आकस्मिक, 30 दिन का उपार्जित अवकाश, 20 दिन मेडिकल तथा 15 दिन का त्योहारों के अवकाश दिये जायें। कर्मचारियों क लिये विश्रामालय और मनोरंजन ग्रह की व्यवस्था की जाय। होटल की बहुमंजिली भवन पर काम करने वाले ग्लास क्लीनर/फ्लोर ब्वाय को सेफ्टी बेल्ट प्रदान की जाय। चिकित्सा अधिकारी के बैठने का समय निश्चित किया जाय और डिसपेन्सरी में दवाईयां उपलब्ध कराई जायें।

उक्त मांगों के संबंध में उभय पक्षों के मध्य वार्ता कराने का प्रयास किया गया परन्तु श्रमिक पक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त की कार्यवाही

7--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त करने के लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? इसके विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री अम्मार रिजवी--

शहरी क्षेत्र की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक व्यवस्था किये जाने के लिए विधेयक तैयार किया गया है, जिसे कानून की शक्ल दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है क्योंकि शासन की नीति स्थिर होने के बाद ही प्रश्नगत विधेयक तैयार किया गया है।

जनपद फैजाबाद के चकबन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

8--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित सदर तहसील जहां पर इस समय चकबन्दी हो रही है के ग्राम अरथर मजनावा सौनाही हाजीपूर बसेणी लखौरी खिरौनी कैल भदरसा सरैया बौसिग में किसानों को अपने नये चकों पर कब्जा परिवर्तित होकर चकबन्दी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नहीं दिया गया है? क्या यह भी सही है कि विभाग के जिले के अधिकारियों द्वारा जो प्रगति रिपोर्ट शासन को और

चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश को वर्ष 1985–86 में और 1986–87 में भेजी गयी है उसमें कब्जा परिवर्तन दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी

केवल एक ग्राम कैल, जिसका कब्जा परिवर्तन दिनांक 30–11–85 को हो चुका है, के अतिरिक्त अन्य संबंधित ग्रामों में अभी कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है।

जी हां।

फर्जी प्रगति दिखाने के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा उप संचालक चकबदी उत्तरदायी है जिनका विभाग से बाहर स्थानान्तरण किया जा चुका है। उक्त दोनों अधिकारियों से फर्जी प्रगति दिखाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जनपद फैजाबाद सदर तहसील के चकबन्दी अधिकारी द्वारा मालियत लगाया जाना

9—श्री अवधेश प्रसाद

क्या राजस्व मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित सदर तहसील के अन्तर्गत भदरसा, कैल, सरैया, रौनाही, आदि गांवों के संबंध में चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्रश्नकर्ता द्वारा यह जानकारी लिखित और मौखिक रूप से दी गयी कि ग्राम बदरसा में कब्रिस्तान नाला, झील, मड़हा नदी को चकबन्दी में शामिल करके उसकी मालियत लगायी गयी तथा सरैया, में आठ बीघा का 60 बीघा किया गया और इस बात की जांच चकबन्दी आयुक्त मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वर्ष 1987 में करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम भदरसा एवं रौनाही की जांच वर्ष 1987 में क्रमशः उप संचालक चकबन्दी एवं संयुक्त संचालक चकबन्दी (मुख्यालय) द्वारा की गई है। ग्राम कैल व सरैया की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी (मुख्यालय) द्वारा की जा रही है।

ग्राम भदरसा की जांच में अनियमित मुल्यांकन लगाने, मूल की तुलना में अधिक रकबा अंकित करने, तालाबी गाटों का मूल्यांकन लगाकर चकों में प्रदिष्ट करने, मूल की अपेक्षा अधिक एवं कम रकबा देने, बाढ़ से प्रभावित भूमि का मूल्यांकन लगाकर मूल चकदारों को न देकर अन्य चकदारों को देने, बचत भूमि अधिक स्थानों पर छोड़ने एवं उसे गांव के पास एकत्रित न करने, तन्हा व्यक्तियों के संयुक्त खातों का विभाजन न करने, सभी चकों को चकरोड़, नाली प्रदिष्ट न करने, उड़ान चक प्रदिष्ट करने, तालाब को कब्रिस्तान में सुरक्षित करने तथा पट्टेदारों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय दर्ज करने तथा अनियमित चक आवंटित करने की अनियमिततायें प्रकाश में आई जिनके लिए चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, च0 कर्ता, तथा चकबन्दी लेखपाल को दोषी पाया गया। चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र दिये जान की कार्यवाही संपन्न कर दी गई है। चकबन्दी कर्ता एवं लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गई है। जांच में पाई गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक चकबन्दी फैजाबाद को निर्देश भेजे जा चुके हैं।

ग्राम रौनाही की जांच में गाटों का अवैध हस्तांतरण करने, आबादी का गाटा जो चकबन्दी से पृथक था, चक निर्माण के समय मूल्यांकन लगाकर सिद्धांतों के विवरण पत्र में सुरक्षित करने एवं काश्तकार के ऊंचे दर के गाटे पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित करने आदि की अनियमिततायें प्रकाश में आई जिनके लिये चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी दोषी पाये गये। दोषी चकबन्दी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये

जाने के आदेश पारित हो चुके हैं तथा दोषी पाये गये सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। जांच में पाई गई अनिमितताओं के निराकरण हेतु उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद को निर्देश भेजे जा चुके हैं

जनपद फैजाबाद में चकबन्दी के अभिलेखों में पाई गई गम्भीर आरोपों की जांच

10—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के फैजाबाद जनपद में चकबन्दी में अनियमितता, किसानों के शोषण और फर्जी प्रगति रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 13 अप्रैल 1987 को राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव एवं चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश को एक पत्र दिया गया था जिस पर चकबन्दी आयुक्त ने जनपद फैजाबाद में अप्रैल, 1987 की तारीख 18, 19, 20, 21, 22 को फ्लाइंग स्क्वायड भेजकर ग्राम अरथर, रौनाही, मजनावा लखेरी, थिरौनी हाजीपुर, वमेड़ी कैल भदरसा, सरैया, बेसिग, इब्राहीमपुर, आदि गांवों की अभिलेखों को देखा और गम्भीर आरोप पाये ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी

जी हां।

स्क्वैड द्वारा की गई जांच में केवल एक ग्राम कैल को छोड़कर अन्य संबंधित ग्रामों की फर्जी प्रगति पाई गई जिसके लिए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा उप संचालक चकबन्दी, फैजाबाद को दोषी पाया गया जिनका विभाग से बाहर स्थानान्तरण किया जा चुका है। उक्त दोनों अधिकारियों से फर्जी प्रगति दिखाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

शिकायती पत्र में उल्लिखित ग्रामों में से रौनाही आदि ग्रामों की जांच स्क्वैड द्वारा की गई। जांच में गाटों का अवैध हस्तांतरण करने, आबादी का गाटा जो चकबन्दी से पृथक था, चक निर्माण के समय मूल्यांकन लगाकर सिद्धांतों के विवरण पत्र में सुरक्षित करने एवं काश्तकार के ऊंचे दर के गाटे पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि सुरक्षित करने आदि की अनियमिततायें प्रकाश में आई जिनके लिये चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी को दोषी पाया गया। चकबन्दी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के आदेश पारित हो चुके हैं तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। जांचें पाई गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद को आवश्यक निर्देश भेजे जा चुके हैं।

जहां तक ग्राम भदरसा के संबंध में शिकायत का प्रश्न है, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 10-8-87 को अलग से एक शिकायती पत्र चकबन्दी आयुक्त को दिया गया था जिसकी जांच मुख्यालय के अधिकारी द्वारा कराई गई है। विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई तथा जांच में पाई गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी जिला उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद को निर्देश भेजे जा चुके हैं।

ग्राम भरेउना जनपद सीतापुर के हरिजनों की भूमि का पट्टा एवं दाखिल खारिज

11—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भरेउना, पो0 खैराबाद तह0 एवं जिला सीतापुर के जिन हरिजनों को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा भूमि खरीद कर

कृषि कार्य हेतु शासनादेश संख्या 55-67/26-7 78-38।77 दिनांक 20 नवम्बर, 1987 के अधीन दी गई थी उनका अभी तक राजस्व विभाग द्वारा पट्टा एव दाखिल खारिज न करने का क्या कारण है ? पट्टा तथा दाखिल खारिज कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बरेली में बीड़ी मजदूरों का शोषण

12--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या श्रम मन्त्री बरेली जिले के बीडी मजदूरों को बड़े पैमाने पर शोषण व उन्हें काम बहुत कम मजदूरी को देखते हुए उक्त बीड़ी मजदूरों के हित में कोई उचित कदम उठाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन--

बीड़ी मजदुरों के हित के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरन्तर कार्यवाही करती रही है। बीड़ी मजदूरों की मजदूरी दरें वर्ष 1987 में दिनांक 14-5-87 से पुनरीक्षित की गई है जिसके अनुसार बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों की मजदूरी जो वर्ष 1984 में 9 रुपये प्रति हजार निर्धारित की गयी थी बढ़ाकर 11 रुपये 50 पैसे प्रति हजार कर दी गई है। बरेली जिले में नवीनतम न्यूनतम वेतन दरों के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त बीड़ी मजदूरों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वजीफों का प्रबंध, टी. बी. के मरीजों के अस्पताल में नि:शुल्क इलाज तथा बीड़ी कर्मचारियों व उनके बच्चों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालयों की सुविधा का प्रबंध, श्रम कल्याण आयुक्त, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इन श्रमिकों को बीड़ी एण्ड सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हितकारी लाभ दिये गये हैं तथा श्रम निरीकों द्वारा समय-समय पर इनका प्रतिपालन सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण किये जाते हैं। वर्ष 1987 में 7 मामलों में नियोजकों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये जिनमें 6 सेबायोजकों को दंडित भी किया गया है।

जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 में हुई अग्निकाण्ड की घटनाओं की क्षतिपूर्ति

13--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की बरेली सदर तहसील के अन्तर्गत वर्ष 86-87 में अग्निकाण्ड की कुल कितनी घटनाएं हुयी तथा कुल क्षति का क्या अनुमान है ? क्षतिपूर्ति में सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि किस-किस को दी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

187 घटनायें हुई तथा अनुमानित क्षति रु0 12,92,133 की हुई, 517 परिवार प्रभावित हुए और 8 जन व 12 पशु जीवन हानियां भी हुई।

शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने का कोई प्राविधान नहीं है। पीड़ित परिवारों को राहत देने हेतु वितरित की गई सहायता के विवरण इस प्रकार हैं:--

	रु0
अहेतुक सहायता	1,31,000
गृह अनुदान	1,44,600
जन, पशु जीवन हानि के संबंध में अनुग्रह सहायता	42,800
योग ..	3,18,400

उपरोक्त वितरित सहायता में से कितनी-कितनी धनराशि किस-किस को दी गई, की सूची अधिक लम्बी है अतः सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना संभव नहीं है। सूची को किसी भी कार्य-दिवस पर पूर्व सूचना देकर मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सामूहिक बोरिंग पर लगाये गये पम्पसेट

14--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सिचाई हेतु हरिजनों को सत्र 1985-86, 86-87 में सामूहिक बोरिंग करवाये गये थे ? यदि हां, तो कुल कितने बोरिंग हुए? उनमें से कितने पर इंजन लग चुके हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

कुल 36 बोरिंग हुए।

सामान्यतया: 3 बोरिंग पर एक पम्पसेट उपलब्ध कराया जाता है। इन 36 बोरिंग पर कुल 11 पम्पसेट लग चुके हैं।

उन्नाव जनपद के ग्राम भाकनखेड़ा तथा ग्राम बहरा में बोरिंग सिचाई हेतु और अधूरे कार्य को कराने की मांग

15--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लाक के ग्राम भाटनखेड़ा मे स्पेशल कम्पोनेन्टप्लान के अन्तर्गत पांच बोरिंग तथा असोहा ब्लाक के ग्राम बरहा ग्राम सभा ज्ञानपुर म 2 वर्ष पूर्व 6 बोरिंग सिचाई हेतु करवाए गये थे ? यदि हां, तो अधूरे बोरिंग कार्यक्रम को पूरा कराने क क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या भाटनखेड़ा से सम्बन्ध मे प्रश्न कर्ता का शिकायती पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव को माह अक्टूबर नवम्बर 87 तथा बरहा के संबंध में 25-1-88 को मिला है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ग्राम भाटनखेड़ा में 6 बोरिंग तथा ग्राम बरहा में 6 बोरिंग कराई गई है। जिनकी टेस्टिंग होनी शेष है। इस अधुरे कार्य को पूरा करने हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी मण्डदलीय विकास निगम लि0 उन्नाव द्वारा अतिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

अभिलेखों के अनुसार अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव के कार्यालय में प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः उन पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

सी0 पी0 विवाद संख्या 55।85 नगरपालिका वाराणसी के भूतपूर्व श्रमिक श्री राधेश्याम को पुनःकार्य पर लिये जाने की मांग

16--श्री राज किशोर सिंह--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-6-86 व 28-7-86 जो श्रम मन्त्री जी को ही सम्बोधित एवं प्रेषित है जिसका कि उत्तर संयुक्त सचिव श्रम विभाग ने अपने पत्र संख्या 6948 (एस0टी0) 36-1-1329 (एस0टी0) 86 दिनांक 24 जनवरी, 1987 द्वारा दिया है के संदर्भ में सी0पी0 केस नं0 55।85 (वाराणसी) की मांग बलयुक्त न पाकर इसलिये निरस्त कर दिया गया था कि संबंधित श्रमिक पर लगाये गये अरोप गंभीर प्रकृति के थे ? यदि हां, तो शासन को गुण दोष के आधार पर औद्योगिक विवादों का स्वयं अभिनिर्णय करने का वैधानिक अधिकार किस प्रकार प्राप्त है ?

सैयद सईदुल हसन

माननीय विधायक महोदय के प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 22-6-86 एवं 28-7-86 शासन को प्राप्त हुए हैं। सी.पी. विवाद संख्या 55/85 नगर पालिका, वाराणसी के भूतपूर्व श्रमिक श्री राधो राम गुप्ता को पुनः कार्य पर लिए जाने की मांग को लेकर उठाया गया था। श्री गुप्ता की सेवायें दिनांक 20-9-74 को समाप्त हुई, परन्तु अपने वाद को सामान्यतया 3 माह के अन्दर उठाने के स्थान पर उन्होंने दिनांक 31-10-83 को लगभग 9 वर्ष बाद अति-विलम्ब से उठाया। कर्मचारी ने यह विवाद पहले लोक सेवा न्यायाधिकरण लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया था जो खारिज हुआ। इस वाद से संबंधित श्रमिक पर लगाये गये आरोपों पर जांच के पश्चात् ही उसकी सेवायें समाप्त हुई। संशोधन अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत मांग को अनुपर्युक्त पाकर विवाद को निरस्त किया गया।

शासन उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, धारा 4 के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद के विषय में पूर्ण औचित्य व उपर्युक्तता देखकर ही अभिनिर्णय में भेजने या न भेजने के विषय पर सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लेता है। 17

जनपद फैजाबाद के ग्राम बीबीपुर तहसील टांडा के श्री बंशीराज पुत्र श्री ललईभर को दिया गया भूमि आवंटन का पट्टा

17—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के ग्राम बीबीपुर तहसील टाण्डा के निवासी श्री बंशराज पुत्र ललईभर को कृषि हेतु भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत बीबीपुर ने पारित किया है? यदि नहीं, तो क्या किसी अधिकारी द्वारा बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के भूमि आवंटन का पट्टा दिया है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा किस अधिकार से पट्टा दिया है?

श्री अम्मार रिजवी

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, ग्राम पंचायत बीबीपुर द्वारा नहीं अपितु भूमि प्रबन्ध समिति बीबीपुर तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद के आवंटन प्रस्ताव दिनांक 15-2-87 को जांचोपरांत परगनाधिकारी ने स्वीकृति प्रदान किया है।

नसबन्दी कराने वाले हरिजनों के संबंध में अधिकारियों द्वारा भूमि आवंटन में रुचि न लेना

18—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ससपना तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में नसबन्दी कराने वाले भूमिहीन खेत मजदूर हरिजनों को पंचायत के सदस्यों एवं प्रधान के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी आवंटन में विलम्ब का कारण क्या है? क्या प्रश्नकर्ता के बार-बार शिकायत के बाद भी जिलाधिकारी और परगनाधिकारी अकबरपुर ने पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित कराने में कोई रुचि नहीं ली है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम ससपना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 17-11-87 के अनुसार 12 नसबन्दी कराने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्रत्येक को एक एक बीघा भूमि का पट्टा देने की स्वीकृति परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 16-12-87 को दी गई है। भूमि आवंटन करने में पूरी रुचि ली गई है।

जनपद फैजाबाद में सीलिंग की भूमि का आवंटन

19—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तथा टाण्डा तहसीलों में वर्ष 1985-86 और 86-87 में गांव सभाओं की और सीलिंग से निकाली हुई कितनी भूमि का आवंटन किया गया है ? आवंटित भूमि में कितनी भूमि ऐसी शेष है जिस पर अभी तक आवंटियों को कब्जा नहीं मिला है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तथा टाण्डा तहसील में वर्ष 1985-86 और 1986-87 में गांव सभाओं की और सीलिंग से निकली हुई भूमि का आवंटन वर्ष वार निम्न प्रकार किया गया है :

		गांव सभा भूमि		
अकबरपुर	1985-86	..	..	126.31 हे0
,,	1986-87	..	..	126.05 हे0
टाण्डा	1985-86	..	..	208.06 हे0
,,	1986-87	..	..	245.02 हे0
		सीलिंग भूमि		
अकबरपुर	1985-86	..	..	शून्य
,,	1986-87	..	..	3.27 हे0
टाण्डा	1985-86	..	..	शून्य
,,	1986-87	..	..	शून्य

आवंटित भूमि में से कोई भूमि कब्जा देने हेतु अवशेष नहीं है।

जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी के किसानों की भूमि का मुआवजा

20—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत आने वाले गांव मई बरई के किसानों की भूमि चन्दौसी इस्लाम नगर मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी थी और 15 वर्ष हुये पी0 डब्लू0 डी0 अस्थाई खंड नं0 1 बदायूं द्वारा अधिग्रहीत कर सड़क का निर्माण भी करा दिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग में किन-किन किसानों की भूमि ली गयी थी और अब तक उन्हें मुआवजा भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि पर कब्जा कर के प्रश्नगत मार्ग का निर्माण करा लिया गया है। इसके बाद उन्होंने भूमि के अधिग्रहण का औपचारिक प्रस्ताव दिनांक 1-1-1988 को जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया। प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने तथा प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया गया है। त्रुटियों के निराकरण के पश्चात् भू-अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने एवं विभाग द्वारा प्रतिकर की धनराशि को उपलब्ध कराये जाने पर भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही हो सकेगी ?

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में सीलिंग कानून के अन्तर्गत लोगों को दी गयी भूमि

21—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर के ग्राम कटौना मटौना व खपराडीह में अब तक सीलिंग कानून के अन्तर्गत किस-किस को कितनी भूमि कब-कब सरकार के कब्जे में आयी है ? उक्त भूमि में कितने लोगों को तथा किन-किन को कितनी भूमि कब आवंटित की गयी और कब्जा दिया गया ? क्या इस सबका अमल दरामद कागजात देही में कर दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बुलन्दशहर के ग्राम खानी कटीरी के घटाए गए क्षेत्रफल को फिलिप्स एवं स्टीमर बन्दोबस्त के आधार पर पूर्ण कराकर अभिलेख में दर्ज कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खानी कटीरा (भगवानपुर) खादर जनपद बुलन्दशहर का क्षेत्रफल स्टोकर बन्दोबस्त फसली 1296 के आधार पर 4800 बीघा फिलिप्स बन्दोबस्त फसली 1323 के आधार पर 2300 बीघा तह0 बुलन्दशहर के राजस्व अभिलेख में पंजीकृत है ? क्या चकबन्दी बन्दोबस्त फसली 1356 ने उपरोक्त ग्राम का क्षेत्रफल घटाकर फसली नं0 1356 राजस्व अभिलेख में 120 बीघे पंजीकृत किया है ? यदि हां, तो खानी कटीरी (भगवानपुर) खादर ग्राम-एवं जनपद बुलन्दशहर के घटे हुये क्षेत्रफल की फिलिप्स एवं स्टोकर बन्दोबस्त के आधार पर पूर्ण कराकर त0 ह0 बुलन्दशहर के राजस्व अभिलेख में दर्ज करायेंगे एवं उपरोक्त गंभीर अनियमतता करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक व दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन में धांधली

23—श्री कृष्ण कुमार—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामफल पुत्र श्री राम सुफल पासी ग्राम सभा बरावां परगना रूदौली तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी का मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन में की गई धांधलेबाजी की जांच के सम्बन्ध में शिकायती पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 1317 दिनांक 25-11-1987 परगनाधिकारी रामसनेहीघाट बाराबंकी को एवं पत्रांक 36/एस0 एम0 आर0/जी0/88, दिनांक 4-1-88 मा0 राजस्व राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के श्री बिन्द्रा प्रसाद पुत्र श्री रामनाथ एवं भगवानदास पुत्र श्री बाबूलाल के नाम आवंटित तालाब नं0 209 को दुरुस्त करने के संबंध में दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

24—श्री कृष्ण कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्द्रा प्रसाद पुत्र श्री राम नाथ तथा भगवान दास पुत्र श्री बाबू लाल ग्राम सभा पूरेकलहंस परगना रूदौली तहसील राम सनेहीघाट जनपद

बाराबंकी का आवंटित तालाब नं0–209 को दुरुस्त करने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 1316, दिनांक 25–11–87, परगनाधिकारी रामसनेही घाट, बाराबंकी को एवं पत्रांक 35/एस0 एम0 आर0/जी0/88 दिनांक 4–1–88 माननीय राजस्व राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बाराबंकी के श्री अजय प्रताप सिंह के नाम तालाब का 10 वर्षीय पट्टा के प्रस्ताव का अनुमोदन

25––श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फिरोजपुर मखदूमी परगना रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी श्री अजय प्रताप सिंह के नाम मत्स्य पालन हेतु तालाब का 10 वर्षीय पट्टा करने के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 6–3–86 अनुमोदन हेतु एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य, बाराबंकी का पट्टा दिये जाने की संस्मृति विषयक पत्रांक 524–26 दिनांक 3–5–87 तथा पत्रांक 2165-68, दिनांक 28–8–87 परगनाधिकारी, रामसनेहीघाट, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर पट्टा दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम भखोली पूरे कुन्जल, परगना खण्डासा, जनपद फैजाबाद के सवर्णों द्वारा कतिपय भूमि तथा चक रोड़ अवैध पर से कब्जा हटाने की मांग

26––श्री हरदेव––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–भखोली पूरे कुन्जल, परगना–खण्डासा, तहसील–बीकापुर जनपद–फैजाबाद के सवर्णों द्वारा ग्राम समाज की भूमि आबादी की भूमि तथा अतिरिक्त भूमि एवं पुरवे से दक्षिण दिशा की ओर निकले हुए चकरोड आदि पर अवैध कब्जा किया गया है जिससे उक्तगांव अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति समस्त लोग प्रभावित हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि और गाटा संख्या पर अवैध कब्जा किया गया है ? उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिये उनके विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी दण्डात्मक प्रभावी कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आश्रम पद्धति विद्यालय, सलेमपुर, जनपद लखनऊ के जर्जर भवन की मरम्मत

27––श्री शारदा प्रसाद––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय सलेमपुर जनपद लखनऊ के जर्जर भवन को ठीक कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक दिसम्बर, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आर्यनगर सेटिलमेंट मोहान रोड, लखनऊ के भवन का निरीक्षण हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा किया गया है और उनके द्वारा इसे निष्प्रयोज्य घोषित करने की संस्तुति करते हुये नये भवन क निर्माण हेतु रु0 131.37 लाख का व्यय आंका गया है। इस भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कराने के लिये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये गये हैं।

28--श्री शारदा प्रताप--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

समन्वित बाल विकास परियोजना में प्रोग्राम अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय

29--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायें गे कि प्रदेश में समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रोग्राम आफिसर के कितने पद कब से और क्यों रिक्त हैं तथा विभाग द्वारा इन्हें तत्काल भरने की क्या नीति अपनाई गई है ? जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर इस पद पर प्रोन्नति करने में शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1986-87 में सृजित प्रोग्राम अधिकारियों के 9 पद तथा वर्ष 1987-88 म सृजित 6 पद अभी रिक्त हैं तथा जनपद वाराणसी क प्रोग्राम अधिकारी का प्रत्यावर्तन हो जाने के कारण यह पद रिक्त है। इन पदों को भरने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को इस पद पर प्रोन्नति करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जनपद बलिया में नयी तहसील की स्थापना

30--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार जनपद बलिया के अन्तर्गत बिल्थरा रोड में तत्काल जन-हित में तहसील की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में जनपद बलिया में बिल्थरा रोड में नई तहसील की संस्तुति नहीं की गई है ।

31--श्री सूर्य प्रताप शाही--

(दिनांक 26 फरवरी, 88 को अता0 प्र0 सं0 39 द्वारा उत्तरित)

जनपद गाजीपुर, चकबन्दी अभिलख तहसील को सुपुर्द करने की मांग

32--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद में कौन-कौन सी गांव सभायें ऐसी हैं जहां चकबन्दी प्रक्रिया और धारा 52 का प्रकाशन दोनों

हो चुका है किन्तु अभी तक चकबन्दी कार्यालय से आवश्यक कागजात तहसील के सुपुर्द नहीं किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह कागजात कब तक तहसील कार्यालय में भेज दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है, जिसके अभिलेख चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 का प्रकाशन होने के उपरान्त तहसील न भेज दिये गये हों।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, आर्यनगर, लखनऊ के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

33--श्री अफजाल अंसारी--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 86 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक आर्य नगर, लखनऊ हरिजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और प्राविधिक शिक्षा परिषद् की संस्थाओं के अनुकूल एवं नियमानुसार कार्य भी करता है तथा इस संस्था में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से अब तक समयबद्ध वेतनमान की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी अवधि में कार्यवाही पूरी करके इस संस्था को भी समयबद्ध वेतनमान की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां।

प्रश्नगत कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में अलग से शासनादेश जारी करने की आवश्यकता है जिसके लिये कार्यवाही चल रही है और शीघ्र निर्णय की आशा है।

ग्राम समाज की 70 बीघे जमीन हड़पने के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

34--श्री अचल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर तहसील बिन्दकी, परगना कोटिया गुनौर के ग्राम रामपुर में ग्राम समाज के लगभग 70 बीघे जमीन अदालतों के फर्जी आदेशों के जरिये कुछ लोगों के द्वारा हड़पने के सम्बन्ध में श्री शिव सिंह प्रधान, ग्राम रामपुर ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-10-85 को परगना अधिकारी बिन्दकी एवं दिनांक 14-10-85 को जिलाधिकारी फतेहपुर को दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या दोषी लोगों को दण्डित कर भूमि ग्राम समाज को वापस करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलाधिकारी फैजाबाद को 20-सूत्रीय मांगों सम्बन्धी ज्ञापन

35--श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रार्थनाकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित मांगे क्या हैं और उन्हें पूरा करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

उक्त ज्ञापन के मद संख्या-8 में कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सभी हरिजन आवासों और इन्दिरा आवासों की जांच कराकर उनके निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के दोषी लोगों को दण्डित करने का उल्लेख किया गया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार इन योजनाओं के निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं हुयी है।

36--श्री सरदार सिंह--

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

ग्राम चिठेहरा, जनपद गाजियाबाद में मूल भूमि से 25 प्रतिशत ज्यादा भूमि वाले चकदारों की संख्या

37--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चिठेहरा, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में ऐसे कितने चकदार है जिनके वर्तमान चकों में मूल भूमि से 25 प्रतिशत अधिक भूमि है ? क्या इन चकदारों की भूमि को ग्राम सभा की भूमि को न्यूनतम कीमत लगाकर अन्यत्र चक दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रस्तावित जनपद मऊनाथ भंजन में सम्मिलित क्षेत्रों को विवरण की मांग तथा बिल्थरा रोड को नयी तहसील बनाये जाने की मांग

38--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नया जनपद मऊनाथ भंजन की स्थापना को अंतिम रूप कब तक दिया जाने वाला है और उसमें बलिया जनपद के कितने-कितने गांव किन-किन विकास खंडों से लिए जाने वाले हैं ? क्या सरकार के विचाराधीन यह भी है कि बिल्थरा रोड को नई तहसील का दरजा देकर संबंधित गांवों को नये जनपद मऊनाथभंजन मिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रस्तावित जनपद मऊ में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों के विषय में परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथा समय कार्यवाही की जायेगी।

बिल्थरा रोड में नई तहसील की स्थापना के विषय में परिषद् की आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

39--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

(विस्तीर्णता के आधार निरस्त)

जनपद देवरिया में अनुसूचित जाति के श्री राजकिशोर, पुत्र धुरई की कथित भूमि का फर्जी बैनामा के संबंध में शिकायती पत्र

40--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री को संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, उ0 प्र0 लखनऊ का ध्यानाकर्षण पत्र दिनांक 31-1-87 शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें जनपद देवरिया के अनुसूचित जाति एवं निर्बल वर्ग के श्री राज किशोर पुत्र धुरई की 21.5 डिसमिल भूमि को फर्जी बैनामे लेने धोखाधड़ी करने की जांच एवं कार्यवाही की सूचना है और जो परगनाधिकारी पडरौना कसया को भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी फर्जी बैनामा के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

संदर्भित पत्र दिनांक 31-1-87 तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री जी/माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ और नही यह पत्र परगनाधिकारी पड़रौना कसया को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न हीं नहीं पैदा होता है।

निराश्रित विधवाओं को पेंशन देने के लिये स्वीकृत अनुदान

41--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असुरक्षित विधवाओं को इस वर्ष किन-किन जिलों में पेंशन देने के लिये सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान सूची में बरेली एवं अन्य जनपदों के नाम न रखे जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी अन्य जिलों की भांति बरेली का नाम भी अनुदान सूची में अंकित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रदेश के समस्त जिलों में निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली का नाम भी अनुदान सूची में 1985 से ही सम्मिलित है।

जनपद जौनपुर, ग्राम अलीपुर में विवादित भूमि पर अवैध कब्जा

42--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अलीपुर जिला जौनपुर निवासी कतिपय व्यक्तियों द्वारा दूसरो की जमीन पर अवैध कब्जा एवं धन का दुरुपयोग किए जाने के बारे में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ कोई शिकायती पत्र दिनांक 6-11-87 मिला जिसकी स्वीकारोक्ति राजस्व मंत्री द्वारा पत्र संख्या 300वी0 आई0पी0 87 दिनांक 26-10-87 से गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? भूमि पर कब्जा करने वालों को क्या दण्ड दिया गया है ? क्या अवैध कब्जा हटा कर सही व्यक्ति को कब्जा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। जांचोपरान्त विवादित भूमि पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कब्जा नहीं पाया गया। फलस्वरूप किसी दण्डात्मक या कब्जा हटाने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

भूमि नं0 90 रकबा 20-5-10 स्थित ग्राम उखौली जिला बाराबंकी जमीन का कताई मिल द्वारा अधिग्रहण तथा भूलेखों में नाम दर्ज किया जाना

43--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि नं0 90 रकबा 20-5-10 स्थित ग्राम उखौली प0 व तह0 नवाबगंज जनपद बाराबंकी जो कि पहले गांव सभा की सम्पत्ति थी को बाराबंकी स्थित कताई मिल हेतु अधिग्रहीत कर लिया गया था और उस पर पिछले 14 वर्षों से मिल लगा हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि का इन्द्राज भूलेखों में कताई मिल के नाम नहीं किया गया और भूमि गांव सभा के ही नाम दर्ज है ? यदि हां, तो भूलेखों को कब तक ठीक कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रशासक/सचिव नगर महापालिका, वाराणसी के विरुद्ध जारी रिकवरी सर्टिफिकेट पर वसूली के संबंध में उप श्रमायुक्त उ0 प्र0, वाराणसी का शिकायती-पत्र

44---श्री राज किशोर सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश वाराणसी की ओर से प्रशासक/सचिव नगर महापालिका वाराणसी के खिलाफ जारी रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या 9847 दिनांक 6-10-83 तथा रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या 1523, दिनांक 7-4-84 जो जिलाधिकारी वाराणसी को प्रेषित है, की वसूली हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

सैयद सईदुल हसन--

प्रशासक, नगर महापालिका वाराणसी के विरुद्ध संदर्भित दो रिकवरी सर्टिफिकेट क्रमश: 1,710.00 एवं 16,174.25 पैसा के वसूलयाबी हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी को दिनांक 6-10-83 व 7-4-84 को भेजे गये हैं। अभी तक उक्त धन की वसूली नहीं की जा सकी है तथा जिलाधिकारी द्वारा वसूली के लिये नगर महापालिका को चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

मेसर्स सहकारी कताई मिल नगीना, जिला बिजनौर के प्रबन्धक तथा श्रमिक यूनियन के बीच समझौता

45---श्री राज किशोर सिंह---

क्या श्रम मंत्री बताने भी कृपा करेंगे कि मेसर्स सहकारी कताई मिल, नगीना, जिला बिजनौर में प्रबन्धकों तथा श्रमिक यूनियनों के बीच जो औपचारिक पंच निर्णय है समझौता दिनांक 18-7-86 को किया गया था उसका प्रतिपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन--

दिनांक 18-7-86 को मेसर्स सहकारी कताई मिल्स लि0, नगीना के प्रबन्धकों तथा श्रमिक यूनियनों के बीच जो औपचारिक पंच निर्णय हेतु समझौता हुआ था उसके अनुसार दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मध्यस्थता कराने हेतु दिनांक 28-8-86 को हस्ताक्षर किये गये। नियमानुसार मध्यस्थता करार के गजट में प्रकाशन के उपरान्त ही पंच निर्णायक द्वारा कार्यवाही संभव होती है। उक्त मध्यस्थता करार, दिनांक 23 मई, 1987 के गजट में प्रकाशित हो गया है।

जनपद बांदा के हरिजन मजदूरों द्वारा गिट्टी तोड़ने पर लगायी गयी पाबन्दी हटाने हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

46--श्री राम सजीवन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रेपूरवा माफी दफाई, तहसील करवी, जिला बांदा के हरिजन मजदूरों ने जिलाधिकारी बांदा को 17--4--87 को प्रार्थना-पत्र भेजकर मांग की है कि उनको भूखों मरने से बचाने के लिये रेपूरवा पहाड़ गिट्टी तोड़ने पर लगायी गयी पाबंदी समाप्त करके उनकी श्रमिक सहकारी समिति को खदान दे दिया जाय ? यदि हां तो ठेकेदारों के शोषण और भुखमरी से बचाने हेतु हरिजन मजदूरों को सहकारी समिति को गिट्टी तोड़ने के लिये खदान के पट्टे दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ में किसी किस्म के वृक्ष और झाड़ी भी नहीं उगते जिससे वनीकरण एवं सुन्दरीकरण पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई खतरा नहीं है ? यदि हां, तो इस ममाले में निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ?

सैयद सईदुल हसन--

ग्राम रैपुरवा माफी दफाई तहसील करवी जिला बांदा के हरिजन मजदूरों को भूखों मरने से बचाने के लिये रैपुरवा पहाड़ में गिट्टी तोड़ने पर लगाई गई पाबंदी समाप्त करने तथा उनकी श्रमिक सहकारी समिति को खदान दिये जाने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17--4--87 जो जिलाधिकारी बांदा को दिया बताया गया है, कलेक्ट्रेट बांदा के खनिज अनुभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है परन्तु उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि जो मुख्य मंत्री सचिवालय तथा आयुक्त झांसी मण्डल झांसी द्वारा प्रेषित की गई है प्राप्त हुई है।

2- ग्राम रैपुरवा के खसरा प्लाट सं0 203(5) तथा 703 में 391-5 बीघा (169 एकड़) की विज्ञप्ति संख्या 446--14--2--4 (15) 82, दिनांक 27--7 83 द्वारा आरक्षित वन बनाने के विनिश्चय की घोषणा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अधीन घोषित की जा चुकी है तथा उक्त भूमि सं0 203 का शेष रकबा 8--11--0 बीघा ग्राम सभा रैपुरवा माफी दफाई के अन्तर्गत बंजर है किन्तु उसमें खनिज उपलब्ध नहीं है। जहां तक खदान के खनन पट्टे श्रमिक सहकारी समिति को दिये जाने का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वनों की उपयोगिता एवं लगातार वन भूमि की कमी को देखते हुए वन भूमि पर नियंत्रण रखने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया है, कि जिसके अनुसार कोई भी वन भूमि, वानिकी प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर, हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः इस क्षेत्र में गिटटी के तोड़ने के लिये खनन पट्टा हरिजन मजदूरों की सहकारी समिति अथवा अन्य समिति व व्यक्ति को नहीं किये जा सकते हैं।

3- उक्त पहाड़ में धव, रीवां और करौंदा की झाड़ी हैं जिन्होंनें निकट भविष्य में घरवाड़ करके चराई से बचाने पर, विद्यमान झाड़ियों, वृक्षों का रूप धारण कर लेगी। फलस्वरूप वनीकरण रोपण एवं सुन्दरीकरण के लक्ष्य में सफलता मिलेगी, इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र चित्रकूट धाम के समीप स्थित है। उस पर खनन कार्य होने से प्रदूषण बढ़ेगा।

हरिजनों की भूमि का प्रधान द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा

47--श्री राम सजीवन-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के अन्तर्गत ग्राम मनोहरगंज (सीतापुर रूरल) के श्री धनीवा, राम आसरे आदि हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों ने जिलाधिकारी बांदा को 3-4--87 को प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है कि ग्राम खोही के प्रधान ने उनको हरिजन बस्ती की जमीनें तथा अन्य सार्वजनिक विस्तार

की जमीनों को अपने भाई के नाम अवैधानिक ढंग से करा लिया है तथा जोर जबरदस्ती के बल पर उनको उजाड़ देने का षड़यंत्र कर रहे हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में हरिजनों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? क्या ग्राम प्रधान खोही के विरुद्ध गत वर्ष कार्यवाही की गयी थी तथा उनके अवैधानिक कार्यों के आधार पर परगनाधिकारी, करबी ने मुअत्तल कर दिया था किन्तु जिलाधिकारी बांदा ने बहाल कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

जिस भूमि नं0 204/0–19–0 के बारे में धनोवां आदि नि0 मनोहरगंज मजरा सीतापुर रूरल ने शिकायत की थी, वह प्रधान खोही रघुनाथ प्रसाद के भाई ठाकुरदीन के नाम संक्रमणीय भूमिधरी 138 फ0 से दर्ज है प्रधान खोही श्री रघुनाथ प्रसाद शिकायतकर्ता, धनीया आदि के ग्राम मनोहर गंज मजरा, सीतापुर के प्रधान नहीं है। यह भूमि ठाकुर दीन के नाम कैसे दर्ज हुई या प्रधान खोही ने किस प्रकार दर्ज कराया, यह उसके प्रधान खोही के पद के कार्यकलाप से संबंधित नहीं है। मनोहरगंज मजरा सीतापुर खोही गांव सभा के अन्तर्गत नहीं आता है जहां तक शिकायतकर्ताओं की रक्षा की कार्यवाही का प्रश्न है, इस मामले में शिकायतकर्ता सुकुवा व चौबा आदि से ठाकुरदीन के मध्य न्यायालय मुंसिफ कर्वी में बाद विचाराधीन है। दीवानी न्यायालय में बाद विचाराधीन दे। दीवानी न्यायालय में बाद विचाराधीन होने के कारण इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह बात सही है कि वर्ष 1984 में प्रधान, खोही के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी एवं तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा प्रधान को निलंबित किया गया था जिसके संबंध में जिलाधिकारी, बांदा के यहां प्रधान ने अपील की थी और जिलाधिकारी बांदा के आदेश दिनांक 11–9–84 द्वारा मामले को रिमाण्ड कर के परगना धिकारी को वापस कर दिया गया था। परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 11–11–87 को पुन: आरोप पत्र प्रधान खोही के विरुद्ध जारी किये गये जिसका प्रत्युत्तर प्रधान द्वारा दिनांक 7–12–87 को प्रस्तुत किया गया तथा आदेश दिनांक 8–1–88 के अन्तर्गत प्रधान को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग के पट्टेदारों को आवासीय भूमि का कब्जा दिलाया जाना

48––श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर, ब्लाक जपुसर, तहसील बांदा, जिल बांदा में 18 जनवरी, 1985 में 89 हरिजन एवं निर्बलवर्गों के व्यक्तियों को आवासीय पट्टे किये गये थे जिन पर पट्टेदारों को अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया ? क्या यह सही है कि कुछ सरकश गिरोह बंद लोग ग्राम प्रधान के सहयोग से उक्त पट्टेदारों की जमीनों को हड़प रहे हैं और कब्जा देने में अड़ंगें लगा रहे हैं ? क्या यह सही है कि इन्हीं अराजक व गिरोहबंद तत्वों ने जिले के राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से भी सांठ-गांठ कर ली है और कब्जा मिलना असंभव बना दिया है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता के 10 अप्रैल, 1987 के पत्र जिस पर उन्होंने 14 अप्रैल, 1987 को राजस्व सचिव को त्वरित कार्यवाही के लिये निर्देश दिये थे, में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? पट्टों पर स्वीकृति देने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण है ? स्वीकृति देकर कब्जे कब तक दिला दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

लेखपाल श्री शिवलाल द्वारा उक्त से सम्बन्धित एक आवासीय प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनियमित ढंग से प्रस्तावित अवश्य किया गया था जो गम्भीर अनियमितताओं के कारण स्वीकृत नहीं किया गया। इस कारण कब्जा दिलाने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। उक्त लेखपाल को इस अनियमित कार्य के सदर्भ में दण्डित किया गया है। यह कहना गलत है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से अराजक गिरोहबन्द लोगों ने साठगांठ कर ली है जिससे कब्जा दिलाना असम्भव है।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 10-4-87 के संदर्भ में जिलाधिकारी बांदा से प्राप्त जांच आख्यानुसार दिनांक 18 जनवरी, 1985 को भूमिहीन हरिजनों को आवास स्थल देने हेतु पारित प्रस्ताव नियमानुसार नहीं था। अतः परगना अधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 28-4-87 को निरस्त कर दिया गया।

इस बीच ग्राम राममपुर में 21 आवासीय पट्टे तथा 10 कृषक भूमि के पट्टे प्रस्तावित होकर दिनांक 23-1-88 को स्वीकृत कर दिये गये हैं जिन पर कब्जा भी दिला दिया गया है।

खुमानी पुरवा जिला बांदा के गोल्ला पुत्र सुरजा हरिजन के ऋण वसूली में घर व पेड़ की निलामी

49--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोल्ला पुत्र सुरजा हरिजन साकिन खुमानी पुरवा मजरा दहिनी, तहसील करवी जिला बांदा ने परगनाधिकारी, करवी व जिलाधिकारी बांदा को 12-2-87 को प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है कि कर्ज की वसूली के सिलसिले में उनका घर व चार पेड़ सस्ती दर पर साजिशन नीलाम किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

शिकायत की जांच कराने से यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का घर व पेड़ नीलाम करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। किन्तु बैंक ऋण की वसूली हेतु ग्राम दहिनी स्थित उनकी भूमि कुर्क की जा चुकी है।

एकीकृत जनजाति विकास सहकारी संघ विकास नगर देहरादून द्वारा जनजाति के लोगों का विकास

50--श्री रमाकान्त--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायें कि एकीकृत जनजाति विकास सहकारी संघ विकास नगर देहरादून की स्थापना किन उद्देश्यों, कार्यों के लिये की गयी थी तथा उनके द्वारा क्या-क्या कार्य किये जाते हैं ? संघ के मुख्य कार्यों के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में उन्हें कितनी धनराशि दी गयी है और उनसे जनजाति के कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बक्शी--

इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध कराने, सदस्यों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे खाद, बीज, कीटाणुनाशक दवाइयां आदि की पूर्ति सदस्यों की कृषि उपज, उद्योग तथा कुटीर उद्योग के उत्पादनों एवं वन उपजों की उचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था करना संघ के अधीनस्थ स्थापित सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण आदि है।

संघ को मुख्य कार्यों के लिये विगत 5 वर्षों में निम्न विवरणानुसार धनराशि दी गयी है :--

वर्ष 1983-84	रु0 1,52,699.60
वर्ष 1984-85	रु0 1,66,253.70
वर्ष 1985-86	रु0 1,45,968.20
वर्ष 1986-87	रु0 1,58,181.35
वर्ष 1987-88	रु0 3,66,614.80

लाभान्वित सदस्यों की संख्या जिलाधिकारी से प्राप्त की जा रही है।

अनुसूचित जाति के परिवारों को ग्राम समाज की भूमि का पट्टा दिया जाना

51--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के तहसील बुलन्दशहर के प्रत्येक गांव में कितनी ग्राम समाज की भूमि राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत है ? उक्त तहसील में वर्ष 1985, 1986, 1987 में कितने ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों को पट्टों का आवंटन एवं कब्जा जिला प्रशासन द्वारा करा दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसीलदार नकुड़ जनपद सहारनपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच विषयक पत्र

52--श्री राम शरण दास --

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-87 संलग्न श्री लहना सिंह के शिकायती पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें श्री लहना सिंह ने मौजूदा तहसीलदार नकुड़ जनपद सहारनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये है? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश को भेज दिये गये ह। प्रश्न नहीं उठता है।

सूखे की भयानक स्थिति के प्रचार पर व्यय

53--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष सूखा की भयानक स्थिति पर सूखा के समाचार और सरकारी घोषणाओं के प्रकाशन पर समाचार पत्रों एवं टी0 बी0 प्रसारण पर अगस्त, 1987 से अक्टूबर, 1987 तक कितना व्यय हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूखे की चुनौती का सामना करने के सम्बन्ध में सूचना विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाने और लेख लिखवाने पर लगभग रु0 3,57,863 व्यय किया गया। टेलीविजन द्वारा प्रचार पर कोई व्यय नही किया गया।

जनपद फतेहपुर में क्वालिटी ट्यूब फैक्ट्री में श्रम कानून का पालन

54—श्री अचल सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फ़तेहपुर में क्वालिटी ट्यूब फ़ैक्ट्री कब से स्थापित हुई और उक्त फ़ैक्ट्री में इस समय कितने अस्थायी और स्थायी कर्मचारी कार्यरत है और कितने मजदूर इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त कार्यरत हैं ? क्या उपरोक्त फ़ैक्ट्री में श्रम कानून का पूरी तरह पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

मेसर्स क्वालिटी स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, चौडगरा, फ़तेहपुर की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। दिनांक 1-1-88 को प्रतिष्ठान में कुल 202 स्थायी व 46 स्थानापन्न अस्थायी कर्मचारी नियोजित थे। इसके अतिरिक्त माह अक्टूबर, 1987 में 18 कर्मचारी लोडिंग-अनलोडिंग में, व 18 कर्मचारी फ़ैक्ट्री के शेड के विस्तारण के कार्य में ठेकेदारों द्वारा कार्य पर लगाये गये थे। क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में माह सितम्बर, 1987 में इंजीनियरिंग उद्योग कर्मचारी संघ, बिन्दकी, फतेहपुर जो एक अपंजीकृत यूनियन है, का 16 सूत्रीय मांग-पत्र दिया गया था, जिसमें कर्मचारियों को कुछ वैधानिक सुविधायें जैसे लीव कार्ड, वेतन पर्ची में मूल वेतन व महंगाई भत्ते का अलग-अलग दिखाये जाने, अतिकाल नियमानुसार दिये जाने की भी मांग की गई थी इस मांग पत्र में भी श्रम विभाग के हस्तक्षेप से उभय पक्षों में दिनांक 28-11-87 को एक समझौता हो गया था। प्रतिष्ठान द्वारा श्रम अधिनियम के प्रतिपालन न करने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात में कार्यरत तहसीलदार की पदोन्नति

55—श्री अचल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में वर्तमान समय में कार्यरत तहसीलदार की पदोन्नति का आधार क्या है जब कि इनसे वरिष्ठ नायब तहसीलदारों की पदोन्नति नहीं की गयी है ? क्या सरकार गलत ढंग से की गयी पदोन्नति को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती आशा देवी शर्मा अध्यापिका आश्रम पद्धति विद्यालय आलमनगर लखनऊ के स्थानान्तरण आदेशों के निरस्त किये जाने विषयक प्रत्यावेदन

56—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें एक ही स्थान पर तैनात किये जाने के शासनादेश हैं ? यदि हां, तो वह शासनादेश क्या और क्या निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश सं0 403/स्था0/स्था-2, दिनांक 2-5-86 द्वारा श्रीमती आशा देवी शर्मा, सिलाई एवं खेलकूद अध्यापिका राजकीय आश्रम पदधति, बालिका, विदयालय आलमनगर मुहान रोड, लखनऊ को लखनऊ से जनपद ललितपुर के लिये स्थानान्तरित करने में उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दिनांक 23 जून, 86 को श्रीमती आशा देवी शर्मा का कोई प्रत्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है उक्त उक्त स्थानान्तरण आदेश

द्वारा स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों में से कतिपय के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शासनादेश यह है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उनकी नियुक्ति करते समय दोनों में एक ही स्थान पर रखने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाय।

श्रीमती आशा देवी शर्मा, सिलाई अध्यापिका तीन वर्ष से अधिक अवधि से लखनऊ में तैनात थी अतः इनका स्थानान्तरण मई 1986 में ललितपुर किया गया था । ऐसी परिस्थिति में इनके स्थानान्तरण के लिये किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं है ।

जी हां ।

श्रीमती शर्मा के प्रार्थना को दृष्टिगत रखते हुये इनको राजकीय संरक्षण गृह लखनऊ में तैनात कर दिया गया है तथा अवशेष देयों के भुगतान के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

जी हां कतिपय कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके प्रतिवेदन परीक्षण के पश्चात् स्थगित/संशोधित किये गये ।

57--श्री पारस नाथ यादव--

(4थे शुक्रवार के लिये स्थगित)

सीलिंग भूमि का पट्टों के रूप में पात्र व्यक्तियों में वितरण

58--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील पडरौना में ग्राम बैकुण्ठपुर में लगभग 325 एकड़ भूमि सीलिंग भूमि के रूप में अतिरिक्त घोषित करके उसे पात्र व्यक्तियों में पट्टे पर वितरण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? यदि हां तो उक्त भूमि वितरित कर पट्टेदारों को कब्जा प्रदान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत फर्मों द्वारा निर्मित पुष्टाहार में अनियमितता

59--डाक्टर बंगाली सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 व 1987-88 में किन-किन फर्मों को पुष्टाहार व गेहूं से दलिया बनाने का कार्य सौंपा गया था और किस-किस से कितना-कितना गेहूं निर्मित पुष्टाहार आपूर्ति किया गया था । क्या यह सही है कि गेहूं से निर्मित पुष्टाहार में वित्तीय वर्ष 1986-87 व 1987-78 में भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है क्या उसी फर्म को पुनः ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी --

वित्तीय वर्ष 1985-86 में किसी फर्म को पुष्टाहार व गेहूं से दलिया बनाने का कार्य नहीं सौंपा गया। वर्ष 1986-87 व 1987-88 में मेसर्स राजाराम इण्डस्ट्रीज लखनऊ को गेहूं से दलिया बनाने का काय सौंपा गया। वर्ष 1986-87 में 2047.42 मी0 टन तथा वर्ष 1987-88 मे 4295.40 मी0टन (जनवरी 88) तक आपूर्ति हुई।

निर्मित पुष्टाहार में ऐसी किसी गम्भीर अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, क्योंकि फर्म की आपूर्ति 1986-87 में संतोषजनक रही तथा दर उचित पाये गये।

60--श्री मित्रसेन--

(4थे शुक्रवार के लिये स्थगित)

61--श्री मित्रसेन--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

अकबरपुर जनपद फैजाबाद के भूमिहीन मजदूरों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन

62--श्री अकबर हुसैन बाबर --

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील में कृषि योग्य ग्राम सभा की कितनी भूमि भूमिहीन खेत मजदूरों को आवंटित करने के लिये शेष रह गयी है? इस भूमि का आवंटन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

63--श्री राम सजीवन--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियां के छात्रों की 1986-87 के किन-किन महीनों की छात्र-वृत्तियों का भुगतान किन-किन तारीखों में किया गया? मार्च, 1987 से 30 नवम्बर, 87 तक की छात्रवृत्तियों के बारे में भुगतान की कार्यवाही न करने का क्या कारण है? छात्रों को कठिनाई में डालने के लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

नायब तहसीलदार द्वारा ऋण अदायगी न होने पर हरिजनों की भूमि को सस्ते दामों पर नीलाम किया जाना

64--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूरजा पुत्र बलिया चमार ग्राम घोरा व राम लखन पुत्र स्वामी दीन चमार ग्राम खरसेंडा, ब्लाक पहाड़ी, जिला बांदा में भैंस पालन एवं

गया प्रसाद पुत्र तोंडा चमार ग्राम असोह व कुबेर पुत्र चुन्ना चमार ग्राम असोह; ब्लाक पहाड़ी, जिला बांदा ने गोबर गैस प्लान्ट हेतु ऋण लिये थे जिनकी अदायगी न कर पाने के कारण उनके पट्टों की जमीनों की नीलामी की कार्यवाही फरवरी, मार्च, अप्रैल; जून; 1987 में की गयी थी ? क्या यह सही है कि नीलामकर्ता नायब तहसीलदारों ने खरीदारों से मिलकर उन हरिजनों की जमीनें अत्यधिक सस्ते दामों में नीलाम कर दी थी ? क्या नीलामी को रद्द करने तथा पुनः नीलामी कराने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सर्वश्री सूरजदीन पुत्र बलिया; लखन पुत्र स्वामीदीन, गया प्रसाद पुत्र तोड़ा व कुबेर पुत्र चुन्ना के विरुद्ध बकाया बैंक ऋणों की वसूली हेतु उनकी पट्टों की जमीनों की नीलामी की कार्यवाही वर्ष 1986 में नियमानुसार अत्याधिक बोली बोलने वालों के पक्ष में सम्पन्न की गयी थी। अतः यह कहना सही नहीं है कि नीलामकर्ता नायब तहसीलदारों ने अत्यधिक सस्ते दर पर नीलाम किया।

बकायेदारों ने नीलाम की कार्यवाही के विरुद्ध कलेक्टर/आयुक्त के समक्ष नियमानुसार कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः पूर्व नीलामी रद्द कर पुनः नीलामी किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

ऋण की अदायगी न करने पर बांदा जनपद में हरजनों की भूमि की नीलामी

65—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बृज लाल पुत्र गोपाली चमार, ग्राम खरसैंडा एवं महाबीर पुत्र सूरजदीन चमार ग्राम पिपरिखी, ब्लाक पहाड़ी, जिला बांदा ने कुंआ बोरिंग तथा आरा मशीन हेतु लिये गये ऋण की अदायगी न कर पाने के कारण उनकी जमीनों की नीलामी की कार्यवाही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1987 में की गयी थी तथा नीलामकर्ता नायब तहसीलदारों ने खरीदारों से मिलकर उन हरिजनों की जमीनें अत्यधिक सस्ते दामों पर नीलाम कर दी थीं ? क्या नीलामी रद्द करके हरिजनों को जमीनें वापस दिलाने तथा सस्ती नीलामी के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया ऋणों की वसूली हेतु उनकी जमीनों की नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार क्रमशः दिनांक 10-9-86 व 27-1-87 को अधिकतम बोली बोलने वाले के पक्ष में सम्पन्न की गयी थी।

बकायेदारों ने नीलाम की कार्यवाही के विरुद्ध कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष नियमानुसार कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः नीलामी रद्द कर उनकी जमीनों को वापस दिलाने या किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन पुनः निर्धारित करने की मांग

66—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि उनके विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार चपरासी तथा दाई आदि का वेतन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से बहुत ही कम है। यदि हां, तो क्या इनका वेतन पुनः निर्धारित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विभाग द्वारा प्राथमिक पाठशालाएं संचालित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजीपुर में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

67--श्री अफ़ज़ाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट जो शासनादेश 13-4-82 के अनुसार वर्ष 87 में तैयार की गयी थी, के कारण इस 5 वर्ष की अवधि में जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गये हैं उनको सूची में न रखने से उनको जो हानि हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी मानी जायेगी ? क्या सुप्रीम कोर्ट के 22-4-82 के निर्णय के अनुसार जिसमें कलेक्ट्रेट के लिपिकों की ज्येष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति से मानी जाय न कि स्थायीकरण से, के आधार पर उन कर्मचारियों की संशोधित पेंशन बनवाने की मंत्री जी घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1983 से 1986 तक शासनादेशानुसार बार-बार प्रकाशित की गई ग्रेडेशन लिस्ट पर कतिपय कर्मचारियों द्वारा आपत्तियां की जाती रहीं, जिनका समग्र निस्तारण करने के पश्चात् जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14-2-87 द्वारा संशोधित ग्रेडेशन लिस्ट को अन्तिम रूप दिया। इस प्रकार स्वयं कर्मचारियों द्वारा बार-बार आपत्तियां करने के फ़लस्वरूप ग्रेडेशन लिस्ट 5 वर्ष बाद अन्तिम की जा सकी, जिसके लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। ज्येष्ठता सूची में संशोधन से केवल दो ही कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं, जो कार्यरत हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा फिरोजपुर, जनपद गाजीपुर, के मुसहर जाति के परिवारों की भूमि पर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज करना

68--श्री अफ़ज़ाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में ग्राम सभा फ़िरोजपुर में मुसहर जाति (अनुसूचित जनजाति) के कुछ परिवार सौ साल से भी अधिक अवधि से बसे हुए हैं ? क्या जिन स्थानों पर यह परिवार आबाद है, उसी भू भाग पर आज भी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज है ? यदि हां, तो कब तक आबादी व्यक्तियों का नाम उस आबादी पर दर्ज कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजियाबाद औद्योगिक इकाइयों में नाबालिग बच्चों द्वारा कार्य कराया जाना

69--श्री दिलीपाल सिंह बंसल--

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद के विकास खंड लोनी की औद्योगिक इकाइयों में नाबालिग बच्चे कार्य करते हैं यदि हां, तो नाबालिग बच्चों के कार्य करने का क्या औचित्य है ?

सैयद सईदुल हसन--

जी नहीं। निरीक्षण के दौरान इस स्थान के पंजीकृत कारखानों/प्रतिष्ठानों में नाबालिग बच्चे कार्यरत नहीं पाये गये।

बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की नीति

70—श्री सरदार सिंह—

क्या श्रम मन्त्री की जानकारी में है कि राज्य के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में बेरोजगार युवकों के नाम दर्ज होते हैं ? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं तथा इनको रोजगार दिलाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां।

दिनांक 31—12—87 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजी पर उपलब्ध बेरोजगार अभ्यर्थियों की सं0 29,58,793 थी।

सेवायोजन कार्यालयों का प्रमुख कार्य रोजगार के इच्छुक प्रत्याशियों का पंजीयन करना तथा उन्हें सेवायोजित कराना है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न नियोजकों के यहां से अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध रिक्तियों की प्रकृति के अनुसार पंजीकृत योग्य अभ्यर्थियों का उचित अनुपात में, उनकी पंजीयन की ज्येष्ठता के अनुसार, सम्बन्धित नियोजकों के यहां विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषण किया जाता है।

सवेतन रोजगार के अवसर सीमित होने के फ़लस्वरूप इच्छित अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालयों द्वारा स्वतः नियोजन हेतु उत्प्रेरित भी किया जाता है।

जिला बस्ती में बंजर भूमि का मुकदमा प्रधान के विरुद्ध जांच

71—श्री हरिश्चन्द्र,

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खैरी शीतल प्रसाद तथा डबरुवा तहसील नौगढ़ जिला बस्ती के बंजर जमीन का कोई मुकदमा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, नौगढ़ के यहां चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें की पैरवी ठीक से हो सके इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार करेगी जिससे ग्राम सभा की भूमि को बचाया जा सके, क्या सरकार उक्त ग्रामसभा के प्रधान के खिलाफ़ भी जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितनी जमीन पर मुकदमा चल रहा है तथा उसकी इस समय क्या कीमत है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी0 डी0 पी0 ओ0) बिसौली जनपद बदायूं द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच

72—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी0 डी0 पी0 ओ) बिसौली, जनपद बदायूं द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई रजिस्टर्ड शिकायती पत्र उन्हें जुलाई, 1987 में प्राप्त हुआ था। यदि हां, तो पत्र में मुख्य शिकायतें क्या थीं एवं उन पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ है।
उपरोक्त पत्र से उल्लिखित मुख्य शिकायतें निम्नवत् हैं:—

1—गणतन्त्र दिवस का अपमान।
2—आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के वेतन से कटौती।

3—श्रीमती चित्रामीना मिश्रा के इशारे पर कार्यालय लिपिक द्वारा एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ बलात्कार ।

4—घटिया किस्म के तथा कम पोषाहार का बितरण ।

5—परियोजना कार्यालय के अधिकांश लिपिकों का अनुपस्थित रहना ।

6—बिना मुख्य सेविका को साथ लिए उप निदेशक श्री शर्मा के साथ केन्द्रों का निरीक्षण करना आदि ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बदायूं से आख्या मांगी गयी है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में विधवाओं को स्वीकृत पेंशन न मिलने का कारण

73—श्री राम कृष्ण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत वर्षों में ग्राम सौरिक्या, जिला लखीमपुर खीरी की विधवाओं, श्रीमती सुशीला पत्नी राम सहाय, राम बेटी पत्नी जगन्नाथ, सुन्दरी पत्नी चुरई आदि को स्वीकृत पेंशन न मिलने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमती सुशीला पत्नी राम सहाय, रामबेटी पत्नी जगन्नाथ, सुन्दरी पत्नी चुरई आदि को स्वीकृत अनुदान की धनराशि मनी आर्डर द्वारा डाक तार विभाग के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे डाक तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा गबन कर लिया गया था । जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, खीरी के प्रयास से डाकतार विभाग द्वारा दिनांक 17-2-87 को धनराशि प्राप्त कर ली गई तथा उसका भुगतान दिनांक 21-12-87 को उक्त विधवाओं को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का आरक्षण

74—श्री मूल चन्द—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में प्रथम श्रेणी, द्वितीय व तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी हैं ? क्या यह सही है कि आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

चकबन्दी विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

श्रेणी	प्रतिशत	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रथम श्रेणी	..	..
द्वितीय श्रेणी ..	4.81	..
तृतीय श्रेणी ..	10.20	0.002
चतुर्थ श्रेणी ..	11.24	..

विभिन्न श्रणी के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों का कोटा पूरा न होने का कारण यह है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रणी क विभागीय पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में इन दोनों श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व में कमी होना स्वाभाविक है।

लेखपाल, चपरासी एवं लिपिकों के पदों में जो भी रिक्तियां होती हैं उनकी पूर्ति अधिकतर मृत कर्मचारियों के परिवार के आश्रितों की नियुक्ति अथवा छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत से कम होना स्वाभाविक है।

जनपद वाराणसी में गरीबों को आवंटित भूमि की चकबन्दी

75--श्री मूल चन्द--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सराय मान सिंह तहसील भदोही जनपद वाराणसी में चकबन्दी आरम्भ होने के पूर्व गरीबों को आवंटित 106 बीघा जमीन जिस पर माल कागजात में लोगों के नाम दर्ज हैं, उसकी भी चकबन्दी करायेंगे? यदि नहीं; तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों का निस्तारण

76--श्री मूल चन्द--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर जनपद वाराणसी के न्यायालय में, भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198/4 के अन्तर्गत कुल कितने पट्टा मन्सूखी के बाद लम्बित है और कितने दिन से और कितनों में स्टे आर्डर जारी किया गया है? लम्बित वादों का निस्तारण कब तक हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा दिलाना

77--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम आबादान ऊर्फ बैरान, फिरोजपुर, गोडऊर, मसौनी, चमरारी, दुडिहां, कनुबाने, अवथही में ग्राम समाज की भूमि वितरित कर दी गई है? यदि हां, तो कितने को कब्जा दिलाया गया है और कितने आज भी उस पर काबिज हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

78--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा करीमुद्दीनपुर में चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है? यदि हां, तो चकबन्दी में इस गांव सभा में कितनी भूमि ग्राम समाज के

लिये सुरक्षित की है और किन-किन उपयोगों में लेने हेतु कागजात मइनका इन्दराज किया गया क्या तहसील मुहम्मदाबाद में गांव समाज संबंधी भूमि कागजात उपलब्ध है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? कब तक नाजायज कब्जा समाप्त कराकर गांव समाज की भूमि और सीलिंग से निकाली गयी भूमि पात्र व्यक्तियों को वितरित करके उन्हें कब्जा दखल दे दिया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जू0 हा0 अकौरिया शंकरगढ़ इलाहाबाद के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

79--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा मंगलदास जू0 हा0 अकौरिया-शंकरगढ़-इलाहाबाद को 1980-81 से 1987-88 तक कक्षा 7, 8 के छात्र के नाम पर वर्षवार कितना क्षतिपूर्ति अनुदान तथा छात्रवत्ति प्रदान की गई है क्या अन्तिम दो वर्षों में छात्र संख्या में गिरावट के कारणों की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य पाय गये? इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए कक्षावार किन-किन छात्रों का नाम प्रधानाध्यापक द्वारा भेजा गया है? इनके पिता का नाम, पता क्या है? उक्त वर्षों में दी गई छात्रवृत्ति वितरण छात्रों को बैंक खाते से खाता खुलवाकर कब से नहीं दिया गया है? इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या शासन कोई कार्यवाही प्रस्तावित कर सरकारी धन की वापसी भी सुनिश्चित करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बाबा मंगलदास जू0 हा0 स्कूल, अकोरिया-शंकरगढ़ इलाहाबाद को वर्ष 1980-81 से 1987-88 तक कक्षा 7 व 8 अनुसूचित जाति के छात्रों के शुल्क क्षतिपूर्ति तथा छात्रवृत्ति हेतु वर्षवार निम्न प्रकार से धनराशि दी गयी:--

वर्ष	शुल्क क्षतिपूर्ति	छात्रवृत्ति
1980-81	1563.41	3844.00
1981-82	3543.48	9792.00
1982-83	4264.73	7632.00
1983-84	5842.61	8352.00
1984-85	3492.84	5904.00
1985-86	3333.67	6624.00
1986-87	902.05	8496.00
1987-88	..	2528.00
कुल योग ..	22942.79	63,172.00

विद्यालय के समीप अन्य विद्यालय खुल जाने से छात्रों की संख्या में गिरावट आयी है। इस संबंध में जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी। वर्ष 1987-88 में छात्रवृत्ति के लिये जिन छात्रों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनके नाम, कक्षा, पिता का नाम तथा पता निम्न प्रकार है :--

नाम	कक्षा	पिता का नाम तथा पता
रामलाल ..	6	श्री शिवकुमार, ग्राम अकोरिया, बसहरा, उसरहार, शंकरगढ़, इलाहाबाद।
रामराज ..	6	मट्ठई ग्राम अकोरिया बसहरा, उसरकार, शंकरगढ़ इलाहाबाद।
माखनलाल ..	6	जगजाहिर, ग्रा0 अकोरिया बसहरा, उसरहार, इलाहाबाद।
श्यामलाल ..	6	इन्द्रपाल, ग्राम अकोरिया, लसहरा, उसरकार शंकरगढ़, इलाहाबाद।
रामकैलाश ..	6	सुखराम ग्राम बसहरा उसरहार, शंकरगढ़, इलाहाबाद।
गया प्रसाद	6	छेदीलाल, ग्राम अकोरिया, बसहरा उसरहार, शंकरगढ़, इलाहाबाद।
रामायण प्रसाद	6	शारदा प्रसाद, अकोरिया, बसहरा, उसरहार, शंकरगढ़, इलाहाबाद।
पारसनाथ	6	किशोरीलाल, बसहरा, उसरहार, शंकरगढ़, इलाहाबाद।
सुनील कुमार ..	6	सिपाही लाल, बसहरा, उसरहार, शंकरगढ़, इलाहाबाद।

विद्यालय से बैंक लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिये छात्रवृत्ति की धन-राशि नगद भुगतान की गयी। वर्ष 1986-87 की छात्रवृत्ति मनीआर्डर एवं वर्ष 1987-88 की कल्याण शिविर के माध्यम से भुगतान की गयी।

जी नहीं।

इसके लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है।

गोरखपुर जनपद के फरेंदा तहसील के लेखपाल श्री राम सुभग लाल के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

80---श्री धनराज यादव---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के फ़रेन्दा तहसील में लेखपाल श्री राम सुभगलाल हल्का नं0 52 सन् 1976 के वर्ष मे निलम्बित हो गये थे और जिन्हें बाद में बरखास्त कर दिया गया? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता लेखपाल ने ए0 डी0 एम0 (प्रशासन) गोरखपुर के जहां अपने बरखास्तगी के विरुद्ध अपील संख्या 4 प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय ए0डी0एम0 ने0 23-4-77 को देते हुए बरखास्तगी को गैर कानूनी माना और परगनाधिकारी को पुनः विचार करने हेतु वापस कर दिया ? यदि हां, तो इन सब तथ्यों के साथ प्रश्नकर्त्ता ने भी जिलाधिकारी गोरखपुर अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर को पत्र लिखा है? यदि हां, तो परगनाधिकारी ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजभर जाति को उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना

81--श्री धनराज यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अष्टम विधान सभा की याचिका समिति ने संस्तुति की है कि राजभर जाति को उ0 प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय तथा उ0 प्र0 शासन ने 26-5-82 को भारत सरकार नई दिल्ली को एक पत्र भी इस संदर्भ में लिखा है क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन निदेशक हरिजन एवं समाज कलाण उ0 प्र0 ने अपने पत्र दि0 6 अक्टवर, 86 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से सुस्पष्ट आख्या एवं संस्तुति मांगी है? यदि हां, तो जिलाधिकारी बस्ती द्वारा इस सम्बन्ध में क्या आख्या अथवा संस्तुति की गई और अभी तक राजभर जाति को अनुसूचित जातियों में शामिल क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । शासन के पत्र संख्या-1140/26-3-82-3(12)-80 दिनांक 18-5-1982 द्वारा भारत सरकार को लिखा गया था ।

जी हां ।

समाज में इनसे भेदभाव न किये जाने के कारण जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा संस्तुति नहीं की गयी थी किन्तु शासन द्वारा पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को संस्तुति की गयी है । भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है ।

जिला आजमगढ़ में ग्राम समाज की भूमि पर फर्जी इन्द्राज

82--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के गौरी नामक ग्राम में धारा 52 के प्रकाशन के दौरान ग्राम सभा की भूमि पर फ़र्जी इन्द्राज कराये जाने विषयक सूचना निवासियों द्वारा रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1976 दिनांक 1-8-86 को भेजी हुई प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी--

ग्राम गौरी के निवासियों का शिकायती पत्र श्री कृष्ण पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 8-9-1986 के साथ प्राप्त हुआ । उस पर चकबन्दी आयुक्त से आख्या प्राप्त की गयी । जांच आख्या के आधार पर पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु चकबन्दी आयुक्त को निर्देश दे दिये गय हैं ।

पड़रौना जनपद देवरिया में गरीबों को पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा

83--श्री विष्णु देव--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि तहसीलदार पड़रौना जिला देवरिया द्वारा दिनांक 22-1-85 में मैनेजर पुत्र तिलक, रज्जू पुत्र तिलक, सुन्दर पुत्र तिलक ग्राम मंठिया नरईपुर, परगना सिधुवा जोबना को गाटा संख्या 116/391 प्रत्येक को 0.02 डिसमिल भूमि पट्टा पर देने के आदेश के उपरान्त गरीबों को अभी तक कब्जा न मिलने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी दिये गये पट्टे की भूमि पर कब्जा दिला कर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

84—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—
(4थ शुक्रवार के लिये स्थगित)

बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में आई0 टी0 आई0 की स्थापना विषयक जानकारी

85—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में आई0 टी0 आई0 की स्थापना किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है, यदि हां, तो उक्त स्थापना कब तक हो जायेगी ?

सैयद सईदुल हसन—
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद जनपद आगरा के श्रमिकों के लिये श्रम हितकारी केन्द्रों की सुविधा

86—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा के उद्योगनगर फ़िरोजाबाद के श्रमिकों के हित और ज्ञानवर्धन एवं सुधार के लिये मजदूर भवन और मजदूर लाइब्रेरी बनावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि फ़िरोजाबाद में 2 श्रम हितकारी केन्द्र स्थापित है जहां श्रमिकों के लिये विभिन्न सुविधायें उपलब्ध हैं।

कानपुर नगर में विकलांगों व निराश्रित विधवाओं को पेंशन

87—श्री जौहरीलाल त्रिवेदी—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1985 से सन् 1987 तक कानपुर (नगर) में अभी तक कितने विकलांगों, कितनी विधवाओं तथा कितनी निराश्रित विधवाओं को नई सूची में जोड़ कर पेंशन दी गई ? क्या हजारों प्रार्थना-पत्र कानपुर हरिजन कल्याण विभाग कानपुर (नगर) के कार्यालय में विचाराधीन पड़े हैं ? यदि पेंशन नहीं दी गई है तो क्यों और कब तक दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सन् 1985 से 1987 तक कानपुर नगर में 1455 निराश्रित विधवाओं तथा 125 विकलांगों को भरण पोषण अनुदान दिया गया।

कानपुर नगर में 1250 निराश्रित विधवाओं एवं 80 विकलांगों के भरण पोषण अनुदान के आवेदन पत्र कार्यालय में लम्बित है चूंकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इनको अनुदान स्वीकृत करना फ़िलहाल सम्भव नहीं हो पा रहा है। वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होते ही इन आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

नायब तहसीलदार जसराना मैनपुरी द्वारा अलग-अलग क्षेत्रफल की संस्तुति और जांच

88—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रामआसरे वर्मा स0वि0स0 के अता0 प्रश्न सं0 50 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि नायब तहसीलदार जसराना मैनपुरी ने अपनी आख्या 27-7-77 में 3-36 एकड़ क्षेत्रफल

की संस्तुति की थी तथा चारों के हिस्से में अलग-अलग 0.59 एकड़ क्षेत्रफल के हिसाब से 2.36 की संस्तुति की थी ? क्या यह सही है कि स्वीकृति के बाद एक एकड़ का शब्द बढ़ाकर बैनामा लिख लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नायब तहसीलदार दादरी जनपद गाजियाबाद द्वारा कुछ व्यक्तियों को असंक्रमणीय काश्तकार के रुप में दर्ज किया जाना

89--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के ग्राम छपरौल खादर तथा दोस्तपुर मगरौली के खसरा सं0 50, 44, 47 से 51, 52, 53 कुल रकबा 21-8-0 एवं खसरा सं0 3 कुल रकवा 14-0-0 पर नायब तहसीलदार दादरी ने कुछ व्यक्तियों के नाम किस आधार पर असंक्रमणीय काश्तकार के रूप में दर्ज कर दिया है ? क्या इससे संबंधित पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध है? यदि नहीं,तो इन आदेशों का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

कथित भूमि के खसरा नम्बरों पर कुछ व्यक्तियों का नाम असंक्रमणीय काश्तकार दर्ज किये जाने सम्बन्धी आदेश किसी भी नायब तहसीलदार द्वारा पारित नहीं किये गये हैं और न ही मामले से सम्बन्धित कोई पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध है, बल्कि उक्त कार्यवाही खतौनी व रजिस्टर मालिकान में लेखपालों/रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा फ़र्जी रूप से की गयी है । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दोषी लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है रजिस्ट्रार कानूनगो एवं सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है और जिन व्यक्तियों के नाम फर्जी इन्द्राज किये गये थे उनके विरुद्ध धारा 122 बी के तहत कार्यवाही की गई तथा समस्त फर्जी आदेशों को परगनाधिकारी दादरी अपने आदेश दिनांक 7-11-87 तक खारिज कर भूमि पूर्वत: बंजर खाते में जा चुकी है ।

90--श्री महेन्द्र भाटी--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद मेरठ, तहसील बागपत में चकबन्दी का कार्य

91--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में तहसील बागपत में चकबन्दी कराना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त तहसील में चकबन्दी का कार्य कब तक सम्पन्न कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

यह कार्य न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होता है अत: इसके सम्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि बता पाना सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध भूमि आवंटन में गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में जांच

92--श्री राजकिशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डोमनपुर विकास क्षेत्र भदोही तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप परगनाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा जांच कराये जाने पर सिद्ध पाये गये थे एवं परगनाधिकारी द्वारा उक्त प्रधान के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 22-3-84 तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 8-6-84 जारी किये गये थे ? यदि हां तो क्या उक्त प्रधान के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जहानाबाद फतेहपुर में आदर्श हरिजन छात्रावास में किराया वृद्धि

93--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जहानाबाद फतेहपुर में आदर्श हरिजन छात्रावास वर्ष 1969-70 से चल रहा है ? क्या यह सही है कि मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने के लिये दबाव डालने पर फतेहपुर के जिला हरिजन अधिकारी ने अपनी संस्तुति शासन को भेजी है कि किराया बढ़ा दिया जाये नहीं तो छात्रावास खाली करना पड़ेगा जिससे कि हरिजन छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है तथा मामले को अब तक लम्बित रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

छात्रावास के भवन का किराया शासनादेश सं0 1081/26-3-88-4(104)/87 दिनांक 18 फरवरी, 1988 द्वारा 50 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ।

94--श्री धनराज यादव--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जौनपुर, भूदान यज्ञ द्वारा ग्रामवासियों को भूमि का पट्टा दिया जाना

95--श्री धनराज यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज के मेहरावां गांव में भूदान यज्ञ में कुल कितनी जमीन के पट्टे ग्रामवासियों को दिये गये ? अब तक कितने लोग पट्टा प्राप्त जमीन पर कब्जा पा चुके हैं ? जो अब तक कब्जा नहीं पाये हैं उनको कब्जा दिलाने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त जमीन पर कब्जे के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी, श्री राम गुलाम सैनी पुत्र श्री भगवानदीन को प्रतिकर का भुगतान

96--श्री राम सागर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने श्री राम गुलाम सैनी पुत्र श्री भगवान दीन निवासी पूरे मोती मजरे ओवरी जिला-बाराबंकी के प्रतिकर को भुगतान किये जाने के बारे में उन्हें 5 जनवरी 1988 को एक पत्र भेजा था जिसके बारे में राजस्व मंत्री ने कृषक को प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु, राजस्व सचिव उ0 प्र0 शासन को लिखा है ? यदि हां, तो श्री राम गुलाम सैनी को क्या प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस दिवस को और कितने रुपये का ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र को प्राप्ति के पहले ही दिनांक 21-3-87 को श्री राम गुलाम सैनी को निर्धारित प्रतिकर का 1/3 भाग रुपया 33,235.85 पैसे का भुगतान कर दिया गया था शेष प्रतिकर का 2/3 भाग श्री सैनी एवं उनके भाईयों के बीच स्वामित्व विवादास्पद होने के कारण दिनांक 23-12-87 को न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया गया है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रतिकर का भुगतान सम्भव होगा ।

आई0 टी0 आई0 बलिया व रसड़ा में आरक्षण कोटा

97--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद मे आई0 टी0 आई0 बलिया व आई0 टी0 आई0 रसड़ा में आरक्षित स्थानों पर वर्ष 1985-86 व 1986-87 में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों आदि की भर्ती में क्या अनुपात रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सैयद सईदुल हसन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सखवनिया, जिला देवरिया में सीलिंग की भूमि का पात्र व्यक्तियों को आवंटित करन में विलम्ब

98--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सखवनिया परगना-सिधुवा जोवना, तहसील-पडरौना, जिला-देवरिया में सीलिंग से निकली हुई भूमि है? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल क्या है और उसे पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हदबन्दी से बचने के लिए नौकरों के नाम फर्जी तौर पर भूमि का इन्द्राज किया जाना

99--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पापरा, थाना-कसया, परगना-सिधुवाजोबना, तहसील पडरौना, जनपद देवरिया में हदबन्दी से बचने के लिये राजा खगेंद्र प्रताप बहादुर शाही तमकुही स्टेट ने अपने ससुराल खदौली, आनापुर, इब्राहीमपुर जनपद-

इलाहाबाद के अनेक लोगों के नाम फर्जी तौर पर इन्द्राज करा दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त राजा की ससुराल आनापुर है और फर्जी नाम वहां के कुछ नौकरों के हैं जिनका कभी भी इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है ? यदि हां, तो इस भूमि को हदबन्दी में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

100--श्री सुखपाल पाण्डे--

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद बहराइच ग्राम लखना में ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अरोप की जांच

101--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम लखना वि0 खं0 गिलौला, जिला-बहराइच के ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा जनपद का दुरुपयोग करने संबंधी कोई जांच उसी गांव के निवासी श्री बाबादीन आदि की शिकायत पर एस0 डी0 एम0 तहसील, बहराइच द्वारा हाल में ही कराई गई ? यदि हां, तो आरोप क्या है और जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये और उपरोक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्र पर परगनाधिकारी, बहराइच द्वारा जांच कराई गई ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये थे:--

आरोप संख्या--1

भूमि प्रबन्धक समिति, लखना की रसीद बही संख्या-03013 रसीद नं0-6 श्रीमती ज्ञानवती स्त्री छैलबिहारी के नाम आबादी की भूमि दस रुपये में कटी है तथा 17-3-72 को ही आबादी की भूमि 0.02 डि0 राम कुमार पुत्र छैल बिहारी के नाम मुबलिग दस रुपये में कटी है, जिसकी रसीद बुक संख्या-7/03013 है, किन्तु इसके सम्बन्ध में भू0प्र0स0 का कोई प्रस्ताव होना नहीं पाया जाता है, अतः यह अनियमित कार्य करने एवं अपने पद का दुरुपयोग करने के दोषी हैं ।

आरोप संख्या--2

भूमि गाटा संख्या-259 से मिले हुए गांव सभा भूमि गाटा सं0-263/0.10, 264 मि/0.01 तथा 265 मि/0.01 एकड पर अनाधिकृत कब्जा कर गांव सभा को अत्यधिक क्षति पहुंचाई गयी है । इससे स्पष्ट है कि पद का दुरुपयोग कर गांव सभा सम्पत्ति को हड़पने का प्रयास किया गया है ।

उक्त आरोप का उत्तर ग्राम प्रधान ने प्रस्तुत किया । परगनाधिकारी, बहराइच ने अपनी आख्या दिनांक 7-12-87 द्वारा स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है, आरोप सिद्ध नहीं है, जिसके फलस्वरूप शिकायती प्रार्थना पत्र निक्षेप कर दिया गया हैं ।

जिला फैजाबाद, तहसील बीकापुर, परगना पश्चिम राठ में हरिजनों को आवंटित भूमि के कब्जा प्राप्त की जानकारी

102—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद तहसील बीकापुर परगना पश्चिम राठ के गांव परसोही में जो भूमि गाटा संख्या (424) 1975 में हरिजनों को आवंटित की गयी थी उस पर आवंटी हरिजनों को कब्जा मिल गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया तथा कब तक दिया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के परगनाधिकारी को एक ज्ञापन की मांग

103—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील को करीब 15 हजार किसानों ने घेर कर परगनाधिकारी, पुरवा को एक ज्ञापन 24 सितम्बर, 87 को दिया था? यदि हां, तो उनके विभाग से संबंधित उक्त ज्ञापन की मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अम्मार रिजवी—

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के परगनाधिकारी को एक ज्ञापन श्री गुरुप्रसाद रावत, संयोजक, जनता पार्टी संघर्ष समिति पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा, प्रस्तुत किया गया था। उक्त ज्ञापन में विभिन्न विभागों से संबंधित 11 मांगें उल्लिखित थीं जिसमें से केवल क्रमांक 5 पर अंकित मांग लगान की वसूली विषयक तहसील पुरवा से संबंधित थी।

इस विभाग से संबंधित उक्त मांग के संबंध में तहसील पुरवा जनपद उन्नाव में स्थगन के विपरीत कोई वसूली नहीं की गयी।

104— श्री विक्रमादित्य पांडेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

दिनांक 26—6—87 को अता० प्र० सं० 43 द्वारा उत्तरित

जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर के सभी लेखपालों की गृह तहसील में तैनाती

105—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि स्पष्ट शासनादेशों के बावजूद अभी भी जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में काफी लेखपाल अपनी गृह तहसील अकबरपुर में ही तैनात हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और शासनादेश के अनुपालन में ऐसे सभी लेखपालों को तहसील अकबरपुर से बाहर कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत लेखपालों का स्थानान्तरण जून, 1986 में किया गया था लेकिन कृषि गणना के महत्वपूर्ण कार्य के कारण स्थानान्तरण रोकना पड़ा। ऐसे सभी लेखपालों का स्थानान्तरण जून, 1986 तक करने के आदेश कर दिये गये हैं।

जनपद कानपुर, प्रबन्ध टैगोर बाल मंदिर पुखरायां के भ्रष्ट आचरणों के विरुद्ध जांच

106–श्री अचल सिंह––

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबध टैगोर बाल मन्दिर पुखरायां जनपद कानपुर देहात के भ्रष्ट आचरणों के विरुद्ध श्रम निरीक्षक पुखरायां कानपुर देहात को सम्बोधित श्रीराम गणेश मिश्र ग्राम बिरोहा पोस्ट भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात का कोई शिकायती पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 3–9–87 को प्राप्त कराया गया है? यदि हां, तो क्या आरोपों के विरुद्ध श्रम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सैयद सईदुल हसन––

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के करहिया गांव में ऊंचा टीला की भूमि का निजी स्वार्थों में कथित उपयोग की जांच

107–श्री अफजाल अंसारी––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के करहिया गांव के समीप एक ऊंचा सा टीला है, जिसे सकराडी कहते हैं इसके अधीन कितनी भूमि है और किन-किन ग्राम सभाओं में है? यह भूमि वर्तमान समय में किस उपयोग में ली जा रही है? क्या यह ग्राम सभा की सम्पत्ति है? यदि हां, तो उक्त भूमि की पिछले 10 वर्षों की आय किसके द्वारा किस-किस उपयोग में लायी गयी इसकी व्यवस्था और देख-रेख का कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या उक्त भूमि का उपयोग निजी स्वार्थों में किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है।

108–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विकास खंड ऊंचागांव दौलतपुर जनपद बुलन्दशहर में व्यक्तिगत सम्पत्ति का पंजीकरण और भूमि की नौइयत परिवर्तन की मांग

109–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड ऊंचागांव दौलतपुर, जनपद बुलन्दशहर में कितने क्षेत्रफल में व्यक्तिगत सम्पत्ति पंजीकृत है जो मौके पर कब्रिस्तान व ईदगाह है? क्या उपरोक्त भूमि की नौइयत परिवर्तन करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है।

110–श्री अमिताभ अनिल दुबे––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम गुरुवाही जिला बहराइच के हरिजन निवासियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

111—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गुरुवाही जिला बहराइच के हरिजन निवासियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता के दिनांक रहित पत्र के क्रम में प्रत्युत्तरित राजस्व मंत्री के पत्र संख्या 4078 वी0आई0पी0/86 के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी बहराइच द्वारा कराई गई। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम गुरुवाही के अनुसूचित जाति के गुरुबचन को छोड़कर शेष 8 व्यक्तियों में 1392 फ0 में ग्राम समाज का असामी पट्टा दिया गया था। आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा मिल चुका है ग्राम प्रधान द्वारा आवंटियों से रिश्वत मांगने व उन्हें परेशान करने का आरोप सत्यापित नहीं हुआ।

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप कि राजा गंगबल रियासत की अतिरिक्त घोषित की गई भूमि के आवंटन के संबंध में रिश्वत मांगी जा रही है, भी जांच में निराधार पाया गया। उक्त सीलिंग भूमि का पट्टा 1387 व 1392 फ0 में निष्पादित हो गया है।

ग्राम प्रधान ग्राम भदोखर, परगना हवेली, तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा भूमि के अवैध पट्टे के विरुद्ध जांच

112—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम भदोखर परगना हवेली तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा अपने पुत्रों को व अन्य पारिवारिकजनों के नाम दिये गये ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे के विरुद्ध श्री परवेज अख्तर ग्रामवासी द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 3—1—83 दिनांक 6—1—83 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं और संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

113—श्री—राज किशोर सिंह—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

114—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भिटहा तथा फिदाईपुर परगना महुली पूरब, तहसील खलीलाबाद जिला बस्ती में गोमती प्रसाद चतुर्वेदी एवं सूर्य नारायण चतुर्वेदी द्वारा ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जे कर लिये गये हैं ? क्या परमात्मा प्रसाद चतुर्वेदी एव श्री कोदई प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर परगनाधिकारी खलीलाबाद द्वारा कब्जा हटवाने तथा अवरुद्ध मार्ग, चकनाली चकरोड एवं ग्राम का मुख्य मार्ग एवं अवैध निर्माण को रुकवाने के विषय में एवं पैमाइश कराकर कब्जा

हटवाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो किन-किन तारीखों में पैमाइश कराई गयी तथा किन-किन तारीखों में कब्जा हटवाया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम भारीडोहा, जनपद फैजाबाद के लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टा देने का आरोप

115--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टाण्डा तहसील में स्थित ग्राम भारीडीहा के निवासियों ने लगभग दो वर्ष पूर्व परगना अधिकारी, टाण्डा और तत्कालीन जिलाधिकारी श्री इन्द्र कुमार पाण्डेय को एक प्रार्थना-पत्र दे कर तत्कालीन हल्का लेखपाल श्री मिश्रीलाल पर भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसकी फर्जी कार्यवाही लिखने और उसी के आधार पर लोगों से पैसा लेकर ग्राम समाज की भूमि का पट्टा देने का आरोप लगाया था । यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा की गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त लेखपाल को केवल स्थानान्तरित कर दिया गया है और स्थानान्तरित होने से पहले उसने अपने विरुद्ध दरख्वास्त देने वाले अधिकांश लोगों पर 122 बी0 ज0 उ0 ऐक्ट का फर्जी मुकदमा कायम कर दिया था ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बन्दोबस्त अधिकारी, जिला लखनऊ के स्थानान्तरण आदेशों की जांच

116--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंदोबस्त अधिकारी जिला लखनऊ पूर्व एडीशनल बंदोबस्त चकबन्दी अधिकारी लखनऊ थे, जो प्रोन्नति पाकर स्थायी बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी लखनऊ के पद पर कार्यरत हैं ? लगभग 4-5 माह हुए प्रोन्नति पाकर एडीशनल डिप्टी डायरेक्टर का आदेश हुआ और उनके स्थानान्तरण का भी आदेश हुआ था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी प्रोन्नति पाकर स्थानान्तरण पर क्यों नहीं गये और उक्त स्थान पर ही क्यों कार्यरत हैं ? क्या राजस्व मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त बन्दोबस्त अधिकारी कितने वर्षों से एक ही जिले में तथा एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय का भुगतान

117--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक दुबहर, जनपद बलिया में आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को गत दस महीनों से मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । गत दिसम्बर 1987 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 18-1-88 को राजकीय अनुमोदित विद्यालय, फिरोजाबाद, आगरा में अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारी

118-श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर फरोजाबाद में स्थित राजकीय अनुमोदित विद्यालय में दिनांक 18-1-88 को कितने बालक मौजूद थे ? क्या उनमें से कई बच्चे भाग चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ? दिनांक 18-1-88 को राजकीय अनुमोदित विद्यालय में कितने अधिकारी और कर्मचारी गैरहाजिर थे जिनकी छुट्टी की भी दरख्वास्त नहीं थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 18-1-88 को राजकीय अनुमोदित विद्यालय फिरोजाबाद आगरा में 88 संवासी बालक मौजूद थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 18-1-88 को कोई कर्मचारी या अधिकारी गैरहाजिर नहीं था। अधीक्षक अवकाश पर थे। कोई भी कर्मचारी बिना प्रार्थना-पत्र के अवकाश पर नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम सागरपाली में चकबन्दी कार्य कराया जाना

119-श्री गौरी शंकर भइया--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील बलिया के ग्राम सागरपाली को चकबन्दी करने का गजट किस सन् में हुआ था ? 15-2-88 तक इस ग्राम का चकबन्दी कार्य किस स्टेज में है और कब तक इस कार्य को संपन्न कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बलिया की तहसील बलिया के ग्राम सागरपाली का जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रकाशन राजकीय गजट में विज्ञप्ति दिनांक 20-5-78 द्वारा हुआ है।

दिनांक 15-2-88 तक प्रखंड निर्माण किया जा चुका है। इस समय उक्त ग्राम में चक निर्माण की अग्रेतर कार्यवाही प्रगति पर है। चक निर्माण के उपरांत कृषकगण चक आपत्ति चक अपील एवं चक निगरानियां प्रस्तुत करेंगे। चक अपीलों के निस्तारण उपरांत कब्जा परिवर्तन कराया जाना संभव हो सकेगा। यह सभी कार्य न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होना है इसलिए निश्चित रूप से यह बता पाना संभव नहीं है कि कार्य कब तक संपन्न हो जायगा।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोष्ठक में विशेष कार्याधिकारी पद पर कार्यरत अधिकारी विरुद्ध जांच तथा पद सृजन संबंधी पत्रावली गायब करने के विरुद्ध जांच

120-श्री बैजनाथ--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान कोष्ठक में विशेष कार्याधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच से संबंधित पत्रावली गायब कर दी गई है ? क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावली के गायब होने से उक्त अधिकारी को उन पर लगाये गये आरोपों से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

121-श्री बजनाथ--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान काष्ठक में विशेष कार्याधिकारी के पद के सृजन से संबंधित पत्रावली भी गायब कर दी गयी है? यदि हां, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में कार्यरत विशेष कार्याधिकारी को निदेशालय वापस भेजे जाने के संबंध में आदेश

122-श्री बैजनाथ--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान काष्ठक में विशेष कार्याधिकारी का पद निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण के प्रशासकीय नियंत्रण में है? यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार विभाग के बार-बार संस्तुति किये जाने के बाद और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप प्रमाणित हो जाने के बाद भी उन्हें अभी तक निदेशालय वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्या यह सही है कि इसी आधार पर जनजाति अधिकारी को निदेशक, जनजाति कार्यालय भेजा जा चुका है और सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा भी विशेष कार्याधिकारी को निदेशालय भेजे जाने के आदेश दिये जा चुके हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्राम सभा अवथही, जनपद गाजीपुर के भूमिहीन व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

123--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा अवथही में गांव समाज की कुल कितनी भूमि है? क्या उक्त गांव सभा में चकबन्दी प्रक्रिया की धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है? यदि हां, तो उक्त गांव सभा में भूमिहीनों की संख्या कितनी है और कितने पात्र व्यक्तियों में अब तक गांव सभा की भूमि आवंटित की गयी है? क्या गांव सभा की जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उनके विरुद्ध बेदखली की कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कब तक गांव सभा की भूमि पर अवैध कब्जा समाप्त कराकर पात्र और भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित कर दी जायेगी।

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती ग्राम परसातप्या घोष को नहर की पटरी से मिलाने के लिये प्रधान के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

124--श्री धनराज यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तह0 में ग्राम परसातप्या घोष (जो किसी तरफ से सड़क से जुड़ा नहीं है) को परसपुर होकर नहर की पटरी से मिलाने के लिये गांव सभा पिपरा के तत्कालीन प्रधान मो0 इद्रीस के शिकायत पर चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से 9 अगस्त, 1978 को आयुक्त कार्यालय से संयुक्त संचालक चकबन्दी ने जिलाधिकारी बस्ती को पत्र लिखा था जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ ग्राम परसा के लिए रसूलपुर के टोला परसपुर के गाटा सं0 2785, 2786 आदि से होकर नहर के पटरी में मिलाने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो ग्राम परसा को नहर की पटरी से मिलाने में हुए व्यवधान को दूर करने हेतु राजस्व विभाग ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ के प्रसार अध्यापक को मकान के किराये का भुगतान

125--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के प्रसार अध्यापक सहायक अधीक्षक छात्रावास का पद आवासीय पद है यदि हां, तो उक्त प्रसार अध्यापक को गत अक्तूबर, 86 से अक्तूबर 87 तक मकान किराया भुगतान क्यों किया गया? क्या सरकार अनियमित मकान किराये भत्ते के भुगतान की वसूली करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज लखनऊ में प्रसार अध्यापक/सहायक अधीक्षक के पद पर श्री शिव राज सिंह कार्यरत है। चूंकि यह पद आवासीय है जिसके अनुसार श्री सिंह को विद्यालय परिसर के आवास गृह में रहना आवश्यक है परन्तु विद्यालय भवन व आवास गृह पुराने थे तथा बरसात हो रही थी। श्री सिंह ने भवन पुराने होने के कारण किसी प्रकार की अग्रिम घटना के भय को दिखाते हुए अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-8-86 द्वारा बाहर रहने की अनुमति चाही थी। आदेश दिनांक 10-10-86 द्वारा इस शर्त के साथ उन्हें बाहर रहने की अनुमति दी गयी थी कि विद्यालय की कार्यगुजारी में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो और वह अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से सरकारी कार्य करते रहे और ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय के आवासगृह से बाहर रहने की स्थिति में माह अगस्त 86 से अक्टूबर 87 तक मकान किराया भत्ता भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूड़ी प्रतिष्ठान में सेवारत मजदूरों की दयनीय दशा को सुधारने का सुझाव

126—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि केन्द्रीय श्रम मन्त्री श्री संगमा और लोकसभा की एक समिति तथा प्रदेश के श्रम मन्त्री ने मार्च, अप्रैल, मई, 1987 में जनपद आगरा के उद्योग नगर, फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो कांच एवं चूड़ी प्रतिष्ठान में सेवारत मजदूरों की दयनीय दशा को सुधारने के लिये क्या कोई सुझाव और योजना तैयार करने हेतु आदेश दिये गये हैं यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

जी हां। दिनांक 14-1-87 को यह निरीक्षण हुआ था।

कांच एवं चूड़ी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी एक परियोजना तैयार की गई है और उसे भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। उक्त नियोजन में लगे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों के पुनरीक्षण एवं उनकी अन्य समस्याओं पर भी विचार के लिए दिनांक 8-3-88 को एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ग्राम खुटवा, तथा, नगवा में प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम लिये गये भूमि के पट्टों की जांच

127—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ग्राम खुटवा, तप्पा, जनगवा में 1 जनवरी, 84 से 31 दिसम्बर 86 के बीच कोई पट्टा किया गया है और यह पट्टा तत्कालीन उप प्रधान के परिवार एवं भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों के नाम से किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि पट्टे की जमीन में मंदिर-साधू की कुटी 20 वर्ष से अधिक पेड़ों का बाग एवं पोखर का भीटा है ? यदि हां, तो इस पट्टे का प्रस्ताव किस वर्ष एवं किस तारीख में किया गया था और कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत पट्टे की जांच करवाकर पूरे तथ्य से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

128—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

(5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग खड़े हैं मैं सबको एक साथ कैसे सुन लूंगा।

(शोर)

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मुझे एक बात कहनी है। राजस्व मंत्री जी जितना समय ले लेते हैं और जो सवाल होते हैं उनका जवाब मान्यवर, जो देते हैं वह सत्य से परे होता है। मेरा प्रश्न नम्बर-13 जो था उसका जवाब जो यह बता रहे थे वह सत्य से परे था--

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के संबंध में आप कह रहे हैं आप मेरे कक्ष में आकर कहिएगा।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, सुन तो लें, सरकार गलत-सलत बयान देती है और बजट के समय यह तीन-चार बजट एक साथ ले आते हैं जिसकी वजह से नियम-49 लिया ही नहीं जा सकता है--

श्री उपाध्यक्ष--

बारी साहब, आप बैठें। प्रश्नों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं उठायी जाएगी।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने पर)

अंचल जी आप क्यों खड़े हो गये? आप बैठें। मेरे कक्ष में आप आ जाइएगा। मैं खड़ा हुआ हूं, आप सब बैठ जाएं। वर्क जी, आप भी खड़े हैं कल आपका नियम 51 में था तब तो आप थे नहीं, गोल हो गये और अब आप कह रहे हैं मुझे सुन लीजिए। मैं ऐसे किसी की नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर आई0टी0आई0 बलिया में आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 1985-86. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप क्या पढ़ रहे हैं? बैठिए आप। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाएं।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील घोसी में अत्रा नाले की जल निकासी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं। पहली सूचना श्री विष्णु देव की है। दूसरी सचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की है। तीसरी सूचना श्री दीप नारायण जी की है। चौथी सूचना श्री मूल चन्द्र जी की है। पांचवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की है। छठी सूचना श्री शफीकुर्रहमान वर्क जी की है और सातवीं सूचना श्री अचल सिंह जी की है। यह जो सूचनायें स्वीकार हुई हैं इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई।)

श्री विष्णु देव--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में अत्रा नाले की जल निकासी के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के आदेश के बावजूद कार्यवाही न

---

*वक्ता द्वारा भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने से सम्बन्धित क्षेत्र के हजारों हजार किसानों में घोर असन्तोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति को सदन संज्ञान में लाना चाहता हूं। अवरा नाले में बरसाती पानी के जमाव से पचासों ग्राम के कई हजार परिवारों की बीसों हजार एकड़ धान की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है। जनपद आजमगढ़ की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक सन् 1986 में ही इस कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके हो जाने को तहसील की महत्वपूर्ण उपलब्धि बतायी गई। योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई। पिछले गोरखपुर में संपन्न हुए माननीय मुख्य मंत्री जी की बीस सूत्रीय बैठक में भी मेरे द्वारा प्रश्न प्रस्तुत होने पर तथा सिंचाई अधिकारियों द्वारा उसकी पुष्टि होने पर माननीय मुख्य मंत्री ने सूखा राहत कोष से पैसा दिलाकर इस कार्य को संपन्न किये जाने का आदेश दिया था परन्तु मार्च माह चल रहा है अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ जिससे सम्बन्धित हजारों किसान परिवारों में भारी क्षोभ व असंतोष पदा हो गया है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद जनपद के अल्लापुर में रेलवे के डाट पुलों को चौड़ा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में अल्लापुर की आबादी लगभग 1 लाख हो गयी है। यह मुहल्ला चारों ओर से रेलवे लाइनों से घिरा है और आने जाने के मार्ग केवल रेलवे के डाट पुलों से है। यह पुल अत्यन्त संकरा है। प्रतिदिन इनके नीचे दर्जनों छोटी बड़ी दुर्घटनायें होती रहती हैं स्कूल और कार्यालय आने जाने के समय तो आवागमन एकदम अवरुद्ध हो जाता है और घंटों समय पुल से निकलने में लग जाता है। ज्यादातर लोग आफिसों में काम करने वाले या स्कूल-कालेजों या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के हजारों छात्र यहां से निकलते हैं। उनको कार्यालय और कक्षाओं में पहुंचने पर बिलम्ब हो जाता है। इसको चौड़ा करने की योजना स्वीकृत होने के बावजूद कार्य नहीं प्रारम्भ कराया जा रहा है इससे जनता और छात्रों में भयंकर असन्तोष है। कई बार जनतांत्रिक आन्दोलन हो चुके हैं अब 15 मार्च को रेलवे लाइन पर धरना देने की चेतावनी दी गई है जिससे रेलवे मार्ग अवरुद्ध होने की पूरी सभावना है।

अतः इस अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करके इन पुलों को चौड़ा करने की स्वीकृत योजना का तत्काल कार्यान्वियन कराने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ जनपद की तहसील लालगंज में हरिजनों को वितरित ऋण में छूट न मिलने एवं वसूली में उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम धरनीपुर, रानीपुर तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ में लगभग बीसों हरिजनों एवं निर्बल लोगों को सन 1979 से लकर 1983 तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण मिला था जिससे लोगों ने बैल, भैंस, डीजल, इंजन इत्यादि लिया था। बहुत से लोगों ने उक्त ऋण के कुछ अंश की अदायगी भी कर दिया परन्तु उन सभी व्यक्तियों को उनके लिए हुए ऋण पर छूट न मिलने से ब्याज बढ़

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है और पैसे का भुगतान लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। छूट के संदर्भ में से समस्त किसान आये दिन संबंधित अधिकारियों के यहां दौड़ते रहते हैं परन्तु कोई समुचित कार्यवाही उनके द्वारा नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ऋण के बकाये की वसूली तहसील के कर्मचारियों द्वारा करने हेतु लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार का मामला तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ के सभी ब्लाकों में है।

अतः हम शासन से मांग करते हैं कि तहसील लालगंज के समस्त हरिजनों एवं निर्बलों के विभिन्न योजनाओं में लिए हुए ऋण जो सन् 1979 से अब तक के हैं, पर छूट दिलाने की व्यवस्था करें जिससे गरीबों को ऋण से मुक्ति मिल सके।]

जिला वाराणसी की नगरपालिका भदोही के जल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जनपद वाराणसी के नगर पालिका भदोही में जो सीवर लाइन बनायी गयी है। उसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपया सरकार का खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक सीवर लाइन बनकर तयार नहीं हो पायी है। यो नहीं पहले भुगतान करा लिया गया है। मेन लाइन छोड़कर बाकी सभी जगह 6 इंच पाइप लाइन लगायी गयी है जबकि 18 इंच पाइप लाइन होनी चाहिए, भुगतान 18 इंच पाइप का किया गया है। जो लाईन जमीन के अन्दर डाली गयी है वह जाम है। मैन होल की जो चुनाई ईंट से नहीं कराई गई है। सोलिंग पत्थर से हुआ है भुगतान ईंट का हुआ है। पानी की मशीन खराब होने के कारण पानी पम्पिंग सेट से निकाला जा रहा है इस कारण सड़कों की हालत बहुत खराब है। यही हालत बिजली व्यवस्था की भी है।

अतः यह मामला अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है कृपया आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाय और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।]

जनपद आजमगढ़ में विद्युत आपूर्ति में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान कर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ में शहर के निकट ग्राम हाफिजपुर में 400 व 2200 के0वी0 का सब स्टेशन है। शहर व जनपद आजमगढ़ में बिजली कभी निर्धारित समय व काम के समय नहीं रहती। जिससे नागरिकों, दुकानदारों और विद्यार्थियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। किसानों को भी सही समय पर बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। के0वी0 स्टेशन आजमगढ़ से 400 व 220 बोल्टज बिजली की सप्लाई नहीं की जाती है। सुल्तानपुर जो सब स्टेशन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है वहां बिजली की सप्लाई दे दी जाती है। दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 को गोरखपुर मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी के मण्डलीय सम्मेलन में, मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था जिस पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को आजमगढ़ में बिजली सप्लाई करने का निर्देश दिया था। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे जनता के अन्दर काफी असन्तोष व क्रोध पैदा हो गया है।

नोटः—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि सरकार शहर व जिला आजमगढ़ में बिजली की सप्लाई पर प्राथमिकता देकर ग्राम हाफिजपुर जिला आजमगढ़ सब स्टेशन से बिजली सप्लाई की जाय।]

जिला मुरादाबाद की तहसील सम्भल के ब्लाक असमोली के विद्युत ट्रान्सफार्मर को ठीक करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[मान्यवर, मैं आपक माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद मुरादाबाद की तहसील सम्भल के विकास खण्ड असरोली के ग्राम ऐचोड़ा कम्बोह का विद्युत ट्रांसफार्मर लगभग 5 वर्षों से खराब है। हजारों किसान एवं नागरिक इससे प्रभावित हैं। चूंकि सिचाई का और कोई साधन नहीं है जिसके कारण किसानों की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। इस वर्ष भयंकर सूखे के कारण किसान के घर एक दाना नहीं जा सका इसलिए उनके बच्चे भुखमरी के शिकार हैं। अनेकों बार विद्युत विभाग में ट्रांसफार्मर बदलवाने की शिकायतें की गयीं लेकिन आज तक उनक अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे वहां के किसानों एवं नागरिकों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया ह।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त ट्रान्सफार्मर को ठीक कराया जाय तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।]

जिला फतेहपुर के वन विभाग द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकारी धन के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अति लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी क अन्तर्गत पान्डु नदी और गंगा नदी के किनारे बालू में फर्जी ढंग से गड्ढे खोदकर वन विभाग, फतेहपुर द्वारा फर्जी मस्टर रोल तैयार कराके सरकार का लाखों रुपया हड़पा जा है। यहां पर वन विभाग द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं। पहली ही बरसात में पानी भर जाता है और सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वन विभाग फतेहपुर द्वारा किये गये इस कार्य की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय। दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाय।]

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग में अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग तथा शासन द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

आज औचित्य के प्रश्न की कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं माननीय गुप्त जी, आपका जो औचित्य का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि जरा उस पर आप समय का ध्यान रखें। संक्षेप में कहें।

नोटः--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि इस सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। मैं सदन के माध्यम से शासन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि दिन प्रति दिन प्रशासकीय कार्यों में हिन्दी की जगह पर अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके लिये मैंने उदाहरण दिया है। हमारे विधान सभा सचिवालय में कोई ऐसा कागज सरकार की तरफ से अंग्रेजी में नहीं आना चाहिये। ऐशबाग प्रेस में जो सामग्री मुद्रित हुयी है उसका इनवाइस नोट अंग्रेजी में आता है। उसकी कापी अंग्रेजी में है। जब हमारे सदन की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है तो देवनागरी से भिन्न कोई कागज क्या हमारे यहां भेजा जा सकता है? एक बात। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बराबर अंग्रेजी को बढ़ा रही है। यह जो परिपत्र मैंने भेजा है यह 16/7/82 का छपा है। अगर यह बहुत पुराना होता तो समझ में आता। इस परिपत्र का ट्रांसलेशन हिंदी में अभी तक नहीं हो पाया है इससे बड़ी उपेक्षा की बात और क्या हो सकती है? सरकार हिन्दी को उचित स्थान नहीं दे रही है और अंग्रेजी की दखलंदाजी हर काम में हो रही है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा। आप सरकार की भर्त्सना करें और निर्देशित करें कि अंग्रेजी का बढ़ता हुआ प्रयोग बंद किया जाय और कम से कम इस सदन में किसी तरह का कागज जो हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि से भिन्न हो वह न आये।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का सारा कार्य राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में होता है। जिसके लिये माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने ध्यान आकर्षित किया है वह रसीद पहल की छपी है। इस वक्त अगर इसको खत्म कर दिया जाय, सूखा पड़ा हुआ है, नुकसान होगा। जो छपा हुआ है वह इस्तेमाल हुआ है। भविष्य में सब हिन्दी में छपेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

भविष्य में सब हिन्दी में छपना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हिन्दी सन् 47-50 में राजभाषा हो गयी थी। इस प्रपत्र को हिन्दी में रूपांतरित नहीं किया गया है। तो अब तक यह रुपांतरण क्यों नहीं हो पाया है? आप निर्देशित करें। सरकार क्या कार्यवाही करेगी, इसे नष्ट करेगी अर्थात् हिन्दी में रूपांतरित करके फार्म कब तक छापेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

भविष्य में इसका इस्तेमाल न करें।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, यहां अंग्रेजी की बात करते हैं। अपने घर में मम्मी, डैडी बुलवाते हैं। अम्मा, पिता जी, बुलवायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बहिन जी के तो बच्चे हैं नहीं। उधर के माननीय सदस्यों से कहें, हम लोग ठीक हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्नों की अन्य सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अगली सूचना माननीय काशीसिंह ऐरी तथा माननीय सूर्यप्रताप शाही की है। माननीय काशीसिंह ऐरी ने निर्वाचन अधिकारी के बारे में सूचना दी है। आपने निर्वाचन अधिकारी के संबंध में उठाया है कि निर्वाचन अधिकारी ने मीटिंग लगायी है। निर्वाचन अधिकारी के कार्य में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसका सवाल असेम्बली में नहीं उठाया जा सकता। वह सक्षम हैं मीटिंग बुलाने में। जिले का कलक्टर अगर मीटिंग बुलाता है तो नहीं बुलाना चाहिये, इसके निर्देश हो गये हैं। लेकिन निर्वाचन अधिकारी स्वायत्त शासी संस्था है। उसको मीटिंग बुलाने का अधिकार है उसको हम नहीं रोक सकते।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैंने नियम 300 में इसकी सूचना दी है। मुझे कल एक पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी का प्राप्त हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित मामला है, दोनों सूचनायें अस्वीकार की हैं, निर्वाचन अधिकारी के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

व्यवस्था का प्रश्न है

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, सदन में हम केवल औपचारिकता मात्र के लिये नहीं बैठे हैं। सरकार के जो निर्देश होते हैं उनका पालन होना चाहिये।

मान्यवर, इसी सदन में आपकी पीठ से यह निर्देश एक बार नहीं कई बार दिये गये हैं कि सदन के सत्र चलते हुए कोई महत्वपूर्ण बैठक नही होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

निर्वाचन अधिकारी को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आपसे मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह आप व्यवस्था दें कि आप और हम यहां पर केवल औपचारिकता निभाने के लिये बैठते हैं अथवा कोई कार्यवाही हो, इसलिये बैठते हैं? अगर निर्वाचन अधिकारी इस बैठक को बुलाते, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी, किन्तु इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इसी सदन में इसी सत्र में कई बार आपकी पीठ द्वारा निर्देश दिये गये हैं और शासन ने घोषणा की है कि सत्र चलते हुए जिले में कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं की जायगी। उसके बावजूद भी यह बैठक रखी गयी है और उसकी सूचना भी मुझे कल एक दिन पहले मिली है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी होता है, उसकी जिला मैजिस्ट्रेट की भी पोस्ट होती है। वह जिलाधिकारी जरूर है, लेकिन जब वह निर्वाचन अधिकारी का काम करेगा, तो वह निर्वाचन अधिकारी होता है, इसलिए उसको निदश नहीं दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, विधान सभा के अन्दर कोई कार्यवाही होती है और उसमें आप कोई निर्णय दें;..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, विधान सभा की कार्यवाही के बारे में हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। यह हमारी विधान सभा के पास सार्वभौम शक्ति है। अपनी कार्यवाही के बारे में वह स्वयं स्वतन्त्र है, निर्णय और आदेश कर सकती है। आप द्वारा दी गयी व्यवस्था के संदर्भ में या विधान सभा की कार्यवाही या उसके द्वारा दिये गये निर्णयों के संबंध में या उस पर सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य या कारवाई के संदर्भ में टिप्पणी करने का या भर्त्सना करने का कोई भी अधिकार किसी अन्य संस्था या बाहर के व्यक्ति को नहीं है। कल और परसों प्रदेश के वरिष्ठ आई0ए0स0 अधिकारियों ने राजस्व परिषद के सदस्य श्री आचार्य के सभापतित्व में बैठकर विधान सभाध्यक्ष द्वारा 7 और 8 मार्च को विधायकों से दुर्व्यवहार संबंधी प्रकरण की विशेषाधिकार समिति को अध्यक्ष द्वारा सुपुर्द करने के निर्णय की भर्त्सना किया जाना और उसकी निन्दा किया जाना क्या विधान सभा की अवमानना नहीं है? यदि है, तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष

अगर आप यह समझते हैं कि आपकी अवमानना हुई है, तो आप इसे अवमानना में ले आइय।

श्री सुर्य प्रताप शाही—

मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष जी ने 7 तारीख को एक व्यवस्था दी थी, आपकी पीठ से यह व्यवस्था दी गयी थी कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस व्यवस्था के रूप में अस्वीकार करते हुए मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप बैठिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर आप व्यवस्था नहीं देंगे, तो कौन व्यवस्था देगा?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्री माननीय शाही जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर आपको व्यवस्था तो कोई देनी ही होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं अस्वीकार कर रहा हूं, तो क्या व्यवस्था दूंगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप इस सदन के अधिकारों के संरक्षक हैं। आप मान्यवर, कृपया इस प्रश्न पर व्यवस्था दें। यह जो अवमानना हुई है, माननीय अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ, एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत हुई है। इस पर आपको कुछ व्यवस्था तो देनी ही होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

गुप्त जी यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, बाकी जहां आता होगा, वहां सुना जायेगा। आप नोटिस दीजिए, यह 300 में नहीं आता है।

(सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री सुर्य प्रताप शाही—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, [× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब किसी को नहीं बोलने दिया तो आपको क्यों बोलने दूं। आप लोग बैठें।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस सदन का संबंध है अपनी कार्यवाही का और ऐक्शन लेने का इसका पूरा अख्तियार और अधिकार इस सदन को है। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है, और जो माननीय शाही जी ने कहा उससे हर किसी हद तक सदस्य सहमत होगा। मान्यवर, प्रश्न यह है कि वहां क्या कहा गया। अखबारों में जो खबर है, अखबार की बात को लेकर कई बार इस पीठ से रूलिंग हो चुकी है कि सदन में चर्चा नहीं की जायेगी। क्या कहा गया है क्या चीज संज्ञान में आई है, न आपको पता है और न हमको पता है। जहां तक खबर मैंने पाई उसमें सदन की बात वहां पर नहीं लायी गयी, यदि है तो उसका संज्ञान हमें नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो निर्णय हुआ है, उसे आप अपने कक्ष में मंगवा कर देख लें उसके बाद माननीय शाही जी को बुला लें, निर्णय हो जायेगा। मान्यवर, अब जो सूचना इस वक्त उपलब्ध नहीं है, जो चीज हमारे संज्ञान में नहीं है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर किसी प्रकार औचित्य में लाना, या चर्चा में लाना या वक्तव्य में लाना उचित नहीं है। इसकी जानकारी करके आप कोई कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं लेकिन मेरा निवेदन स्वीकार कर लें। माननीय शाही जी ने बड़ा महत्वपूर्ण मामला उठाया उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पूरे तथ्य हमारे पास नहीं हैं उनकी बात में दम हो सकता है और इसलिए माननीय शाही जी की बात में भी दम है। इन्होंने जो बात कही है, जो विषय उठाया है यह विषय पेन्डिंग कर दें। मेरी बात सुन लें। (व्यवधान) इस समय इस सदन के हित में, प्रजातंत्र के हित में, संसदीय प्रणाली के हित में इस अध्यक्ष पीठ की

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मर्यादा को जीवित रखने के लिए यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पीठ की मर्यादा रहे, अध्यक्ष पीठ के निर्णयों के खिलाफ हम टिप्पणीनहीं करते हैं तो सदन के बाहर बैठा ऐसा कोई भी हैसियत का व्यक्ति नहीं हो सकता है जो आपके ऊपर आक्षेप करे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको स्थगित कर दें, कल हम लोगों की बात सुनकर इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आता है। (व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह सवाल प्रतिपक्ष का नहीं है मेरी प्रार्थना है कि इसे आप स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

शाही जी, आप बैठें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो भाव प्रकट किये हैं जो आपको यह सुझाव दिया गया कि आप अपने फैसले को इस समय रिजर्व कर लें और कल हम लोगों की बात सुनने के बाद अपना निर्णय लें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस पर हमारी और पूरे सदन की भावना है कि आप अपने फैसले को रिजर्व कर लें

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सुन ही नहीं रहा हूं। मैं फैसला दे चुका हूं। अब रिजर्व क्या करूंगा। मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने निर्णय दे दिया कि जो व्यवस्था शाही जी ने उठायी है....

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या आप डर रहे हैं। काहे से डर रहे हैं? किस बात से आप डर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं जो नियम से डर रहा हूं।

श्री राम शरण दास--

आप इस रूलिंग को कल के लिये रिजर्व कीजिये। यह जो व्यवस्था है, आप अपनी व्यवस्था कल दे दीजिये। यह बहुत ही गम्भीर व्यवस्था है। वैसे तो फिर कल ही हमें यहां से बेइज्जत करना शुरू कर देंगे। कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी बच नहीं पायेगा। कोई समझता है कि आई0ए0एस0 है तो वह बच नहीं पायेगा... (व्यवधान)... सरकार रहे या जाय, हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप हमारे विधायकों को बेइज्जत करवा रहे हैं। चौबीसों घंटे इनके हाथ रिश्वत में रंगे हैं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, समस्या कितनी विषम है, आप स्वयं जानते हैं। उस दिन रात को जब हम लोग आपके पास गये थे, आप स्वयं कितने परेशान थे। वह समस्या दिन ब दिन बढ़ती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों का इस तरह से व्यवहार हम लोगों के प्रति होने लगेगा तो इसमें कैसे सुधार किया जायगा। आप इसे स्वयं समझ लें। मान्यवर, यह मसला काफी गम्भीर मसला है। आप इस पर गम्भीर न हों, सोच समझ कर विचार कर लें, तब निर्णय दें, ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके। इसको आज सुलझाने की जरूरत नहीं है। यह इतना उलझ गया है कि और उलझाने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, क्या व्यवस्था है? आप पुनर्विचार कर रहे हैं, या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--

बैठ जाइये। आप सब जानते हैं, आप आराम से बैठिये। आप सब जानते हैं जो कि घटना उस दिन हुई, नेता विरोधी दल, मा0 सभी नेता, नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री सभी कह चुके हैं कि यह दुखद घटना हुई और जहां तक अधिकारी, कर्मचारी या विधायक की बात है, हम सब इस प्रदेश के लिये जिम्मेदार हैं और अधिकारी कर्मचारी यह कोई हमारे से अलग अंग नहीं है। किसी से कोई गलती होती है, उसके लिये... (व्यवधान)...पहले आप शिष्टाचार सीखिये। मुझे जब तक बोलना है, बोलूंगा। यह कोई तरीका नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप हल्ला मचाने लगे। आप भी इस विषय की गम्भीरता को महसूस करें कहीं कोई ऐसी बात न हो जाय, न कर्मचारी अलग हैं, न अधिकारी अलग हैं, हम सब हर बात के लिये जिम्मेदार हैं, जो घटना है, वह दुखद है। मा0 अध्यक्ष जी ने पूरे प्रकरण को आपकी विशेषाधिकार समिति को सौप दिया है... (व्यवधान)...ठीक है, मैं कहता हूं आज आप यहां पर उत्तेजित हैं, इसको आगे बढ़ायेंगे तो आगे क्या होगा? आप इस सदन में बैठे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, दूसरे लोग बाहर उत्तेजित हो रहे हैं, इससे उत्तेजना बढ़ती जा रही है। हमको इस उत्तेजना को समाप्त करने के लिये प्रयास करना चाहिये। अब रही बात, यह है कि जिस अखबार ने लिखा, अखबार की बात से कोई बात यहां उठायी नहीं जानी चाहिये। अब आप लोग बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं।

मामला विशेषाधिकार समिति को चला गया है, अध्यक्ष जी का निर्णय हो गया इसके आगे चर्चा का अवसर नहीं दूंगा, न चर्चा कराऊंगा, न किसी को सुनूंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी बैठें, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह गंभीर विषय है, इस पर सुन लें। मान्यवर, शाही जी की जो सूचना का आधार है, उन्होंने अपनी निजी जानकारी के आधार पर इस बात को यहां पर रखा है, किसी अखबार का सहारा नहीं लिया है। एक बैठक ई, उस बैठक में यहां के निर्णय पर टिप्पणी की गयी....

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शाही जी, क्या उस बैठक में थे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कभी किसी माननीय सदस्य से जानकारी का सूत्र नहीं मांगा जाता है। आपको उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मामला विशेषाधिकार समिति के पास चला गया, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए, दो बातें नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। मान्यवर, जो शाही जी ने सूचना दी है, संसदीय परम्परा है कि इस सदन में जो भी सदस्य कहते हैं, उस सदस्य की बात को सही माना जाता है। मान्यवर, आज तक संसदीय इतिहास में किसी पीठासीन अधिकारी ने सूत्र जानने का प्रयास नहीं किया। श्री शाही जी ने एक जानकारी दी वे स्वयं कह रहे हैं कि यह उनकी निजी जानकारी पर आधारित है। उस बैठक में किसी व्यक्ति ने इनको जानकारी दी, उस बैठक की बात इन्हें कैसे मालूम हुई ? वे इसे यहां कैसे बतायें ? आपको चेम्बर में जाकर अगर यह बताना चाहें, तो बता सकते हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी, सूत्र बताया मैं वह सूत्र बताकर अपने संसदीय अधिकार को सीमित नहीं करना चाहता हूं। यह मेरा अधिकार है। जो बात माननीय सदस्य सदन में कहते हैं, वह बात सही मानी जायेगी। शाही जी ने किसी समाचार पत्र का संदर्भ दिया, यह बात कहां से आ गयी ? यह उन्होंने अपनी निजी जानकारी के आधार पर बात रखी।

मान्यवर, इधर के लोग भी इस सवाल से जुड़े हुए हैं और उधर के लोग भी इस सवाल से जुड़े हुए हैं, यह सवाल पक्ष विपक्ष का नहीं है। यह बात हम सब लोगों के सामन एक प्रश्न चिन्ह के रूप में है, जो संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। हम सब चाहते हैं कि अध्यक्ष पीठ की गरिमा बनी रहे। आप के उस आसन पर रहते हुये, अगर हम लोगों के अधिकार सीमित हो गये, तो इससे बड़ा फिर संसदीय लोकतंत्र में दुर्भाग्य का दिन दूसरा नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि हम लोगों को विस्तार से सुन लें, कल निर्णय दें।

मान्यवर, किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार अध्यक्ष पीठ को है। अगर माननीय अध्यक्ष उस निर्णय को दे गये होते तो आप कहते कि अध्यक्ष के निर्णय को कैसे बदलूं। निर्णय आपने दिया है इसलिये इस पर आप पुनर्विचार कर लें। कल विस्तार के साथ इस पर बात हो जायेगी, इधर के माननीय सदस्य उसमें रुचि रखते हैं, उधर के माननीय सदस्य भी इसमें रुचि रखते हैं, इसमें विस्तार से बातें आ जायेंगी। मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर अभी कोई व्यवस्था न दें, पहले हम लोगों को विस्तार से सुन लें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उस व्यवस्था को बदलिये। आप अपनी व्यवस्था पर कायम रहिये लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि हम किसी प्रकार की उत्तेजना को बढ़ाना नहीं चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मेरा कहना है कि सदन की कार्यवाही के संबंध में अगर कोई फैसला बाहर हो जाता है और उस फैसले से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बात उचित नहीं है। अगर आप उत्तेजना को न बढ़ाना चाहें तो आपको इसके लिये कोई रास्ता खोजना होगा और अगर आपने इसके लिये कोई रास्ता नहीं खोजा तो यह उत्तेजना बढ़ेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अखबार के आधार पर कोई फैसला करें लेकिन यदि सचमुच में एनेक्सी में कोई ऐसी बैठक हुई है, और ऐसा फैसला लिया गया है, तो मान्यवर, जब यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौपा जा चुका है, इसलिये प्रदेश में वह लोग जो विधायिका के अधीनस्थ कार्यपालिका का काम करते हैं, वह बगावत करेंगे और विधान सभा की गरिमा के प्रतिकूल आचरण करेंगे, तो मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिये चिन्ता की बात हो जायेगी, कोई भी प्रदेश में काम नहीं हो पायेगा और सारे सचिवालय बन्द हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने यहां पर एक निर्णय लिया कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। अगर माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक से यह फैसला किया है और उसके खिलाफ वह लोग कोई मीटिंग करते हैं और भर्त्सना करते हैं तो मान्यवर, प्रदेश में ऐसा संकट उत्पन्न हो जायेगा जिसकी कल्पना करना बहुत दुश्वार हो जायेगा। माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी अपनी बात पर जो बल दे रहे हैं, उस निर्णय को यथावत् रखिये। लेकिन आप अपने कक्ष में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय शाही जी को बुला कर पूरी जानकारी कर लीजिये कि इसकी वास्तविकता क्या है और तथ्य क्या हैं? माननीय अध्यक्ष के फैसले के विरोध में यदि उस मीटिंग में कोई फैसला किया गया है तो यह बहुत गम्भीर बात है, तब तो इस पर जरूर बात होनी चाहिये।

(श्री भोपाल सिंह, श्री शारदा प्रताप तथा श्री सूर्य प्रताप शाही जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें। आप लोग जो सुनने को कह रहे हैं कि हमको भी सुन लीजिये, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शाही जी, आपके नेता खड़े हैं और मैं कल्यान सिंह जी को सुन रहा हूं, बाकी लोग बैठें।

*श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा यहां चल रही है, मैं उस पर कोई लम्बा चौड़ा भाषण देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। विधायकों के साथ अधिकारियों ने अथवा कर्मचारियों ने जो दुर्व्यवहार किया, उस प्रकरण को लेकर इस माननीय पीठ से एक निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। मेरा यह कहना है कि अध्यक्ष पीठ से किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौपने का निर्णय दिया जायगा और अगर ऐसी परम्परा चालू हो गई कि अध्यक्ष पीठ दिये गये निर्णय के विरुद्ध बाहर विभिन्न समुदाय या विभिन्न एसोसियेशन भर्त्सना का प्रस्ताव पारित करें, उसके खिलाफ कोई मीटिंग करें, तो मैं समझता हूं कि इस सदन का फिर कोई सम्मान नहीं रह जायेगा और न ही अध्यक्ष पीठ का कोई सम्मान रहेगा।

आज अगर इस बात को अनदेखा कर दिया जायेगा तो यह बहुत गलत परम्परा शुरू हो जायेगी। हम लोग यहां कुछ भी कहते रहेंगे, बाहर उसकी निन्दा होती रहेगी भर्त्सना होती रहेगी। मैं इसके विवरण में नहीं जाना चहता हूं। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की ऐसी घटना है और यदि इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया और अध्यक्ष पीठ से इसमें कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया गया तो मैं अपने मन की आशंका व्यक्त करता हूं कि इस अध्यक्ष पीठ की कीमत कम हो जायेगी और अध्यक्ष पीठ की गरिमा समाप्त हो जायगी। एक मामला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया गया अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके प्रति कुछ ज्यादती की गई है तो उसे वहां पर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और वह तर्क दे सकता है।

आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने अपनी मीटिंग में विशेषाधिकार समिति के निर्णय की भर्त्सना की है। मैं इसे दूसरी भाषा में कहूं कि आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने विधान सभा के निर्णय की अवहेलना की है और अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय को बदलवाने के लिए सड़कों पर आने का निर्णय कर लिया है। इस पर तो शासन को भी विचार करना चाहिये। शाही जी ने इस आदरणीय सदन में एक व्यक्तिगत जानकारी दी और मामले को यहां पर उठाया है। सूचना के सूत्र क्या हैं ? वह भी आपको वह बता देंगे, लेकिन आज इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा इस विधान सभा का व अध्यक्ष पीठ के निर्णयों का कोई मूल्य शेष नहीं रह जायगा। यह कोई विपक्ष का मामला नहीं है अपितु यह इस सारे सदन का मामला है। कोई भी एशोसिएशन हो चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो, यदि इस अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय की भर्त्सना करता है और उसकी आलोचना करता है तो इस पीठ की गरिमा गिर जायेगी, इसलिये इस मामले को इस रूप में लिया जाना चाहिये।

(श्री फ़जलुल बारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बारी जी, आप बैठ जायें। इस पर विचार होगा, अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अम्मार रिजवी—

विधान सभा के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनके अधिकारों को प्रजातन्त्र में कोई चुनौती नहीं दे सकता है और न ही अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय को कोई चुनोती दे सकता है, इसमें कोई दो-राय नहीं है। सब इससे सहमत हैं। प्रजातंत्र में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो प्रजातंत्र की जो प्रणाली है, वह पूरी तरह से सक्षम है, उस अवरोध को हटाने के लिये। जो मामला उठाया गया है, मैं समझता हूं कि उस पर यहां ज्यादा चर्चा करना मुनासिब नहीं है। माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने व अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई है, मैं उसका विरोध नहीं करता, अपितु किसी हद तक मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आप श्री शाही जी को और जिसे आप मुनासिब समझें, उन्हें आप अपने कमरे में बुला लें। मैं समझता हूं कि बेहतर तो यह होगा कि माननीय अध्यक्ष जी, नेताओं की जो बैठक बुलाने जा रहे हैं, उसमें इस मामले पर भी बात कर ली जाये कि क्या फ़ैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ और क्या टीका-टिप्पणी हुई।

माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो कहा कि इस सदन में माननीय सदस्य जो सूचना देता है, वह सही देता है, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हर सूचना माननीय सदस्य जो इस सदन को देते हैं, वह सही देते हैं, लेकिन रोज जब सूचना इधर से दी जाती है तो कहा जाता है कि सब झूठ है। इसलिये एक सूचना आई है, उसका परीक्षण जरूरी है। मान्यवर, आप इसे अपने कक्ष में बुलाकर देख लें और वहीं तय कर लें। मान्यवर, पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें ज्युडिशियरी, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर व प्रेस—ये चार स्तम्भ हैं। इन्हीं स्तम्भों पर सुपरस्ट्रक्चर खड़ा है। यदि इसमें से कोई भी स्तम्भ कमजोर होगा तो यह सुपर स्ट्रक्चर, यह डोम उससे प्रभावित होगा।

इसलिये मेरा आपके माध्यम से बहुत नम्रतापूर्वक सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि जज़बात की धारा में न बहें। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं; बहुत से ऐसे सत्य होते हैं जो

कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर उनका कहना झगड़ा पैदा कर दे तो उनको भी छिपाया जाता है। यह एक नीति है। आप पुराने ग्रंथों को देख लें, वेदों को देख लें, उसमें यही है कि जिस सत्य से झगड़ा बढ़े; उस पर खामोश हो जाना चाहिये। अगर ऐसी कोई बात है; तो उसे अपने कक्ष में बुलाकर सुन लें। क्या इस मामले पर कोई टीका-टिप्पणी अभी न करें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है, इसको कक्ष में सुनेंगे।

अभिभाषण के प्रति धन्यवाद के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री उपाध्यक्ष—

महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा था, उनकी तरफ से पत्र आया अध्यक्ष जी के नाम, मैं उसे पढ़ देता हूं—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपके पत्र संख्या 780/वि0स0/संसदीय/18(सं0)-87 दिनांक मार्च 9, 1988 के लिए धन्यवाद।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

(ह0) मोहम्मद उस्मान आरिफ़।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज कार्य स्थगन की कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री विजय सिंह राणा और श्री रघुबर दयाल वर्मा जी की आगरा जनपद में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने से उत्पन्न पानी के संकट के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री बदन सिंह की आगरा शहर में पेयजल समस्या के सबन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री राम सजीवन और श्री मित्रसेन की उत्तर प्रदेश के समस्त सीनियर बेसिक शिक्षकों द्वारा विधान भवन के सामने चलाये जा रहे धरने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री विशुन लाल और श्री अवनीश कुमार सिंह की बरेली जनपद में स्थित विमको फ़ैक्ट्री के मजदूरों द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर विकास प्राधिकरण व पुलिस द्वारा ग्राम पनकी भवसिंह, पनकी गंगागंज आदि गांवों के किसानों की खेती योग्य भूमि के कब्जे को लेकर संघर्ष के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की प्रदेश के सहकारी गन्ना समितियों द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य को अपने निजी खर्चे में लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

सातवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश में स्थापित दस मण्डलीय विकास निगमों को सरकार द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है ।

आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे पत्रकार उत्पीड़न के सम्बन्ध में है ।

नवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की वाराणसी में भूतपूर्व काशी नरेश द्वारा अपने पुत्र की शादी में किये गये फ़िजूलखर्ची के सम्बन्ध में है ।

दसवीं सूचना श्री राजकिशोर सिंह की वाराणसी जनपद में चकिया तहसील के जंगलों में आदिकाल से रहने वाली भूमिहीन जातियों के समक्ष रोटी की उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह और श्री मयंकर सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है ।

बारहवीं सूचना श्री गौरी शंकर भइया और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में सफेद पोश स्मगलरों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी के सम्बन्ध में है ।

तेरहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव श्री राकेश धर त्रिपाठी के इलाहाबाद जनपद में श्री हरीश विष्ट एडवोकेट हाईकोर्ट की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है ।

चौदहवीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री बलराम यादव की उन्नाव जेल में सत्याग्रहियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में है ।

पन्द्रहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फ़ैजाबाद में गन्ना किसानों को पर्ची मिलने में कठिनाई के सम्बन्ध में है ।

सोलहवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे की प्रदेश के समस्त जिलों के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में है ।

सत्रहवीं सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की प्रदेश के समस्त जिलों के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकरियों तथा कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में है ।

अठारहवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की जौनपुर जनपद के थाना मछलीशहर, गांव बारी में पुलिस की साजिश से हुई डकैती की रिपोर्ट को चोरी के रूप में लिखे जाने के सम्बन्ध में है । अब जो सूचनायें हैं उनमें आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि तीन बजट आज हैं दो-दो मिनट में आप अपनी बात को खतम करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, होली के त्योहार पर पूरे आगरा जिले में विद्युत आपूर्ति न होने से घोर संकट उत्पन्न हो गया । मान्यवर, देहात में प्रायः फ़ीडर पांच-सात दिन तक बन्द रहे । एक जगह तो दस दिन तक फ़ीडर बन्द रहा उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे जिले में संकट पैदा हो गया और पीने का पानी नहीं मिल सका । जब बिजली नहीं आयी तो 8–10 दिन तक लगातार कोई पानी की टंकी नहीं भरी और न पानी चल सका । वहां लोग एक-एक बूंद पानी के लिये तरस गये । अभी वहां बिचपुरी गांव में एक काश्तकार 6 महीने से लगातार इसलिये घूम रहा है कि उसे अपने यहां बिजली का केवल तार जुड़वाना है और वहां न बिजली जोड़ने का सामान है और न वहां बिजली के देख-रेख की कोई व्यवस्था है ।

पूरे आगरा में बिजली गायब ही नहीं रही बल्कि सबसे ज्यादा संकट पीने के पानी का रहा अकोला गांव में दस दिन तक पानी नहीं मिला, वहां का पानी खारी है, जब वहां लोग पानी के लिये तरस गये तो वहां के लोग 5 मार्च को सड़क पर निकल आये और आठ घंटे तक उन्होंने वहां का रास्ता जाम रखा। जब जिले की पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बिजली गायब है और न वहां बिजली का कोई कर्मचारी मौजूद है, न लाईन इंसपेक्टर है और न अवर अभियन्ता ही है। दूसरी जगह के बिजली कर्मचारियों को बुलाकर उन्होंने तब वहां बिजली की आपूर्ति करायी।

मान्यवर, वहां एक ताज विद्युत गृह है वहां तीन फ़ीडर हैं, बमरौली, कसरा, कुण्डौल, इटौरा फ़ीडर तीनों काम नहीं करते ह, सीटी फ़ूंक गयी हैं, किसानों की फ़सल खेतों में खड़ी-खड़ी सूख रही है, न कोई सुनवाई है और न वहां पर कोई सामान ही उपलब्ध है। जब इस बात के लिये वहां के चीफ़ इंजीनियर से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि सीटी दिलान का हमारा काम नहीं है, उसे दूसरा सेक्शन करता है। यह सारी समस्या जनता से सीधी जुड़ी हुई है और उसका कोई वहां सुनने वाला नहीं है। इसलिये मेरा आपसे निवदन है कि इस समस्या पर आप दो घण्टे की चर्चा सदन में करा दें जिससे हम पूरे आगरा जिले की बात को यहां पर रख सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, बस एक मिनट में ही समाप्त करियेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जनपद आगरा में ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत बिजली सारे के सारे समय गायब रहती है, बिजली की आपूर्ति इस प्रकार से है कि सारी ग्राम समूह पेयजल योजना ठप्प पड़ी हुई है और वहां के गांव एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं।

मान्यवर इसमें सवाल इस बात का है कि बिजली विभाग का कोई भी लाईन-मैन से लेकर अधिशासी अभियन्ता तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को देखने के लिये नहीं आता है, जब काफी समय तक कोई लाईन ठीक करने नहीं आता तब काश्तकार सब मिलकर कुछ पैसा दे देते हैं, तब जाकर कुछ काम होता है और जब बिजली नहीं होती तो पानी नहीं होता है, जिससे वहां की पेय जल की अव्यवस्था से सारे लोग प्यास मर रहे हैं, इसी कारण मैं आपसे निवदन कर रहा था कि इस पर यदि आप दो घंटे की चर्चा करा देते, जो बहुत ही लोक महत्व की है।

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर आज कल आगरा शहर में पेय-जल का बहुत संकट व्याप्त हो गया है। वर्तमान में वहां के नागरिकों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। इसके साथ दिल्ली, फरीदाबाद, ओखला उद्योग क्षेत्र, मथुरा साड़ी उद्योग, व रिफाइनरी की प्रदूषित सीवरों और रसायनिकों का अवशिष्ट ही नागरिक पी रहे हैं। कीठम झील द्वारा दी जाने वाली जल सम्पूर्ति विलोराईट्स से भरी पड़ी है। इस पेय-जल आपूर्ति से आगरा शहर में पीलिया, पेंचिस और खाज-खुजली के भंयकर रोग फैल रहे हैं। ऐसी दशा में पेय-जल के संकट के निराकरण तथा शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये जनता तरस रही है।

लेकिन अब शीघ्र व प्रभावकारी एक हल जो मेरे साथ जाने वाले आगरा नगर महापालिका के प्रशासनिक अधिकारियों के एक दल ने खोजकर निकला है वह यह है कि हरिद्वार से निकलने वाली गंगा नहर का पानी जो मान्ट ब्रांच में आता है और वही पानी पचावर स्थान से दाऊजी राजबहा के माध्यम से कैलाश के समीप जमुना नदी में डाल दिया जाय, इससे कम लागत और कम समय में आगरा नगर को पेयजल आपूर्ति करानें की कोई

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अन्य हल इस समय संभव नहीं है। इसके साथ-साथ बांध बनाने के लिये अभी सर्वेक्षण अनुसंधान में न मालूम कब तक यह मामला पड़ा रहेगा। इसलिये मान्यवर, जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा योजना बनाई गयी है, वह बहुत ही कम समय में और कम लागत में तैयार होकर वहां की जनता के लिये आसानी पैदा कर सकती है और जो उससे जनता में व्याप्त उत्कंठा व बेचैनी है, वह भी दूर हो सकेगी, इसलिये मान्यवर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर दो घंटे की चर्चा अवश्य कराएं।

(व्यवधान)

*डाक्टर कृणवीर सिंह कौशल—

श्रीमन् माननीय राणा जी और माननीय बदन सिंह जी ने जो समस्या आगरा जनपद की विशेष कर आगरा शहर की पयजल के बारे में जिक्र किया है। मैं भी अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, अब तो यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह कौन सा तरीका खोजा जाए जिस तरीके से वहां की व्याप्त इस समस्या को दूर किया जा सके और वह अब कौन सा तरीका है जिसके आधार पर मैं इस सदन में इस समस्या को रख सकूं?

(व्यवधान)

आज यह संकट है होली का त्योहार हुआ है। आपको सुनकर कष्ट होगा कि आगरा में होली खेलने के बाद लोगों को रंग छुड़ाने के लिये पानी मिलना मुश्किल हो गया है। आगरे की महिलायें, आगरे के बच्चे और नवजवान इस शासन को गालियां देते रहे और जनप्रतिनिधियों को गालियां देते रहे। इससे बड़ी और गम्भीर और क्या स्थिति हो सकती है? विधान सभा के अन्दर और बाहर लगातार इस तरह से इस समस्या को पेश किया गया है, मंत्री से कहा गया और मुख्य मंत्री जी से कहा गया और विधानसभा के अन्दर कहा गया, लेकिन आज तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। हम जन प्रतिनिधि हैं, अगर हम आगरे के लोगों को पीने का पानी नहीं पिला सकते हैं, तो हमारा यहां पर बैठना बेकार है, यहां पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीयकार्य मंत्री जी आगरे के सारे विधायकों को बुलावें, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलावे और नगर विकास विभाग के अधिकारियों को बुलावें और गर्मी के आने के पहले इस संकट को दूर करने का कोई उपाय निकालें। वहां पर पानी एक घन्टा सुबह आता है और एक घंटा शाम को आता है और वह भी इस गति से आता है कि आध घंटे में एक बाल्टी भर पाती है। तो मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री जी सभी को बुला लें और इसकी व्यवस्था कर लें कि पेय-जल का संकट गर्मी आने के पूर्व दूर हो जाये या दो घंटे की चर्चा इस पर करा दें

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, पीने के पानी के संकट के बारे में इससे पहले भी माननीय कौशल जी ने कई बार मुझसे कहा, 2-3 दिन पहले राणा जी भी इसी से सम्बन्धित प्रश्न उठाना चाहते थे, बदन सिंह ने आज बात की थी और निवेदन किया था, मैं उनकी भावना से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस समस्या का कोई न कोई समाधान होना चाहिये। मान्यवर, 14 तारीख को सारे सम्बन्धित अधिकारियों को और आगरे के जो अधिकारी हैं, उनको बुलाया जायगा और इस समस्या को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी हल किया जाय इस पर बैठकर विचार किया जायगा। जहां तक इस पर चर्चा का सवाल है, यह आपका अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस पर शासन तत्परता से कार्यवाही करेगा और किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और अगर उस से आप सन्तुष्ट न हों तो चाहे आप चर्चा करावें या वक्तव्य जो कुछ चाहें करावें मुझे आपत्ति नहीं होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सजीवन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सीनियर बेसिक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर विधान भवन के सामने धरना दी जा रही है। उनकी मांगें हजारों स्कूलों से सम्बन्धित और हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों और छात्रों के जीवन से सम्बन्धित हैं। उनकी मांगों पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करना चाहिये था और सरकार सिद्धान्त रूप से उनकी मांगों को मानती है और कहा है कि पूरी की जायगी लेकिन उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिये यह गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी और अस्थायी मान्यता देने, अनुदान सूची में लेने से सम्बन्धित प्रश्न पूरे प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है। आज तक वह धरने पर बैठे हुये हैं।

सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि जाकर न उनसे मिला और न उनकी कोई बात सुनी। सिद्धान्त रूप में सरकार सहमत हुई है। पूरे सदन में यह बात आ चुकी है। इस लिये मान्यवर, यह तात्कालिक महत्व का प्रश्न है। इस पर आप चर्चा कराइये जिस। सरकार का पक्ष भी सामने आ जाय और हम लोगों का, पूरे सदन का, पूरे प्रदेश की जनता का शिक्षकों का, कर्मचारियों का पक्ष भी यहां पर आ जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसलिये मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर चर्चा करा दें और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर बहस करा दें।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, बरेली महानगर में माचिस बनाने की एक विमको फैक्टरी है। उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। इस फैक्टरी के मालिकान ने वहां पर मजदूर विरोधी रवैया अपन लिया है। मान्यवर, इन मजदूरों की मांग यह थी कि होली से पहले उन्हें, बोनस दे दिया जाय। लेकिन उनको नहीं दिया गया। इसी के विरोध में वहां के मजदूर आन्दोलित हो गये और भूख हड़ताल पर बैठ गये। मान्यवर, वहीद अहमद नाम के मजदूर की हालत गम्भीर है। हड़ताली मजदूरों का कल शाम को पुलिस पकड़ कर ले गई। सारे श्रमिक आन्दोलित हो गये हैं और इससे सारी श्रमिक बस्तियों में एक आग सी भड़क गई है। मान्यवर, वहां की सारी फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। इस श्रमिक विरोधी रवैये से मजदूरों में रोष व्याप्त हो गया है उनकी यह एक छोटी सी मांग थी कि होली से पहले उनको बोनस दे दिया जाय। इस सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ उनकी जो बैठकें हुई उसमें मजदूरों की कोई मांग नहीं मानी गई जिससे बरेली की पूरी श्रमिक बस्ती में आक्रोश फैला हुआ है। यदि सरकार मजदूरों की इस मांग को नहीं मानती है तो वहां पर कोई विस्फोटक घटना हो सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन की कार्यवाही रोककर आप चर्चा कर दें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप सब बैठ जांय।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, दो मिनट मेरी बात सुन लें....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान के मध्य)

अब मैं निर्णय दे रहा हूं। पहली सूचना श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा की है इसे चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं। इसी में श्री बदन सिंह की सूचना भी शामिल कर दी गई है। तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री राम सजीवन तथा श्री मित्रसेन यादव की है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। चौथी डाक्टर दिनेश जौहरी तथा तीन अन्य लोगों की है, को भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। श्री माता प्रसाद पांण्डेय की छठी सूचना तथा श्री पारसनाथ यादव की 18वीं सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।.....

(श्री शारदानन्द अंचल के कुछ बोलते रहने पर)

अब आगे नहीं सुना जायेगा। सभी सूचनाओं को नहीं सुना जा सकता। बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकृत करता हूं। ..... (व्यवधान) बाजपेयी जी, बैठ जांये। अंचल जी, बैठ जायें। अब मैं किसी को नहीं सुन रहा हूं।

श्री शारदा नन्दन अंचल--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

अंचल जी जो, बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायगा। आप बोलते रहिये.....

(व्यवधान)

मद संख्या-9, माननीय वन मंत्री..... (व्यवधान)

(श्री शारदा नन्द अंचल के सदन के वेल में आकर डायस की तरफ बढ़ते हुये)

श्री शारदा नन्द अंचल-

पुलिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अंचल जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह आपका आचरण ठीक नहीं है। कड़ा कदम उठाना पड़ेगा।.....

(व्यवधान)

(श्री शारदा नन्द अंचल सदस्यों के प्रयास से वापस अपने स्थान पर चले गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 53-वन विभाग

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 75,58,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

नोटः--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसे काम नहीं चलेगा बाजपेयी जी, आप बैठिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां---

आपने माननीय मंत्री जी को बजट पेश करने के लिये कह दिया और इधर से माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। दोनों बोल रहे हैं इस तरह से तो न इधर की बात सुनी जा रही है और न उधर की बात सुनी जा रही है। इसलिये अच्छा होगा कि एक-एक मिनट सब को सुन लीजिये ।

श्री शारदानन्द अंचल---

इस तरह से [× × ×] समय नष्ट कर रहे हैं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका मैं अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं । मैं बाकी को अस्वीकार कर चुका हूं । बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं ? (व्यवधान) माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, मैंने आपका जो मामला था उसमें शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है ।

श्री पारसनाथ यादव---

मान्यवर, हमारे मामले को सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें मैं ध्यान आकर्षित कर चुका हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कई रोज से यह परिपाटी चली आ रही है कि नियम 56 में जो सूचनायें आती हैं उसमें किसी एक सदस्य को सुना जाता रहा है। 15-20 रोज से यह परिपाटी चली आ रही है एक-एक सदस्य को सुन लिया जाता है। आपको इसकी इतला नहीं है क्योंकि आप इस पीरियड में यहां पर नहीं आये हैं। हमारे पास नियम 56 के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें हम अपनी समस्याओं को हाई लाइट कर सकते हैं। माननीय अंचल जी जिस बात को उठा रहे हैं उसकी वजह से पिछले तीन दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई उसी कांड में 30 नौजवान पढ़े लिखे ग्रेजुवेट, एडवोकेट उन्नाव जेल में बंद हैं। अगर दो मिनट उनको सुन लेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बल्कि समस्या का निदान हो जायेगा, उससे बहुत सी बातें सामने आ जायेंगी ।

नोट:-- [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

इतना महत्वपूर्ण समझते हैं तो कल दे दीजिये ।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

मान्यवर, यह जो मैंने दिया है इलाहाबाद का बहुत महत्वपूर्ण मामला है । वहां पर कचहरी बंद है, लोगों की हत्यायें हो रही हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष---

कह दिया है वक्तव्य हो जायेगा । अब आप बैठें वक्तव्य करा दिया है ।

श्री अशोक बाजपेयी---

मान्यवर, प्रदेश के 10 मंडलीय विकास निगमों को सरकार ने बंद करने का एक तरफ़ा निर्णय ले लिया है जिसमें 12 करोड़ की पूंजी लगी हुई है और 11 सौ कर्मचारी बेकार हो रहे हैं । यह अत्यन्त गंभीर विषय है.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

गंभीर है तो फ़िर दे दीजियेगा । मैं फ़िर रि-ओपन नहीं करूंगा ।

श्री अशोक बाजपेयी---

वक्तव्य देने के लिये निर्देश दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं, मैं अस्वीकार कर चुका हूं । (व्यवधान) मनोहर लाल जी, मैं अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन एक परम्परा चली आ रही है उसमें एक मिनट सुनने का मौका दिया जाता है.....

मान्यवर, मैंने एक सूचना कल और एक सूचना आज भी दी है, उस पर सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अस्वीकार कर चुका हूं, इसलिये अब आपको सूचना पर नहीं सुनेंगे । आप बैठ जांय ।

*श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका जब नाम पुकारा गया तो आप अनुपस्थित थे, इसलिये अब आपको मैं आज्ञा नहीं देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग की अनुदानों को इस आदरणीय सदन में पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

मान्यवर, वनों से हमारे देश और प्रदेश की जनता को जो लाभ पहुंचता है उसको माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिये उसके महत्व पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकन आज आवश्यकता है कि हम पर्यावरण का संतुलन बनाये रखें, आवश्यकता है बाढ़ और सूखे को हम समाप्त करें या उसके संतुलन को बनाये रखें जिससे प्रदेश बाढ़ और सूखे से सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त जो उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको भी ठीक रखने की आवश्यकता है और उसके लिये भी काम करने की आवश्यकता है। आज वनों की हमारे देश और प्रदेश में बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मान्यवर, 1952 में भारत सरकार ने एक वन नीति बनाई थी और उसमें यह कहा गया था कि देश का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 1/3 में वन होने चाहिये और उसी के संदर्भ में हमारे प्रदेश में जो स्थिति है वह 17.4 प्रतिशत है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितना वन हमारे प्रदेश में है इससे दुगुने वन की और अभी आवश्यकता है जिसका वनीकरण करने की आवश्यकता है। प्रदेश में जो भारत सरकार की नीति 1952 में बनी थी उसके मुताबिक हमारे प्रदेश में वन हो सकेंगे। अभी तो हमने बताया है कि 17.4 प्रतिशत वन क्षेत्र है वैसे प्रदेश के हिसाब से जो इस समय वनों का प्रतिशत है मैदानी क्षेत्र में 7 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्र में 67 प्रतिशत वन भूमि है जिसमें से वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र 41 प्रतिशत वन हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग हो और जनता का सहयोग हो तो यह जो कमी है जंगलों की वह वृक्षारोपण से पूरी की जा सकती है।

अब वन विभाग का मुख्य कार्य वृक्षारोपण का हो गया है। पहले 1980 तक हम समझते थे कि इससे आय हो सरकार के खजाने में भी रुपया आये उसके मुताबिक हम समझते हैं कि आज हमारा सारा कार्य वृक्षारोपण की तरफ होना चाहिए जिससे कि हम प्रदेश में जो वनों की कमी है, उस कमी को पूरा करने में कुछ मदद कर सकें। सन् 80 से, जैसा मैंने पहले कहा हम आय की दृष्टि से वनों को देखते थे, लेकिन बाद में हमारे सोचने-समझने और विचार करने के तरीके बदल गये हैं और परिस्थितियों ने हमारे विचारों को बदला है कि हम अब वनों की वृद्धि के लिए काम करें। 80 से 85 तक औसतन 46 हजार हैक्टेयर भूमि में वनीकरण हुआ है, किन्तु 88–89 में 1 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण का हमारा प्रस्ताव है। यह वन विभाग ने तय किया है। 1930–31 से 1987–88 तक 11 लाख 51 हजार हेक्टर में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से 8 लाख 24 हजार हेक्टेयर में तो वन क्षेत्र में यह वनीकरण हुआ है, वृक्षारोपण हुआ है और 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर जो अन्य क्षेत्र था उनमें वनीकरण का कार्य हुआ है। जैसे रेलवे लाइन के किनारे भी वृक्षारोपण हुआ है, नहरों की पटरियों के बाहर भी वृक्षारोपण हुआ है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हुआ है और ग्राम समाज की भूमि खाली पड़ी है, उसमें भी वृक्षारोपण का कार्य अब हम करा रहे हैं। इस तरह हमने यह कार्यक्रम बनाया है।

अब हमने वन फारेस्ट्री का कार्य शुरू किया है किसानों को इसके लिए प्रेरित किया गया है वह इसमें सहयोग करें। पिछले वर्ष 87–88 में कुल 32 करोड़ पौधे वितरित करने का लक्ष्य था, किन्तु सूखे की भयंकर स्थिति के कारण वह पूरा नहीं हो सका है और हम सिर्फ 24 करोड़ 54 लाख तक पौधे वितरित कर सके हैं। अब सूखे की स्थिति में कितने जीवित हैं, कितने मर गये हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता है फिर भी वन विभाग ने इस बात की कोशिश की है कि अधिक से अधिक जीवित रहें और वृक्षों के रूप में विकसित हों।

हमारे गांवों में जलाने की लकड़ी और चारे की बहुत कमी है। अभी जो सूखा हुआ है। सूखे की वजह से बहुत सारे जिलों से यह मांग आई कि उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए। इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम समाज की भूमि में और जो ऊसर भूमि है, उसमें ऐसी प्रजातिके पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि जलाने की लकड़ी मिल सके और पशुओं केचारे के लिए घास मिल सके। इसको लेकर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अगले साल 39 लाख 50हजार पौधे हम वितरित करेंगे। इन पौधों को वितरित करके हम समझते हैं कि हमारे किसान, स्कूली छात्र, हमारे महिला मंगल और युवक मंगल दल के लोग भी इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे, जिससे हम वनीकरण के कार्य में सहायक हो सकें। अब जरूरत यह है कि हम अब इसको एक आन्दोलन का रूप दे दें, जिससे कि प्रदेश में जो जंगलों की कमी है, उसको पूरा कर सकें और इसके लिए जन प्रतिनिधियों का सहयोग भी अपेक्षित है और जो बहुत सारी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनकी दिलचस्पी हो।

हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वह इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, 1985 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आवाहन किया था कि जो भूमि बेकार पड़ी हुई है, अनुत्पादक है, उसे हरा-भरा किया जाए यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम को चलाने में भी पहल की। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में समितियां गठित की जा चुकी हैं। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वह इस काम में सहयोग करें और इस कार्य को आगे बढ़ायें, जिससे वृक्षारोपण का कार्य सफलतापूर्वक हो सके।

मान्यवर, 1986–87 में वन विभाग के अधीन एक सेल का गठन किया गया है यह वेस्टलैण्ड सेल है। मान्यवर, परती भूमि जो है, परती भूमि पर वृहद वृक्षारोपण को जन-आन्दोलन का रूप देना होगा। इसके लिए हमने कई कार्यक्रम चलाए हैं। किसान नर्सरी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। किसान हमारे प्रदेश में नर्सरियां लगाते हैं, लेकिन जो नर्सरी लगाने वाले किसान हैं वह वन विभाग से अनुबन्ध कर लेते हैं, तो उनके जो पौधे बच जायेंगे निश्चित मात्रा में वन विभाग उनको खरीद लेगा। इस तरह से हमने किसानों को प्रोत्साहित किया है। जो किसान अनुबन्ध करते हैं उनके पौधे यदि बच जाते हैं तो निश्चित मात्रा में वन विभाग उसको ले लेगा। ऐसा निर्णय हमने लिया है इसकी गारण्टी भी दी गई है। ग्राम्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रत्येक उगाई गई पौध के विरुद्ध 10 पैसा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, जिसका आधा अंश नगद तथा आधा खाद्यान्न के रूप में होता है। वर्ष 1984–85 तक जहां किसानों द्वारा इस प्रकार की एक भी नर्सरी नहीं लगाई गई थी वहां वर्ष 1987–88 के अन्त में पूरे प्रदेश में एक हजार नौ-सौ पैंतीस किसान पौधशालायें स्थापित हो गई हैं, जिससे सात करोड़ 64 लाख पौध तैयार हुए।

मान्यवर, स्कूल नर्सरी के बारे में बताना चाहूंगा। स्कूल नर्सरी को हमने स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया है जो बच्चे इन नर्सरियों की पौधशालाओं को चलाते हैं उनके लिए आवश्यक बीज, रसायनिक खाद, कीटनाशक दवा,यें सिंचाई के लिए हैण्ड-पम्प आदि की व्यवस्था की जाती है, इसका उन्हें पैसा भी दिया जाता है यह 45 पैसे प्रति पौधे के हिसाब से दिया जाता है। इसमें वह कीमत काट ली जाती है जो कीमत उनको सामान देने में लगती है। इस तरह से उनको 20 से 25 पैसे प्रति पौधे मिल जाते हैं जिससे बच्चे अपने लिए किताबें खरीद सकते हैं व दोपहर का नाश्ता कर सकते हैं इस तरह से उनको सुविधा दी गई है। यह कार्यक्रम भी काफी अच्छा चल रहा है। मान्यवर,

1984–85 तक जहां-जहां 86 पौधालय थे वहीं 1987–88 में इनकी संख्या बढ़ कर 3,433 हो गई है तथा 2 करोड़ 79 लाख पौधे तैयार हुए है।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 30 दिसम्बर, 1985 के शासनादेश द्वारा ग्राम समाज की भूमि में से लाभार्थियों और गरीब हरिजनों आदि व्यक्तियों को 2 एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से ईधन व चारे की प्रजाति के पेड़ों को लगाने की अनुमति दी गयी, साथ ही उन्हें 3 साल तक वित्तीय सहायता देने तथा 2 साल तक पेड़ों की देखरेख करने के बाद इनका पट्टा भी लगाने वाले व्यक्ति के नाम करने के निर्देश दिये गये हैं। लाभार्थी परिवार में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के होंगे और 30 प्रतिशत पट्टे महिलाओं को दिये जायेंगे। इसके अन्तर्गत 59,410 लाभार्थियों को पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफ़रान जाहिदी पीठासीन हुए।)

वृक्षारोपण में अभिरुचि पैदा करने के लिये लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह प्रशिक्षण कृषकों को स्कूली बच्चों तथा कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। 1985–86 से अब तक 2,45,550 कृषकों, 26454 कर्मचारियों तथा 22 हजार छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है कि वह किस तरह से पौधों को लगाकर उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रदेश में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं तथा युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि को भी सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इससे इस आन्दोलन को बल मिलेगा। वृक्षारोपण को जन आन्दोलन का रूप देने में इससे काफ़ी सहायता हमको मिलेगी। मान्यवर प्रदेश में 1986–87 तक 4 नेशनल पार्क तथा 16 पशु बिहार थे। इस वर्ष 1987–88 मे 2 नयें पशु बिहारों की स्थापना की जा चुकी है। गोरखपुर में सोहागी बरवा पशु बिहार तथा रायबरेली जनपद में समसपुर पक्षी बिहार की स्थापना की जा चुकी है।

मान्यवर, भारत सरकार का प्रस्ताव है कि देश के 13 क्षेत्रों में जिनमें विशेष प्रकार के वनस्पति व जंगली जानवर हैं, उनमें वनस्पति व जानवरों की अक्षुणता बनाये रखने के लिये बायोस्फ़ीयर रिजर्व घोषित किया जाय। इन 13 में 2 हमारे प्रदेश में आते हैं इनको बायोस्फ़ीयर रिजर्व घोषित किया जाना है। एक तो नन्दा देवी बायोस्फ़ीयर रिजर्व जो चमोली तथा अल्मोड़ा जिले में स्थापित होना था जिसे भारत सरकार द्वारा इस वर्ष स्थापित किया जा चुका है। दूसरा उत्तराखण्ड रिजर्व जो चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी जनपदों में होगा जिसका क्षेत्रफ़ल 3941 वर्ग कि0मी0 है।

मान्यवर, देहरादून के पास के क्षेत्र में 3 सेन्चुरीज, राजाजी, चीला तथा मोतीचूर को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की जा रही है। हमारा प्रयास है कि पार्क की औपचारिक घोषणा करने से पहले वहां के रहने वाले 542 गूजर परिवारों के बाहर रहने का इंतजाम हो जाय। इसके लिये सहारनपुर के पथरी ब्लाक में 200 एकड़ जमीन पर लगभग 3 करोड़ रुपयों की लागत से एक कालोनी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से बनवायी जा रही है। गूजर लोग घूमते रहते हैं। जाड़ों में यह मैदानी क्षेत्र में और गर्मियों में यह पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं अपनी भैंसों को लेकर। अगर वह एरिया नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया तो फ़िर यह वहां पर भैंसों को लेकर नहीं जा सकेंगे इसलिये इनके आवास की व्यवस्था इनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री सरदार सिंह—

हुकुम सिंह जी भी उन्हीं परिवारों में से हैं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जी हां, मैं उसी (विपक्ष की तरफ़ इशारा करते हुए) परिवार में से हूं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, गंगा नदी में जैविक पदार्थों से होने वाल प्रदूषण को दूर करने के लिये हमने मांसाहारी कछुओं की ब्रीडिंग तथा उनको नदियों में छोड़ने की योजना 1986-87 से शुरू की है । यह भारत सरकार, गंगा प्रोजेक्ट निदेशालय की सहायता से चलायी जा रही है । इसमें अभी वाराणसी तथा कुकरैल म ब्रीडिंग सेन्टर खोले गये हैं । नदियों में यह कछुये छोड़े जायेंगे जिससे प्रदूषण को यह खत्म करेंगे ।

मान्यवर, गोरखपुर में रामगढ़ ताल क्षेत्र के विकास तथा रायबरेली में सई नदी के किनारे एक वनस्पति उद्यान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है । रायबरेली का बाटनिकल गाडन वन विभागद्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला उद्यान होगा जिसका क्षेत्रफ़ल 52.19 हेक्टेयर प्रस्तावित है । मान्यवर, कार्बेट पार्क में माननीय सदस्य गये होंगे या न गये हों तो वह वहां जरूर जायं । कारबेट पार्क टाइगर रिजर्व की भांति दुधवा नेशनल पार्क को भी भारत सरकार द्वारा किशनपुर पशु बिहार को सम्मिलित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया । इस तरह से एक कठिनाई जरूर है और वह यह कठिनाई है, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों के मेरे साथी विधायक भी जानते हैं कि शेरों को संरक्षण मिलने से उनकी संख्या में बड़ी वृद्धि हुई । जंगल में जो दूसरे जानवर थे हिरन आदि उनकी तादाद, काफ़ी घटी है क्योंकि यह शेरों का भोजन हो जाते हैं । इसी कारण मनईटरों की संख्या बढ़ी है और खासकर पहाड़ों में ।

पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्यों के साथ सरकार भी इससे चिंतित है । लेकिन भारत सरकार की गाइड लाइन्स हैं कि इन जानवरों को कब मैनईटर घोषित किया जाय । इस बारे में यह भी निदश है कि केवल प्रशिक्षित फ़ारेस्ट आफ़िसर ही नरभक्षी घोषित शेर या पैंथर का शिकार करेंगे । जो गाइड लाइन्स हैं उसमें है कि जब भी कहीं मनुष्यों को मारने की घटनायें होती हैं तो जानवर को मैनईटर घोषित करने हेतु शीघ्र जांच पड़ताल कर निर्णय लिया जाता है । पहाड़ प्रत्येक डी0एफ0ओ0 को पिंजड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं ताकि वे पहले जानवर को पकड़ने का प्रयास कर लें और इसमें देरी न हो । मनईटर घोषित जानवरों को मारन क लिये फ़ारेस्ट आफ़िसर आगे आयें इसके लिये उनको 1000 से 5000 रुपये तक ईनाम की योजना स्वीकृत की गयी है । मारे गये व्यक्ति को मुआवजा शीघ्र स्वीकृत करने का अधिकार चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन के साथ-साथ वाइल्ड लाइफ के उचित स्तर के स्थानीय अधिकारियों को सौप दिया गया है । प्रदेश में दो प्राणि उद्यान लखनऊ तथा कानपुर नगरों में स्थित हैं । लखनऊ प्राणि उद्यान के विकास हेतु वर्ष के दौरान दो नये नलकूपों की बोरिंग की गयी और पुराने नलकूप का जीर्णोद्धार किया गया तथा प्राणि उद्यान की पूर्वी सीमा की दीवार का निर्माण किया गया । स्थल के सुन्दरीकरण हेतु रिक्त भूमि में वृक्षारोपण किया गया । दर्शकों के आकर्षण को बढ़ाने हेतु काला तेंदुआ तथा चिपान्जी को प्राणि उद्यान में लाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में रखिये ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से सड़कों और नहरों तथा दूसरे सार्वजनिक कामों के लिये वन भूमि मिलना बगैर भारत सरकार के सम्भव नहीं है । पर्वतीय क्षेत्र में 245 मामले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लम्बित हैं जिनमें से भारत सरकार में विचाराधीन 9 हैं; राज्य सरकार के विचाराधीन 11 हैं, नोडल अधिकारी के विचाराधीन 12 हैं, सार्वजनिक नि णि विभाग स्तर पर लम्बित 213 मामले हैं। माननीय सदस्य इस बात को नोट कर लें कि पेयजल से सम्बन्धित 47 मामले लम्बित हैं जिनमें से भारत सरकार के विचाराधीन 6 हैं, राज्य सरकार के विचाराधीन 13 हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम स्तर पर लम्बित 28 हैं। पर्वतीय क्षेत्र के 153 सड़क निर्माण के मामले तथा 58 पेयजल योजनाओं के मामले भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत किय जा चके हैं। मान्यवर, यह कुछ बातें थीं जिनको मैंने माननीय सदस्यों के सामने इस आदरणीय सदन में रख दी है। मुझे उम्मीद है कि वन विभाग के इस अनुदान को बिना कटौती के माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 53-वन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, का प्रस्ताव रखता हूं। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग का महत्व किसी से छिपा नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि हमारे मंत्री जी जो इस सदन क सबसे पुराने और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हमारे पहाड़ से ही सम्बन्ध रखते हैं जहां वनों की बहुतायत है, व्यापक वन हैं, उनके बारे में उन्हें कुछ मूल बात कहनी चाहिये थी, आज देश और प्रदेश के सामने एक जो बहुत भारी सकट है उसके बारे में कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जिससे हमारे आगे आने वाली नस्लें, हमारे आगे आने वाली सभ्यता और जो हम दावा कर रहे हैं 21वीं सदी में जाने का उसके स्वप्न साकार हो सके। मान्यवर, मुझे कहना है कि माननीय मंत्री जी ने वही चीजें पढ़ दी है जो इनके अधिकारियों ने इनको दी है इससे मुझे दुख हुआ है। मैंने बड़ी शान्ति से, धैर्य से मंत्री जी का भाषण सुना और नोट भी किया। इन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बात नहीं कही जिस से लोग कुछ आशा कर सकें।

मान्यवर, जो हमारी राष्ट्रीय नीति 1952 में बनी वनों के सम्बन्ध में, इसके अनुसार 33.3 प्रतिशत वनों का होना आवश्क है। मैंने पिछले 20-25 सालों के बजट भाषण माननीय मंत्रियों के देखे। हर मंत्री हर साल एक ही बात कह रहा है कि 17 प्रतिशत वन हमारे प्रदेश में है। हम करोड़ों रुपये इस पर व्यय कर रहे हैं लेकिन इनमें कोई आज कम बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। गत वर्ष जफर अली नकवी साहब ने भाषण किया और इस तरफ के लोग बहिष्कार कर गये। इन्होंने नशनल रिमोट सेंसिग एजेंसी है एन0 आर0 एस0 ए0 हैदराबाद इसके आधार पर इन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में मात्र 11 प्रतिशत ही बन हैं। मान्यवर, यह गम्भीर बात है वनों से वर्षा होती है, वनों से हमारे जमीन के अन्दर का पानी है, वही ठीक रहता है इसका संतुलन रहता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। वनों में वन्य और जंगली जो जानवर हैं इनसे जो इक्वालोजिकल बैलेंस है वह बरकरार रहता है और जो मुख्य जीवन के लिये जो सबसे अच्छी वायु है उसका सेवन हम वनों के माध्यम से कर सकते हैं।

आज प्रदूषण की समस्या देश के सामने है। आजादी के 40 वर्षों में जिस तरह से बेरहमी से वनों का कटाना प्रदेश के अन्दर हुआ है वह आपके और हमारे सामने है। दिन प्रतिदिन अधिकारियों के सहारे से और प्रभावशाली लोगों के सहारे से अन्धाधुन्ध वनों का कटान हो रहा है। इससे जंगली जानवरों और हमारा आपका सबका अस्तित्व खतरे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गया है । मान्यवर प्राणि विज्ञान के जानकारों का कहना है कि बहुत सी प्रजातियां, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा हिरन, एक प्रकार का टाइगर, एक प्रकार का बहुत सुन्दर कबूतर और अनेक प्रजातियां वन्य जीवन की समाप्त हो चुकी हैं । उनको अब पैदा नहीं किया जा सकत यह क्रम जारी है। इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वह वनों के मामले को गम्भीरता से ले। मान्यवर, हमारे शास्त्रों में कलियुग के बाद प्रलय की संभावना की गयी है कि प्रलय होगा और दुनिया समाप्त हो जायगी । मान्यवर, विद्वानों का कहना है कि वनों की कटान से कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और आक्सीजन कम होती जा रही है, लगातार सूखा पड़ रहा है और यह जो दुनिया है इसका तापक्रम (टैम्परेचर) बढ़ता जा रहा है । इसी प्रकार वनों का कटान जारी रहा तो ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है, वह पिघलेगी और सारा पानी इस भू-मण्डल में आएगा और सारा भू-भाग डूब जायगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर समय रहते विचार नहीं किया गया तो परिणाम गम्भीर होंगे ।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने पिछले सालों के आंकड़े दिये और मैं उनके अधिकारियों को इस बात के लिये कहता हूं, इन्होंने मान लिया कि गत वर्ष लक्ष्य पूरे नहीं कर सके, सूखे के कारण, लेकिन मान्यवर, सदी का सबसे बड़ा सूखा इस साल पड़ा और 6 महीने के अन्दर 1987–88 में जो हमको सूचना की डायरी मिली है, मैंने उसे पढ़ा है, सितम्बर, 1987 तक इनके अधिकारियों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जो 52.26 प्रतिशत है । मान्यवर, सूखा है, पानी है नहीं, डी0 आर0 डी0 ए0 और 20 सूत्री की मीटिंग में फण्ड में कटौती की गयी है । केन्द्र सरकार के निर्देश हैं वन विभाग के लिये कि इतना बजट होना चाहिये, वर्षा हुई नहीं है । कोई वन नहीं लगाया जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अधिकारियों ने जो लक्ष्य सितंबर, 87 में प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त कर लिया । इस छोटी सी पुस्तिका में लिखा है कि जनवरी के अन्त तक 41 लाख करीब पेड़ लगाये गये । पूरा लक्ष्य 50 लाख का था । कुल 41 लाख लगा दिये गये, बाकी फरवरी मार्च में पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । मार्च में इनको इतना अच्छा मौसम मिल जाता है । हमारी शस्य श्यामला उर्वरा भूमि पर पेड़ भले ही न लगें, लेकिन अधिकारियों के कागजों पर तमाम पेड़ लग जाते हैं । चाहे परती जमीन हो, सूखी जमीन हो, कैसी भी जमीन हो, वर्षा हो या न हो, लेकिन अधिकारियों की कलमों से पूरी की पूरी फाइलें बजट निगल जाती है, यह अफसोस की बात है ।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आप ध्यान दें और जो कागज पर तरक्की दिखाई जा रही है, हमने हिन्दुस्तान में नम्बर-1 प्राप्त कर लिया है, लेकिन जमीन पर आधे पेड़ भी दिखाई दें, आश्चर्य है । किसी भी जिले में चले जाएं, आप अपने जिले में चले चलिये, मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आप केवल प्रगति दिखा देते हैं कि इतने पेड़ लगा दिये, इस वर्ष । लेकिन मान्यवर, यह कहीं नहीं दिखाया गया पूरी प्रगति पुस्तिका में कहीं यह नहीं दिया गया, मैंने पूरा लिटरेचर अच्छी तरह से पढ़ा, कि कितने पेड़ जिन्दा हैं या सन् 75 में हमारा यह लक्ष्य था, वनों का प्रतिशत इतना था और सन् 88 में बढ़कर इतना हो गया । आज भी यह बात न तो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कही, न कभी प्रगति पुस्तिका में लिखी गयी ।

मान्यवर, अभी जो मैंने जिक्र किया नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी (एन0 आर0 एस0 ए0), हैदराबाद ने इसका एक सर्वे किया, इसमें हमारा प्रदेश और पूरा देश शामिल है । 1975 से 1982 तक जो सर्वे के अनुसार परिणाम निकला, उसमें स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में वनों के एरिया में कमी आयी और यह कमी है 0.48 मिलियन हेक्टेयर्स । एन0 आर0 एस0 ए0 के सर्वे के अनुसार इतनी कमी सात सालों में आयी है । वनों का जो क्षेत्रफल है वह घटता जा रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

कहना चाहता हूं कि आपके सामने जो आंकड़े दिखाये जा रहे हैं, वह फ़र्जी दिखाये जा रहे हैं। प्रगति पुस्तिका में जो एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 का जिक्र है और भी तमाम योजनाओं का जिक्र है, ड्राउट (सूखे) की जो योजना है उसका जिक्र है, मेरा पूरा दावा है कि फ़ण्ड्स फ़ीगर्स और जो खर्चे की बातें इसमें रखी गयी हैं, इसमें से आधे से ज्यादा फ़र्जी हैं।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनको चिन्ता है परिवार कल्याण का लक्ष्य पूरा करने की, इनके जिला स्तर का अधिकारी हर बी0डी0सी0 की मीटिंग में जाता है लेकिन वन विभाग का आदमी किसी क्षेत्रीय समिति की बैठक में नहीं देखा जाता। हमारे जिले के डी0 एफ़0ओ0, जिनका अभी शायद स्थानान्तरण हो गया, शुक्ला जी, वह तो बीस सूत्रीय और अन्य बैठकों में आने में अपना अपमान समझते थे। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में प्रभारी मंत्री जी की मौजूदगी में तो उनके खिलाफ़ स्ट्रक्चर भी पास हुआ। कभी उन्होंने बैठक में ए0सी0एफ़0 भेज दिया कभी किसी दूसरे छोटे अधिकारी को भेज दिया, वह स्वयं नहीं आते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके वन विभाग के उच्चाधिकारियों की रुचि बिल्कुल नहीं रहती योजना को कार्यान्वित करने में, उसमें रुचि लेने में, आपकी जो योजनायें हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने में यह लोग रुचि नहीं लेते। वे समाज से अलग रहते हैं और पूरे के पूरे पैसे को निगल जाते हैं।

हम तहसील के भ्रष्टाचार को देखते हैं, ब्लाक के भ्रष्टाचार को देखते हैं लेकिन वन विभाग का भ्रष्टाचार ऐसा है जो जनता से अलग है। आपके अधिकारी लोग जंगलों में रहकर पूरे के पूरे पैसे को हजम कर जाते हैं। आपको यू0एन0ओ0 ने 40 करोड़ रुपये दिये लेबर के लिये। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या उस पैसे का सदुपयोग हो गया? वह 40 करोड़ रुपया इसलिए दिये गये थे कि लेबर को जो सुविधायें देते हैं उसके अतिरिक्त जो वनों में काम करने वाले लेबर हैं उनको दिया जाय उनके स्थिति सुधारने के लिये। मेरी जानकारी में है कि जो लेबर को वेतन मिलता है पारिश्रमिक मिलता है, वह उस 40 करोड़ रुपयों में से दिया जा रहा है जो कि गलत है वह पैसा दूसरी चीज के लिये आया था। उसमें धांधली की जा रही है, जिसको यह पैसा मिलना चाहिये वह पैसा उसको नहीं मिला। वन्य जन्तुओं की बात कही गयी और पार्कों की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूं कि इन वन्य जन्तुओं को खतरा आम आदमी से नहीं है आपके आई0 ए0 एस0 अफ़सरों से खतरा है, आपके आई0पी0एस0 अफ़सर से खतरा है, वन विभाग के अधिकारियों से खतरा है और आपकी पार्टी के बड़े-बड़े लोग हैं जो शिकार के बड़े शौकीन हैं, उनसे खतरा है। कारबेट पार्क का जिक्र किया गया जो वहां पर अवैध शिकार हुआ जिसमें हमारे दो आई0ए0 एस0 अफ़सर श्री अनीस अन्सारी और श्री अरविन्द वर्मा एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और उनके लड़के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और इसके अलावा कुछ प्रभावशाली लोग, जो सत्ता पक्ष से सम्बन्धित हैं, उसमें शामिल थे।

क्या मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे कि कितने लोगों के खिलाफ़ एफ़0आई0 आर0 दर्ज हुई। मेरी निश्चित जानकारी है कि जब अरुण नेहरू पार्टी से निकल कर चले गये, तब प्रधान मंत्री ने यह सोचा कि अब एफ़0आई0आर0 दर्ज होनी चाहिए। अब उन पर क्या कार्यवाही हो रही है, यह आप अपने उत्तर भाषण में बताने की कृपा करेंगे? मान्यवर, दुधवा पार्क के पास रहने वाले थारू जन-जाति के लोगोंसे आपने वायदा किया था उन लोगों की रोजी-रोटी बरकरार रखी जायेगी और वह लोग जो घास-फूस तथा जलाने की लकड़ी लेते हैं, वह उनको वैसे ही लेने दी जायेगी। लेकिन मान्यवर, बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उनकी हालत बहुत खराब है मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप उनकी ओर ध्यान करेंगे। आप भी ऐसे वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जो वर्ग हमेशा शोषित और पीड़ित रहा है। मैं समझता हूं कि आप जाकर उनकी स्थिति को देखेंगे।

आज उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। मान्यवर, पर्यावरण प्रदूषण न हो इसके लिये वनों का बड़ा महत्व है। लेकिन औद्योगीकरण से और वनों की कटान से यह बैलेन्स बिगड़ता चला जा रहा है और स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। मान्यवर, लकड़ी से सम्बन्धित जो उद्योग थे, हमारे फ़जलुल बारी साहब बता रहे थे कि उनकी एक आरा मशीन थी और उस आरा मशीन को उन्हें बन्द करना पड़ा। इसका कारण यह था कि वह नम्बर दो की लकड़ी से अपना धन्धा चलाना नहीं चाहते थे और नम्बर एक की लकड़ी मिलती नहीं थी। मान्यवर, जो आरा मशीन वाले आज नम्बर दो की लकड़ी ले रहे हैं, उनका धन्धा चल रहा है। यह बात आज पूरे प्रदेश को मालूम है कि जो लोग ईमानदारी से धन्धा करना चाहते हैं, उन्हें लकड़ी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो अवैध कटाई कर रहे हैं, उनका धन्धा चल रहा है।

मान्यवर, इसके लिये पुलिस विभाग और विभिन्न विभागों के अधिकारी दोषी ह। जो लोग मान्यवर, डुग्गियों में और चीजों में लकड़ी लाते थे, और शहर में लाकर उसको बेचते थे, उनको सुबह के टाइम में पकड़कर लकड़ी रोक ली जाती है, यद्यपि उनके पास लकड़ी काटने का परमिट मौजूद है। वह लकड़ी चाहे बबूल की हो चाहे फ़रास की हो। मान्यवर जब तक उनसे पैसा ले नहीं लिया जाता है, तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता है। इसी तरह मान्यवर, डी0एफ़0ओ0 के यहां भी बहुत तंग किया जाता है। मान्यवर, हर मामले में इनके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, मंत्री जी को इसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिये। मान्यवर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दुधवा नेशनल पार्क में 15 टाइगर मारे गये।

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है एक चीते की खाल की कीमत ढाई लाख रुपये होती है। यह चीते कैसे मारे गये? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ़, कोई कार्यवाही हुई? जो टाइगर या शेर जंगल के किसानों को खा जाते हैं, उन्हें मान्यवर, आप 10 हजार रुपये देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके वन विभाग की दृष्टि में एक आदमी की जान की कीमन 10 हजार रुपये है? मान्यवर, आपको इसे बढ़ाना चाहिये और इस विषय में गम्भीरता से सोचना चाहिये। इसी प्रकार अवैध शिकार का मामला है। जिन जंगलों में चीते, भालू और दूसरे तरह के जानवर रहते हैं वहां पर इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं और आपके प्रशासन के लोगों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो प्रमुख वन संरक्षक का पद है, वह रिक्त है, यह बहुत महत्वपूर्ण पद है और इसके लिये चिन्तित होना आवश्यक है अभी तक खाली पड़ा है। मेरी जानकारी में आया है कि वरिष्ठता के आधार पर और ईमानदारी के आधार पर आप किसी अधिकारी को नहीं बैठाना चाहते हैं, इस सीट पर आप किसी बेईमान व सत्ता तक जिन लोगों की पहुंच हो, उसे आप बैठाना चाहते हैं। आपके जो लक्ष्य हैं, वे बढ़ते जाते हैं। क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ा दी है। कैसे आपका यह लक्ष्य पूरा हो जाता है। जो स्टाफ 1975 में था या उससे पहले था, वह ज्यों का त्यों है, लेकिन आपका लक्ष्य बढ़ता जा रहा है, इसलिये माननीय मंत्री जी जो आंकड़े बनाय गये हैं। वे सत्य से परे हैं इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला है। लगातार सूखे व बाढ़ की विभीषिका को देखते हुऐ ग्राउन्ड वाटर लेबिल नीचे होते जा रहे हैं। स्वायल इरोजन के कारण जमीन ऊसर व बंजर होती जा रही है। आज मानव सभ्यता को बहुत बड़ा खतरा है। मेरी दृष्टि में आज की स्थिति में, इस विभाग का अति महत्वपूर्ण स्थान है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बजट को बढ़ाया जाय और जन आन्दोलन के रूप में इसको प्रचारित और विकसित किया जाय। जहां हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे और जहां भगवान राम चन्द्र जी ने 14 साल जंगल में काटे और जहां

भगवान कृष्ण ने महारास लीलाय कीं, ऐसे वनों को विकसित किया जाय। जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति बरकरार रहे। इन्हीं रमणीय वनों को देखकर रसखान कवि ने, जो मुसलमान थे, कृष्ण की लीला में लीन होकर वनों मे रहे और लिखा "कोटिक ये कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों।" उन्होंने कहा कि यहां करील और कुंज तमाम चीजें यहां पर है, इनके खातिर मैं दुनिया के राजपाट का न्यौछावर करता हूं। आज उसी ब्रज में पानी की कमी से रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। हालांकि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान का रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है।

लेकिन मैंने विशेषज्ञों से इस संबंध में बात की, तो उन्होंने बताया कि 8 किलोमीटर की रफ्तार से राजस्थान का रेगिस्तान मथुरा और आगरा की तरफ बढ़ रहा है, इसलिये इसका कोई निराकरण करना चाहिये। वहां पर वनीकरण किया जाय। अगर मैं आपकी पुस्तक देखूं तो कोई भी सड़क ऐसी नहीं है, जिसके दोनों ओर पेड़ न लगे हों, यहां तक कि रेल की पटरियों पर पेड़ लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी आप रेल से यात्रा करते हैं, आपने कितने पेड़ देखे हैं। ये जो आंकड़े दिये जा रहे हैं, वे सब फर्जी हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इन सबका जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो यह वन विभाग का बजट रखा गया है, उस पर वह अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को देंगे।

श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही माननीय श्री बलदेव सिंह आर्य जी, वन मंत्री द्वारा यहां पर वन विभाग से सम्बन्धित जो बजट रखा गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। वन विभाग का, आज प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा महत्व है माननीय वन मंत्री जी ने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, उसके लिये मैं उन्हें मान्यवर, आपके माध्यम से व वन विभाग के अधिकरियों/कर्मचारियों को जो जमीन स्तर पर कार्य कर रहे हैं बधाई देता हूं।

मान्यवर, वनीकरण की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि 1979 में 25 हजार हेक्टेयर भूमि पर जो वन लगाये जाते थे, आज 1987 में उसको बढ़ाकर 87 हजार हेक्टेयर किया गया है यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। जैसा सरदार सिंह जी ने कहा उन्होंने आंकड़ों के जाल में उलझा कर रख दिया, तो मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं, जो वनों से आच्छादित है। मुझे कहने में गौरव है कि वन विभाग के लोगों ने वनों को, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिये का काम किया है, लेकिन अगर केवल वृक्षारोपण को ही बढ़ावा देंगे और वहां के लोग जो केवल वनों के ऊपर ही अपना जीवनयापन करते हैं, उनके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, तो वहां की जनता को वनों से नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस चीज के लिये आप बधाई के पात्र हैं कि गांव के कस्बे-कस्बे में आप वन निगम क माध्यम से जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वन निगम को सामने लायें और इमारती लकड़ी, जलौनी लकड़ी और चारा-पत्ती की व्यवस्था वन निगम के माध्यम से रियायती दर पर की जाय, तभी लोग इससे जुड़ पायेंगे। इसकी व्यवस्था जब तक वन निगम डिपो के माध्यम से आप नहीं करेंगे, तब तक लोग इससे जुड़ने वाले नहीं हैं।

दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो वन्य प्राणी उद्यान हैं या बिहार हैं जैसे कार्बेट नेशनल पार्क है, राजा जी पार्क है जिसकी आप स्थापना करने जा रहे हैं, आपको स्वयं ही मालूम होगा कि वहां आपको कितने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोग इससे आतंकित हैं। इसमें नियमों को आप सरल कीजिये। अगर कोई बाध किसी

मनुष्य को खा जाता और वह आदमखोर हो जाता है, तो उसे मारने के लिये इतनी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया है, जब तक आप उसका सरलीकरण नहीं करेंगे, तब तक लोग इस प्रकार के पार्कों के निर्माण के विरोधी रहेंगे और उससे मुंह मोड़ेंगे ।

अंग्रेजों ने भी पर्वतीय लोगों के लिये इमारती लकड़ी, जलौनी लकड़ी के लिये हक-हकूक का बन्दोबस्त किया था । खेद की बात है कि आज आजादी के 40 साल के बाद भी हम इसका पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सके ह । जब तक आप पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के हक-हकूक के लिये नियम नहीं बनायेंगे तब तक कोई कार्य सम्भव नहीं है । आज पर्वतीय क्षेत्र में लोगों के लिये सबसे ज्यादा दुखदायी वन अधिनियम है । मेरा यह कहना है कि वन अधिनियम होना चाहिये लेकिन स्वीकृत शासकीय कार्य जैसे सड़क, अस्पताल, बिजली के खम्भे, पानी के नल, बिछाना आदि लगाने के लिये उसका सरलीकरण होना चाहिये ।

माननीय सरदार सिंह जी ने कहा कि वन विभाग में कर्मचारियों, अधिकारियों का प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया है,मुझे कहना है कि अधिकारी स्तर पर तो प्रतिशत बढ़ाया गया है लेकिन फोरेस्ट गार्ड आदि के स्तर पर कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है मेरा निवेदन है छोटे-छोटे बीट बनाकर अधिक फारेस्ट गार्ड रखे जायं ।

एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं माननीय सरदार सिंह जी ने कहा कि आपके अधिकारी बी0 डी0 सी0 की मीटिंग व 20 सूत्रीय बैठकों में नहीं जाते हैं इनका जन सम्पर्क शून्य है अतः विभागीय कार्य को प्रोजेक्ट करने वाला, उसको बताने वाला कोई नहीं होता है, इसलिये मैं आपके विभाग के अधिकारियों से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जन सम्पर्क भी बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना आप कोई कार्य सुचारु रूप से नहीं चला सकते है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वन विभाग का इतना अच्छा बजट रखा है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । धन्यवाद ।

*श्री अचल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सरदार सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । कहा जाता है कि मानव जीवन के लिये वन बहुत ही आवश्यक है और हमारे वन प्रदूषण को भी रोकने का कार्य करते हैं । प्रश्न यह है कि हम जिसके लिये वन लगा रहे हैं, जिनको जीवित रखने के लिये प्रदूषण की बात करते हैं उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है ।फतेहपुर जनपद में पाण्डु नदी और गंगा नदी के किनारे-किनारे जो गांव बसे हुए हैं-गला था और कौडिया आदि वहां सन् 1952 में जमींदारी उन्मूलन के बाद उन जमीनों को वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया, लेकिन कागजात में उन जमीनों को गांव सभा के नाम ही दर्ज रखा गया । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अब वहां एक समस्या यह पैदा हो गयी है जिसका ज्वलन्त उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं कि वह जमीन चूंकि काश्तकारों के नाम दर्ज थी और उनके नाम का पट्टा हो गया और उन्होंने भूमिधरी के अधिकार भी प्राप्त कर लिये थे, ट्यूबवेल भी लगवा लिये थे, बस्ती भी वहां बसा ली थी ।

अब वन विभाग जबरदस्ती वहां कब्जा कर रहा है । इनमें हजारों लोगों के रोजी और रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है । इस समस्या के निराकरण के लिये एक दिन में डी0 एफ0 ओ0 और ए0 सी0 एफ0 और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर गया । अभी जैसा कि माननीय सरदार सिंह जी कह रहे थे कि वहां विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह सब से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऊपर है। चूंकि यह वन की बात है जहां पर सबकी निगाह नहीं जाती हैं इसलिये लोगों के संज्ञान में वे बातें जल्दी नहीं आ पाती हैं।

मेरी ए0सी0एफ0 के साथ जब बात हुई और मैंने देखा कि गंगा नदी और पाण्डु नदी के किनारों पर रेत में जहां पहली ही बरसात में पानी गिरा कि वहां पर सारा पानी भर जाता है वहां इनके विभाग ने वृक्षारोपण के लिये गलाथा और भाऊपुर में गड्ढे खोद डाले हजारों की संख्या में और पेड़ भी लगा दिये। इस तरह से धन हड़पा जा रहा है। मैंने ए0सी0 एफ0 महोदय से कहा यहां तो पहली ही बरसात में पानी भर जायगा, यह आप क्या करा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मार्च आ रहा है, हमें तो आंकड़े दिखाने हैं।

मेरी समझ से कि जो अधिकारी केवल आंकड़े ही दिखाने की बात करता है और वह भी केवल कागजों ही पर, मेरे साथ एक राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार भी थे उन्होंने पाण्डु नदी के किनारे पेड़ दिखाये जो इस नदी पर हैं और जिनकी भूमि में है वे लोग इसको काट नहीं सकते हैं। आप पेड़ लगा सकते हैं लेकिन पेड़ काट नहीं सकते हैं। गलाथा और कौड़िया गांव में जो सड़कें हैं, तालाब हैं, खलिहान हैं वह सबके सब दर्ज हैं। उस जमीन का मालिक गलाथा में वन विभाग वह कह रहा है कि वह दो हजार बीघा उसका है जबकि राजस्व विभाग के कागज कह रहे हैं कि केवल 7 बीघा जमीन वन विभाग के पास है। दोनों नदियों के बीच में जो बस्ती है, बसी हुई है, वन विभाग ने सुरक्षा के लिये उसके चारों तरफ खाई खोद दी है जिससे कि उनके आने-जाने का रास्ता बन्द हो गया है। सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी वह मिलकियत है अगर वे पेड़ को नीलाम करते हैं तो वन विभाग समस्या पैदा करता है। एक समस्या और है मान्यवर, जो मैं आपके माध्यम कार्य-स्थगन के रूप में रखना चाहता हूं कि जिन जमीनों पर काश्तकार अपनी फसल बोये हुए हैं, वन विभाग उन पर भी कब्जा कर रहा है, इसमें सिर्फ एक मिनट का समय और मान्यवर, दे दें, इसी समय में मैं अपनी बात को कह दूंगा..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये! बात आपकी हो गयी, समय थोड़ा है, इसी में.....

श्री अचल सिंह--

मान्यवर एक कहावत आज बन गयी है कि वन के अन्तर्गत जो शेर, चीत व अन्य भयंकर जानवर होते हैं उनसे तो हम अपनी सुरक्षा कर ले जाते हैं, पर जो वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनकी प्रताड़ना से हम लोग नहीं बच पा रहे हैं। अगर मान्यवर, गांव का आदमी कोई वन में पानी पीने के लिये चला जाता है तो उसे जबरदस्ती उठाकर बन्द कर दिया जाता है इसी प्रकार के और भी बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, इसलिये मान्यवर मेरा केवल एक सुझाव है कि जो काश्तकार अपनी जमीनों पर सैकड़ों साल से खेती कर रहे हैं और वह पहले से दर्ज भी हैं इनके कागजात में लेकिन ऐसे काश्तकारों की जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है, उन पर रोक लगाई जाए मान्यवर, यह फोटो भी मेरे पास सबूत में मौजूद हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह फ़ोटो आप हमारे पास भिजवा दीजिये (व्यवधान)

श्रीमती सरस्वती देवी--

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर मैं माननीय, वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं। मान्यवर साथ ही मैं, प्रदेश में वृक्षारोपण का क्रम के अन्तर्गत जो आशातीत प्रगति की है, इसके लिये माननीय मंत्री

जी को व वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देना चाहती हूं। राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत 60 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित होने चाहिये परन्तु आज इसके अन्तर्गत केवल 41 प्रतिशत ही भूमि आच्छादित है, इसको देखते हुए वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे हर साल लगभग 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हो सकेगा। यही नहीं मान्यवर, पहले पेड़ों से जो लीसा निकाला जाता था वह विधि ऐसी थी जिससे पेड़ों में काफी घाव हो जाते थे परन्तु अब जो विधि अपनाई जा रही है, उससे पेड़ क्षति रहित रहते हैं और इससे उत्पादन भी लीसे का बढ़ेगा। मान्यवर हमारे यहां गावों में पहाड़ पर खाना बनाने के लिये ईधन के नाम पर केवल लकड़ी के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, इसको देखते हुए इस बजट में गोबर गैस का प्राविधान भी है, साथ ही साथ ऊर्जा वृक्षारोपण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इसके साथ ही गांवों में गैस उपलब्ध कराई जाए, कोयला और मिट्टी का तेल आदि की भी व्यवस्था करायी जाय, जिससे वृक्षों का अधिक कटान न हो।

मान्यवर, 1980 में संभवतः हक-हकूक निर्धारित किये गये थे, जिनमें वांछित संशोधन नहीं हो पाया है जो बहुत ही बड़ी आक्रोष का कारण बना है, इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें वांछित संशोधन कर दिया जाय क्योंकि उस समय से अब तक काफी परिस्थितियां बदली है और जनसंख्या भी बढ़ गयी है, ताकि वहां के लोगों को सही प्रकार से उनके हक-हकूक मिल सकें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज मानव प्राणी के जीवन में वनों का बड़ा ही महत्व है और विशेषतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में चूंकि वन पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक विकास के मुख्य स्रोत हैं, परन्तु मान्यवर वन संरक्षण अधिनियम 1980 पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इससे विकास कार्यों में बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया है इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसे संशोधन किये जायं, जिससे वहां का विकास कार्य सुचारु रूप से हो सके..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो गया, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सरस्वती देवी--

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट और दे दें। वन विभाग में प्रशिक्षण कार्य-क्रम चलाये जा रहे हैं, यह व्यवस्था आरम्भ से लेकर प्रौढ़ समुदाय के लिये की जा रही है जिसके लिये... भी मैं आपको बधाई देना चाहती हूं जिससे लोगों को वन के प्रति लगाव उत्पन्न हो। आज लोगों का वनों के प्रति लगाव समाप्त हो गया है। मान्यवर, पहले जब आग वनों में लगती थी, लोग उसको बुझाने के लिये जाते थे, लेकिन आज उनको वनों से कोई प्रेम नहीं रह गया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अधिष्ठाता--

श्री जमुना प्रसाद बोस जी, आप थोड़े में ही अपने विचार बता दें। इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, जिससे सभी के विचार आ जायें।

*श्री जमुना प्रसाद बोस---

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो बोलने के लिये अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, 1930 में जब यह देश गुलाम था, तो एक आन्दोलन चला

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता था, चित्रकूट के जंगलों में जो जंगल सत्याग्रह कहलाता था और इस बात का वह आन्दोलन होता था कि जंगल की जो उपज है, वन विभाग की उपज है, वहां के रहने वाले आदिवासियों को मिले। आज शासन की ओर से कहीं-कहीं पर सहकारी समितियां बना दी गयी हैं, लेकिन उनको समाप्त कर दिया गया है और वन निगम बना दिया गया है और जो वन संपदा है वह उनके हाथ में है। शासन इस बात पर विचार करे। कि जो वन संपदा है क्या वहां के जो मूल निवासी हैं, जैसे कोल, भील, मवाया उनको मिल सकेगा, अगर उनको मिल जाती है, तो जो उनकी गरीबी है, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनकी हालत बदल सकती है। यह केवल नीति का मामला है और इस पर विचार करना जरूरी है कि जो वन संपदा है वह वहां क मूल निवासियों को मिले।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि आज वन-विभाग में करीब 10-10 साल से जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको पूर्णकालिक सेवा में मान लेना चाहिये। इस संबंध में हाई-कोर्ट की रूलिंग भी है कि उनको पूर्णकालिक कर्मचारी माना जाना चाहिये, वहां के अधिकारियों को कई बार प्रतिवेदन दिया गया कि उनको पूर्णकालिक कर्मचारी माना जाये, लेकिन शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बांदा जनपद में 13 ब्लाक हैं और हर ब्लाक में 10.50 हजार रुपये सामाजिक वानिकी को दिये गये हैं, लेकिन जैसी मेरी जानकारी है और मैंने देखा भी है कि एक-एक ब्लाक में 50 हजार में से 5 हजार का भी काम नहीं हुआ है। जो मजदूरी वहां के लोगों को दी जा रही है, वृक्षारोपण के लिये, शासन की नीति है कि 13.50 रुपया दिया जायगा। मैंने इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की, वहां पर आन दि स्पाट गये और देखा गया कि उनको 7-7 रुपया मजदूरी मिल रही है। इस प्रकार से आधी मजदूरी मिल रही है और आधी वहां का विभाग ले रहा है। मैं चाहूंगा कि शासन इस पर ध्यान दे और जो असंगतियां हैं और कमियां हैं, उनको दूर किया जाये।

*श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वन मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस अनुदान का संबंध देश के जनजीवन और पर्यावरण से है। आज गांव का प्रत्येक आदमी जिसके पास एक भी पेड़ है वह माननीय मंत्री जी और उनके विभाग से पूर्ण रूप से संबद्ध है। मिल्कियत उसकी है, लेकिन जब उनको आवश्यकता हो और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उस पेड़ को काट लेना चाहे तो बिना इसकी स्वीकृति के वह उस पेड़ को काट नहीं सकता है।

इसी प्रकार पेड़ और मंत्री जी का संबंध है उनके विभाग का संबंध है दोनों का स्पष्ट रूप से है। मैं इस बात के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके निर्देशन पर सामाजिक वानिकी की जो प्रगति हुई है वह सारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और लगभग 39 प्रतिशत सामाजिक वानिकी में हमें सफलता मिली है। इसी कारण उत्तर प्रदेश बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रथम रहा है।

मान्यवर, इस सामाजिक वानिकी को आगे बढ़ाते हुए किसानों की पौधशाला और स्कूलों की पौधशाला की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इन दोनों क्रियाओं को आगे और बढ़ाते हुए किसानों और स्कूली छात्रों में इस बात का विचार पैदा करें कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधशाला में पौधे तैयार करें वे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहीं पर स्थानीय जगहों में बिक सके। इससे जहां एक ओर किसानों को लाभ होगा वहीं दूसरी ओर स्कूलों को भी लाभ मिलेगा।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश फारेस्ट एक्ट बना था उस समय कोई भी वन उपज मुक्त नहीं थी। लेकिन जब आगे कठिनाइयां आईं तो वन उपज की 27 प्रजातियां पातन के लिये मुक्त कर दी गईं। लेकिन इन जातियों के साथ पहले कुछ रोक लगी हुई थी, उनको नहीं हटाया गया। जिस कारण आज इन 27 प्रजातियों में से एक गांव से दूसरे गांव तथा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लकड़ी ले जाने में 50 रुपया ट्रांजिट फीस के रूप में जमा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस तरह से लकड़ी लाने ले जाने में लोगों को परेशान किया जाता है और उसके लिये अधिक पैसा देना पड़ता है।

इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन 27 प्रजातियों को लाने ले जाने में किसी तरह की रोक न लगाई जाय और यह प्रयास किया जाय कि इसके ऊपर जितनी रोक लगी हुई है उसको एक्ट बनाकर परिवर्तित कर दिया जाय साथ ही उसे हर तरह से मुक्त कर दिया जाय। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में अपने इस्तेमाल के लिये जो कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में या एक न्याय पंचायत से दूसरी न्याय पंचायत में आरा मशीन के लिये लकड़ी ले जाना चाहते हैं उस पर प्रतिबन्ध है। मान्यवर, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर इस तरह की आरा मशीनें नहीं हैं और न यह सुविधा उपलब्ध है। उस पर भी वन विभाग के लोग उन्हें परेशान करते हैं। अतः हम चाहते हैं कि इस सीमा को आगे बढ़ाया जाय और ब्लाक स्तर पर जो रोक लगी हुई है लकड़ी लाने ले जाने में उसे हटा दिया जाय।

इसके साथ ही साथ विश्व खाद्य योजना के अन्तर्गत मजदूरों के लिये गेहूं, दाल आदि पहुंचाने का प्राविधान है। लेकिन उन लोगों को मात्र मजदूरी दी जाती है गेहूं वगैरह नहीं दिया जाता। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग में जहां कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि हो उसको दूर करने की कृपा करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता--

मैं भी आभारी हूंगा यदि आप 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके आदेश का बराबर पालन करता हूं। मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी पौधशाला में यूक्विलिप्टस का पेड़ तैयार करते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। मेरा सुझाव है कि इस यूक्विलिप्टस की संख्या को कम करके उसके स्थान पर आप फलदार वृक्ष तैयार करें तो उससे फल भी मिलेंगे और लकड़ी भी मिलेगी। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगते हैं व कंटील होते हैं और झाड़ियों में हो जाते हैं जिससे ये पेड़ 10-15 साल में अपने आप सूखने लग जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि सड़कों के किनारे आप इमारती लकड़ी जैसे आम, शीशम आदि के पेड़ लगवायें जिससे लोगों को दो लाभ होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा, उनसे पर्यावरण में मदद मिलती है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप फलदार वृक्ष लगाते हैं या पौध लगाते हैं उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करें आपके वन विभाग का कोई आदमी वहां नहीं रहता है। अगर गलती से किसी समय किसान के पशु वहां चले जाते हैं तो उनको अनावश्यक परेशान किया जाता है उनके पशुओं को बन्द कर दिया जाता है। और जुर्माना किया जाता है। अगर पेड़ लगाना भी है तो थोड़ा लगायें।

इस तरह से एन0आर0इ0पी0 आदि का बहुत सा पैसा आपके विभाग को जाता है करीब 25 परसेंट पैसा आपको दे दिया जाता है लेकिन उस अनुपात में परिणाम नहीं निकलते हैं। जो पेड़ लगाये जाते हैं उसमें से 10 परसेंट ही बच पाते हैं और 90 परसेंट सूख जाते हैं इसलिये उनके रखरखाव की ठीक व्यवस्था हो, खाली पैसा बर्बाद न किया जाय। जो भी वृक्ष लगाये जाएं उनको अधिक से अधिक संख्या में बचाने का प्रयास किया जाय।

आपके यहां से जो परमीट जारी होते हैं उसमें भी धांधली होती है। हमारे यहां से जो लकड़ी काटी जाती है वह सीधे खाड़ी के देशों को चली जाती है। आम के बड़े-बड़े फलदार बाग काट कर नष्ट कर दिये जाते हैं। आम के पेड़ बिलकुल न काटे जायं अगर किसी को एक आध टहनी की जरूरत हो तो वह अलग बात है लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिये। आपके विभाग द्वारा पूरे के पूरे बाग साफ हो रहे हैं सीधे हमारे यहां लकड़ी कट कर बम्बई से खाड़ी के देशों को चली जाती है। आम के वृक्ष का कटान पूर्णतया बन्द कर देना चाहिये।

आपके विभाग में रेंजर आदि के पदों पर दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे गये हैं जो 5-5 साल से दैनिक वेतन पर हैं उनको परमानेंट करके स्थायी बनाया जाय जिससे उनकी रुचि अपने काम में हो। इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री मोहम्मद असलम खां--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने मौका दिया। चूंकि समय कम है मैं आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ परेशानियां जो राजाजी नेशनल पार्क बनने से हमारे यहां सामने आ रही हैं बताना चाहता हूं और जो उससे फायदे हैं उनको भी बताना चाहता हूं।

मान्यवर, यह अहम् मसला है राजाजी नेशनल पार्क हमारे क्षेत्र में पड़ता है। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा और ग्रामीण क्षेत्र है। वहां भाभड़ से रस्सी बनाने वाले लोग रहते हैं जो उनकी आजीविका है उनको भाभड़ मिलना बन्द हो गया है जिससे उनके सामने समस्या पैदा हो गयी है। वन विभाग उनको भाभड़ उपलब्ध नहीं करा रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि वन विभाग की तरफ से वन निगम को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह वहां पर डिपो बना दे जहां से उनको भाभड़ उपलब्ध कराई जाय। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। अगर यह मामला ऐसे ही चलता रहा तो वहां आंदोलन होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वह इस मामले को गंभीरता से देखें जिसमें कम से कम 50-60 हजार आदमी निर्भर रहते हैं।

इसके अलावा वन जंतुओं से भी काश्तकारों को परेशानी हो रही है। जब हम लोगों को या काश्तकारों को जंगल जाने की अनुमति नहीं है तो वन विभाग की भी

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिम्मेदारी होती है वह जानवरों को खेतों तक न आने दें क्योंकि वह खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं इसके लिये वन विभाग वायर फैंसिंग कराये या इलेक्ट्रिक तार चारों तरफ लगा दे या फिर ट्रेंचेज खुदवा दे जिससे जानवर बाहर न निकल सके। मुझे पता नहीं माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है या नहीं लेकिन हाईकोर्ट के भी यह आर्डर हैं कि अगर कोई जानवर ट्रेसपास करके खेत में आता है तो उसे मारने के लिये उसे पूरा अधिकार है।

यह बात पैदा होते हुए वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं और गांव से उठाकर चालान करते हैं जिन पर जुर्माना भी लगया जाता है। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 4–5 गांव किसानों के हैं जो बिल्कुल रेवेन्यू जमीन के साथ मिले हैं लेकिन उनको भी उजाड़ने के आदेश यहां से चले गये हैं किन्तु जब आंदोलन हुआ तो वह गांव रुक गये हैं। इसलिये ऐसे गांव जो पार्क के पास आ गये हैं जिनसे पार्क को कोई फायदा नहीं हो रहा है इसलिये उनको छोड़ दिया जाये। यह गांव रसूलपुर हरीपुर आदि हैं इनको छोड़ दिया जाये क्योंकि 842 स्क्वायर किलोमीटर पार्क फैला है इसलिये पार्क के जीव जन्तुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, वाइल्ड लाईफ बोर्ड की मीटिंग 1986 में हुई जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी हैं उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हर 3–4 महीने में मीटिंग होगी किन्तु 1988 आ गया है और उसके बाद दुबारा मीटिंग नहीं हुई। यदि वह मीटिंग होती रहेगी तो वन विभाग के बारे में लाभ की जानकारी होती रहेगी।

मान्यवर, जहां तक शिकार के बारे में बात यह है कि बड़े-बड़े कंजरवेशनिष्ट का कहना है कि यह तरीका नहीं है कि बिल्कुल शिकार बंद कर दिया जाये तो वाइल्ड लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिये शिकार खोलना चाहिए और कलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, इससे वाइल्ड लाईफ बचेंगे और जंगलों को भी लाभ होगा। इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह––

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के जो भी आरक्षित वन थे वह पहले जितने आरक्षित थे अब वह 10–15 साल से आरक्षित नहीं हैं और उनका दोहन हुआ है। दोहन के बाद जो ठूठ आदि बनने चाहिए थे वह नहीं बने और इस तरह आरक्षित वन उजाड़े गये हैं। मान्यवर, सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत जो गांव सभाओं तथा सड़कों के किनारे वनीकरण किया जा रहा है उसी तरह से आरक्षित वनों में जो खाली जगह हो गयी है उनमें भी वृक्षारोपण होना चाहिए। मान्यवर, वनों में विदोहन का कार्य 1982 के पूर्व ठेकेदारों से कराया जाता था। बाद में वन निगम को विदोहन हेतु इसलिये लाया गया था कि विदोहन ठीक से हो और मजदूरों को मजदूरी ठीक से मिले। लेकिन बुन्देलखंड में ललितपुर जिले में 5–6 लाख रुपया मजदूरों की मजदूरी पिछले वर्षों से नहीं दी गयी है और जो दिया गया है, वह भी आधा दिया गया। 13,13 1/2 रुपये मजदूरी की दरें जो सरकार की ओर से घोषित की गयी हैं उस हिसाब से न देकर 7–8 रुपये ही प्रति दिन दिये गये।

मान्यवर, वनीकरण जो भी किया जाता है प्रत्येक वर्ष उसकी सुरक्षा को नहीं देखा जाता है कि कितने पेड़ प्रतिवर्ष बचते हैं और कितने समाप्त हो जाते हैं। हमारे यहां प्रतिवर्ष जो वनीकरण होता है उनमें अधिकांश में आग लगा दी जाती है और उसको असफल बताया जाता है और पुनः पास के क्षेत्र में वनीकरण किया जाता है जो सफल नहीं होता है। इसलिये सरकार वनीकरण तो करें लेकिन उसकी सुरक्षा के लिये अधिक ध्यान दे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की टिहरी बांध योजना में टिहरी बांध के डुब क्षेत्र में जो वन विभाग की जमीन आ गयी थी उसके बदले में सिर्फ ललितपुर जनपद से ही जमीन ली गयी है और उत्तर प्रदेश में किसी जिले से जमीन नहीं ली गयी है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया ?

मान्यवर, ललितपुर जनपद में अब यह स्थिति हो गई है कि ग्राम समाज की जितनी जमीन, वह वन विभाग ने ले ली है और उसमें जो भी सार्वजनिक स्थल थे, गोचर आदि थे, वह तक नहीं छोड़े गये हैं, जिससे ग्रामीणों को बहुत दिक्कत है। अब वन विभाग वाले उस जमीन में जाने नहीं देते हैं। इस तरह किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ग्रामीणों के जानवरों को उक्त भूमि में चराने आदि की छूट दिला दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे यहां जब चीफ़ कंजरवेटर आफ़ फ़ारेस्ट श्री रामदास आये थे, तो उनके साथ हमारी बात हुई थी मैंने अपनी एक व्यक्तिगत कठिनाई उनसे बताई थी, जो ग्रामीण किसानों आदि के सामने पेश आती है, उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कुछ जमीन विभाग द्वारा अधिकृत कर ली गई है, जो कि ग्राम समाज की भूमि है, इन जमीनों के लिये न तो कोई विधिवत कार्यवाही की गई है, जिससे कि वह वन विभाग के रिकार्डस में आ जाए और न ही उनका सेक्शन 20 या सेक्शन 4 के अन्तर्गत प्रकाशन हुआ है, फिर भी उसे वन विभाग ने अधिकृत कर ली है। अब इसमें समस्या यह हो गई कि यह जमीन ग्राम समाज में दर्ज हैं, कलेक्टर द्वारा ग्राम सभाओं में पत्थर के खनन पट्टे एवं अन्य पट्टे दिये जाते हैं और जब पट्टेदार खनन करने या किसानी करने उस स्थल पर जाते हैं तो वहां वह विभाग के अधिकारी उनको परेशान करते हैं तथा अपना क्षेत्र बताकर उसको अपना काम नहीं करने देते हैं, इससे सरकारी राजस्व की हानि होती है और पट्टेदारों को भी नुकसान होता है। अतः इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्व विभाग और वन विभाग वाले मिलकर इसका समुचित हल निकाल लें, जिससे किसानों और पट्टेदारों को इस तरह की कोई परेशानी भविष्य में न हो। कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री सतीश अजमानी—

मान्यवर, वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत उनके बजट का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इंसान के जीवन में पेड़ों की महत्ता को देखते हुये मैं कहूंगा कि जितना बजट रखा गया है मंत्री जी द्वारा इसका जस्ट डबुल कर दिया जाए और जो कटौती का प्रस्ताव सरदार सिंह द्वारा रखा गया है, उसे उन्हें निश्चित रूप से वापस ले लेना चाहिये। मान्यवर, नये-नये पशु विहार और पक्षी बिहार बनाये जा रहे हैं, यह अत्यन्त आवश्यक है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि प्रजातन्त्र में एक इंसान के हक दूसरे इंसान को नहीं दिये जाते हैं लेकिन पार्क बनाते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता है और इंसान के हक-हकूक को, जानवरों को दे दिये जाते हैं। हमारे यहां 76 में दुधवा नेशनल पार्क बना, इसके संबंध में उस समय सरकार ने और वन विभाग अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि जो वहां पर पुराने थारू जाति के और अन्य निवासी हैं उनको जो हक-हकूक मिल रहे हैं, वह उसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे। यह लिखित में उनके साथ वायदा किया गया था किन्तु आज उनसे इंकार किया जा रहा है और वे लोग परेशान हैं।

दुधवा नेशनल पार्क हुआ, उससे पहले से यह हक-हकूक उनको दिये जा रहे थे, इसे देखते हुये यह निवेदन है कि उनको हक हकूक जैसे पहले मिलते थे, मिलते रहने चाहिये।

सरकार का यह कानून है कि 5 किलोमीटर से बाहर कोई शेर द्वारा किसी इंसान को या जानवर को मार दिया जाता है तो मैं उसमें जो मुआवजा मिलता है वह 10 हजार रुपया है। किन्तु इसान की कीमत क्या सही है यह कम से कम 10 हजार के स्थान पर 50 हजार रुपया मुआवजा मिलना चाहिये। जानवर के लिये तो केवल तीन हजार ही मिलता है। साथ ही इसमें यह भी होना चाहिये कि जानवर का मुआवजा डबल हो जाना चाहिये। मान्यवर, सरकार ने नेशनल पार्क इस दृष्टि से बनवाये हैं कि उसमें पयटक आयेंगे, किन्तु वहां पर हालत यह है कि पर्यटक यदि चले जाते हैं, तो वहां पर उनके रहने और खाने की ठीक व्यवस्था नहीं है और जब एक बार वह चले जाते हैं तो दुबारा वहां पर जाने का नाम नहीं लेते हैं। वहां पर पर्यटकों को ऐसी सुख-सुविधायें मिलनी चाहिये कि जिससे अधिक से अधिक पर्यटक वहां पर जा सकें। वहां पर 41 गांव थारू जाति के हैं, जो बहुत पिछड़े हुये हैं। उनके बारे में भारत के प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी तमाम सहूलियतें देने की समय-समय पर बात किया करते हैं, जबकि उल्टे इनके हक-हकूक छीने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रान्तीय सरकार इसकी ओर ध्यान दे।

पार्क में गौरीफंटा चन्दन चौकी दो मंडियां हैं वह इसलिए बसाई गई हैं कि जिसस थारू जाति के लोग अपनी रोज-मर्रा की चीजें खरीद सकें। आपके जो अधिकारी हैं वह उनको परेशान कर रहे हैं जो सालाना किराया उनस लिया जाता था वह उनसे नहीं लिया जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। मान्यवर, अवैध कटान के बारे में कहना चाहूंगा। पिछले अरसे में अवैध कटान काफी हुआ है लेकिन अब इसमें कुछ कमी आई है इस पर अंकुश लगा है। इस पर सख्ती जारी रहनी चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क के 41 ग्राम सभाओं के और इसके अलग बगल के पांच किलोमीटर वाले जो निवासी हैं उनको सैकड़ों वर्षों से घास-फूस और लकड़ी व उसके हक-हकूक हैं जो उसे पहले फ्री में मिलता था वह पहले की तरह ही मिलना चाहिए। पुनः मैं ऐसा निवेदन सरकार से कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता --

ऐरी जी, जिस बात को एक-दो बार कह दिया गया है, आप उसको रिपीट न करें। इसके अलावा आप दूसरे नये सुझाव दें।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, वनक्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे प्रदेश में जो है उसमें 374 हजार वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र में है और सोलह हजार आठ सौ वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र में है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वन क्षेत्र का क्षेत्र फल जो आपने लिखा है उसमें असली क्षेत्रफल कितना है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रदेश में किसी भी जगह के लिए जो मानक हैं उसके अनुसार कितना फारेस्ट कवरेज होना चाहिए? भूमि के सही उपयोग के लिए 60 प्रतिशत से ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में 35 प्रतिशत से ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में, फारेस्ट कवरेज होना चाहिए। आपकी जो भारत सरकार की रिमोटसेंसिंग सेन्टर एजेन्सी है उसके आंकड़ों के मुताबिक जो फारेस्ट कवरेज आया है वह 38 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों का और 18-19 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों का है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में उत्पन्न हो गई है, जिससे पर्यावरण का खतरा उत्पन्न हो गया है आपके आंकड़ों के मुताबिक 72 से 82 के एक दशक में पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन 12 गुना बढ़ा है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का परीक्षण सही तौर से नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नुकसान होगा।

वनों का होना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं जल और अस्तित्व की रक्षा के लिए भी वनों का होना आवश्यक है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फारेस्ट कवरेज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और लगेंगे। मान्यवर, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीड़ और युकिलिप्टस के पेड़ लगाने से बहुत नुकसान होता है। चीड़ और युकिलिप्टस यह जो दोनों प्रजातियां हैं यह नमी को कम करने की जिम्मेदार होती हैं तराई क्षेत्र में सूखा पड़ा वह इसी कारण पड़ा कि चीड़ और युकीलिप्टस के पेड़ नमी सोख लेते हैं और इसी वजह से वहां पर बरसात नहीं हुई जहां-जहां पर मिश्रित वन हैं वहां पर अच्छी बरसात हुयी है। यही हालत तराई के क्षेत्र में है। जहां पर यूकीलिप्टस के जंगल थे वहां पर वर्षा नहीं हुई लेकिन जहां-जहां मिश्रित वन थ वहां पर अच्छी वर्षा हुयी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे और मिश्रित वन लगाये जांय तो ज्यादा लाभ मिलेगा और वर्षा भी ठीक से होगी। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। चूंकि ज्यादा लोग बोलने वाले हैं इसलिये बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा। अधिष्ठाता जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष दो बातें रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2 करोड़ 9 लाख 41 हजार हेक्टेयर के लगभग है। इसमें तकरीबन 28 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो परती भूमि कही जाती है। वेस्ट लैंड कही जाती है। हर वर्ष भारतवर्ष मे 5 परसेंट से 10 परसेंट तक परती भूमि बढ़ती चली जा रही है। इस हिसाब से 22 से 43 हजार हेक्टेयर भूमि हर वर्ष परती भूमि बन जाती है जो कृषि योग्य है। परती भूमि को बढ़ने से रोकने के लिये मेरा सुझाव है कि जो सीमांत कृषक हैं जो भूमिहीन लोग हैं या जो लघु किसान हैं उन लोगों को तमाम उपलब्धियां देकर वित्तीय सहायता देकर इन जमीनों को सुधारने तथा उन पर वृक्षारोपण व वनीकरण का कार्य करायें ताकि इससे न सिर्फ डिफारेस्टेशन का जो संकट है वह खत्म हो बल्कि साथ ही साथ ईंधन और इमारती लकड़ी और चारे का भी संकट खत्म हो।

हमारे प्रदेश में 6 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। उनके परिवारों को इससे बड़ा फायदा होगा उनको भी इस योजना में शामिल करना चाहिये। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं जो भारतीय सांस्कृतिक निधि है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरीटेज उसका मैं रीजनल कन्वेनर हूं। माननीय राजीव गांधी ने यह संस्था बनायी है। यह एक स्वयंसेवी संस्था है। इसी तरह से देश में बहुत सी स्वयं सेवी संस्थायें हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वनीकरण में और पर्यावरण में जो कुछ सहयोग दिया जा सकता है वह करें। मान्यवर, कालाढूंगी में जिम कारबेट नेशनल पार्क के निकट कार्बेट साहब का मकान है जो अब म्यूजियम हो गया है। उस म्यूजियम की हालत खराब है। उसके बारे में अनेकों बार प्रयास किया जा चुका है कि उसे बेहतर बनाया जाय और इन्टैच ने भी प्रस्ताव भेजे हैं। मैं माननीय वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में वह विचार करें। इसके अलावा मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि गंगोत्री और गोमुख में बहुत से तीर्थ यात्री जाते हैं। उनके ईंधन के लिये वहां पर पेड़ों को काटा जाता है जिससे पेड़ों की कमी हो गयी है। मेरा सुझाव है कि वहां पर एल0प0जी0 और किरोसिन आयल कम दामों पर उपलब्ध करायें ताकि ईंधन के लिये पेड़ों को न काटा जाय। इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री पारस नाथ यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वन का संबंध जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है, समयाभाव के कारण मैं केवल दो ही सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, वृक्षारोपण में जो बुनियादी गलतियों को जाता है, जो धन दिया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है, जो जमीन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा अधिग्रहीत की जाती है वृक्षारोपण के लिए उसमें किसी के घर या मकान बने होते हैं, जिसमें विवाद उत्पन्न होता है। मेरा आग्रह है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वह एक ऐसा निर्देश दें कि जो भी जमीन चाहे वह भीट हो या बन्जर हो, वह जब ली जाय, तो उसका बाकायदा पट्टा किया जाय और जब वह खाली हो, तभी वह ली जाय, अन्यथा उस में विवाद पैदा होता है और काम भी सही नहीं हो पाता है केवल अधिकारी और कर्मचारी कागज पर वृक्षारोपण का काम करते हैं और मौके पर कोई वृक्ष नहीं लगे होते हैं।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि वृक्ष जो लगाये जायं, वे फलदार होने चाहिए, जिससे उनसे फल भी मिले और लकड़ी भी मिले। मान्यवर, ऐसा वृक्ष आप न लगवायें, जो सड़कों के किनारे एक झाड़ का रूप ले लेते हैं, जिससे आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र बरछती, जौनपुर में ऐसे वृक्ष लगा दिये गये हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित होता है। हमारे क्षेत्र बरछती में वन विभाग का रेंज बना हुआ है, उसमें जितना भी पैसा दिया गया है, उसका वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा दुरुपयोग किया गया है, वहां पर कोई भी वृक्ष नहीं लगाया गया है, वह केवल कागज पर ही लगा हुआ दिखा गया है।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करवा लें, अगर इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वृक्षारोपण के संबंध में आप अलग से एक ऐसा निर्देश दें कि जो भी पेड़ लगाये जायं, उनका निरीक्षण किया जाय कि वे वृक्ष केवल कागज पर ही तो नहीं लगाये गये हैं। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, अभी-अभी मुझे जानकारी मिली है कि विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मान्यवर, विधान सभा सचिवालय का काम-काज बन्द हो गया है, मान्यवर, इसको दिखवा लें, अन्यथा सारा काम रुक जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह देखना सरकार का काम है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं इनसे आप मालूम कर लीजिए। मान्यवर, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लकर काम करना बन्द कर दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर सदन के अन्दर तो सभी लोग काम कर रहे हैं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं माननीय वन मन्त्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करना चाहता हूं और विरोध पक्ष के माननीय सरदार सिंह के द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का, विरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय वन मंत्री को बधाई देता हूं। मैं उन कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जो गर्मी में, जाड़ों में और बरसात में और कठिन परिस्थितियों में जंगल में काम करते हैं। मैं उन अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं जिनकी बदौलत आज हमारे इस प्रांत में 17.4 प्रतिशत जंगल लगे हुए हैं। यदि ये लोग इन जंगलों की रक्षा न करते, तो हमारा यह उत्तर प्रदेश एक रेगिस्तान बन जाता। मान्यवर, 1986 87 तक 142 करोड़ 43 लाख पेड़ लगे हुए थे और 1987–88 में 32 करोड़ पेड़ लगे हुए हैं और इस साल 1988–89 का हिसाब लगायें, तो ये भी 32 करोड़ पेड़ लगे हुए हैं। मान्यवर, इनकी कुल की गिनती करें, तो ये कुल 200 करोड़ पेड़ हो जाते हैं, जिसकी कीमत लगाई जाय, तो वह एक लाख करोड़ हो जाती है, जबकि खर्चा केवल 10 हजार करोड़ होता है, जिसमें वन कर्मचारियों को तनख्वाह और वृक्षों क रख-रखाव आदि पर व्यय होता है।

मान्यवर, इस समय हमारे इस उत्तर प्रदेश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रही ह जिसकी वजह से हमारे वनों पर इसका दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लकड़ी की कीमत अधिक होती जा रही है। इसी वजह से लकड़ी की चोरियां अधिक हो रही हैं। असमाजिक तत्व रात में अपनी ट्रकों में भरकर, अपनी बैलगाड़ी में, भैंसागाड़ी में भरकर लकड़ियों को अवैध रूप से ले जाते हैं। जब हमारे वन विभाग के लोग उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी अपनी जान गवानी पड़ती है वह जान को हथेली पर रखकर उस लकड़ी को बचाते हैं। मेरा निवेदन है कि उनको कम से कम गन लाइसेंस मिलना चाहिए। जिसको डी0 एफ0 ओ0 साहब या कन्जरवेटर साहब जिस केस को रिफर करे उनको तुरन्त लाइसेंस मिलना चाहिए।

मान्यवर, टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से इस समय शेर बहुत अधिक हो गये हैं, जंगली जानवर बहुत अधिक हो गये हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा 5 कि0मी0 रखी गयी है। यदि 5 कि0मी0 के अन्दर कोई जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं तो उसमें मुआवजा आदमी को मारने पर 10 हजार दिया जाता है और पालतू जानवर को मारने पर 2 हजार दिया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि यह जो मुआवजा दिया जा रहा है यह बहुत कम है, इस मुआवजे को डबुल कर दिया जाय और जो सीमा 5 कि0मी0 है उसको बढ़ा दिया जाय क्योंकि शर एक दिन में 40 कि0मी0 चलता है। कम से कम 40 कि0मी0 के अन्दर कोई शेर, भालू, हाथी किसी व्यक्ति को मारता है उसकी लिमिट कम से कम 40 कि0मी0 कर देनी चाहिए और उसी के हिसाब से उसको मुआवजा देना चाहिए।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब से वन अधिनियम लागू हुआ है तब से विकास के कार्य पर्वतीय क्षेत्र में बहुत रुक गये हैं। पेड़ जगह-जगह होते हैं जमीन ढालूदार होती है जिसकी वजह से कटान करना पड़ता है। मान्यवर, यहां तक कि विकास के कार्य के लिए अगर बिजली क खम्भे या पाइप लाइन जंगल से होकर ले जाते हैं, बिजली के तार खींच जात हैं तो वन विभाग हम को उसमें तार नहीं ले जाने देता है, बिजली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाइन नहीं ले जाने देता है और न पाइप लाइन ही बिछाने देता है। मेरा निवेदन कि आप सरकार पर दबाव डालें कि लाइन अगर जाय चाहे पानी की हो चाहे बिजली की हो तो उसकी आज्ञा तुरन्त दे देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ जो माननीय वन मन्त्री जी ने बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:—

माननीय पाण्डेय जी, 2 मिनट में समाप्त करें।

*श्री सुखपाल पाण्डे

मान्यवर, हमें सुझाव देना है मंत्री जी को और कुछ नहीं कहना है।

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूं। पशुपक्षी के बारे में हमारे मंत्री जी काफ़ी व्याकुल रहते हैं। मैं कुछ अपनी समस्याएं रखना चाहता हूं। मान्यवर, आपके विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य बड़ी धूमधाम से कराया जाता है इस देश के हित में, आप भी जानते हैं। लेकिन जो यह कागज के आंकड़े तैयार करके हमेशा इतने वृक्ष लगाते चले जा रहें हैं यह आपके पास केवल आंकड़े—आंकड़े हैं। एन0 आर0ई0 पी0 का 20 प्रतिशत आपके वृक्षारोपण पर खर्च हो रहा है इसके अलावा हर विकास खंडों पर दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस पैसे का ठीक ढंग से उपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है।

फ़र्जी मस्टररोल बनाते—बनाते आपके विभाग के लोग परेशान हो जाते हैं फ़िर भी पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो गांवों में गोचर नियुक्ति करते हैं वह गांवों के गुण्डों की नियुक्ति करते हैं। इसलिये वह गांवों में जाकर और गरीबों से उनकी भैंस का जुर्माना लेकर विभाग को नहीं देते हैं बल्कि खुद ले लेते हैं। इसकी माननीय मंत्री जी जांच करावें और इस मामले की छानबीन करावें और ऐसे लोगों को लेवें जो अगर वृक्ष सूख जाय, उनको गोचर लगायें और उस स्थान की पूर्ति की जाय। मान्यवर, मैं बस्ती जिले में बनगवां से धुर्ता जंगल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मुद्दत से किसान वहां पर बसे हुए हैं और इस साल आपके जंगल विभाग ने कहा कि यह तो हमारे नाम निकल आई है।

मान्यवर, यह कहा कि आज जहां मुद्दत से किसान खेती करता है, आपके विभाग के लोग पुलिस के बल पर उनको दबाना चाहते हैं। मान्यवर, जहां तक जानवरों की बात है सारी फ़सल बर्बाद हो जाती है। मेरा निवेदन है कि जंगल विभाग की ओर से बनगवां से घरौता तक और हरगांव तक जहां तक जानवर खेतों को नष्ट करते हैं,वहां पर तार की बाड़ की व्यवस्था करें जिससे कि खेती की रक्षा हो सके। जहां आपके यहां पेड़ों की कटान है, पेड़ पुलिस के सहयोग से काटे जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे पकड़े जाते हैं तो आपके रेंजर पिछली तारीखों में उन पर जुर्माना करकेउसकी रोक कर देते हैं। इस तरह से सांठ-गांठ करके पेड़ों की कटान हो रही है। मेरा सुझाव है कि जंगल विभाग की ओर से शिक्षा संस्थाओं को लकड़ी सस्ते रेट पर दें,जिससे कि शिक्षा संस्थाओं को सहयोग हो सके। आशा है कि मेरे इस सुझाव को मा0 मंत्री जी स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल संकलानी—

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस समय जो जंगलों की कमी हो गयी थी पूरे देश और प्रदेश में, उसे मानक में लाने के लिये सामाजिक वानिकी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यक्रम शासन द्वारा चलाया जा रहा है। वह मानक में लाने का काम अपने आप में एक सराहनीय कदम है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों द्वारा लगन से जो काम किया जा रहा है, उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं। मैं दो-तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सौभाग्य से वन मंत्री पर्वत के निवासी हैं, पर्वत में जन्में हैं। आज देश में सूखा पड़ा, शताब्दियों पहले भी ऐसा सूखा पड़ा करता था, हमारे यहां पर्वतों में कंदमूल ऐसे फल जंगलों में होते हैं जिनको खाकर लोग कई दिन गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज वहां पर्वतों में रहने वाले लोगों के पशुओं के चरने के लिये पर्वतवासियों के पास कोई चारा नहीं है।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आज जो सामाजिक वानिकी में एन0 आर0 ई0 पी0 में 25 प्रतिशत बजट दिया जाता है, उसमें सुनिश्चित किया जाय कि इसमें उत्तम घास के पेड़ लगाए जांय। हमारे यहां ऋषिकेश के पास औषधि निर्माण संस्थान के पास पशु लोक अनुसंधान शाला है। अनुसंधान होता है। वहां ऐसी घासों पर अनुसंधान हुआ है जिनमें अधिक प्रोटीन होती है। वहां पर विभिन्न अनुसंधान किये जाते हैं। इनको सामाजिक वानिकी में लिया जाय। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जंगली हाथियों का प्रकोप इतना हो गया है कि आज तक 26 व्यक्ति जंगली हाथियों द्वारा मौत के घाट उतार दिये गये। अभी कुछ दिन पहले वीरभद्र औषधि निर्माण संस्थान में काम करने वाला एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था सुबह 6 बजे, हाथियों ने उसे पकड़ कर कुचल दिया। वह ड्यूटी पर नहीं जा सका। इस तरह से 26 व्यक्ति मार दिये गये।

सैकड़ों एकड़ भूमि, जिसमें फ़सल कटने को तैयार है, उसे जंगली हाथी बर्बाद कर रहे हैं। इस ओर मैंने कई बार वन रक्षक और वन मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। इन जंगली हाथियों को यदि समय रहते निदान नहीं करेंगे तो जहां पर खेती होती है, गरीब कृषक जहां पर 6 महीने में फ़सल की प्रतीक्षा करता है उसके बाद उस पर आश्रित होता है, उसकी फ़सल को हाथी बर्बाद कर देते हैं। तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, हमारे यहां, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां 3/4 जंगल है और 1/4 आबादी है। उसमें भी 1/16 नदी-नाले और खाले हैं। वह इतने बढ़ गये हैं कि हमारे वन विभाग की ओर से या शासन की ओर से कुछ नदियां संवेदनशील करार दी गयी हैं। जिसके कारण उनमें आप के अधिकारी बजरी, पत्थर भी नहीं उठाने देते हैं, इसके दो नुकसान हो रहे हैं, तो एक तो गांव में रहने वाले अपने मकान की मरम्मत कराने में इसमें दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें दूर से सामान लाना पड़ता है, दूसरे नदी चौड़ी हो गयी हैं, जो आस-पास की जमीन को पाटती जा रही है। इस तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री राम सजीवन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम संजीवन जी आप बैठे, आगे दूसरे विभागों के बजट हैं, उन पर बोल लीजियेगा।

श्री किशोरी लाल सकलानी--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि नदियों के दोनों तरफ तट बन्द बांध कर नदियों को फैलने से रोका जाय और उनके किनारों पर जो भूमि तट बन्द बांध कर निकले थे उस पर पेड़ लगवाये जांय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें भाग लिया। मैं उस पक्ष के भी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने भी यही वही बातें रखीं, जो मैंने परखीं। भले ही दलीय अनुशासन के नाते वह इसका समर्थन करते रहते लेकिन बीच में वह बातें भी कह गये। मान्यवर, वन ही जीवन है। जीवन को वन की आवश्यकता है। हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, अपर लेयर है, उसमें कमी आने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, यह वनों के कटान के कारण है। इसको गंभीरता से लें, उसका उपाय करें इसके अतिरिक्त वनों का जितना प्रतिशत होना चाहिये उसमें कमी रहे इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी आपके अधिकारी अब तक अन्य तरीके से भी वनों को कटवा रहे हैं इलाहाबाद प्रतापगढ़ रोड पर देखा गया है कि तमाम पेड़ों की छालें कटवा दी गयी हैं उससे थोड़े दिन बाद पेड सूख जाते हैं और फिर उस दशा में उस पेड़ को कटवाने में आसानी हो जाती है यह जो एक तरीका निकाला गया है पेड़ों को खत्म करने का इस पर गंभीरता से ध्यान दें। आपका जो वन अधिनियम है इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है इसको भी देखने की आवश्यकता है।

एक आपके यहां श्री महेन्द्र सिंह यह डी0 एफ0 ओ0 भी नहीं थे लेकिन ऊंची पहुंच के कारण डी0 एफ0 ओ0, बने, इनका स्थानान्तरण बहराइच से हुआ लेकिन आपके अधिकारी और आपकी सरकार इनको हटा नहीं पायी उल्टे इनको प्रोन्नत करके दुधवा पार्क का डायरेक्टर बना दिया गया है। इनके ऊपर तमाम वित्तीय अनियमितताओं और विभागीय अनुशासनहीनता के आरोप लगे हुये थे लेकिन उन पर लगे आरोपों को अनदेखा कर उन्हें डायरेक्टर तक बनवा दिया गया। यह गंभीर बात है, इसको देखने की आवश्यकता है। वन निगम में काफी भ्रष्टाचार है। जो अध्यक्ष हैं, करोड़ों रुपये की लकड़ी उन्होंने बिकवा दी है लेकिन चूंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई न हो रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपकी योजनायें चल रही हैं इससे काम चलने वाला नहीं है।

आपकी ग्राम समाज की जितनी भी जमीन है, नजूल की जमीन है और जितनी भी सहरों के किनारे सड़कों के किनारे और रेलवे लाइन के किनारे जमीन है उन पर आप जनता के लोगों को यह अधिकार दें कि वे उस पर पेड़ उगा सकते हैं और जब तक वह पेड़ वहां रहेगा जमीन उनकी रहेगी और जब वह पेड़ कटेगा पेड़ की कीमत वह लेंगे लेकिन जमीन वन विभाग की या मूल विभाग की हो जायेगी। इस चीज को आप प्रोत्साहन दीजिए इससे आपकी नीति भी आगे बढ़ेगा और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ देशों ने इसे अपनाया है और अपने यहां वनों की समस्या को पेड़ों की समस्या को कुछ इस तरह का प्रोत्साहन देकर समाधान भी किया है।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि वनों को बढ़ाने के लिये विभाग को एक जन आन्दोलन बनाना चाहिये। अभी इनका विभाग जनता का सहयोग नहीं ले रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इनके विभाग में कोआपडिनेटिंग एप्रोच होनी चाहिये। इसके लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि तथा जनता, सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाय तो निश्चित रूप से यह वनों के विकास में सहायक होगा। मान्यवर, अभी भी जो हमारी बहुत सी इनर्जी है, वह व्यर्थ में जा रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मथुरा रिफाइनरी जो हमारी है, वहां से 1 करोड़ रुपये की गैस व्यर्थ में फूकी जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, इस गैस का सही इस्तेमाल अगर जनता में किया जाय तो वनों का कटान कम हो सकता है। इसी प्रकार सोलर ऊर्जा की बात आती है, इसको भी जनता

में लोकप्रिय बनाने की आज जरूरत है। इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिये और जो गांवों के लोग हैं, उनमें इसे विशेषकर लोकप्रिय बनाना चाहिये। मान्यवर, ब्लाकों में और विकास खंडों में, उनके द्वारा जो गैस प्लान्ट लगाये जा रहे हैं, वह फर्जी तौर से लगाये जा रहे हैं। अगर आप इसको सही तरीके से लगवा दें तो आपके वनों का तमाम लकड़ी बच सकती है।

मान्यवर, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि अभी आपूर्ति विभाग का बजट है और माननीय हुकुम सिंह जी तथा मानपाल सिंह जी यहां पर बैठे हैं। मान्यवर, मानव का जीवन खतरे में न पड़े और हम आप बचे रहें इसके लिये वनों के कटान को रोके जाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिये आप घोषणा करें कि हम मिट्टी के तेल को सस्ता करेंगे। आपकी जो फेयर प्राइस शाप्स हैं, जो दुकानें ग्रामीण इलाकों में खड़ी हुई हैं वहां पर आप इस तेल को सस्ता करके बेचें तो काफी लकड़ी बच सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तेल को वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें तो इतनी लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इन्होंने मिट्टी के तेल के दाम इतने ज्यादा कर रखे हैं कि उसको यह मिल नहीं रहा है। मान्यवर, मजदूरों का शोषण हो रहा है और दुधवा पार्क के बनते समय आपने जो वहां के लोगों से वायदे किये थे, मान्यवर, उनको निभाया नहीं जा रहा है। उनको जो अधिकार मिलने चाहिये, उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही है। उनका जीवन आज खतरे में पड़ गया है।

मान्यवर, हमारे जो नेशनल पार्क हैं, जैसे दुधवा, कार्बेट, राजाजीपुरम् में जो जो विकसित किये जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उनको जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, वह उन नेशनल पार्कों को अपनी ऐशगाह और चरागाह बनाते चले जा रहे हैं। जिससे मान्यवर, वहां की व्यवस्था खराब होती जा रही है। मान्यवर, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वहां कुछ नहीं है जब पर्यटक वहां जाता भी है, तो उसे कोई सुविधा नहीं मिलती, इस कारण से प्रदेश के खजाने से आज बहुत बड़ी धनराशि की हानि हो रही है। मेरा निवेदन है कि इसको ऐशगाह न बनाया जाये और जिस भावना से इन पार्कों का निर्माण किया गया था, उसका ध्यान रखा जाय।

मान्यवर, ब्रज में बहुत से वन थे जैसे ग्राम वन, डोड वन आदि, आज वहां रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है। मान्यवर, वहां पर आज कदम के पेड़ लगाये जाने चाहिये। करील के पेड़, जिनका कि वर्णन हमारे ग्रन्थों में भी किया गया है, लगाये जाने चाहिये। मान्यवर, मथुरा वृन्दावन के बीच एक पशु पक्षी विहार की स्थापना की गई है, मैं वहां पर एक हफ्ते पहले गया था, तो वहां जो घड़ियाल हैं, उनका पानी नहीं बदला जाता है। पानी में बदबू आ रही थी। जो वहां पर खरगोश हैं, हिरन हैं तथा अन्य वन्य जन्तु हैं, वे बहुत दुबले-पतले हो रहे थे और वे मरणासन्न स्थिति में थे यहीं राजधानी में आप कुकरैल चले जायें, जितना खर्चा इन प्रजातियों पर होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है। उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। जो विकसित देश है, वहां जहां पर कम्पयुटर लगाया जा रहा है, उनसे यह पता चलाता है कि एक जानवर को कितना खाना देना चाहिये और किस तरह से सन्तान पैदा की जाय आदि। वन विभाग में भी इस नई टेक्नोलाजी का प्रयोग किया जाना चाहिये। अन्त में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और साथ ही अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बल्देव सिंह आर्य---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को जिन्होंने वन विभाग के बजट पर अपने सुझाव दिये हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। जितने माननीय सदस्य बोले हैं, उनकी एक-एक बात का जवाब देना मेरे लिए इस समय सम्भव नहीं है लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सुझाव उनके आये हैं, उन पर हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। हमें विश्वास है कि उनके सुझावों से निश्चित ही वन विभाग को लाभ पहुंचेगा।

सबसे बड़ी शिकायत की गई कि पेड़ों का कटान जोरों से हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह शिकायत कोई अनुचित नहीं है। मुझे भी खबर मिली है कि पेड़ों का कटान जोरों पर है। उसको रोकने के लिये हमने अनेक आदेश किए हैं। जो अधिकारी उस क्षेत्र में रहते हैं, उनसे कहा गया कि यदि इसे न रोका गया तो उनको निलम्बित कर दिया जायेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। डी0 एफ0 ओ0 स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे कहा गया है कि वे पुलिस अधीक्षक के साथ मीटिंग करके इस तरह के कार्यक्रम बनायें, जिससे अवैध कटान को रोका जा सके। मैं केवल इतना आश्वासन दूंगा कि मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं होने दूंगा।

दूसरा, माननीय श्री सरदार सिंह जी ने, हमने जो लक्ष्य पूरे किये हैं, उन पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे पेड़ जीवत भी हैं कि नहीं। बात उनकी अपनी जगह पर सही है। इस बात का दुख अवश्य है उन फीगर्स को हम यहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाये, लेकिन भविष्य में इसका ख्याल रखा जायेगा। यह तो साधारण समझ की बात है कि चाहे मैं स्वयं ही पेड़ लगाऊं या आप लगायें, 10-15 परसेन्ट तो मर ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मर जांय। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बड़ी क्षमता, योग्यता और निष्ठा से काम कर रहे हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि सब एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अधिकारी सही काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो शिकायत श्री सरदार सिंह जी ने की है, उनको हमारे अधिकारी दूर करने का प्रयास करेंगे। टाईगर मारने की बात कही गई है और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है तो मैं अपका इतना ही बताना चाहता हूं कि उसमें सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हो रही है और उसके बाद जो रिपोर्ट आयगी, उस पर कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही --

सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट तो आ गई है, अधिकारीगण दोषी पाये गये हैं, उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैं तो इस पर इतना ही कह सकता हूं कि इन्क्वायरी चल रही है, उसके बाद आप पूछ सकते है कि क्या नतीजा रहा। तब मैं बता सकता हूं।

श्री सरदार सिंह जी ने कहा कि मुख्य वन संरक्षक जो बनाये गये हैं, वह कैसे बनाये गये हैं, तो पहले वाले रिटायर हुए हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसी को चार्ज दिया जाता है, अब चयन समिति विचार करेगी कि किस अधिकारी का चयन किया जाय किसका न किया जाय।

फतेहपुर जनपद के अचल सिंह जी ने शिकायत की है कि वहां जबर्दस्ती किसानों की भूमि पर पेड़ लगाये जा रहे हैं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वन विभाग जबर्दस्ती किसी निजी भूमि पर पेड़ नहीं लगाता है। आपने स्वयं अपने पत्र में जो कल आपने धारा-56 में दिया था, उसमें लिखा है कि जमींदारी विनाश के समय स वन विभाग इस पर अपना कब्जा और अधिकार बताता है, इस प्रकार लोगों ने जो उस पर कब्जा किया है, वह कब्जा अनधिकृत हो सकता है, लेकिन यह विवादास्पद विषय है, इसकी जांच करा ली जायगी और जो परिणाम रहेगा माननीय सदस्य को भी मालूम हो जायगा।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि वनों की रक्षा कैसे हो उसके लिये आपको और हमको बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के क्योंकि इसका फायदा सबको होने वाला है, नुकसान सबको होने वाला है, इसलिये हमको मिलकर इस अभियान को चलाना चाहिये जिससे अधिक से अधिक जंगल तैयार कर सकें और यहां के पर्यावरण को ठीक कर सकें। इसके लिये हमें प्रयास करना चाहिये।

आपने वन निगम के बारे में कुछ कहा है। वर्ष 1974 में वह वन निगम बना था। शुरू-शुरू में तो स्थिति ऐसी थी कि 64 लाख रुपये का टर्नओवर था लेकिन आज इसमें 113 करोड़ रुपये का टर्नओवर है। मैं कह सकता हूं कि जितने भी मुनाफा देने वाले पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं, उनमें से यह एक है जो मुनाफे का चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। पौधशालयें भी इनके पास हैं और वृक्षारोपण का भी काम करते हैं, 50 हेक्टेयर जमीन में इन्होंने वृक्षारोपण भी किया है।

माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रगट किये हैं सारे नोट हैं, उन पर जरूर कार्यवाही होगी, उनको स्वयं मालूम हो जायगा कि क्या एक्शन लिया है।

मैदानी क्षेत्र में "शिल्वी पास्चोरल" योजना है, जो कि भारत सरकार से पुरोनिधानित है, यह पशुओं के लिये चारा तैयार करने की योजना है। वह ऐसा चारा है, जिसकी पशुओं के लिये अत्याधिक कमी है। यह स्टाल फीडिंग के लिये तैयार किया जायगा। इस योजना को गंगा के खादर, तराई के इलाके में 1400 हेक्टेयर में पहले शुरू किया जायेगा। 66 लाख रुपये की यह नई योजना है इसमें 50 प्रतिशत भारत सरकार अनुदान देगी। यह चरागाह विकास, सामाजिक वनीकरण पहाड़ों के लिये भी है। इसमें पहाड़ों के लिये घेराबन्दी करके चारा तैयार किया जायेगा और इसे निःशुल्क गांव वालों को दिया जायेगा। इसमें 25 लाख रु0 पर्वतीय विकास विभाग खर्चा करेगा ऐसा इसमें है।

आपने जो सुझाव दिये हैं उन पर मैंने मोटी-मोटी बातें कह दी हैं, लेकिन सब सुझाव के ऊपर इस समय बात करना सम्भव नहीं है। इन सब पर हम कार्यवाही करेंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मैं वह बात नहीं कहना चाहता हूं जो कर न सकूं और जो बात कर नहीं सकता उसे मैं कहना भी नहीं चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये और जिन्होंने आलोचना की है वह वन विभाग के फायदे के लिये ही की है। आलोचना से डर जाऊं, यह बात नहीं है। आलोचना हमारे विकास कार्यों में मदद देती है। हमें उम्मीद है कि माननीय सदस्यगण जहां के वे प्रतिनिधि हैं अपने-अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जरूर देखेंगे और उसको सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे और वन विभाग के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बीस सूत्रीय प्रोग्राम में सम्मिलित किया है उसका नतीजा यह हो रहा है कि जिला योजना फंड में 20 प्रतिशत सामाजिक वानकी के नाम पर अनिवार्य फंड उसमें झोंक दिया गया है। आगरा में जहां आदमियों के और जानवरों के पीने के लिये पानी नहीं है वहां आप वृक्षारोपण करा रहे हैं, वहां पेड़ों को पानी कहां से नसीब होगा पेड़ वहां कहां से पानी पायेंगे ? उस फंड को सामाजिक वानकी वाले इस तरह से खर्च नहीं कर पाते हैं तो क्यों आप उस फंड की अनिवार्यता को समाप्त करेंगे ? यह जनहित में है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं इस समय केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो मा0 सदस्य का सुझाव है उस पर हम विचार करवायेंगे।

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या गंगा की रेत में जो नदी का नम्बर है और जहां पानी बहता हो वहां क्या वृक्षारोपण किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो फतेहपुर जनपद में गला था और भऊपुर में जो रेत में गड्ढे खोदे गये हैं वृक्षारोपण के नाम पर क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे ?

मैं मान्यवर अपने प्रश्न को फिर दोहरा देता हूं कि क्या गंगा जी के रेत में नदी का जो नम्बर है, वहां पर वन वृक्षारोपण का कार्य कराया जा सकता है, यदि नहीं तो क्या जहां पर यह कार्य हुए हैं, फतेहपुर में, उन स्थानों पर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में मैं जांच कराऊंगा। ....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

*श्री हरदेव--

मान्यवर, गांवों में जो 60 से 80 प्रतिशत तक लोग रहते हैं, उनके यहां भोजन बनाने का काम मात्र लकड़ी पर ही निर्भर करता है, इस ओर इनके लिये आज बड़ी समस्या लकड़ी को लेकर उत्पन्न हो गयी है, मा0 मंत्री जी कृपया वह बताने का क्या कष्ट करेंगे कि उनके लिये क्या आप लकड़ी का इंतजाम करने जा रहे हैं ? .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मा0 सरदार सिंह जी क्या आप बासप ले रहे हैं ?

श्री सरदार सिंह--

नहीं मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या -53-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 75,58,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वितीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद विभाग

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं। कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 7,03,71,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी खाद्य एवं रसद विभाग के ऊपर जनजीवन में इस्तेमाल होनेवाली हर चीज की आपूर्ति और उनको उपभोक्ता तक सही मूल्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ जो भी उत्पादक अथवा कृषक अपनी फसल को खेतों से बाजार की ओर ले जाने में कहीं कृषकों का शोषण न होने लगे, तो ऐसे मौके पर भी इस विभाग की यह जिम्मदारी है कि इनको उस घोषणा से बचाए और यह देखें कि किसान को कहीं मजबूर होकर अपनी फसल को कम दाम में न देना पड़े। यह विभाग मान्यवर कैसी-कैसी जिम्मेदारियों को निभाता है और वह कैसे निभाता है ? इस बात का ब्योरा कुछ शब्दों में मैं अपने माननीय सदस्यों को के समने रखना चाहता हूं और वैसे भी यह वर्ष विशेष चुनौतियों का वर्ष रहा है, सूख की भयंकर स्थिति रही, जिसे सभी लोग जानते हैं फिर भी प्रदेश भर में इस बात की ओर पूरी तौर से ध्यान रखा गया कि कहीं कोई भी खाद्य सामग्री व आवश्यक वस्तुओं से वंचित न रहे और साथ ही साथ किसान जब अपनी फसल लेकर आया, उसको भी सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

मान्यवर इस साल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और साथ ही साथ नियंत्रण मजबूत करके जिससे जमाखोर परिस्थिति का फायदा न उठा सकें, इस बात को सुनिश्चित किया गया और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस समय पूरे प्रदेश में 42125 सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, जिनमें 30210 निजी क्षेत्र में और 11915 सहकारी क्षेत्र में हैं। इन दूकानों पर जहां कभी 5-6 चीजें रखी जाती थीं, उपभोक्ता आय और उसको अपनी जरूरत की सभी चीजें एक ही जगह पर मिल जायें, 19 आइटम और, बढ़ाये हैं और उनको बेचने की स्वीकृति दी गयी है, उनको रखकर वह बेच सकता है, जैसे टूथपेस्ट, ब्रश, चाय, डालडा आदि चीजें को वह बेच सकता है। इन चीजों को रखने से एक तो दुकानदारों की वाइबेलिटी बढ़ी है और दूसरे उपभोक्ता को दूर-दूर नहीं जाना पड़ेगा।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा० कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए।)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि सुखे का प्रकोप था; तो इस सुखे के प्रकोप से बचने के लिये 2 हजार अतिरिक्त दुकानें खोली जायें। इनका लक्ष्य 2 हजार का था, लेकिन मान्यवर, 2 हजार के स्थान पर 4,204 दूकानें खोली गयीं। यह इसलिये किया गया कि अन्तर कम हो जाये। गांव के रहने वाले आदमी को उसके गांव में ही सारी चीजें उपलब्ध हो जायें, शहर के एक कोने पर रहने वाले आदमी को शहर के दूसरे कोने पर न जाना पड़े। मान्यवर, सबसे ज्यादा संकट आया खाद्यान्न के बारे में, खाद्यान्न में भी गेहूं की, सितम्बर में प्रतीक्षा रहती है कि बारिश होगी, सितम्बर जब गुजर जाता है तो एक ओर तो जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वर्षा नहीं हुई तो वह फायदा उठाना चाहते हैं और दूसरे जो उपभोक्ता हैं, उनके मन में एक आशंका पैदा होने लगती है कि आगे चीजों के दाम और न बढ़ जायें, इस कारण से अक्तूबर में, मैं मानता हूं कि इन चीजों के दामों में वृद्धि हुई है। लेकिन जैसे वृद्धि शुरू हुई, वैसे ही विभाग ने तुरन्त कुछ ऐसे कदम उठाये कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम मार्च के महीने में खड़े हैं; एक महीने के अन्दर उस वृद्धि को वैसा का वैसा रोक दिया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते गये।

मान्यवर, गेहूं, दालें, तेल यह सारी चीजें ऐसी थीं जिनके दाम एकाएक बढ़ते जा रहे थे, चावल की भी यही हालत थी। 45 हजार मैट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह हमको केन्द्र सरकार से आवंटित होता है इन दुकानों को देने के लिये और 50 हजार मैट्रिक टन चावल उपलब्ध होता है, लेकिन जब यह प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन करता है, तो कभी 45 हजार मैट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अक्तूबर के महीने के बाद इन दुकानों में गेहूं की मांग बढ़ने लगी और फरवरी व मार्च के महीने में 45 हजार से बढ़ाकर एक-एक लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया। हमने यह आदेश दिया कि कोई भी दूकान ऐसी नहीं होगी जहां पर चावल और गेहूं उपलब्ध नहीं, चीनी, मिट्टी का तेल तो सभी रख लेते थे, लेकिन आदेश दिये गये हैं कि वह चावल और गेहूं भी रखे। आदेश यहां से गये कि हर दूकानदार को यह लाजिमी है कि वहां पर वह चावल भी रखेगा और गेहूं भी रखेगा। मेरठ मंडल और आगरा मंडल में जरूर स्थिति ऐसी थी जहां चावल का उठान नहीं हुआ। वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई और दुगनी मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया गया।

माननीय सदस्य सहमत होंगे कि अभी दाम बढ़ाने की बात आई थी। शायद पूरे प्रदेश में कोई दूकान सस्ते गल्ले की ऐसी नहीं है जहां पर राशन कार्ड होल्डर को चावल या गेहूं न मिलता हो। चीनी तो मिलती ही है। मान्यवर, गहूं का कोटा हमने तय किया। 8 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड, 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड। पर्वतीय क्षेत्रों में 2-2 किलो और बढ़ा दिया गया है। मान्यवर, कभी-कभी इस बात की शिकायत आयी कि अच्छी किस्म का गहूं नहीं है। उसमें मिट्टी है कंकड़ है। हमने अधिकारियों को सक्रिय किया और आदेश दिया कि खुद जाकर वे सुनिश्चित करेंगे कि गेहूं और चावल या दूसरी चीजें जो हैं उनका मानक नहीं गिरना चाहिये। एक शिकायत और दूकानों के बारे में आती थी कि वे समय पर नहीं खुलती हैं, दूकान पर सामान होता है लेकिन दिया नहीं जाता है और कभी-कभी हमारे अधिकारियों के बारे में भी शिकायत आती थी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेशित करके इस बात को सुनिश्चित किया कि ब्लाक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर काम की मौनेटरिंग होनी चाहिये और उसके लिये सतर्कता समितियों का गठन हर ब्लाक स्तर पर किया गया, न्याय पंचायत स्तर पर किया गया जो हर जिले में हैं। कोई जिला एसा नहीं है जहां इस तरह की सतर्कता समितियों का गठन न किया गया हो। प्रदेश स्तर पर एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया गया जिसका मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूं। हम लोग हर हफ्ते बैठकर अधिकारियों को बुलाकर इस बात का परीक्षण करते हैं कि कहीं अभाव तो नहीं हो रहा है, यदि इन चीजों का कहीं अभाव होता है तो उनको हम सुनिश्चित करते हैं।

मान्यवर, हमें भी केन्द्र सरकार के खाद्य मंत्री से मिलने का अवसर मिला। जो हमने कहा, जो कमी हमने बतायी उसे उन्होंने पूरा किया और आज प्रदेश में मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि वितरण व्यवस्था पर जो शंका हम कर रहे थे, वह नहीं आने दिया।

एक योजना जो हमने थोड़ा गरीब लोगों के लिये चलाई वह जन-जातियों के लिये है। उसको भी हम चला रहे हैं। भारत सरकार के समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में देहरादून, चमोली पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में 11 जनजातीय ब्लाकों में विशेष रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत 1.55 रु0 प्रति किलो गेहूं तथा 1.85 रु0 प्रति किलो चावल का वितरण कराया गया। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला तथा मुंशियारी एवं चमोली जनपद में जोशीमठ ब्लाक में विशेष रियायत देकर यह योजना लागू की। प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से पैसा देकर यह रियायत सुनिश्चित की।

मान्यवर, राशनकार्ड की शिकायतें भी आयी हैं। इस वक्त पूरे प्रदेश में 246,10,152 राशन कार्ड हैं जिसके अन्तर्गत 11,85,34,194 यूनिटें आती हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कभी-कभी राशनकार्ड के लिये फार्म नहीं मिलते थे। इस सारी कमी को दूर करने के लिये हर ब्लाक पर हमने सुनिश्चित किया है कि कहीं भी राशन कार्ड की शिकायत आती है तो उसको तुरन्त दूर किया जाय।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूंगा अगर वे अपने क्षेत्र के बारे में, अपने जनपद के बारे में कोई इस प्रकार की जानकारी देंगे कि वहां राशन कार्डों की कमी है। मैं आश्वस्त करता हूं कि उसे तुरन्त पूरा कराया जायेगा और उसमें किसी अधिकारी की कमजोरी की वजह से या उसकी उदासीनता की वजह से कठिनाई आई होगी तो उसे देखा जायेगा कि उसके विरुद्ध क्या किया जाय।

चीनी के बारे में कोई खास बात कहने की नहीं है। चीनी का कोटा 50 हजार मी0 टन से 52 हजार मी0 टन मिलता है। शहर और गांव के लिये कोटे में जो अन्तर है उसकी बात कही जाती है क्योंकि शहर में एक किलो प्रति यूनिट चीनी मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में ढाई सौ (250) ग्राम मिलती है क्योंकि चीनी का कोटा निर्धारित है उसे हमें दोनों क्षेत्रों में बंटवाना है। कोटा ज्यादा मिलता नहीं है ग्रामीण अंचलों में चीनी के इस्तेमाल के साथ खांडसारी और गुड़ की भी उपलब्धता रहती है उसको देखते हुये यह सोचा गया कि एक किलो चीनी शहरों में और ढाई सौ ग्राम ग्रामीण अंचलों में प्रति यूनिट ही रखी जाय।

खाद्य तेलों के बारे में काफी संकट आया उसके दाम एकाएक बढ़े सरसों का तेल 28 रु0 से 30 रु0 तक पहुंच गया। उस समय हमारे यहां आयातित तेल पामोलीन और पाम आयल का ज्यादा प्रचलन नहीं है और उसे हम एक हजार या 15 सौ मी0 टन मंगाते थे और उसे वितरण व्यवस्था में जोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। लेकिन जैसे-जैसे शिकायतें आई कि तेलों के दाम बढ़ रहे हैं और उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है तो हमने उस एक हजार या 15 सौ मी0 टन को बढ़ाकर 10 हजार मी0 टन किया। तो एका-एक उस 10 हजार मी0 टन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिये कोई मशीनरी नहीं थी उसमें थोड़ा समय लगा इस पर पुनर्विचार हुआ लेकिन आज सारी वितरण व्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी है। इसमें दो प्रकार के रेट हैं खुले में 15.00 प्रति किलो और दो के0 जी0 का बंद डिब्बा 40.40 पैसा। आप राशन कार्ड ले जाय तो तत्काल मिल जायेगा। जहां कहीं से हमारे अधिकारी या जन प्रतिनिधि हमें बताते हैं कि फलां-फलां जगह कमी है तो वहां हम उपलब्धता सुनिश्चित

कराते हैं। हमारे विभाग से संबंधित आवश्यक वस्तु निगम को इस बात की जिम्मेदारी दी गयी है कि वह इस वितरण व्यवस्था को देखे, सहकारिता विभाग के सहयोग से इस काम को हम सुचारु रूप से चला रहे हैं। (व्यवधान) देवरिया में मिट्टी तेल की क्या व्यवस्था है वह भी बता दूं क्योंकि मिट्टी तेल की दिक्कत आती है।

अप्रैल 87 में इस प्रदेश के लिये 78,270 कि0 लीटर तेल उपलब्ध कराया जाता था। आज उसे बढ़ा कर 85,285 किलो लीटर कर दिया गया है। इसमें कई रुकावटें आती हैं जिसमें एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि डीजल के दाम और मिट्टी तेल के दामों में काफी अन्तर है। हमारे समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अक्सर कमी का फायदा उठाना चाहते हैं। मिट्टी के तेल को डीजल में मिलाकर बेचते हैं। हमारे शासनादेश इस बात के हैं और नियम भी हैं। ऐसा न करने पाये और सैकड़ों लोगों को पकड़ कर बंद भी किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है। इतना बड़ा प्रदेश है उसमें खराबियों में जितनी कमी हो जाय उतना अच्छा है; प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिये कि बुराईयों में कमी आये (व्यवधान) हर व्यापारी को अपने आप में देशद्रोही समझना अपराधी समझना कहां तक उचित है।

कार्यवाही हमें तभी करना है जबकि सुनिश्चित जानकारी किसी के बारे में मिल जाये। सरकार का सोचना है कि ऐसा वातावरण बनाया जाये कि समाज का हर वर्ग अपने आपको उत्तरदायी समझने लगे। केवल यह ठेका व्यक्ति विशेष, दल विशेष या वर्ग विशेष पर नहीं है कि वह ईमानदार हो बाकी बेईमान हों। इसका आशय यह है कि कुछ लोग नम्बर दो का पैसा, कालाधन कमाने लगे, इस कारण डीजल पम्पों से नमूना लेना, उनका लेखा जोखा चेक करना यह निरन्तर, सतत प्रक्रिया है जो चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी और जहां शिकायत आयेगी वहां हम कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, कुछ सीमेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि अब से एक महीना पहले सीमेंट की स्थिति ऐसी थी कि कोई समस्या नहीं थी। बल्कि समस्या यह थी कि कैसे बेची जाये। लेकिन एक महीने से लेवी सीमेंट की कठिनाई आयी है। हमको केन्द्र सरकार से लेवी सीमेंट का आवंटन होता है, इसलिये वहां से इस संबंध में बात किया। हम चाहते हैं कि जो आबंटन किया जाये उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। हम इसके बारे में जल्दी ही सीमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ और केन्द्र सरकार के अधिकारियों से सीमेंट के संबंध में बात करेंगे जिससे कोई समझौता हो जाये। आज लेवी सीमेंट और नान-लेवी सीमेंट में कीमतें दुबारा बढ़ना शुरू हुई हैं जिसको रोकना है।

मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि एक तो विभाग का कार्यक्रम था कि हर जिले में 5 हजार मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया जाये, इस ओर हमने कार्यवाही की है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस पांच साल की योजना में जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं कर पाये और पूरा कर भी नहीं पायेंगे कि जो प्राइरिटीज निर्धारित की गयीं, उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाये लेकिन मार्च 1988 तक पिछले वर्ष के गोदाम की जो स्वीकृति हुई थी, उनका काम पूरा होने की आशा है और पूरा होने से उन जनपदों में भंडारण की व्यवस्था हमारी सुनिश्चित हो जायेगी। मान्यवर, यह जिले हैं ललितपुर, झांसी, बांदा, अलीगढ़, पीलीभीत, खीरी आदि जहां मार्च, 1988 तक गोदाम पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त टनकपुर और रुद्रपुर में 2.4 हजार मेट्रिक टन के गोदामों की स्वीकृति हो चुकी है।

मान्यवर, अब मैं बांट एवं माप विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि जितनी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं वहीं जिम्मेदारी यह भी है कि जितनी संख्या या तौल में वह उपलब्ध होनी चाहिये वह उपभोक्ता तक पहुंच रही है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करने के

लिये हमारा; निदेशालय है, उसके अधिकारी तहसील स्तर तक हैं जो इसको देखते हैं कि पुराने बांट, वह जमाना भी देखा है जब बांट की जगह ईट, पत्थर रखकर तोलते थे, उसके द्वारा उपभोक्ता का शोषण तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि पुरानी तराजू से डंडी मार ली जाती थी किन्तु आज वह डंडी किसी के हाथ में हो लेकिन वह मार नहीं सकता है। इसके अलावा मजरमेंट के डीजल पम्प जो हैं उनके बारे में शिकायत आती थी कि दो लीटर के बजाए पौने दो लीटर दे दिया। तो हम पीरियडिकली चेकिंग कराते हैं और उसके बाद हर आदमी के लिये जो तौल करके भेजता है एक निश्चित अवधि के बाद हमारे अधिकारी से चेक कराये और मोहर लगवाये और यदि एसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण के लिये कि कैसे कंज्यूमर्स को हम सही चीज उपलब्ध करा सकें, एक मूवमेंट चलाया गया था कि जिससे उनमें एक चेतना इस बात की आए कि वह सरकारी अधिकारियों के भरोसे ही न बैठें रहें, बल्कि वह स्वयं सोचें कि उसको अच्छी सेवा और चीज मिले। इसके लिये केन्द्र सरकार एक क्रान्तिकारी विधेयक पास किया और उसमें प्रदेश सरकार को भी अपने यहां इस हेतु नियमावली बनाने का अधिकार दिया गया था। हमने अपने यहां नियम पारित किया और प्रदेश स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ...।

श्री अधिष्ठाता --

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री हुकुम सिंह --

जितना आप कहेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर एक तो इस पुस्तक में सब चीजें आ गई हैं, मंत्री जी को इसके अतिरिक्त कुछ बताना हो तो हम सुन सकते हैं, अन्यथा वह अपनी बात समाप्त करें। मेरी दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहां से अभी एक लिखित प्रस्ताव आया हुआ है, जिसमें यह है कि यहां इस विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी गण ने हड़ताल कर दी है, जो यहां पर काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर हैं उनको छोड़कर। और यह सब हड़ताली कर्मचारी यहां कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने अपनी मीटिंग कर रहे हैं। इस समय चार-सवा चार बजा है, सदन कल भी है। आप ऐसी स्थिति में अब हमें यह बता दें कि हम लोग कल से नियम 51 और 56 की सूचना कहां पर डालेंगे और इस संबंध में क्या व्यवस्था हो रही है। उनकी मांग है कि सचिवालय कर्मियों को जो वेतन वृद्धि और सुविधा दी गई हैं, उसके समान वे सभी इनको भी दी जायं। इस पर हम व्यवस्था चाहते हैं कि कल हम कहां देंगे ? क्योंकि कल सचिवालय बन्द रहेगा ?

श्री अधिष्ठाता

माननीय शाही जी, आप चिन्ता न करें, व्यवस्था सब हो जायेगी। मंत्री जी अपना भाषण शुरू करें।

श्री हुकुम सिंह--

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बारे में भी अब मैं कुछ कहना चाहूंगा कि किस प्रकार वह अपने कर्मचारियों को सस्ते दामों पर चीज उपलब्ध कराता है और शनैः शनैः उसकी लोकप्रियता और विश्वासनीयता बढ़ी है। चमोली को छोड़कर हर जिले में इसका एक डिपो खुल गया है और पूरे प्रदेश में इस निगम के कुल 71 डिपोज बने हुये हैं, जहां पर रोजमर्रा की आवश्यकता में आने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको और मजबूत और सुगठित किया जाये, जिससे यह और ज्यादा सेवा उपभोक्ताओं की कर सकें।

इसमें जो हमारा दूसरा विभाग विपणन का है, विपण न विभाग है, उसके बारे मे कुछ कहना चाहूंगा। इस बारे में गेहूं जब खरीदा गया और उसके बारे में बार-बार यह शिकायतें मिलने लगीं कि बहुत सस्ते दाम पर गेंहू बेचना पड़ रहा है, तो यह विभाग द्वारा किये गये कार्यकलापों को श्रेय जाता है कि किसानों को उसके उपज की सही कीमत मिली, और कहीं-कहीं पर अपने उदार दृष्टिकोण को अपनात हुये उनका भीगा गेंहू भी स्वीकार किया गया, खासकर बुलन्दशहर में। धान के बारे में भी ऐसी ही स्थिति रही है। लेकिन धान का जो बाजार भाव था, यह हमारा जो निर्धारित भाव था बाजार भाव से कम रहा, इसलिए उसको हमारे खरीदने की बात नहीं आई। बेचना और खरीदना हमारा बेसिक काम नहीं है। खरीदने की बात तब आती है जब हमें सेन्ट्रल पूल में योगदान करना हो या उसके बाजार भाव बहुत कम हो जाने से कृषक को नुकसान होने लगे। इसका 175 176 दाम हम रखते हैं, जिससे हमारे शाही साहब उसको डेढ़ सौ रुपये में न खरीद सकें और यही शिकायत शायद हमारे साथियों का रहती भी है। यह संक्षेप में सामान्य रूप-रेखा विभाग के कार्यकलापों की रखी। अब मैं सभी सम्मानित सदस्यों के सुझावों का स्वागत करके उसके बाद कुछ कहना चाहूंगा।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि मैं ऐसे विभाग के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है, लेकिन संतोष इस बात का है कि इसी कारण मैं उसकी मांग को घटाकर एक रुपया करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। मान्यवर, यह सम लोगों की बदकिस्मती है कि हिन्दुस्तान की 40 साल की आजादी के बाद भी आज बाजारों में एक ही चीज अलग-अलग कीमतों पर मिलती है। एक ही चीज की कीमत अलग-अलग होती है। यह हमारा दुर्भाग्य है। मान्यवर, 40 वर्ष से उधर के लोग शासन में बठे है और इसी आसन पर विराजमान है केवल तीन वर्ष के अन्तराल को छोड़कर।

मान्यवर चीनी लेवी की कीमत अलग, खुले बाजार में अलग और आयातित चीनी की कीमत अलग है, जबकि चीनी सब एक ही तरह की है। इसी तरह से एक ही तरह के सीमेन्ट की अलग-अलग कीमत होती है। ट्रक से आये सीमेन्ट की अलग, खुले बाजार में अलग और रेल से आये सीमेन्ट की कीमत अलग और लेबी सीमेन्ट की कीमत अलग होती है। यह कैसी विडम्बना है यह हमारी विवशता है कि हमें यह सब देखना पड़ रहा है। आज भी 40 वर्ष की आजादी के बाद मान्यवर, जो आवश्यक वस्तुयें हैं, जीवन यापन के लिये जो आवश्यक वस्तुयें हैं वह बहुत ही सस्ती कीमत पर, एक ही कीमत पर हर जगह हमें उपलब्ध नहीं है। मान्यवर विभागी की पुस्तिका है जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि उसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें पहली लाइन में जो बातें हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं इन्होंने लिखा है कि "प्रदेश के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न और वस्त्र के अतिरिक्त समुचित अन्य आवश्यक वस्तुयें समुचित मात्रा में और उचित दर पर सुलभ कराने के उद्देश्य से खाद्य तथा रसद विभाग स्थापित है।" तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, मोटे तौर पर, मेरी समझ में, इस विभाग के तीन काम होंगे। एक तो यह मूल्यों को नियंत्रित करें। जो जीवन यापन के लिये अति आवश्यक वस्तुयें हैं उनके भावों को नियंत्रित करें। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह सुलभता के साथ हरेक के दरवाजे पर प्राप्त हो सके और तीसरे यदि कभी संकट की स्थितियां आ जाती हैं, दैवी प्रकोप हो जाता है उसमें चोर बाजारी और काला बाजारी

न होने पाये, तो इन तीन बातों के आधार पर विभाग के कार्य कलाप देखें। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, वह यह है कि जो आवश्यक वस्तुयें है उनके मूल्यों को नियंत्रित करें। लेकिन यह मूल्यों को क्या नियंत्रित कर रहे हैं? इनके हाथ में शासन है लेकिन कौन सी वस्तु पर इनका नियत्रण है इनके पास नियंत्रण है तो केवल काश्तकार की चीजों का।

दूसरा चीजें जो मिलों में बनती हैं जैसे कपड़ा है, दवाइयां हैं, सीमेंट है इन चीजों की कीमतें इनके हाथ में नहीं हैं, क्यों नहीं हैं? जब आपका प्रथम उद्देश्य ही गड़बड़ा जायगा तो आप बाकी काम कैसे सुचारु रूप से करेंगे? काश्तकार जो चीजें पैदा करता है उसकी कीमतें तय करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। यह केवल काश्तकारों क शोषण का काम करते हैं। यद्यपि यह कहते हैं कि काश्तकारों की मदद कर रहे हैं लेकिन आप किसानों का बराबर शोषण कर रहे हैं। किसानों के उत्पादों की जो कीमत निर्धारित की जाती है वह किसानों के द्वारा उत्पादन में लगी हुयी लागत को देखकर निर्धारित की जानी चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें फैक्टरियों में बनती है उन पर आप नियंत्रण क्यों नहीं लगाते हैं। 2 रुपये मीटर जो कपड़ा बनता है वह 3 रुपये से ज्यादा न बिकेहै। 2 रुपये किलो जो चीनी बनती है वह 3 रुपये से ज्यादा न बिके। 5 रुपय या 7 रुपये बोरी सीमेंट बनती है वह 10 रुपये से ज्यादा न बिके, ऐसा नियंत्रण करने में आप असमर्थ हैं।

मैं तो कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत में ही खोट है। यह सरकार केवल पूंजीपति परस्त सरकार ही नहीं है बल्कि खुद पूंजी कमाना चाहती है। हमारी विवशता, हमारी मजबूरी का फायदा सरकार उठाना चाहती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो राज्य व्यापार निगम है जो तेल, चीनी आदि चीजों को मुहैया करता है चीजें जब हमारे प्रदेश में कम हो जाती हैं तो उनका मुहैयया कराता है उसका हाल आप देखिये। आज देहात से देहात और शहर से शहर का आदमी जानता है, यही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां खाद्य तेलों की कमी हो गयी है इसलिये इन्होंने पाम आयल विदेशों से मंगवाया है। जरा गौर करें, यह 5240 रुपये टन पाम आयल खरीदते हैं और उस पर इन्होंने 2 हजार से ज्यादा आयात शुल्क लगाया है। इस तरह से कीमत 7 हजार हो गयी। अब आप आगे देखें अगर यह सरकार सचमुच समाजवादी सरकार है और गरीब आदमी की विवशता का फायदा उठाना नहीं चाहती है तो सरकार को चाहिये था कि पाम आयल पर आयात शुल्क न लगाती। एक हजार रुपया भाड़ा का लगा लीजिये तो 8 हजार रुपये हो जाता है लेकिन उसको भी यह 11 हजार रुपये के हिसाब से बेचते हैं जो बाजार में आकर 15 हजार रुपये प्रति टन मिलता है।

इसी तरह से सब जानते हैं कि वनस्पति की हमारे यहां बड़ी आवश्यकता है। यह कोई अय्याशी और ऐसा करने वाली चीज नहीं है। लेकिन जो वनस्पति बनाने वाली कंपनियां हैं उनको यह पाम आयल 15 हजार रुपये टन पर दिया जाता तो इस से साबित होता है कि इनकी नीयत में खोट है और यह लोगों को आवश्यक चीजें उचित कीमत पर नहीं देना चाहते। यहां से लेकर दिल्ली तक जो सरकार है उसकी नीयत में खोट है और यह सरकार हमारी मजबूरी पर हमारी मदद करना नहीं चाहती है, गरीब जनता की मदद करना नहीं चाहती है। जो इनका मूल उद्देश्य मूल्य नियंत्रित करने का है वह यह नहीं कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम समर्थित मूल्य देते हैं। जहां तक समर्थन मूल्य देने का सवाल है आप जरा गौर करें। आपने धान को खरीदने के लिये 80-100 सेंन्टर्स खोले लेकिन एक मन या एक क्विंटल भी धान कोई लेकर इनके पास नहीं आया, किसी ने नहीं बेचा क्योंकि लागत के अनुपात से कीमत नहीं दे रहे थे।

जबकि धान की लागत भी इस साल सूखे की वजह से और भी अधिक काश्तकार को पड़ी थी, लेकिन इस बात को दूसरे लोगों ने तो महसूस किया, बाजार वालों ने महसूस किया परन्तु इन्होंने नहीं महसूस किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इनके क्रय-केन्द्र

जितने खोले गये हैं, उसमें एक भी कुन्टल धान नहीं आया। मान्यवर, ये कहते हैं कि हम सारी चीजों को सुलभता के साथ लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहते ह और इनका विभाग सारी कमेटियों की रिपोर्ट, जितनी भी कमेटियां बनी जिनमें भारत सरकार की भी सहमति जनता के फ़ायदे के लिये बनी थीं, उसकी रिपोर्ट को इनका विभाग मानने के लिये इन्कार करता है। आज से 4-5 साल पहले यह फ़ैसला हो गया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम दूकानें 60 हजार होनी चाहिये, दो हजार प्रति यूनिट के हिसाब से यद्यपि मैं समझता हूं कि एक दुकान पर दो हजार प्रति यूनिट भी अधिक है, उससे भी कम एक दूकान पर होनी चाहिये, तभी सुगमता के साथ जो आवश्यक वस्तुयें हैं, लोगों तक पहुंच सकती हैं मिट्टी के तेल की क्या स्थिति है, यह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं महाराष्ट्र गया था और कई गांवों में जाने का मुझको मौका मिला, वहां पर गांवों में, गलियों में रिक्शा पर ड्रम रखे हुए घर-घर मिट्टी का तेल बिक रहा है। मान्यवर, तमिलनाडु में यही स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, तो फ़िर उत्तर प्रदेश में क्या है? क्या उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान से बाहर है? हमारे यहां क्यों ऐसी स्थिति है कि मिट्टी का तेल हमारे काश्तकारों को मिलता ही नहीं है।

माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह मिट्टी के तेल से डीजल में मिलावट हो रही है। उसका उपाय निकालने के लिये न तो इनका विभाग तैयार है और न ही केन्द्रीय सरकार ही तयार है। यदि ऐसी कोई सूरत हो कि डीजल की कीमत कम करके, मिट्टी के तेल की कीमत के बराबर कर दें, ताकि काश्तकारों को मिट्टी का तेल तो मिल सके। आज स्थिति यह है कि देहातों में मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है, वहां पर लोग लालटेन में या डिबिया में डीजल जलाते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं जिससे धुआं कम निकलता है।

आज ऐसा क्यों हो रहा है कि डीजल में मिलावट हो रही है, इसका कारण एक यह भी है कि डीजल और मिट्टी के तेलका लाइसेंस एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। जिनके पास इन्जन हैं, छोटे-छोटे इन्जन हैं, चाहे वह आज तत्काल न खराब होते हों, लेकिन वे थोड़े दिनों के बाद मिट्टी के तेल के इस्तेमाल के कारण खराब हो जाते हैं। यह जो व्यवस्था कर रखी है कि जिसके पास डीजल का लाइसेंस है, उसी के पास मिट्टी के तेल का भी लाइसेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं पूछना चाहता कि आखिर क्या वजह हैकि महाराष्ट्र के गांवों-गांवों में मिट्टी का तेल सुलभता के साथ घर-घर मिल रहा है, लेकिन हमारे यहां पर मिट्टी के तेल का अभाव है, ? आप 60 हजार दुकानें क्यों नहीं कर सकते हैं क्या दिक्कत है? क्या आपको इसमें कोई वित्तीय अड़चन पड़ती है? क्या इसमें कोई वित्तीय मामला है? जो मैं कहता हूं कि गांवों में आप ऐसे दुकानदारों को मत खोजिये जो अपनी सिर्फ़ जीविका इन सब दूकानों के चलते चलाना चाहते हैं।

आप उनको दीजिए जिनके पास खेती का भी काम है, इसको भी कर लें जिससे थोड़ा बहुत मुनाफ़ा हो और वह सब सामान दे सकें। चूंकि एक-एक दुकान के एलाटमेन्ट में हमारे सप्लाई निरीक्षक से लेकर आगे तक की जितनी सीढ़ियां हैं उसमें हजारों रुपयों एक-एक रिपोर्ट लगाने में जाता है। आप चाहें किसी भी विधायक से पूछ लीजिए चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, हर बात पर वहां पैसा जाता है। इतना ही नहीं मान्यवर, वह दुकान अगर 4-5-10 हजार में हो भी गयी तो उसके बाद फ़िर महीने का कोटा है जिसको उठाना होता है, उस पर भी पैसा दिया जाता है। कोई भी डीलर बिना पैसा दिये कोटा नहीं उठा सकता। नतीजा यह होता है कि सुदूर गांव में दुकानदार जो कस्बे में ही रहते हैं, वहीं के रहने वाले होते हैं वह अपने मिट्टी का तेल या चीनी देहात ले ही नहीं जाते हैं जितना सब उठाते हैं, वह वहीं दे देते हैं। यह आलम इनके प्रशासन तंत्र का है। यह देहात में डीलरों को माल सप्लाई काम का विपणन शाखा करती है।

मान्यवर, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा एक इन्हों ने प्रादेशिक सहकारी संघ है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया है जिसके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी संघ हैं, जो कोआपरेटिव है, वह किस प्रकार से चल रहें हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं। यह विभाग ही क्या कम था एक उसको भी जोड़ लिया। नतीजा यह हुआ है कि दोनों विभाग के अधिकारीगण अगर कहीं लड़ते हैं तो रिश्वत पैसे के बंटवारे के ऊपर लड़ते हैं। जो दूकान समितियों को दे रखें हैं उसमें जब तक सप्लाई विभाग का अधिकारी नहीं कहेगा तब तक वह सामान नहीं लेजा सकते हैं, वह भी दिक्कत हो रही है। डीलरों को माल सप्लाई का कार्य शहरों में सहकारी संघ के जरिये से करा रहें हैं उसकी आवश्यकता न थी। इनका आवश्यक वस्तु निगम मौजूद है वह क्यों नहीं करता लेकिन इन्होंने सारी की सारी ऐसी व्यवस्था चला रखी है जिससे किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहे। मान्यवर, डीजल के वितरण के बारे में कहना चाहता हूं कि डीजल के डीलर नियुक्ति करने को शासन तैयार है।

मान्यवर, लेकिन लाइसेंस मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और हजारों रुपया खर्च हो जाता है उसके बाद हर साल उसका रिनुवल करवायें, उसके लिये बचत खाता में हजारों जमा करें, नसबन्दी करावें बराबर यह दिक्कत चल रही है। इस विभाग में जिला स्तर पर ए0 डी0 एम0 (सप्लाई) अपने को मजबूर पाता है कोई काम करने में क्योंकि उसको डी0 एम0 साहब करने नहीं देते हैं। यह एक ऐसा भानमती कुनबा जोड़ रखा है, जो कुछ करता ही नहीं है उसके बदले में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा रूप देखना पड़ रहा है कि आज इस विभाग के संबंध में किसी भी आदमी से मालूम करेंगे तो मालूम हो जायगा कि इस विभाग के लोग किस प्रकार से कैसे काम कर रहें हैं? ए0 डी0 एम0 (सप्लाई) मौजूद है लेकिन सरकार की नीति है कि कोई भी काम हो तो उसे डी0 एम0 के जरिये से करायेगी। चाहे जिला परिषद का काम हो तो डी0 एम0 करेगा, म्यूनिसिपैलिटी का काम हो तो डी0 एम0 करेगा, विकास का काम होया बचत का, डी0एम0 करेगा। यह सारी व्यवस्था जो आपने कर रखी है चाहे विकास कामों की, लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की हों, उसके लिये डी0 एम0 को जिम्मेदार बना रखा है। डी0एम0 को समय नहीं है। लेकिन वह ऐसे मामले में ऐसे किसी भी अधिकारी को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देता है जिसमें पैसे का मामला जुड़ जाता है। इस विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, आबकारी विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे तमाम काम हैं जो पड़े रहते हैं लेकिन डी0 एम0 के पास समय नहीं है।

मान्यवर, इस पर इनको सोचना चाहिये। मान्यवर, मिट्टी का तेल क्यों नहीं मिलता है? हमारे मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रीगण केन्द्र सरकार की स्तुति करते-करते, हम लोगों के कान तो पका देते लेकिन ये नहीं थकते। लेकिन किसी भी माह में जो यह मिट्टी के तेल का कोटा चाहते हैं, नहीं मिलता। इनकी मांग है 70 हजार मैट्रिक टन से लेकर 80 हजार मैट्रिक टन तक, जाड़े में कुछ ज्यादा होती है और गर्मी में कम, लेकिन इनको 70-80 हजार मैट्रिक टन जो मिलता ही नहीं, 68 हजार मैट्रिक टन से ज्यादा कभी नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि इनका प्रशासन तंत्र अपनी मांग हेतु तर्क ठीक ढंग से नहीं रख पाता। इसके अलावा रहा सहा काम डीजल के डीलर पूराकर देते हैं और बाकी कमी इनके विभाग के अधिकारी पूरी कर देते हैं। जब विभाग पर इनका नियंत्रण नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण राज्य परिषद बनाया है। किताब में इसके लिये दो जगह दो बातें लिखी हैं एक जगह लिखा है कि 45 सरकारी और 22 गैर सरकारी इसमें मेम्बर होंगे और दूसरी जगह 22 सरकारी और 45 गैर सरकारी मेम्बर होंगे, लिखा है। सही कुछ पता नहीं है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन यह सच है कि कांग्रेस दल को इस सरकार से बड़ा नुकसान हो

रहा है। स्वयं अपनी पार्टी का यह सरकार बड़ा नुकसान कर रही है। अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह डीलर और ठेकेदार बना रही है यां इस प्रकार का काम करने के लिये प्रस्तुत कर रही है। यह नहीं करना चाहिये। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस काम में नहीं लगना चाहिये, कार्यकर्ताओं को नहीं लगना चाहिये।

उसे देश और प्रदेश का नुकसान हो रहा है और इनके दल का भी नुकसान हो रहा है। ये देश और प्रदेश का नहीं कम से कम अपनी पार्टी का तो विचार करें। आप अपने कार्यकर्ताओं को ठेकेदार बनाने और डीलर बनाने को प्रोत्साहित न करें। इससे बड़ा बुरा हो रहा है। इनके कार्यकर्तागण पूरी तरह से विभाग में घुसपैठ करने के लिये तैयार हैं और सरकारी लोग भी उनकी मदद करने के लिये तैयार हैं कि वह डीलर बन जांय या ठेकेदारी करने लगें। कम से कम अपने दल को बचावें, चाहे देश, प्रदेश और जनता को मत बचावें। मान्यवर, इसी तरह से जिला फोरम इन्होंने बनाया है। उसमें कौन लोग होंगे, क्या काम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसका उल्लेख नहीं है, न मंत्रीजी ने इस पर प्रकाश डाला है। मैं मा0 मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस पर प्रकाश डालें कि कुछ हो सकता है या नहीं और इसमें जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायगा या नहीं। इन सारी बातों को इनको देखना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 कौशिक जी कितना समय और लीजियेगा, 25 मिनट हो गये हैं और दूसरे बजट मत्स्य, पशुधन के आने हैं, सूक्ष्म कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, वैसे तो अभी बहुत है। तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विभाग बनाया है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं तो इनको कुछ अहम फैसले करने पड़ेंगे और एक फैसला तो यह करें कि जितनी लाइसेंस प्रणाली है, चाहे विपणन शाखा में आती हो, चाहे वह आपूर्ति शाखा में आती हो, इन दोनों प्रणालियों में लाइसेंस प्रथा रखें, उससे इन्कार नहीं है, लेकिन एक बात को समाप्त करें कि उसमें जो नवीनीकरण वाली बात है, उसे समाप्त करें। आप जो 100 रुपये या 50 रुपये या 5-10 रुपय प्राप्त करते हैं, मैं उसको खत्म करने की बात नहीं कहता, लेकिन आज जो व्यवस्था कर रखी है, कि जिस प्रकार से डीलर को चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे विपणन विभाग का हो चाहे आपूर्ति का, सब लाइसेंसी परेशान होते हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इनके पास तो सौ रु0 में से 5 फीसदी आता है लेकिन 95 फीसदी पैसा इनका जो लाइसेंसधारी है डीलर है, वह भ्रष्टाचार में दे देता है, वह पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम यह कार्यकर्ताओं को हिदायत कर दें कि जो कार्यकर्ता लोग डीलरी के काम में ठेकेदारी के काम में लगे रहे हैं या लगना चाहते हैं वह न लगें। उस पर रोक लगा दें। दल की हैसियत से रोक लगा दें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि 60 हजार दुकानों की हमारे प्रदेश में आवश्यकता तत्काल पूरा करायें। उसमें कोई पैसे का खर्च नहीं करना है सिर्फ दुकानें खुलनी हैं। यद्यपि सबसे अच्छा होता कि आप प्रत्येक गांव में एक दुकान दें। लेकिन कुछ गांवों में आबादी कम है, फिर भी इस 60 हजार दुकानों की आवश्यकता को आप पूरा करायें। आप यह दुकानें ऐसे लोगों को भी दें जो देहात में रहने वाले लोग हैं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। यह भी कहना चाहता हूं कि खाद्य के आवंटन की जो प्रक्रिया है जिस समय कोटे का एलाटमेंट होता है, जब माल को डीलर उठाता है, उस व्यवस्था को भी ठीक करने की जरूरत है। उसमें कितना भ्रष्टाचार है यह आप देखें।

उसमें चीनी की व्यवस्था तेल की व्यवस्था कैसे होती है, इसको चेक करने की जरूरत है। मिट्टी के तेल की बाबत आप जरूर देखें। एक तो पूरी मात्रा में मिले दूसरे मिलावटी न हो। चाहे आप कीमत बढ़ा दें कम से कम लोगों को मिलेगा तो सही। लेकिन, कीमत बढ़ाना ठीक न होगा न हो उसे बढ़ाना चाहिये। जो मिलावट हो रही है मिट्टी के तेल के द्वारा उसको जरूर चेक करायें इससे काश्तकारों के ट्रैक्टर व इंजन खराब हो रहे हैं उसको रोके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके निर्देश के मुताबिक मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं। फिर आप मौका देंगे तो उसमें 2-4 बातें कहूंगा।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय रमाशंकर कौशिक जी ने जो शुरू में इस विभाग वार्षिक कार्य विवरण किताब से शुरू की लाइन पढ़ी थी, उसको दोहराना चाहता हूं। इस विभाग के उद्देश्य क्या हैं, इसको इसमें दखें। "प्रदेश के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न और वस्त्र के अतिरिक्त कतिपय अन्य आवश्यक वस्तुयें समुचित मात्रा में और उचित दर पर सुलभ कराने के उद्देश्य से खाद्य तथा रसद विभाग स्थापित है मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग का उद्देश्य मूल्य का निर्धारण नहीं है। जो मूल्य निर्धारित है उस पर उपभोक्ताओं को वस्तुयें उपलब्ध कराना है। मुख्य उद्देश्य यही है। प्रश्न यह है कि जो निर्धारित मूल्य हैं, चीनी का मूल्य निर्धारित है, सीमेन्ट का मूल्य निर्धारत हैं अन्य कुछ खाद्य पदार्थों का मूल्य निर्धारित हैं, उस हिसाब पर लोगों को वस्तुयें उपलब्ध कराने में सक्षम अथारिटी है, वह सक्षम रही है या नहीं? आप जानते हैं कि चीनी का मूल्य निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार करती है अब यह कहा कि इस सरकार का खाद्य विभाग चीनी विभाग का मूल्य निर्धारित क्यों नहीं करता है, यह चीज इसकी नहीं है। मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस समय प्रदेश में भीषण सूखा, खाद्यान्न का अभाव है, उस समय भी उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति अन्न के अभाव में मरा नहीं।

(मेजों की थपथपाहट)

जो निर्धारित मूल्य हैं उस पर आपने सभी को गल्ला पहुंचाया लोगों को गल्ला मिला। दूसरी चीज हमने स्पोटिंग प्राइज रखा है कुछ अन्न के लिये मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो गल्ले का निर्धारित मूल्य है क्या उससे नीचे हमारा कोई किसान गल्ला बेचने के लिये मजबूर हुआ? नहीं हुआ। बल्कि किसान को बाजार में उससे ज्यादा कीमत मिली है। हमने कभी भी स्पोटिंग प्राइस के नीचे भावों को नहीं आने दिया है इस प्रकार से हमने किसान की भरपूर मदद की है, इसलिये हम इस सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है, इस बात को सब लोग मानते हैं। आज समाज में रोटी, कपड़ा और मकान के लिये लोग परेशान हैं और खासकर गरीब तबका और पूरे समाज के लोग उसी में लगे हुये हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि देश ही नहीं पूरा संसार इसी काम में लगा हुआ है, इसलिये हम आप सभी लोग जो यहां पर बैठे है, यह मानते हैं कि इन तीनों चीजों की जिम्मेदारी इसी विभाग पर है, इसलिये मैं इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं।

मान्यवर, आज आदमी यह चाहता है कि उसको पहनने के लिये कपड़ा, रहने के लिये मकान और खाने के लिये रोटी मिले, इसके बाद जो चाहें उसको मिले। आज यह विभाग उत्तर प्रदेश के हर इंसान को खाने के लिये अन्न दे रहा है और उसने पहुंचाया है। हमने हर आदमी को वस्त्र दिये हैं और आज भी सस्ते मूल्य पर जो हमारी दुकानें खुली हैं, कपड़ा देने के लिये वहां पर अच्छे से अच्छा कपड़ा मौजूद है और लोग लाइन लगाकर उस कपड़े को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खरीद रहे हैं और इस काम को इस सरकार ने सूखे के अभूतपूर्व समय में भी बड़ी सफ़लता-पूर्वक किया है। कुछ बातों की तरफ़ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और जैसा कि कौशिक जी ने भी कहा है। एक चीज की तरफ, जिससे पूरे प्रदेश का सवाल जुड़ा है, रखना चाहूंगा।

मान्यवर, कोयले की बात है आपने तीन श्रेणियां बनाई हैं एक हाट शाखा, दूसरी पूर्ति एवं रसद शाखा और तीसरी बांट एवं माप शाखा। जहां तक आवश्यक वस्तुओं के डीलर्स और लाइसेंन्सियों का प्रश्न है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे देवरिया जनपद में जो कोयले के लिये एजेन्ट निर्धारित किये गये हैं, उनकी निर्धारित संख्या पता नहीं, कितनी है और मैंने इस सवाल को अपने जिले में उठाया, क्योंकि देवरिया जिले में लखनऊ, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और बिहार के भी एजेन्ट बन गये हैं, जिनको वहां के लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसे लोग बन गये हैं जिनके मालिक हैं, उनके नौकर हैं, भंडारी हैं, पता नहीं कौन-कौन लोग हैं।

मान्यवर, जो कोयला आज देवरिया में आना चाहियें, वह नहीं आता है। देवरिया जिले का 10 हजार मीट्रिक टन का कोटा है और वह सारा कोयला देवरिया जिले में नहीं आता है। वह बाहर बिक जाता है। मान्यवर, इस संबंध में हमने जिलाधिकारी को कम्प्लेन किया और उसकी जांच हुई और जांच में यह पाया गया कि फ़ार्म--31 इस सेल्सटेक्स विभाग से मिलना चाहिये, वह किसी ने लिया ही नहीं। मान्यवर, ऐसे-ऐसे एजेन्ट बने हुये हैं, जिनको देवरिया में कोई जानता ही नहीं। मान्यवर, एक मीट्रिक टन पर 30 रुपये सेल्सटैक्स पड़ता है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एक पत्र लिखा जिसकी दो लाइन में आपको सुनाना चाहूंगा "आपकी सूचना के अनुसार कोयले की आपूर्ति में अनियमितता मिली है, जिसके कारण 17 फ़र्मों के विरुद्ध थाना कोतवाली प्रमुख द्वारा सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सेल्सटेक्स की चोरी के बारे में जो आपने पत्र मे लिखा है, उस बारे में भी वैसे तो हमने खाद्य सचिव से भी अनुरोध किया है, और सेल्सटैक्स कमिश्नर से भी अनुरोध किया गया है, लेकिन अपने स्तर से केवल देवरिया में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस बात को दिखवा लें क्योंकि यह केवल देवरिया जनपद का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से इसका संबंध जुड़ा हुआ है।

श्रीमन्, आपके जरिये हम निवेदन करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से ये फ़र्जी लाइसेन्स वाले करोड़ों रुपये के सेल्स टेक्स की चोरी कर रहे हैं। वह कोयला नम्बर--2 में चला जाता है। श्री कौशिक जी ने कहा कि मिट्टी तेल के जो लाईसेन्सी हैं, वे डीजल के लाईसेन्सी कभी नहीं होने चाहिये क्योंकि वे डीजल में मिट्टी का तेल मिलाकर खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं। इस सुझाव को माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये। चीनी के मामले में और मिट्टी तेल के मामले में सुझाव देना चाहता हूं, इसमें हमारा यह निवेदन है कि देहातों में समय से इन चीजों को नहीं लाया जाता है। 50 किलोमीटर दूरी पर किस साधन से उसे पहले जाय, पास आयल देहात में कहां जाता है, इसकी जानकारी आज तक देहात वालों को मालूम नहीं है, ये त्रुटियां हैं, यदि सरकार इन्हें दूर कर दे तो, जितनी सफ़लता मिली है, उसके लिये तो वह प्रशंसा की मात्र है ही, वह और सफल होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य श्री मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं। मिश्रा जी, देर आये दुरुस्त आये। माननीय श्री मिश्रा जी ने कोयले की समस्या की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित किया उसके तरफ़ सरकार का ध्यान मैं भी आकर्षित करना चाहता हूं। यह केवल देवरिया जनपद का ही मामला नहीं है आज पूरे प्रदेश में बेनामी नाम से फ़र्जी फ़ार्म इश्यू हो रहे हैं और

सप्लाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की साजिश से कोयले के फ़ार्म प्राप्त कर धनबाद से ही कोयला ब्लैक कर दिया जाता है। आज करोड़ों रुपये के सेल्स टैक्स की इस विभाग के साजिश द्वारा चोरी की जा रही है। सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये। राशन कार्डस के बारे में माननीय मंत्री जी ने बड़ी चर्चा की कि हमने ज्यादा नये राशन कार्ड्स बनाये, लेकिन जो पुराने राशन कार्डस जो देहातों में झोपड़ियों में गल गये हैं और आग में जल गये हैं, क्या उनकी जगह पर नये राशन कार्ड्स बनाये गये।

आज पूरे प्रदेश के गांवों में राशन कार्ड्स की भीषण समस्या है। सरकार को अपनी तरफ़ से राशन कार्ड्स छपवाकर लोगों को देने चाहिये। या फ़िर सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि पुराने राशन कार्ड्स को समाप्त किया जाता है और उनकी जगह पर नये राशन कार्ड्स दिये जायेंगे ताकि हर परिवार को राशन कार्ड्स मिले और उसे सामान मिल सके। ज्वार, मक्का व कपड़े के आपूर्ति की बात कही गई। गांवों में मैंने आज तक किसी भी दुकान में नहीं देखा जहां मक्का मिल रहा हो। जहां तक जनता धोती का सवाल है, वह तो केवल लखनऊ तक ही सीमित रह जाती है, गांवों तक वह पहुंच नहीं पाती है। इस मामले को आपको गम्भीरता से देखना चाहिये।

मैं तो कहता हूं कि इस विभाग का नाम 'खाद्य आपूर्ति से बदलकर "खाद्य अभाव" रख देना चाहिये। क्योंकि दो राज्य मंत्रियों के बीच में यह विभाग डगमगा गया है। रबी की बोवाई, सिंचाई के समय या थ्रेसिंग के समय अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर उधर मार्च, अप्रैल में बाजार से डीजल गायब हो जाती है। 5-5 दिन तक किसान को लाईन लगानी पड़ती है फ़िर भी किसान को डीजल मुहैय्या नहीं हो पाता है। चीनी और मिट्टी के तेल के बारे माननीय मंत्री जी ने काफ़ी ढिंढोरा पीटा। केन्द्र सरकार से इसे एलाट किया जाता है और उसमें से देहात में एक परिवार को बड़ी मुश्किल से एक किलो चीनी और एक लीटर तेल मिल पाता है।

क्या आपने कभी गौर किया है, उसके बाद भी यह ब्लैक होता है, ? तस्करी होती है बिहार की तरफ़ जाता है, अन्य प्रांतों की तरफ़ जाता है। क्या आज आप बतायेंगे कि एक लीटर में 30 दिन का काम चल सकता है? इस कोटे के बारे में भी पुनरीक्षण करें। जनता को अभाव नहीं महसूस होना चाहिये आप जान-बूझकर अभाव की स्थिति पैदा किये हुए हैं। आप चीनी, डीजल, मिट्टी का तेल कम मंगाते हैं, जब कि उत्तर प्रदेश के लोगों की आवश्यकता ज्यादा है, उसके मुकाबले कम मंगाते हैं, इसीलिये अभाव बराबर बना रहता है।

सीमेण्ट, चीनी, मिट्टी के तेल के मूल्य निर्धारण में दोहरी नीति आपकी है, लेवी का अलग खुले बाजार में अलग यही कारण है कि मनमाने दाम पर चीनी और सीमेन्ट बिकती है। अगर किसान गन्ना बोयेगा तो चीनी भी खायगा, इस नीति पर जनता पार्टी के शासन-काल में 2 रु0प्रति किग्रा0 चीनी बिकवाने का काम हमने किया है। आप केवल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राशन की दुकानें चला देते हैं। वह कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते हैं और आपको चंदा देते हैं। इसीलिये आप सत्ता में आते ही कोटेदारों को कोटे एलाट करना शुरू कर देते हैं।

आखिरी निवेदन है आपने धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह उत्तर प्रदेश के किसानों की पीठ पर आपने कुठाराघात किया है। बम्बई से कपड़ा आकर उत्तर प्रदेश में बिक सकता है, अहमदाबाद की दवाई उत्तर प्रदेश में आ सकती है, जमशेदपुर का लोहा उत्तर प्रदेश में आ सकता है, लेकिन किसान का गल्ला बाहर नहीं जा सकता है। किसान गन्ने का उत्पादन करता है, वह चीनी का भी प्रयोग करता है, उससे गुड़ बनाना चाहता है, लेकिन आपके कण्ट्रोल आर्डर उसको रोक देते हैं, उसको उचित मूल्य भी नहीं

मिल पाता है। मिश्रा जी ने कहा समर्थन मूल्य से नीचे नहीं जाने दिया। जब आप समर्थन मूल्य ही कम तय करते हैं, तो इस बात पर मेजें थपथपाने से क्या फ़ायदा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कण्ट्रोल आर्डर को खत्म करें, हाईकोर्ट ने तोड़ा है इसको उत्तर प्रदेश में इसका पालन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने तमाम मामलों में "स्टे" दिया है। जब एक राष्ट्र है, एक प्रधानमन्त्री है, एक सीमा है, तो किसानों को गल्ला बाहर ले जाने के अवसर दें ताकि उन्हें सही दाम मिल सके।

आयोडीन युक्त नमक के बारे में कहना चाहता हूं। आयोडीन युक्त नमक के लिये आपने उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी कर दिया और सामान्य नमक की बिक्री पर रोक लगा दी। मैं जानना चाहता हूं कि आयोडीन युक्त नमक को बिकवाने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है? कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिया है? अक्टूबर से लेकर आज तक कितना आयोडीन-युक्त नमक बिका है? इन तथ्यों को आप किताबों के जाल में घुसाने की कोशिश न करें, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें बल्कि व्यावहारिक पहलू से देखें, जो चीजें व्यावहारिक हैं, उन्हीं को लागू करें, उन्हीं को लायें।

देवरिया में लोगों के सामने मिट्टी के तेल का अभाव है, डीजल का अभाव है, राशन-कार्ड का अभाव है, लोगों को उपभोक्ता दुकानों से सामान नहीं मिल पा रहा है, उनको ये सब चीजें सुलभ कराने की कृपा करें।

इसी के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

एक निवेदन करना चाहता हूं, अभी प्रस्तुत बजट पर चर्चा चल रही है, इसके बाद मतदान होगा। इसके बात तीसरा बजट पेश होना है मत्स्य विभाग का। मैं अनुरोध करुंगा कि 3 मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री त्रिभुवन प्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य तथा आपूर्ति के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सरकार ने जो गेहूं और धान का समर्थन मूल्य तय किया है और उसकी जो घोषणा की है यदि सरकार को मालूम होता कि किसानों का लागत मूल्य क्या है तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे मूल्य की घोषणा सरकार कदापि न करती। अभी हमारे साथी ने कहा कि प्रदेश में इतना बड़ा सूखा पड़ा और उसमें प्रदेश के अन्दर भूख से कोई आदमी नहीं मरा। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में सी0एम0ओ0 को यह आदेश कर दिये गये थे कि जिले में भूख से मरने वालों की रिपोर्ट न भेजी जाय और यदि भेजी भी जाय तो सी0एम0 ओ0 मंत्री जी से कह दें कि उसकी मृत्यु का कारण अज्ञात है, यह दिखला दें।

अभी लेवी सीमेन्ट की बात की गयी इसमें प्रति बोरी में 50 कि0ग्रा0 सीमेन्ट के स्थान पर केवल 42 या 45 के0 जी0 सीमेन्ट रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिये नहीं तो जो सीमेन्ट खुली मिल रही है उसमें और लेवी की सीमेन्ट में अन्तर ही क्या रह जाता है? इसमें पेज 12 पर काश्तकारों के भवन निर्माण की नहीं व्यवस्था की गयी है, मात्र दस ही बोरी सीमेन्ट की मरम्मत के लिये व्यवस्था की गयी है। मैं पूछता हूं कि जब भवन ही नहीं निर्मित होगा तो मरम्मत काहे की होगी?

आपके क्रय केन्द्रों पर कोई टेन्ट की व्यवस्था नहीं है, किसान अपना माल लेकर आता है और दिन भर उसी चिलचिलाती धूप में खड़ा रहता है और परेशान होता रहता है। आप बड़े-बड़े व्यापारियों से माल को खरीदते हैं और छोटा किसान बेचारा खड़ा ही

रह जाता है। मेरा निवेदन है कि आपको पहले छोटे काश्तकारों का गेहूं और धान खरीदना चाहिये। अगर आप हर ब्लाक स्तर पर, न्याय पंचायत पर गोदाम की स्थापना कर दें और उसमें काश्तकार के गेहूं और धान को उसमें रख दें और माल का 50 प्रतिशत उसी समय अविलम्ब भुगतान कर दें तो जमाखोरों और बिचौलियों से बचा जा सकता है।

इस समय परीक्षायें चल रही हैं। छात्र लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं इस समय मिट्टी के तेल की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिभुवन प्रसाद जी, अब आप बैठें, समय समाप्त हो गया।

श्री त्रिभुवन प्रसाद--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी, बस दो मिनट में आप अपनी बात को कहें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, नये राशन कार्ड के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में कुछ कहना चाहता हूं। डी0एस0ओ0 और ए0 आर0ओ0 के दफ्तर में 25 रु0 खर्च करके नया राशन कार्ड बन जाता है। कोई भी आदमी बयान हल्फ़ी पर नया राशन कार्ड बनवाने को तैयार नहीं है। राशन कार्ड पर बयान हल्फ़ी की बात मेरी समझ में नहीं आती है, यह बेतुकी बात है, इसे तो आप समाप्त ही करा दें और इसके लिये यह व्यवस्था करा दें कि दो रुपए के स्टाम्प पेपर पर वह लिख कर दे-दें कि मेरे पास कोई दूसरा राशन कार्ड नहीं है तो यह शपथ-पत्र हो जायेगा और इसी पर नया राशन कार्ड जारी किया जा सकता ह, इसे आप करा दें।

देहात में चीनी और मिट्टी का तेल कैसे पहुंचे, यह कठिन काम है, इसके पीछे एक बात है कि दफ्तरों में सुविधा शुल्क के नाम पर जो लिया जाता है उस पर आप नियंत्रण करा दें तो सामान पहुंच जायेगा। अन्यथा नहीं। जो माल आप आर0एफ0सी0 के गोदाम से उठाते हैं तो चीनी में दो-तीन ईंटें वे रख देंगे, समान कम देंगे और अपना परसेन्टेज पहले मांगेंगे, हर आर0 एफ़0सी0 के गोदाम में से माल उठाया जाय, इसमें कोई दिक्कत की बात न पैदा हो, सैम्पुल के अनुरूप ही माल उठाया जाय, ऐसा आप करा दें, यह हमारी प्रार्थना है।

जिससे उन दूकानदारों को पूरा माल मिल सके यह माल तो उनको पूरा गोदामों से ही नहीं मिल पाता है और यदि यहां भी यह स्थिति रही तो उन्हें और परेशानी उठानी पड़ जाती है। कुकिंग गैस की दूकानें आपकी जहां-जहां हैं हर जगह बहुत ही गड़बड़ी है एक तो वह अपना स्टाक वैरीफिकेशन कभी नहीं कराते हैं और उपभोगकर्ता का जहां भी नम्बर आ जाता है तो उसे भी वह बिना पैसे लिये हुए देते नहीं हैं इसलिये आज इस ओर इस बात की आवश्यकता है कि आपका एक ऐसा इफेक्टिव कंट्रोल हो जो इसमें हो रही गड़बड़ी को देखे, हो रही ब्लैक को रोके ताकि लोगों को सही और सस्ते दामों में यह सुविधा प्राप्त हो। यही स्थिति मान्यवर आज कोयले की है हमारे यहां और आगरे में भी इधर कोयला आया और उधर बिक जाता है, यह परम्परा वहां पर बड़े जोरों से चल रही है, यह सारे कार्य बड़े पैमाने पर अधिकारियों से मिलकर हो रहे हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरे मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं सस्ते कपड़े के संबंध में धोतियां, छींट के कपड़े तथा मारकीन आदि देहाती क्षेत्र में बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही

शहर के बड़े-बड़े लोग आकर ले जाते हैं और देहात की गरीब जनता, जिनके लिये ही यह सुविधा निर्धारित की गयी है,नहीं उठा पाती है, और वंचित रह जाती है, इसके लिए मान्यवर जो शहर के लोगों के कार्ड बनाए हुए हैं, उन्हें यह सुविधा न देकर केवल देहात के लोगों के मोटे कपड़े की आपूर्ति निर्धारित कर दी जाए। ताकि इन्हें यह वस्तुयें दूसरी जगह से ब्लैक में लेने की आवश्यकता न पड़े। साथ ही मान्यवर आज देहातों में मिट्टी के तेल की स्थिति भी बड़ी सोचनीय हो गयी है, आज ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां पर मिट्टी के तेल ब्लैक में न बिक रहा हो, इस ओर भी बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरे एक निवेदन और करना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से कि यदि इस विभाग को आप अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं तो जो सम्पुल होता है, उन चीजों का जिनमें मिलावट होती है, तो उनका सैम्पुल परगनाधिकारी स्वयं ले लेते हैं, जबकि यह सैम्पुल नियमानुसार फंड इन्सपेक्टर को लेने चाहिये, इसीलिए जब मामला न्यायालय को जाता है तो वहां पर परगनाधिकारी द्वारा भरे गये सैम्पुल को माना नहीं जाता है, और विभाग के अधिकारीगण जानबूझकर ऐसा करवाते हैं ताकि मामला आगे बढ़ने ही न पाये। इसलिए कृपया इसको सुनिश्चित करने की कृपा करें कि जब भी परगनाधिकारी इस कार्य के लिये जाएं तो अपने साथ इस इंसपेक्टर को भी ले लें ताकि निर्णय जो भी हो, वह सही हो और इस प्रकार के कार्य करने वाले भविष्य के लिए सचेत हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री मनहरन नाथ कौल--

मान्यवर मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, वैसे बहुत ही कम मुझे बजट पर बोलने के मौके मिल पाते हैं, वैसे आज आपने मौका दिया, यह बड़ी ही खुश-किस्मती की बात है। वैसे हम लोगों को माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिये कि इतना भयंकर सूखा पड़ा फिर भी कहीं किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई और सारी आवश्यक और जरूरी चीजें हर जगह पर्याप्त मात्रा में मिलती रहीं, यह जरूर हुआ कि जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं थी, उनके दाम अवश्य कुछ बढ़ गये थे जैसे दालें, घी, तेल और डीजल आदि के, फिर भी माननीय मंत्री जी ने उन पर भी जल्दी ही काबू पा लिया। वैसे मैं जनपद बहराइच से आया हूं वहां पर रु0 25 से 27 तक प्रति किलो कड़वा तेल बिक रहा था।

वहां मीटिंग हुई और उसके बाद जो डीलर थे 25 रुपया कर दिया और बहुत सी चीजों की जरूरयात में कमी नहीं हुई और भीषण सूखा पड़ा है, फिर भी उनकी कमी नहीं हुई है। बहराइच में जब बृआई हुई थी, तो डीजल की कमी हो गयी थी, मैं माननीय मंत्री जी से मिला और तुरन्त दो रोज के अन्दर डीजल का आना शुरू हो गया और फिर शार्टेज नहीं हुई, पता नहीं आपके यहां कमी पूरी हुई है या नहीं हुई है, यह मेरा परसनल प्रयास है। जो काम हुए हैं, एतराज करना तो सहल है मगर जो काम अच्छे होते हैं उनकी तारीफ करना चाहिये, और जो नहीं हो पाते हैं तो उनके लिये सुझाव देना चाहिये, महज एतराज करना ठीक नहीं है।

मान्यवर, मेरे 2-3 सुझाव है। एक तो यह है कि धारा 3/7 के अन्तर्गत जो आप लोग चालान करते हैं, तो जो एफ0आई0 आर लिखाई जाती है, उसमें यह नहीं लिखा जाता है कि किस आर्डर का उल्लंघन उस व्यक्ति ने किया है और उसकी इन्ग्रीडिएन्ट्स को ही लिखा जाता है, तो होता यह है कि प्राइमा फेसाई केस जब नहीं बनता है तो जज बेल दे देता है। एफ0आई0आर0 पढ़ी और बेल हो गयी। तो एफ0आई0 आर0 में लिखा जाना चाहिये कि किस आर्डर का उल्लंघन किया गया है, उसको भी लिखा जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा 3/7 में जो चालान किये जाते हैं, उनमें शब्द डीलर लिखा हुआ है कि डीलर विल बो रेस्पान्सिविल, लेकिन अगर किसी इन्डीविडुअल के पजेशन में 50 हजार बोरे गेहूं है, तो उसका चालान नहीं किया जायेगा बिकाज ही इज नाट ए डीलर, देयरफोर वर्ड पजेशन शुड बी इनकारपोरेटेड इन दि ऐक्ट।

श्री अधिष्ठाता--

इसका हिन्दी में तरजुमा कर दीजिये।

श्री मनहरन नाथ कौल--

क्योंकि उसमें केवल डीलर के लिये लिखा है। अगर वह डीलर नहीं है तो उसका आफेन्स नहीं बनता है। इसलिये मेरे दो सुझाव हैं, इनको देख लिया जाये वरना मुकदमें छूटते रहेंगे। धारा 3/7 के मुकदमों की पैरवी ठीक से होनी चाहिये और मुकदमा छूटे नहीं, तो जुर्म कम होंगे।

*श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने माननीय कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग इतना सुन्दर नाम है अगर इसका काम भी वही होता तो वास्तव में जनता के लिये बहुत परोपकारी था। मान्यवर, मुख्य रूप से इस विभाग का सीधा संबंध दो चीजों से रहता है, पहला समर्थन मूल्य है यह जो समर्थन मुल्य है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कास्तकार की गेहूं और धान दो मुख्य फसलें हैं, सरकार इन दो फसलों की खरीददारी करती है और गेहूं की खरीददारी में जब बम्पर क्राप होती है और बहुत फसल होती है तो बहुत रोड़े आते हैं, जिसके लिये हर साल प्रतिवर्ष इसमें शिकायतें आती हैं लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ। किसान की फसल ज्यादा तौली जाती है। हर साल गहूं की खरीद के समय यह बात अखबारों में निकलती है कि यह फलां अधिकारी ने दिया और बांट की तरफ ईंटा रख दिया और इस तरह से पकड़ा गया। तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें कि गेहूं की जो खरीद होती है जो किसानों से खरीदा जाता है उसकी तौल सही हो। उसमें किसी तरह से ज्यादा तौल नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात धान की खरीद के बारे में कहना चाहता हूं। इस संबंध में निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जब धान की खरीद होती है जिस समय इसकी फसल बाजार में आती है तो उसके लिये कांटा नहीं लगाया जाता। हम लोग इसके लिये दौड़-भाग करते हैं। पिछले वर्ष माननीय कृषि मंत्री को हम लोग बार-बार घेरे और उनसे कहा कि आप कांटा लगवाइये और खरीद करवाइये लेकिन नहीं खरीदवाया गया। बड़े-बड़े लोगों ने कमीशन देकर खरीद करवा ली लेकिन सामान्य तौर पर कास्तकार से खरीद नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि हर मन्डी में जहां किसान अपना गल्ला ले जाता है उसका जो समर्थन मूल्य निश्चित किया जाता है उसके अनुसार उसका गल्ला खरीदा जाय।

तीसरी बात मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कहना चाहता हूं। मुख्य रूप से देहात के लोगों के लिये, ग्रामीण अंचल में कास्तकारों को, मजदूरों को चीनी और तेल के वितरण की समस्या है। शहरों में तो तेल और चीनी वितरित होती है चाहे वह 70-80 फीसदी ही क्यों न हो लेकिन देहात में चीनी का वितरण केवल दीवाली, दशहरा और, होली तीन बार मिलती है। बाकी 9 महीनों में किसी भी देहात में कहीं भी चीनी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले मैनपुरी में जो वितरण प्रणाली है मिट्टी के तेल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और चीनी की, उसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूंकि इस मंत्री जी स्वयं सुनिश्चित कर, कहीं भी मिट्टी का तेल और चीनी वहां बंटी हो। मंत्री जी स्वयं इसकी जांच करवा लें।

ग्रामीण अचल में चीनी, मिट्टी का तेल नहीं पहुंच पाता। उसका इसेन्स बनाकर डीजल बना दिय जाता है। मैंने इस संबंध में कई बार मामला उठाया था और लिखकर भी दिया था। दो लाख रुपये प्रति महीनें दूकानों से अधिकारी लोग लेते हैं। पता नहीं यह ऊपर के लोगों को भी जाता है या नहीं। लेकिन गांवों में न चीनी है और न मिट्टी का तेल है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बिराजें। समय बहुत हो गया।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, कोयले के संबंध में एक बात कहनी है। कोयले की जो वितरण प्रणाली है उसका तो बंटाधार ही हो गया है। अगर आप इस प्रणाली को ठीक करें तो आपके विभाग के सारे अधिकारी और पूरा प्रशासन चुश्त हो जायेगा। कंट्रोल से जो पहले कोयला मिलता था वह दो सौ और तीन सौ रुपये में भट्ठे वालों को मिलता था लेकिन आज वह 1200 रुपये हो गया है। इसको सस्ता करवाया जाय जिससे आम जनता को ईंट का दाम ज्यादा न देना पड़े। अन्यथा आप इसे छोड़कर कोई दूसरा काम देखें। इन शब्दों क साथ मैं माननीय कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय बहुत कम है। अब म माननीय महरम सिंह के बाद सीधे कौशिक जी को बुलवाऊंगा।

श्री महरम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय आप उधर समय ज्यादा देते हैं और हम लोगों क समय में कटौती हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपनी बात कहें।

श्री मरहम सिंह---

मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि हमारे कौशिक जी और दूसरे विपक्ष के भाई आज निश्चित रूप से राजीव गांधी और वीर बहादुर सिंह जी की सरकार को बधाई दगे और हमारे खाद्य राज्य मंत्रियों को बधाई देंगे क्योंकि यह पहला अवसर है हिन्दुस्तान में जब इतना बड़ा संकट आया और तब भी किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति ने कोई समस्या नहीं बताई, विपक्ष के सदस्य बता दें कि उनसे जनता क किसी व्यक्ति ने कहा हो कि हमें दस किलो गेहूं दिला दो। ईमानदारी से वह बतायें उनसे कहीं पर किसी ने समस्या रखी हो कि हमें गल्ला दिला दो। देश में जहां इतना सुखा पड़ा हो 72 करोड़ की जनता में और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में किसी व्यक्ति ने उनसे कहा हो कि यह कठिनाई है। हमारी सरकार ने जो गल्ला भेजा उसे दूकानदार उठाने को तैयार नहीं है, फुटकर बिक्रेता उठाने को तैयार नहीं है, जनता उठाने को तैयार नहीं है। (व्यवधान) यहां पर हंसने से काम नहीं बनता है। आप सरकार

को बधाई दीजिये कि संकटकालीन परिस्थिति में हमारे यहां कोई समस्या पैदा नहीं हो पाई। आपको कटौती का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है और सुझाव देने का भी अधिकार है। आप अपनी अंतरात्मा से सरकार को बधाई दीजिये।

मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं वितरण प्रणाली इतने विशाल प्रदेश में जो असंख्य दूकानें खोली जा रही हैं उसमें कहीं कमी भी हो सकती है। इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस व्यवस्थाको ठीक से चलाने के लिये एक हाईपावर कमेटी बना दें जिसमें जन प्रतिनिधि भी हों जो देखें कि दूकानों में कहां चीजें नहीं मिलती हैं कहां डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट होती है ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। आज सरकार की नीति से और अधिकारियों के कार्य से किसी को असंतोष नहीं है।

मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल और डीजल के वितरण का लाइसेंस एक दूकानदार को नहीं दिया जाय और जो पेट्रोल पम्प के लाइसेंस जारी किये जाते हैं उसमें राज्य सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री महरम सिंह--

मैं इन शब्दों के साथ खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और कौशिक जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जो एक अच्छा वातावरण बना हुआ है जो खाद्य विभाग ने अच्छा काम किया है उसमें कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं माननीय कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जरा सुन लें . . .

श्री अधिष्ठाता--

मैंने गोपाल दास जी को बुलाया है इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप विराजिये।

श्री गोपालदास यादव--

मान्यवर, हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह दोषपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जो आपकी कंट्रोल की दूकानें हैं उनको बहुत कम फायदा देते हैं और दूसरी तरफ जो प्राइवेट मिल वाले हैं जो आटा मिलें हैं हमारे यहां इलाहाबाद में कनौडिया मिल और कानपुर में गैंजेज मिल हैं गेहूं उनको भी उसी भाव में देते हैं जो कंट्रोल के दूकानदारों को देते हैं।

कनौडिया और गैंजेज मिलों को गेहूं उसी रेट पर दिया जाता है जिस रेट पर कंट्रोल वालों को दिया जाता है और उसी से वह चोकर आटा सूजी, मैदा आदि सभी चीजें बनाते हैं और अधिक लाभ उठाते हैं। उसके बावजूद आटा मिलों पर आपका अंकुश नहीं है। वह मनमाने ढंग से फायदा उठा रहे हैं और एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेशों को आटा वह भेजते हैं जबकि कंट्रोल की दूकानों को बहुत कम लाभ का प्रतिशत रखा गया है जिससे दूकानदार को मजबूर होकर इन चीजों को चोर बाजार में बेचना पड़ता है और फर्जी राशनकार्ड बनवाना पड़ता है जिससे इंस्पेक्टर और कंट्रोल वालों की चांदी होती है। इसलिये दूकानदारों का लाभ का प्रतिशत बढ़ायें तभी चोरबाजारी की प्रथा समाप्त हो सकती है और जरूरतमंद लोगों को चीजें उपलब्ध हो सकेंगी। मान्यवर, जनता पार्टी के शासन में बाजार में और कंट्रोल की चीजों में अधिक अंतर नहीं था जिससे कंट्रोल वाले दूसरा काम करने के लिये विवश थे। इससे जनता को राहत थी लेकिन कंट्रोल वालों को राहत नहीं थी परन्तु आज आपके शासन काल में कंट्रोल वालों को राहत है और जनता को कोई राहत नहीं है।

मान्यवर पाम आयल और पामोलीन आयल गांवों में नहीं जा पाता है जिससे इसको वहां कोई जानता तक नहीं है। इलाहाबाद में आप जांच करायें तो पाम आयल काले बाजार में बिक रहा है। मान्यवर सरसों के तेल मिलों पर आपका कोई ध्यान नहीं जाता है। आज यह मिलें बंद चल रही हैं और आपका ध्यान उन पर नहीं जाता है कि किस तरह से वह चलाई जायं। रेपसीड आयल जो सरसों के तेल से मिलता जुलता है और सरसों के तेल में मिलाकर मंहगे दामों में बेचा जा रहा है इससे अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। मान्यवर, नमक जो सोडियम क्लोलाइड है इससे घेंघे की बीमारी नहीं होती है केवल आयोडीन साल्ट की बिक्री के लिये साधारण नमक पर अंकुश लगाया जा रहा है। मान्यवर, बीमारी गंदा पानी पीने से और एडल्टेरेटेड भोजन तेल आदि पदार्थों के सेवन से हो रही है न कि नमक से। इसलिये साधारण नमक पर अंकुश न लगायें ताकि गरीब जनता साधारण नमक का इस्तेमाल कर सके।

*जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, आप स्वयं चिकित्सक हैं, इसलिये राय दें दें कि क्या आयोडीन युक्त नमक बेकार है?

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग समझदार हैं।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, इलाहाबाद में गोदामों से जो गेहूं कंट्रोल की दूकानों में मिल रहा है वह निम्न स्तर-सी और डी ग्रेड का आ रहा है जबकि ए ग्रेड का आना चाहिए। चावल सुपरफाइन जो गोदामों से दिया जा रहा है कंट्रोल की दुकानों को वह उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है बल्कि काला बाजार में बेचा जा रहा है आप इस पर अंकुश लगायें जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हो सके और गुणात्मक चीजें वहां उपलब्ध हो सकें।

श्री पुरुषोत्तम लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य और रसद के बजट पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और माननीय कौशिक जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, आज हमारे खाद्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, प्रदेश की करोड़ों-करोड़ों जनता को जीवन देने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में इस सदी के सबसे भीषण सूखा पड़ने के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो अपनी सूझबूझ दिखाई है, उससे एक भी व्यक्ति अनाज के अभाव में या रसद के अभाव में मरने नहीं पाया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रदेश की जनता आभारी है और साथ ही साथ हम लोग भी उनके आभारी हैं। इसके साथ में अब कुछ मंत्री जी से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए विभागों म कार्यों के बारे में कहना चाहूंगा। इस विभाग द्वारा जो सीमेंट की आपूर्ति की जाती है, राज्य द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में यह बहुत बड़ा योगदान है और उसके द्वारा जो हम उत्पादित कर के उपभोक्ताओं को देते है बोरियों में, तो वह बोरियां बार-बार पटकी जाती हैं और इस पटके जाने से बार-बार उसकी थोड़ी-थोड़ी सीमेंट व्यर्थ में गिर जाती है।

इस तरह से कम से कम 2-3 किलो सीमेंट अनायास ही बर्बाद होती है। प्रदेश में करोड़ों सीमेंट के बोरों की खपत है और यदि प्रति दो किलो भी सीमेंट इस तरह स बर्बाद होती है तो यह झड़कर हजारों बोरी हो जाती है। जिसका कोई कारण नहीं है और जिसको रोका भी जा सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार फर्टीलाईजर में बोरी इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार की बोरी सीमेंट में भी इस्तेमाल की जाए, तो आपक बहुत धन की बचत होगी, जनधन की बचत होगी, नेशनल-लास नहीं होगा।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहता हूं, हमारे विधान सभा क्षेत्र सिराथू में इस भयंकर सूखे में जो आपूर्ति की गई, उसमें हमने देखा गांव-गांव पदयात्रा करके कि हमारे यहां सस्ते गल्ले की दूकानों का बहुत बड़ी मात्रा में अभाव है। ग्रामीणों को न चीनी पहुंच पाई है, न गेहूं मिल पाया है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र सिराथू, जनपद इलाहाबाद की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर गल्ला और चीनी का अभाव है। वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें पर्याप्त मात्रा में खोलकर चीनी, मिट्टी का तल और गहूं ग्रामीणों को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मूलचन्द्र जी समय के अभाव को दखते हुए आपको एक मिनट दूंगा और उसके बाद जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री मूल चन्द्र--

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का हमें अवसर दिया। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिए इनकी योजना है, वह कतई गरीबों के पक्ष में नहीं है। यह जो दुकानें इनकी हैं उनसे कोई सामान गरीबों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि सामान लने कोटा होल्डर्स जाते हैं, तो 10 रुपया निकासी, दस रुपया पास कराई, दो रु0 पल्लेदारी 4 रुपया ढुलाई आदि तमाम नाजायज खर्च उसको दन पड़ते हैं और यहां आ जाता है तो फिर दो रुपया, चार रुपया देना पड़ता है। इतना ही नहीं उन्हें दो-ढाई सौ रुपया सप्लाई इंसपेक्टर को 50 रुपया एस0डी0एम0 को और 50 रु0 महीना थाना इंचार्ज को नियमित रूप से माहवारी देना पड़ता है, और यह एक बोरा उसे 6 रुपया कमीशन देते हैं चीनी पर, तो दो रु0 बोरा पाता है। काटा होल्डर दो और छः रुपये में कहां से बाटेगा। तो होता क्या है कि वह कोटा होल्डर रास्ते में सारा माल बेच देते हैं। और जो दुकान होती है वह बन्द रहती है अगर पूछो तो कहते हैं कि कल आएगा। और जब अगले दिन जाओ तो कहते हैं कि खत्म हो गया। इसी तरह से मान्यवर, जो 3/7 का एफ0आई0आर0 है वह सही नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो दरोगा है वह

पचास रुपये महीना लेता है तो वह क्यों लिखेगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में किसी को राशन-कार्ड नहीं बंटे हैं। मान्यवर, हमारे यहां एक सलाहकार समिति का गठन हुआ है। उसमें एक दल के और 1 बिरादरी के लोग हैं अल्प संख्यक पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप विराजें।

श्री मूलचन्द--

मान्यवर, एक शेर कह दूं--

"मुझको मैकश समझते हैं सब वादाकश
क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूं मैं
मेरी रग-रग में आशिकी का नशा है
जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं।"

*श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ बोलन का मौका दिया। मान्यवर, अभी हमारे साथी मूलचन्द्र जी बोल रहे थे। जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की थी, उसके बारे में कहन से पहले मैं कहावत कहूंगा--

"राम जी की चिड़िया राम जी का खेत
चुग लो चिड़ियों भर-भर पेट।"

तो मान्यवर, इन्होंने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है इन्होंने हमारी जो गहूं चावल और चीनी की व्यवस्था थी उसको इन लोगों ने बिना सोचे समझे अपने साथियों पर लुटाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हमारे खाद्य मंत्री जी न इसको फिर व्यवस्थित किया अभी पिछले महीने में 75 हजार मीट्रिक टन गहूं की निकासी हुई और जनता को दिया गया। 40 हजार मीट्रिक टन चावल सूखा पड़ने पर जनता को दिया गया। 18 हजार मीट्रिक टन चीनी जनता के लिए, पूरे प्रदेश के लिए दी गई इसी तरह से 85 हजार लीटर तेल की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा सस्ते दामों पर चीजे दी जा रही हैं।और जो आवश्यक वस्तु निगम हैं उनसे जनता को सस्ते दामों पर चीजे उपलब्ध कराई जा रही हैं मेरी प्रार्थना हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी स और माननीय खाद्य मंत्री जी से, कि निगमों को और अधिक पैसा दकर इसे और अधिक प्रभावी बनायें इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और अधिकारी गण को भी बधाई देना चाहता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर इससे पहले कि मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर हुई बहस का उपसंहार करूं मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव पर अपने अमूल्य सुझाव दिए। मान्यवर, आपसे चन्द बातें कहना चाहूंगा कि राशनकार्ड की व्यवस्था जो ग्रामीण इलाकों के लिए की गई है वह ठीक से नहीं चल रही है अपनी जगह यह बात सही है कि उसका नवीनीकरण करने में बड़ी दिक्कत होती है और महीनों-महीनों तक राशनकार्ड नहीं बन पाते हैं। तो मैं मंत्री जी स कहना चाहूंगा कि एस मामलों को त्वरित ढंग से करायें। ताकि राशनकार्ड जल्दी से मुहैय्या हो सकें। यह सरकार घोषणा करती रही है कि 57 जिले जो हैं उनमें भंडार गृह बनेंगे जो पांच हजार मीट्रिक टन की क्षमता के होंगें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन कई साल से इनकी योजना चल रही है और अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी है जिसको संतोषजनक कहा जा सके। मार्च 88 तक 4–5 पूरा करने की बात की गयी है तथा जो बजट में व्यवस्था है उससे ज्यादा से ज्यादा 11 जनपदों में यह काम हो जायगा उन 5 जिलों को शामिल करके, जो पर्याप्त नहीं होगा। मान्यवर, इसी प्रकार से जनता स्टोर ब्लाक स्तर पर, खोलने की बात है। यह ब्लाक स्तर पर जनता स्टोर खोलने की बात तो जरूर करते हैं लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं दिखायी पड़ी है। मैं मांग करूंगा कि हर ब्लाक स्तर पर जनता स्टोर खोलने की व्यवस्था करें जिससे जीवन-यापन की चीजें जनता को सस्ते दामों पर मुहैय्या हो सकें।

इसके साथ ही साथ अभी गेहूं खरीदने का सीजन आने वाला है। मैं चाहूंगा कि गेहूं का मूल्य कम से कम 200 रुपये क्विंटल या उससे अधिक रखें। इसके अलावा अधिक से अधिक सेंटर खोल और आम-तौर पर बोरों की जो कमी हो जाती है और ठेकेदार जो गेहूं उठाता है उसकी कमी हो जाती है तो इन कमियों को अभी से सुनिश्चित करें क्योंकि सीजन किसान का माल नहीं उठता है। कई दिन तक पड़ा रहता है जिससे वह बाजार में सस्ते दर पर बेंच कर चला जाता है। इनके क्रय कन्द्रों पर व्यापारी वर्ग का गेहूं खरीदा जाता है उस पर विशेषध्यान देना चाहिये। 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम कीमत गेहूं की किसी हालत में नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि इस सूखे की स्थिति में किसान बड़ी मेहनत से गेहूं पैदा कर रहा है।

इसी प्रकार से मैं डीजल के संबंध में कहना चाहता हूं। डीजल की कमी नहीं है। जिस तरह से मिट्टी के तेल का मासिक कोटा निर्धारित किया जाता है और उठाने में दिक्कत होती है उसी प्रकार से डीजल में होता है और उसकी मौके पर सप्लाई नहीं की जाती है जिससे पंप ड्राई हो जाते हैं यद्यपि डीजल की कमी वास्तविक नहीं होती है। ऐसे मौके पर फसल को नुकसान पहुंचता है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, इन्होंने जो राइस मिलों पर लेवी लगायी है तो कुछ जिलों को छोड़कर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल को छोड़कर और 4–5 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में 60 फीसदी लते हैं और जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उससे न काश्तकार को कोई फायदा होता है न मिलों को इसलिये इसको ध्यान में रखा जाय नहीं तो स्थिति बहुत संकटपूर्ण होती है। इस साल भी यह चीज आयी थी इसलिये इसमें संतुलन रखकर कीमत ठीक प्रकार से देनी चाहिये।

गेहूं की खरीद के मामले में मैं इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि किसान बड़ी मेहनत से गेहूं पैदा करता है। जितना पैदा करता है उसका केवल आप 13 परसेंट खरीदते हैं बाकी गेहूं किसान व्यापारियों को बेचता है जो अपने ढंग से किसान से खरीदते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कीमत तो तय करती है लेकिन गन्ने की कीमत की तरह गेहूं की आपको कीमत बढ़ाकर देनी चाहिये। इस साल 173 रुपय प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत रखी गयी है जो कम है, मुनासिब नहीं है इसको बढ़ाकर उत्तर प्रदेश सरकार को 200 रु0 प्रति क्विंटल करना चाहिये यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आप लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें, काश्तकारों का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं तो आप इस बात की घोषणा करें कि इस वर्ष जो गेहूं की खरीद होगी वह 200 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी और जितना भी गहूं काश्तकार लायेंगे सब खरीद लिया जायगा। अगर इतनी बात की घोषणा करें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा और मंत्री जी आप पूरी तरीके से इन 7 अरब रुपयों का उपभोग करें।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव इस बजट पर दिये हैं। मान्यवर माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बिन्दु उठाये गये उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, मैं गेहूं से ही शुरू करता हूं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि किसान अपना गेहूं बेंचने के लिए आजाद रहेगा। यदि गेहूं का दाम ढाई सौ रुपये प्रति क्विंटल होगा तो वह अपना गेहूं ढाई सौ पर ही बेंचेगा।

मान्यवर, गेहूं के ऊपर कोई लवी नहीं है, सरकार खरीदती है इसलिए कि किसानों को मजबूर न होना पड़े कम दामों पर बेंचन के लिए। पाम आयल खरीदने के बावजूद जो वनस्पति बनाने वाले उद्योग हैं, उनको अगर सामान्य तेल का भाव बाजार में 28-30 रु0 मिलता है, तो सरकार 15 रु0 पर उपलब्ध कराती है। तो आप क्या समझते हैं कि उन घी वालों का और कम दामों पर देकर उनका मुनाफा और बढ़ा दें। यह पैसा क्या उद्योगों के पास जाना चाहिए, जो पहले से फायदा उठा रहे हैं। यह बात मैं नहीं समझ पाया माननीय कौशिक जी की।

श्री कौशिक रमा शंकर--

आप पाम आयल उपभोक्ता को किस भाव में देते हैं, मूल प्रश्न तो यह है।

श्री हुकुम सिंह--

20 रु0 किलो के हिसाब से दो किलो का डिब्बा 40 रु0 में देते हैं। अब तेल का भाव 28 रु0 और 30 रु0 है, तो हम 15 रु0 में तेल उपलब्ध कराते हैं।

श्री फजलुल बारी--

मलाया से तेल कितना मंगाया जाता है?

श्री हुकुम सिंह--

जितने की आवश्यकता होती है, उतना उपलब्ध हो जाता है। मान्यवर, मिट्टी के तेल और डीजल के लाइसेंस की बात कही गयी कि दोनों लाइसेंस एक व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। दूकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार की बात कही गयी। इसके लिए हर जिले में एक समिति गठित है। किसी भी एक आदमी को यह अधिकार नहीं है कि वह आवंटन करें, यह समिति करती है। जिला फोरम के बारे में आपने कहा। उसमें अनिवार्य रूप से एक महिला सदस्य होती है। इसके बाद में स्टेट फोरम होता है, इसमें अपील होती है। उसके बाद में नेशनल फोरम होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है।

मान्यवर, राशन कार्ड के बारे में माननीय कौशिक जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि जहां पर कमी है, चाहे हमें विशेष आयोजन करना पड़े, हम सुनिश्चित करें कि उस अभाव को हम दूर करें। माननीय सदस्य देवरिया ने और सूर्य प्रताप शाही ने कोयला के घपले की बात कहा। मान्यवर देवरिया के डी0 एस0ओ0 को निलंबित कर दिया गया है। आदेश यह दिये हैं कि केवल जनपद में रहने वाले व्यक्ति को तहसीलदार क द्वारा वैरीफिकेशन क बाद ही उसको वहां पर कोयला एजेंट बनाया जायगा। बाहर के रहने वाले को उसी स्थिति में बनाया जायेगा अगर वहां के जनपद का रहने वाला कोई व्यक्ति कोल एजेन्ट बनने को तैयार न हो। यह सरकार की नीति है।

इसके बाद में श्री शाही ने डीजल के अभाव की बात कही। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ जनपदों में डीजल का अभाव हुआ था और अभाव होने का कारण था हमारी मथुरा रिफाइनरी की सप्लाई बन्द हुई थी और कुछ दिनों

के लिये ट्रान्सपोर्ट की स्ट्राइक हुई थी। लेकिन 10 दिन के अन्दर जो अभाव था उसको दूर किया गया और डीजल की पूर्ति की गयी। एक यहां आयोडीन युक्त साल्ट के बारे में सवाल उठाया गया कि कितने लाइसेंस दिये गये। यह तो फ्री-ट्रेड है यहां लाइसेंस की बात ही नहीं है जितना बेचना चाहें बेच सकते हैं। मान्यवर, जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि आयोडीन युक्त साल्ट यहां आवश्यक है इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया है। प्रदेश में इसी कारण से उसमें आयोडीन युक्त करके भेजा जायेगा कामन साल्ट नहीं आयेगा। जो, फैक्ट्रियां बनायेगीं वह आयोडीन युक्त साल्ट ही बनायेगी और बेच सकती हैं, लाइसेंस कोई नहीं लगाया गया है।

माननीय वर्मा जी ने बताया कि साफ्ट कोक की फिरोजाबाद में कमी है मैं देखता हूं कि साफ्टकोक की कमी हैं और वहां यही कोयला चलता है। केन्द्र सरकार की नीति भी यही है कि यह केवल खाना बनाने के लिये है। आहिस्ता अहिस्ता साफ्ट कोक की आपूर्ति कम की जा रही है। आपके यहां के उद्योग एसे ह कि उस उद्योग में साफ्ट कोक ही इस्तेमाल होता है। यह कठिनाई तो अपनी जगह है। यह जानकारी में आया है कि जितने उद्योग लगे हुए है कई फ़र्जी उद्योगों ने कोटा दे रखा है उसकी जांच हुई है और कैन्सिल भी हुए हैं। फ़िरोजाबाद में ऐसे काम के लिये यह किया जाता है कि फ़र्जी कोटा लेकर उसका दुरूपयोग किया जा रहा है।

कौल साहब ने एफ0आई0आर0 में जो उल्लेख न होने की कमी को बताया, मैं इस बात से सहमत हूं कि उल्लख होना चाहिये ताकि स्पष्ट हो जाय कि किस बात के लिये उल्लेख किया जा रहा है। जो स्टोरेज का कार्य होता है जिसको कब्जे में रखा है। अगर 50 क्विन्टल का प्रतिबन्ध है और किसी के यहां 100 क्विन्टल मिल जाता है तो केवल प्रदर्शन मानकर कार्यवाही की जा सकती है इसलिये रखा है जितने डीलर हैं, कंट्रोल आर्डर व्यवस्था लागू होगी जो लाइसेंसी होगा। बिना लाइसेंस के ट्रेड कर ही नहीं सकता है। अगर करेगा तो लाइसस न होने की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्य बाबू राम ने किसानों से गेहूं क्रय करते समय सही तौल को सुनिश्चित करने की बात कही है और धान के क्रय करने में सरकार की विफ़लता का उल्लेख किया। धान अगर नहीं खरीदा तो विफ़लता नहीं है धान न खरीदने की सरकार की नीति है। बाजार भाव तेज थे किसान ने अपना वहां पर बेचा, हम तैयार थे अगर दाम गिरेंगे तो खरीदेंगे। इसलिये यह विफलता नहीं कही जा सकती है बल्कि सफलता कही जा सकती है। एक बात बार-बार कही जाती है। कि धान के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, किसान का शोषण हुआ। एक तरफ़ तो मान्यवर, हमारे यहां राइस मिल बनी हुई है, चावल बनाने की मिलें हैं आज जब धान का उत्पादन कम हुआ और हम उसके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो क्या हम सारे उद्योगों को समाप्त कर दें?

केवल इस कारण से कि 10 रुपये या 20 रुपये कोई बड़ा व्यापारी किसान के यहां से खरीद कर बाहर के प्रदेशों में फ़ायदा कमाए, यह अच्छा होगा, उस धान का प्रयोग इस प्रदेश की जनता करें, यह अच्छा होगा। चावल की व्यवस्था हम अपने प्रदेश के निवासियों के लिये करना चाहते हैं। बाहर के प्रदेशों में किसान नहीं बेचने जाता। बाहर व्यापारी बेचने जाता है। इसलिये यह सही नहीं है कि किसान के हितों की उपेक्षा की गयी है। मा0 सदस्य महरम सिंह जी ने वितरण प्रणाली की कमी को दूर करने की बात कही और एक हाई पावर कमेटी का सुझाव दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में एक खाद्य सलाहकार समिति बनी है जो हमको अपनी राय से लाभान्वित करती है।

मा0 सदस्य इलाहाबाद गोपाल राम दास जी ने कन्ट्रोल की दुकानों का लाभांश बढ़ाने की बात कही। यह सही है कि लाभांश कम है और हमारे स्तर पर यह समीक्षा की जा रही है कि क्यों न लाभांश बढ़ाया जाय। आज हम 2.15 रुपये में गेहूं दे रहे हैं। इसमें

यदि 5 पैसा दाम बढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। ऐसे में उनको इकनामिकली वाइबिल बनाने के लिये हमने आदेश दिया है कि वे 19 आइटम्स और बेच सकते हैं ताकि उनका टर्न ओवर बढ़ जाय और उनको दिक्कत न आए।

मा0 सदस्य मूलचन्द्र जी और हरदेव जी ने जो सुझाव दिये, विभाग उनसे लाभान्वित होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भट्टे के बारे में गोपाल राम दास जी को बड़ी चिंता है। हम स्लैक कोल के बारे में भट्ठे के मालिकान को लाइसेंस देने में प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद ही किसी को कोल एजेंट बनाते हैं। लेकिन होता यह है कि भट्ठा मालिकान लाइसेंस में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि यदि कोयला खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स में इन्द्राज होगा। इसलिये ब्लैक में खरीदना पसंद करते हैं। इसकी जांच हमने कई बार कराई।

कोयला कन्ट्रोल में उपलब्ध है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करना चाहते। इस कारण से कोल एजेंट उसका प्रयोग कर रहे हैं। भट्ठा मालिकों को इस बात की जानकारी है। उनकी सूचना के लिये बता रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अपील करता हूं कि आपने जो आश्वासन मांगा था, मैंने आश्वासन दे दिया है कि ईश्वर करे कि किसानों को गेहूं 200 रुपये क्विंटल में बिके, हम यह कोशिश करेंगे कि किसान का गेहूं ,जो कीमत हमने निर्धारित की है, उससे कम में किसी भी हालत में न बिके। इन शब्दों के साथ में अनुरोध करता हूं कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले ले।

*श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के बाहर यदि धान बेचा जाता है तो किसान नहीं व्यापारी बेचेगा, तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आपने मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में धान खरीद केन्द्र बनवाए हैं तो मथुरा के खरीद केन्द्र पर एक भी तोला धान नहीं खरीदा गया। जिले के किसान हरियाणा में धान बेचने जाते हैं। न तो खरीद केन्द्रों पर धान खरीदा जाता है और न बाहर बेचने देते हैं किसान को। या तो किसान को धान बाहर बेचने की छूट होनी चाहिये या फिर अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात के लिये बाध्य करें कि वे किसान का धान खरीदें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इस बारे में मैं कह चुका हूं कि सारे प्रदेश में किसान कहीं भी धान बेच सकता है। दूसरी बात कही कि अधिकारियों को मजबूर करें कि धान की खरीद करें तो मान्यवर अगर कहीं इसकी समस्या है तो मान्यवर, हमें बताए स्वागत है हम सारा धान खरीद लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से दो बातों पर स्पष्टीकरण चाह रहा था। मान्यवर, सदन के बाहर जब व्यापारी मण्डल के साथ सरकार से मिलते हैं तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि उनकी समस्याओं का निदान किया जायेगा। मान्यवर एक-एक व्यापारी को, एक-एक दुकानदार को अलग-अलग कमोडीटीज के लिये अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता है कंट्रोल आर्डर के तहत, इससे व्यापारियों को बड़ी असुविधा होती है और उसी से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। क्या ऐसी व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं

करेंगे कि एक व्यापारी को एक ही लाइसेंस लेना पड़े और उस लाइसेंस की परिधि में सभी चीजों को कवर कर लिया जाय। इससे सरकार को भी आसानी होगी और व्यापारी वर्ग को भी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एसेन्शियल कमोडिटीज की जो सूची बनी हुई है वह आज से बहुत वर्षों पुरानी बनी हुई है अब जो मांग और आपूर्ति की स्थिति है उसके तहत में सूची पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ गयी है अब जैसे माचिस है वह हर जगह उपलब्ध है। उस सूची पर भी पुनर्विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर ,जो पहली बात माननीय गुप्त जी ने कही, व्यापारी वर्ग की ओर से कई बार यह मांग रखी गयी, विचार भी उस पर विभाग ने किया कि कुछ कम्पोजिट लाइसेन्स की व्यवस्था कर दी जाय। जैसे कोई व्यापारी 4 कमोडीटीज डील कर रहा है तो उन चार के लिये अलग लाइसेंस न लेना पड़े। यह सक्रियता के साथ विभाग में विचाराधीन है विषय इसमें कुछ पहलू ऐसे थे, जिन पर विचार होना है। विचार होने के बाद, इसमें जल्दी निर्णय ले लिया जायेगा। जो दूसरी बात उन्होंने कहीं जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसकी सूची पर विचार होता रहता है।

माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि बहुत सी चीजें अब उपलब्ध हैं, दिक्कत नहीं है उसमें यह कहना है कि जो चीजें उसमें शामिल हैं, उसकी वजह से किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। उन चीजो को इसलिये रखा जा रहा है ताकि कभी वस्तु विशेष के लिये दोबारा कंट्रोल जारी न करना पड़े। अब डीजल की कोई कमी नहीं है लेकिन उसें निकाला नहीं है उस सूची से, उसे चेक भी कर लिया जाता है। हां इस कारण किसी व्यापारी को कहीं प्रताड़ित नहीं करते। लेकिन जो औपचारिकतायें हैं उस पर बल देते हैं। ताकि मिलावट न होने पाये।

श्री मनोहर लाल--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के अन्दर चीनी की कमी नहीं है। लेकिन, मान्यवर चीनी के वितरण में एक असमानता है। शहर में कुछ मात्रा में मिलती है, गांव में कुछ मात्रा में मिलती है। शहर के लोगों को ज्यादा मात्रा में मिलती है। कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह असमानता दूर हो गांव के लोगों को भी शहर के लोगों की भांति चीनी मिले ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय मनोहरलाल जी कुछ विलम्ब से आये, मैंने तो मूल भाषण में ही इसका जिक्र किया था कि चीनी की व्यवस्था अलग-अलग है, अन्तर है। एक किलो शहर में है, ढाई सौ ग्राम वहां पर हैं। मान्यवर, चीनी का कोटा निर्धारित है, 52 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह हमें मिलती है उससे ज्यादा मिल नहीं पा रही है। जितना कोटा है उसका 32-33 प्रतिशत शहर में जा रहा है।

(श्री मनोहर लाल ने खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य बैठें, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

गांव में काफी मात्रा में चीनी जा रही है, बाकी शादी ब्याह आदि में जाती है। कई ऐंगल से इसकी स्थिति पर विचार किया गया है। जो व्यवस्था अभी है, जो चीनी का आबंटन है, जब तक वह नहीं बढ़ पाता, तब तक उसमें कुछ नहीं किया जा सकता।

चौधरी भगवती प्रसाद--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। शासन के निर्णय के मुताबिक खाद्य सलाहकार समितियां जो जिलों में हैं उनकी तीन माह में बैठकें होती थी। अभी दिसम्बर 1987 में संभवतः शासन ने एक आदेश जारी किया है कि इसकी प्रतिमाह बैठकें हों। तो क्या पूरे प्रदेश में इसकी प्रतिमाह बैठकें शुरू हो गयी हैं हमारे जनपद मिर्जापुर में तीन माह से बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा मिर्जापुर में 70-80 ईंटे के भट्ठे हैं क्या वहां की स्थिति को देखते हुए सरकार रेलवे वैगन से उनको सैल्क कोल दिलवायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

शासन की नीति और आदेश भी यही है कि खाद्य सलाहकार समिति की प्रतिमाह बैठक हो। मिर्जापुर का जिक्र माननीय सदस्य ने किया हम मिर्जापुर के साथ-साथ अन्य जगहों की स्थिति भी देख लेंगे। यदि बैठक निर्धारित समय के भीतर नहीं होगी तो उसका दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

श्री अधिष्ठाता--

कौशिक जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, जितनी भी बातें मैंने रखीं, वह मंत्री जी ने नहीं मानी। मैंने 200 रुपये प्रति क्विन्टल की बात कही, उसको अगर यह घोषित कर दें तो ठीक है लेकिन वह बात भी नहीं मानी गयी, इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या -22 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 7,03,71,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) अनुदान संख्या 19--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग दुग्ध शाला विकास अनुदान संख्या 17--कृषि तथा मन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 35,02,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य संबंध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 6,32,04, 000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,84,92,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, किसान के लिये, वह अपनी उपज, पैदावार और उससे दाम लेकर अपना जीविकोपार्जन करता है। केवल जमीन के ऊपर खेत का बोझ बनकर के कोई कृषक खुशहाल नहीं रह सकता, जब तक उसके साथ-साथ उसी से संबंधित कुछ और कार्य वह करें, चाहे छोटा उद्योग करें और चाहे और कुछ करे। हमारी धारणा मान्यवर, यह है कि अगर दूसरा काम करे के लिये किसान पशुधन को महत्व देता है जैसा कि हमारे प्रदेश में और देश में परम्परा रही है। यहां के किसानों ने हल जोतकर, ट्रैक्टर चलाकर गन्ना, चावल, गेहूं पैदा किया है, साथ ही उसने पशुधन के महत्व को भी समझा है।

पशुधन जहां शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसी के साथ-साथ दूध, दही, घी, मांस, मछली आदि इन सब चीजों के लिये भी पशुधन का इस्तेमाल होता है। मुझे बताते हुये बड़ी खुशी हो रही है कि पशुधन को सुधारने के लिये, स्वस्थ रखने के लिये, विकसित करने के लिये विभाग क्या भूमिका निभा रहा है, चन्द शब्दों में मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा।

मान्यवर, 2–3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस प्रदेश में छठी योजना के अन्त तक 72 लाख 61 हजार मैट्रिक टन दूध की उपलब्धता थी, 7वीं योजना में यह 92 लाख 10 हजार मैट्रिक टन हो गई 1988-89 में हमने 86 लाख 82 हजार मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। अन्डा 370 मिलियन था अब उसे बढ़ाकर 7वीं योजना में 524 मिलियन का लक्ष्य रखा गया था। ऊन 16 लाख किलोग्राम था, उसे बढ़ाकर अब 18 लाख 70 हजार किलोग्राम का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। जो हमारे दुधारू जानवर हैं, उनको स्वस्थ्य रखने के लिये, उनके प्रजननब्रीडिग को इम्प्रूव करना है ताकि उनकी दूध की क्षमता अंडे की क्षमता और मांस देने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने प्रदेश के आर्थिक विकास को सही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जहां तक पशुओं की संख्या का प्रश्न है इस समय लगभग प्रदेश में 7 करोड़ पशु हैं और जो प्रजनन योग्य गायें है उनकी संख्या भी कोई कम नहीं है, लेकिन संख्या को देखते हुए दूध का उत्पादन बहुत कम होरहा है। कैसे इसको बढ़ाया जाय।

इस समय प्रदेश में 66 लाख गायें प्रजनन योग्य हैं और 79 लाख भैंसे प्रजनन योग्य हैं। विभिन्न कार्यक्रम हमने चलाये हैं नस्ल सुधारने के लिये। कार्यक्रम वही हैं, जिनको हमने विदेशों में देखी है। आज उन्होंने नस्ल सुधारते-सधारते गाय को दूध देन वाली मशीन बना दी है। जो गाय यहां 2 किलो दूध देती है वहां पर वह 40 किलो से लेकर 60 किलो दूध देती है। कहां यहां बून्देलखंड में हमारे पुर्वान्चल में एक-एक आदमी के पास 50–50 गायें हैं लेकिन दूध केवल 10 किलो है हमारा यह प्रयास है कि वे 50 गायें इतना दूध देने लगे जिसमे उनका रख-रखाव ठीक हो सके

और वे एक आकर्षण का बिन्दु हो जांय और साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो। विभाग द्वारा इस समय 22 लाख 84 हजार पशुओं को प्रतिवर्ष कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से लगभग 10 लाख कृत्रिम गर्भाधान अति हिमीकृत वीर्य से किये जा रहे हैं।

इस समय प्रदेश में कार्यरत कुल 9 तरल नत्रजन संयत्र हैं जिनमें से 2 लाख लीटर तरल नत्रजन प्रतिवर्ष उत्पादित किया जाता है। प्रदेश में इस समय कुल अति हिमीकृत वीर्य की उत्पादित खुराकें लगभग 3 लाख हैं और 1988-89 में यह लक्ष्य 5 लाख का रखा गया है। अच्छे किस्म के सांड़ उपलब्ध करा देने से भी काम होने वाला नहीं है। एक अच्छे किस्म के सांड़ से बीज लेकर विदेशी लोग उसे कई वर्षों तक के लिये रख लेते हैं और वह वर्षों तक काम आता रहता है लेकिन व सुविधायें अभी तक हमारे पास नहीं थीं, लेकिन अब हम गन्जरिया फार्म, लखीमपुर खीरी में पी0सी0 डी0 एफ0 का मुरादाबाद में तथा आने वाले वर्षों में बाराबंकी में हम स्थापित कर रहे हैं, जहां हम अच्छे किस्म के सांड़ों को रखेंगे, जिनसे अच्छा बीज उपलब्ध कराया जा सके और उसे डिफ्रिज करके उसे 10-15 साल तक हम रख सकें और उसका परीक्षण करते रहें। इसी प्रकार भैंसों के लिये लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम शुरु किया है। हमें संकोच होता है अगर हमें दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़े, मुझे आशा है कि आगे आने वाले दो वर्षों में हम पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि बाहर भिजवाने की स्थिति में आ जायेंगे।

चिकित्सा के बारे में कहना चाहूंगा। इस समय हमारे प्रदेश में जो अस्पतालों की संख्या है, उसको देखते हुए 38,000 पशुओं पर एक अस्पताल आता है। लगभग 1500-1550 चिकित्सालय हैं, जो कार्यरत हैं और 2750 पशु सेवा केन्द्र है, जिनमें चिकित्सा का काम किया जाता है। सेवा अभी कम हो रही है, इसको और बढ़ाना है, लेकिन कठिनाई और भी है कि जहां चिकित्सालय हैं, सबके लिये चिकित्सक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लगभग 500 चिकित्सालय अभी वंचित हैं चिकित्सकों की सेवा से। मैं इस बात से खुद सहमत हूं कि चिकित्सालय खोलने से कोई फायदा नहीं है अगर चिकित्सक नहीं हैं। हमने कई बार लोक सेवा आयोग से आग्रह किया है, बार-बार डिमाण्ड भी भेजी हुई हैं। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि जल्दी ही साक्षात्कार लेकर इन अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे, लेकिन अगर इसमें विलम्ब होता है तो और विचार करगे ताकि तदर्थ रूप में नियुक्ति करके उस कमी को पूरा कर सकें।

इस बार सूखे का प्रभाव जहां और क्षेत्रों पर हुआ है, मवेशियों के ऊपर प्रभाव होना स्वाभाविक है। विभाग ने इस प्रभाव को कम करने के लिये लगभग 30 जनपदों में एक-एक लाख रुपये वहां के जिलाधिकारी के डिस्पोजल पर रखा, अगर चारे की कमी हो रही है, भूसे की कमी हो रही है तो बाहर से ला सकें और उसको बेचकर फिर भूसा खरीद के, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उसको वहन कर सकें। कुछ जनपदों में इसका उपयोग किया गया। पूरे वर्ष में 175 लाख पशुओं की चिकित्सा इन अस्पतालों के माध्यम से हुई है, 2 करोड़ 25 लाख के वैक्सीनेशन कराये गये क्योंकि बीमार होने के बाद इलाज करना दूसरी बात है और बीमार होने से पहले टीका लगाकार बीमारी को रोकना ज्यादा अच्छा होता है। टीके के बारे में, जहां वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री है, है, काम कर रही है, लेकिन जितनी अवश्यकता है, उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके लिये गोरखपुर में एक संस्थान स्थापित होने जा रहा है, कार्य शुरु हो चुका है, हमें आशा है कि जल्दी ही उत्पादन शुरु हो जायगा। उसके बाद बाहर से दवा या वैक्सीन मंगाने

की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

मुजफ्फरनगर में भी काम हो रहा है, वहां पर एक पालीक्लीनिक बन रहा है, जो कहीं नहीं है ।

इसके साथ-साथ जैसी मैंने बात कही थी कि किसान केवल उत्पादन करने तक ही सीमित रहा है और उत्पादन करने के बाद उत्पाद का सही मूल्य न मिल सके तो हम अपने कर्ज को पूरा नहीं कर सके, इसलिये इस विभाग ने दुग्ध विकास विभाग के माध्यम से सुनिश्चित किया कि दुग्ध उत्पादकों का शोषण न हो । वह दिन आपको याद होगा जब दूध, बिचौलिये गांव में जाकर 1-1 रु0 और डेढ़-डेढ़ रु0 प्रति लीटर खरीदते थे और बाजार मे जाकर 5-6 रु0 प्रति लीटर मे उपलब्ध कराते थे, आज ऐसा नहीं है ।

आज मान्यवर, पूरे प्रदेश में साढ़े चार हजार सहकारी समितिया दूध की हैं । उसमें उसी गांव क रहने वाले लोग समिति के सदस्य हैं, निदशक भी उन्हीं क हैं, निदेशक मंडल भी उनका है और उनका ही चुना हुआ चेयरमैन है । सारी संस्था वे स्वयं चलाते हैं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रदेश में 99 प्रतिशत सहकारी समितियां अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और लाभ अर्जित कर रही हैं और अपने सदस्यों को लाभांश में बोनस बांट रही हैं ।

जो जिला स्तर पर दुग्ध संघ हैं वह दुग्ध संघ 60 प्रतिशत लाभ में हैं । ऐसे दुग्ध संघ लखनऊ में हैं, मुजफ्फर नगर में हैं, कानपुर में हैं । यह सब शहरी क्षेत्रों में हैं और उसका फायदा किसानों को मिल रहा है । सामान्यत: दूध पैदा करने और बेचने का कार्य वही किसान करते हैं जिनके पास जमीन कम होती है । उस सम्पन्नता तक पहुंचने के लिये यह किसान दूध पैदा करने व बेचने का काम करते हैं और उन्हीं के बराबर सम्पन्न होते जा रहे हैं । हमारा दुग्ध आयुक्त का कार्यालय बराबर इस कार्य में लगा हुआ है । आगे के लिये भी हमारी और योजनायें आ रही हैं कि जो गांव इससे शेष रह गये हैं, बचे हुए हैं उसको भी हम सम्पन्नता की ओर आग ला सके । क्योंकि इस प्रदेश में यह कार्य देर से आरम्भ हुआ अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में । हमारे प्रदेश में यह कार्य 1982 से आरम्भ हुआ है। इस अल्प अवधि में हम किसी प्रदेश से आगे नहीं आ पाये हैं तो किसी से पीछे भी नही रहे हैं हमने उनका साथ पकड़ा है और आगे निकलने की तैयारी में हैं ।

अब मैं केवल एक या दो बिन्दु के बारे में और कहकर समाप्त करूंगा । पशु के लिये अच्छा चारा होना आवश्यक है उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके बारे में प्रयास चलता रहना चाहिये । हमारे जो फार्म हैं, वहां अच्छे प्रकार के बीज उगाना, अच्छा चारा उपलब्ध कराना और बाद में उन्हें किसानों तक पहुंचाना, यह जिम्मेदारी हमारी है । वर्ष 1987-88 में 2,800 कुन्तल बीज हमने फार्म से उपलब्ध किये जो किसानों तक पहुंच रहे हैं ।

इसके अलावा अच्छा आहार पशुओं के लिये जरुरी है जिसके लिये दो फैक्ट्रियां हैं पी0 सी0 डी0 एफ0 की एक बनारस में और एक मेरठ में । यह अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा पशु आहार बना रही हैं । दोनों में ही यह है कि जितनी लागत व लगा-

रही हैं उससे कम मूल्य पर वह किसानों को दे रहीहैं 12 रु0 5 पैसे किलोग्राम के हिसाब से यह आहार पड़ता है जो कि किसानों को दिया जा रहा है किन्तु सूखे के समय यह व्यवस्था की गयी है कि यही आहार 1 रु 70 पैसा में किसानों को उपलब्ध कराया जाय। हमारे पास जिला सहकारी समितियों से बराबर इसकी मांग आ रही है क्योंकि उनको इतने कम मूल्यपर यह पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

आज आपा जनतेह बिनौला और खली के दाम बढ़ते-चले जा रहे हैं। गरीब किसान की क्षमता के बाहर यह सब चीजें होती चली जा रही हैं कि कैसे वह अपने पशुओं को इसका आहार उपलब्ध करा सके। खास करके शंकर नस्ल की जो बछिया है इसके लिये हमारे 17 जनपदों में यह काम हो रहा है कि वहां सबसीडी देकर पशु आहार उपलब्ध कराया जाता है। मान्यवर इनके अलावा अडों के उत्पादन के हमारे कई विकास केन्द्र चल रहे हैं साथ ही कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है जिससे आज 13 लाख चूजे प्रतिवर्ष कुक्कुट पालकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं साथ ही इनकी चिकित्सा रोग नियंत्रण आहार एवं प्रशिक्षण आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है और वर्ष 1988-89 में दो सघन कुक्कुट विकास योजनाओं की स्थापना प्रस्तावित है। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं कह सकूंगा परन्तु मा0 सदस्यों के सुझावों का मैं स्वागत अवश्य करूंगा।

(व्यवधान)

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)--

मान्यवर जहां हमारा उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की तरफ़ तेजी से बढ़ रहा है वहीं पर इस प्रदेश में मछली जैसे पौष्टिक आहार के उत्पादन की तरफ़ भी हमारी सरकार का ध्यान विशेष तौर पर है। मत्स्य विभाग, प्रदेश में जो हमारी जलस्रोत हैं उनमें विकास के काम कर रहा है और मत्स्य का उत्पादन उससे बढ़ान का प्रयास कर रहा ह। इसके साथ ही मान्यवर, इस विभाग द्वारा मत्स्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो परम्परागत पुश्तैनी मछुवारे हैं, इनका सामाजिक रूप से व आर्थिक रूप से पूरी तरह से उत्थान हो सके, इसके लिये उन्हें अधिक से अधिक रोजगार देने के प्रयास कर रहा है। साथ ही हमारे प्रदेश में जो जल-संसाधन हैं, उसमें बंधे हुए पानी 4.45 लाख हेक्टेयर हैं, जिसमें से वर्तमान में आंशिक रूप से 38.96 मत्स्य विभाग के नियत्रण में ह, शेष जल क्षेत्र सिंचाई विभाग, वन विभाग, नहर, राजस्व तथा अन्य विभागों के नियंत्रण में है।

राजस्व विभाग के नियंत्रण में जो गांव सभा में निहित ताल-तलैया व जलाशयहैं, उनको 10 वर्ष के पट्टे दिए जाते हैं और वह पट्टेदार उसमें मत्स्य पालन करते हैं। जनवरी 1988 तक 31417 हेक्ट0 क्षत्र को तालाबों के रूप में पट्टे दिए गये हैं, और व्यवसायी बैंकों से 27,222 हेक्ट0 क्षेत्र का ऋण दिया गया है, 34,301 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया है और इस वर्ष 1988-89 में जो लक्ष्य है 5,000 हैक्टेयर का है अर्थात् 5000 हेक्ट0 अधिक जल-क्षेत्र में मत्स्य पालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस विभाग में मत्स्य बीज की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार प्रदेश भर में आपूर्ति के लिए कई नई हेचरीज की स्थापना की गयी है प्रदेश में अब तक 8 हेचरीज जो 1-इलाहाबाद में त्रिवेणी हेचरी, 2-गोमती हेचरी, लखनऊ, 3-राप्ती हेचरी बस्ती-4 ब गोरखपुर हेचरी, 5-सरयूहेचरी, फ़ैजाबाद, 6-महमूदाबाद हेचरी, सीतापुर, 7-मथुरा, हेचरी तथा 8-सुल्तानपुर हेचरी की हैं.... (व्यवधान) की स्थापना हो चुकी है जहां पर प्रदेश में मत्स्य बीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है। (व्यवधान)

मत्स्य बीज की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु इस प्रदेश में शाहजहांपुर, जालौन और मेरठ में तीन हेचरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका कार्य प्रगति पर है। मान्यवर, दो तरीके से, एक तो विभाग ने और दूसरे उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम ने इस प्रदेश के हर मंडलों में कम से कम एक-एक मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र खोलने का प्रयास किया है, जिससे हमारे प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। मान्यवर, 1987-88 में हमारा लक्ष्य जनवरी, तक करीब 12 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने का था और उसे मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1988-89 में 18 करोड़ मत्स्य बीज की आवश्यकता होगी जिसके लिये मत्स्य विभाग और मत्स्य विकास निगम दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर जलप्लावित व बेकार पड़ी भूमि पर कोई उत्पादन नहीं होता ह, जहां पर सीपेज है, वहां फ़िशरीज़ स्टेट की स्थापना की जा रही है। वहां पर छोटे छोटे टुकड़े में तालाब बनाकर गरीब वर्ग के लोगों को मत्स्य पालन के लिये दिया जा रहा है। यह फ़िशरीज स्टेट रायबरेली, सुल्तानपुर और वाराणसी म बनायी जा रही हैं। भारत सरकार की सहायता से कल्याणकारी योजनायें हमारे प्रदेश में लागू की गयी हैं, जिनमें दुर्घटना बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी मछुवा सहकारी समितियां हैं, उनके सभी सदस्यों का अनिवाय रूप से जीवन बीमा कराया गया है और अब तक 1987-88 में 24,272 मछुवारों का जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिये कराया गया है।

मान्यवर, इस प्रदेश में तीन ऐसी दुर्घटनायें हुई हैं कि जो सदस्य मछुवा सहकारी समिति के थे, उनकी मृत्यु हो गयी तो उनकी मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 15 हजार की दर से सहायता दी गयी और दूसरी योजना यह है कि भारत सरकार की मदद से 100 मकान बनाकर मछुवारों को देने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार से सरकार ने उनके आवास की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा गंगा नदी के जल प्रदूषण को दूर करने का जो हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने जो संकल्प लिया और जो प्रयास किया है कि गंगा का जल प्रदूषण दूर किया जाये और गंगा को पवित्र बनाया जाये, उसमें हमारा मत्स्य विभाग भी योगदान कर रहा है।

जल प्रदूषण को दूर करने के लिये इलाहाबाद में साढ़े पांच हेक्टर के दो सीवेज मत्स्य प्रक्षेत्र बनाये जा रहे है सीवेज क्षेत्र में इसका काम शुरू करा दिया गया है भारत सरकार की मदद से यह काम पहली बार हमारे प्रदेश में हो रहा है। इससे नदी का जल प्रदूषण दूर होगा और दूसरे मत्स्य उत्पादन भी होगा। मान्यवर, मत्स्य सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश में अब तक 608 बनायी गयी हैं और इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रदेश स्तर पर मत्स्य सहकारी संघ की स्थापना की गयी है। इसके अलावा मान्यवर, इक्वैरियम की स्थापना जगह-जगह की जा रही है, जिससे जो पर्यटक आते हैं, उनको देख सकें, उनके लिये एक सुन्दर आकर्षक बिन्दु हो, इसके लिये इक्वैरियम की स्थापना की जा रही है।

सचल पारलर लखनऊ और गोरखपुर में चलाये गये हैं जहां पर मछलियों के व्यंजन मिलते हैं। पकी हुई मछली तथा कच्ची मछलियां, दोनों प्रकार की वहां पर उपलब्ध होती है। जो लोग मछली खाते हैं उन्हें अच्छा स्वाद मिलता है। मान्यवर, इस वर्ष इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर, मेरठ, बरेली और दिल्ली में भी सचल पारलर चलाने का निर्णय लिया गया है। मछली में प्रोटीन पाया जाता है। यह एक शुद्ध खाद्य पदार्थ है। इसकी दिनोदिन मांग बढ़ती जा रही है और इस मांग को पूरा करने के लिये मत्स्य विभाग बराबर प्रयास कर रहा है। इसी के साथ ही जो गरीब समुदाय के लोग इस पर निर्भर करते हैं जो परम्परागत पुश्तैनी रूप से मछुवारे हैं उनको रोजी देकर यह विभाग सामाजिक और आर्थिक

उत्थान कर रहा है। इन शब्दों के साथ मैं मत्स्य विभाग पशुपालन एवं दुग्ध विकास का जो बजट प्रस्तुत है उसका समर्थन करता हूं।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बात न करें। शांति बनाये रखें।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव औपचारिक है। . . (व्यवधान)। मान्यवर, हमारी ओर से माननीय मंत्री जी ने ही कटौती का प्रस्ताव एक तरफ से रख दिया है। इतना कम धन उन्होंने विभाग को दिया है। एक तरफ तो कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण विभाग हैं। पूरे प्रदेश के गरीब, छोटे और माली हालत के कमजोर लोग, मजदूर क्लास के लोग इससे अपना जीवनयापन करते हैं उनका जीवन सुधारने के लिये सारी योजनायें लागू करते हैं दूसरी तरफ उन्होंने बहुत कम धन देकर हमारे कटौती के प्रस्ताव का स्वयं समर्थन किया है। सबसे कम धन इसको दिया है।

मान्यवर, यही नहीं, शासन का रुख इससे भी स्पष्ट होता है सबसे पीछे इसका बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ताकि न तो सुनने वाले रहें और न सुनाने वाले रहें। इसके लिये सबसे कम पैसा रखें ताकि इसके बारे में विचार करने की जरूरत न रहे। इसलिये मंत्री जी ने स्वयं कटौती कर दी। हम माननीय मंत्री जी पर ढंग सीखने के लिये आये हैं कि यह जानें कि आखिर क्या होता है।

मान्यवर, प्रदेश के 85 फीसदी लोग देहातों में रहते हैं जिनका पशुपालन विभाग में बहुत बड़ा योगदान है। पशुपालन सबके लिये आवश्यक है। किसानों के लिये बैल चाहिये, बैल के लिये गाय चाहिये, दूध चाहिये, भैंस चाहिये, खेती के लिये भैंसा चाहिये और दूसरे साधन चाहिये। इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उत्पादन के मामले में इसलिये भी हम फेल हैं, कमजोर हैं कि यहां पर न उन जानवरों के रख-रखाव के लिये कोई व्यवस्था होती है और न उनकी चिकित्सा और उपचार की व्यवस्था होती है और न दवा की व्यवस्था होती है। मान्यवर, इस प्रदेश में जो गांव हैं उनमें निश्चित रूप से एक न्याय पंचायत में जिसमें कि 6-6 और 7-7 गांव होते हैं, उनमें कम से कम प्रत्यक गांव में 1 हजार जानवर रहते हैं।

(कई सदस्यों के बात करने पर)।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, ब्लाक स्तर पर एक पशु चिकित्सालय होता है और 2, 3 स्टाक मैन सेन्टर हुआ करते हैं उससे किसी तरह पशुओं के उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इन्होंने

यह बात नहीं बताई कि उससे इनकी कलई खुल जाती है कि कितना पैसा एक पशु पर यह खर्च करते हैं, कितना उसकी दवा पर खर्च करते हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 5 सौ ऐसे चिकित्सा केन्द्र हैं जहां पर डाक्टरों की सुविधा नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अपने को किसान का बेटा कहने में संकोच होता है।

हम कहते हैं कि जब तक हर न्याय पंचायत स्तर पर एक पशु सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किया जायगा तब तक पशुओं की देख-रेख की व्यवस्था नहीं हो सकती है। बैल जो खेत में काम करता है अगर उसके खुर में चोट लग जाय तो उसके बाद उसे अगर दूर जाना है तो वह वहां तक नहीं जा सकता है इसलिये पशु चिकित्सा की व्यवस्था नजदीक में होनी चाहिये क्योंकि बड़े जानवर घायल अवस्था में दूर तक नहीं जा सकते हैं। अगर नजदीक में सुविधा नहीं होगी तो या तो वह मर जायगा या फिर बकार हो जायगा।

इसी प्रकार गायों के उपचार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपने कहा कि दूध का हम 5 रु0 4 रु0 काश्तकार को देते हैं लेकिन यह गलत है दो रुपये तीन रुपये लीटर से ज्यादा उसे नहीं मिलता है जितनी भी आपकी दुग्ध सहकारी समितियां हैं पूरे प्रदेश में वह सड़कों के निकट जो काश्तकार हैं उन्हीं तक पहुंचती है दूर दराज के जो गांव हैं वहां यह समितियां दूध नहीं लती है। दुग्ध सहकारी समितियों में भी भ्रष्टाचार इतना है कि उसे सबसिडी देते-देते सरकार थक गयी है अगर उस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये शिकायत होती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। जब तक पंचायत स्तर पर पशुचिकित्सा केन्द्रों की स्थापना नहीं होगी, पशुओं का ठीक से उपचार नहीं होगा प्रजनन की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो पशुधन का विकास नहीं होगा।

प्रदेश के कोने-कोने में अगर आप जाकर देखें तो लोग बतायेंगे उनके यहां डाक्टर नहीं हैं, पशुओं के लिये दवा नहीं है। कम्पाउन्डर दवा बेच देते हैं जब तक किसान पैसा नहीं देता है तब तक उसके पशु का उपचार नहीं हो पाता है जब डाक्टर से या कम्पाउन्डर से कहा जाता है कि जरा पशु देख लें तो वह कहते हैं कि समय नहीं है पूरे ब्लाक में एक ही डाक्टर व कर्मचारी हैं कहां-कहां जायें जब उसे पैसा दे दिया जाता है तो वह फौरन साइकिल या मोटर साइकिल से चल देता है। जब तक न्याय पंचायत स्तर तक ग्राम स्तर तक पशुओं के उपचार की व्यवस्था नहीं होगी तब तक पशुधन का विकास नहीं हो सकता है। काश्तकारों को सुविधा देने के सम्बन्ध में जो आदेश या आपके नियम हैं वह सब लखनऊ या दिल्ली तक ही हैं वह गावों तक नहीं पहुंच पाते हैं। गांवों तक निर्देश नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि अधिकारी लखनऊ का चक्कर काटकर अपना कमीशन का काम बनाते रहते हैं।

मान्यवर, पिछले बजट में मंत्री जी ने कहा था कि हर्ष की बात है कि प्रदेश में है 1535 पशुचिकित्सालय हैं और 2770 पशु सेवा केन्द्र हैं और इसमें 2700 केन्द्रों पर सेवा उपलब्ध है। आपने यह भी कहा था कि 75 नये पशु चिकित्सालय हम बनवाने जा रहे हैं और 71 पशु चिकित्सालयों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन्होंने बताया था कि 18 पशु चिकित्सालय बनाये जा रहे हैं। पूर्व बजट में 26 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपये की मांग किये थे और इस बार इन्होंने बहुत कम पैसा मांगा है और उससे थोड़ा परिवर्तन करके यह चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश के दुग्ध विकास का कार्य क्रम चलायें। डेरी फार्म जो हैं उसमें भ्रष्टाचार का बोल बाला है, वहां मैनेजर जो हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। डेरी फार्मों के रख-रखाव लिये प्रोजेक्ट मैनेजर का चयन का प्रस्ताव किया गया था उसमें साक्षात्कार हुआ था लेकिन धांधलेबाजी के चलते उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उनको रोका गया है, पता नहीं सुविधा शुल्क के लिये।

मान्यवर, पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था न होने से पशु पालन, दुग्ध विकास और डेरी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। फर्जी आंकड़े पढ़ते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत

इसको कायदे से समायोजित नहीं किया गया है। जिला योजना के अन्तर्गत पशुपालन के अधिकारी आते हैं और पैसा मांगते हैं और उसके बाद उसका उचित प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। हमने कई बार लिखा कि इन-इन गांवों में जो व्यवस्था होनी चाहिये पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर्स की वह व्यवस्था आवश्यक है पर किसी भी रूप में नहीं की गयी है।

एक तरफ तो जिला योजना को भार देते हैं जिस तरह वन विभाग में निश्चित कर दिया जाता है कि 35-40 लाख रुपया हमको इस काम के लिये सौंप देना है, सरकार को चाहिये कि डेरी विकास के लिये और पशुपालन के लिये, मत्स्य पालन के लिये, इन सारे कामों के लिये निश्चित धन दे दिया जाये ताकि जिला विकास योजना के कार्य में बाधा न पड़े। मान्यवर, आज किसानों की माली हालत खराब होती जा रही है, उनका मुख्य काम पशु-पालन है, बैल, भैंस, गाय, बछड़ा, सुअर, गदहा आदि के भाव बढ़ते जा रहे हैं एवं उनके उपयोग की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं परन्तु किसानों के उत्पादन के दाम गिरते जा रहे हैं, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, आज पशु अस्पताल 10-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। माना कि मा0 विधायक श्री हरदेव जी के गांव की एक गाय गर्म हो जाये तो बेन्थरा रोड पर स्थित सीयर अस्पताल में जाना पड़ेगा। सीयर में जाने में 10 किलोमीटर का फ़ासला है और वहां से हमारे गांव पशुहारी तक जाते-जाते गाय ठंडी हो जायगी और उसका कोई उपयोग नहीं हो पायेगा, उसका गर्भाधान नहीं हो पायेगा, यह हरदेव जी जानते हैं। यह स्थिति प्रदेश के प्रत्येक गांव की है। गांव के किसान को पशुओं के इलाज के लिये बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है। इस पर ध्यान दिया जाये।

मंत्री जी आंकड़े और सुझाव दे देंगे, सचिव निदेशक और दूसरे अधिकारी आंकड़े लेकर मंत्री जी को दे देंगे और मंत्री जी अपनी लुभावनी बातों से सदन को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे लेकिन वास्तविकता कुछ और है और कागज कुछ और है। मान्यवर, किसी भी प्रकार से पशु विकास दुग्ध विकास, मत्स्य विकास का काम प्रगति पर नहीं है। हरियाणा में मत्स्य विकास, पशु विकास और दुग्ध विकास का काम तेजी से चल रहा है। हरियाणा प्रदेश छोटा होते हुए भी किसानों का प्रदेश है और वहां विकास अच्छा है। हरियाणा नस्ल के जानवर यहां आते हैं और आधी दिल्ली को हरियाणा दूध देता है। मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी दुग्ध पालन, मत्स्य पालन की हरियाणा की तरह व्यवस्था करे और यहां के लोग, यहां से दिल्ली और अगल-बगल के क्षेत्र को प्रभावित करें। एक बात में प्रगति अवश्य है कि यहां से भारी मात्रा में गाय और बैल जोतने के नाम पर और नस्ल सुधार के नाम पर बंगाल में कटने के लिये चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में इसके रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं करती है। भारी संख्या में बनारस से ट्रेन और ट्रकों में लदकर यह चली जाती हैं और उसकी कोई रोकथाम होती है। यहां पर आवारा पशुओं के लिये और रोगी पशुओं के उपचार के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और जो लोग अपने पास पशु रखते हैं उसके लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है।

इसलिये विकास कार्य तेजी से नहीं हो पाता है। इतने दिन बाद भी जब महंगाई बढ़ी है, पशुधन के विकास के लिये केवल 35,02,95,000 रुपया ही बजट में रखा गया है, और दुग्धशाला विकास के लिये 6,32,04,000 रुपया तथा मत्स्य पालन के लिये मात्र 2,84,92,000 रुपया रखा गया है। इस प्रकार आप देखें कि प्रदेश के तीन मुख्य विभागों, जिनका सारा दारोमदार देश और प्रदेश की कृषि व्यवस्था से है, कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने से है, कुल मिलाकर मात्र 44,19,91,000 रुपया बजट में रखा गया है और इससे यह साबित किया गया है कि सरकार इस अति उपयोगी विभाग के प्रति गम्भीर नहीं है।

आपने कहा है कि करोड़ों पशुओं की जीवन रक्षा, दवाओं और नस्ल सुधार की जिम्मेदारी सरकार पर है, लेकिन गांवों की असलियत का और उनकी असुविधाओं का आपको पता ही नहीं है। विभागीय अधिकारी विभागीय कार्य में सचिव और मंत्री की तरह दिलचस्पी नहीं लेते है। आपने जो पहले आश्वासन दिया था, उसको पूरा करने या उसमें इजाफ़ा करने के बजाये, उसका ह्रास किया है। एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के बावजूद आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सालय और पशु सेवा केन्द्र ज्यादा खोले हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपदों की अवहेलना की है। वैक्सीन के प्रबन्ध के बारे में आपने कहा था कि रसड़ा, जनपद बलिया में वैक्सीन का कारखाना बनाया जायगा. लेकिन हमें बड़ा अफ़सोस है कि उस आश्वासन के विपरीत उसे दूसरी जगह गोरखपुर में लगवा दिया गया है और उसके लिये आपने कुछ नहीं किया। इसके कारण से वैक्सीन की कमी के कारण उनके उपचार के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। यदि किसी गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि की उचित व्यवस्था हो जाती तो उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि हर तहसील के हिसाब से देखकर विकास खण्ड में पशु सेवा केन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से खोला जाय और जिन चिकित्साधिकारियों और स्टाकमैन की अथवा अन्य कर्मचारी की वहां पर जाने में रुचि नहीं है, उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जाय यह सब ज्यादातर जिला और कस्बा पर रहना चाहते हैं। 80 फ़ीसदी गांवों के लोगों क विकास के लिये उनको हम नहीं लगाते हैं, जिससे देश का विकास कार्य धीमा पड़ता है।

मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में भी बहुत धीमी प्रगति है। यहां मत्स्य निदेशालय में एक जौहरी साहब है जो किसी मंत्री की सिफ़ारिश के कारण उस पर बैठे हुए हैं जबकि वह उसके उपयुक्त नहीं हैं। उनका चयन भी नहीं हुआ है। वह दो वर्ष से पद पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में मत्स्य विकास की भी बहुत संभावनायें हैं। बलिया जनपद में घाघरा और गंगा दो नदियां हैं और बहुत से नाले और कई सौ ताल हैं। उनमें मत्स्य विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बारे में निदेशक महोदय किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मान्यवर, हरदेव जी भी कई बार लिखे हैं वह तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। मत्स्य विभाग पर अगर रिसर्च किया गया होता या ध्यान दिया गया होता तो इसका और अच्छा विकास हो सकता था। मान्यवर, बलिया में बड़े-बड़े ताल हैं अगर वहां पर मत्स्य विकास की योजना को लागू किया जाता तो बलिया जनपद के अन्दर इससे अच्छी आमदनी हो सकती थी। लेकिन यह तो सारा पैसा शहरी क्षेत्रों के अन्दर खर्च करके संतोष करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर लम्बी-चौड़ी मत्स्य विकास की परियोजना लागू की जाय और बड़े-बड़े तालों में इस प्रकार के संयंत्र लगाये जायें कि वहां का विकास हो सके। मान्यवर, दुग्ध विकास, मत्स्य विकास और पशुधन विकास के संबंध में कोई विशेष कार्यवाही न करके इस विभाग की उपेक्षा की गई है इसका धन बढ़ाया जाना चाहिये और कटौती जो आपने किया उसको न करके, धन बढ़ाकर इसका विकास करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

अंचल जी समय बहुत हो गया है कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें (व्यवधान)। वैसे आपने तो धन बढ़ाने की सिफ़ारिश कर दी है, तो आपका कटौती का प्रस्ताव तो खत्म ही हो गया है।

श्री शारदा नन्द अंचल---

इनकी व्यवस्था के विरुद्ध कटौती का प्रस्ताव रखा है। जो जिला योजना है इसके लिये निश्चित धन कर दिया जाय। दुग्ध विकास के लिये मत्स्य पालन के लिये और पशुधन विकास के लिये जितना धन दिया जाय उसको देने की व्यवस्था जिला योजना में कर दी जाय, तो सही रहेगा, क्योंकि ऐसा न होने पर विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फ़ैला हुआ भ्रष्टाचार की शिकायतें जब शासन स्तर पर आती हैं, तो मंत्री जी तो आई0ए0एस0 अधिकारियों से मिले हुए हैं इसलिये वह शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। एक तरफ़ तो शिकायत कर्ताओं का विरोध हो जाता है और दूसरी तरफ़ समस्याओं का निदान भी नहीं हो पाता है, तो इसमें ऐसा होना चाहिये कि जो शिकायतें विभाग की आए उनके ऊपर सरकार तेजी से कार्यवाही करे।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री शारदानन्द अंचल---

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजेन्द्र शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपन मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करता हूं। मुझे मान्यवर आशा नहीं थी कि माननीय अंचल जी जिनके दिल में मजदूरों और किसानों के प्रति दर्द है वह इस विषय पर कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। माननीय मंत्री जी ने अपने विद्वता पूर्ण भाषण में दुग्ध उत्पादन, मत्स्य विकास तथा पशुधन विकास पर तफ़सील में चर्चा की है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में पशु पालन के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। पिछले दो वर्षों में पशुधन एवं दूध उत्पादन को बढ़ाने का काम किया गया है योजनायें बनाई गई हैं। इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

परतापुर में उन्होंने डेरी की चर्चा की। मेरठ में संकट के समय जो मेरठ शहर को दूध सप्लाई करके परतापुर डेयरी ने जो काम किया है उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं सूखे के गम्भीर संकट के समय में जो आपने पशू आहार की व्यवस्था हर जनपद में की है इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुओं के लालन-पालन पर आधारित है पशुओं से दुध आदि के उत्पादन पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। उनके पशु स्वस्थ रहें, नस्लों का सुधार हो और दुग्ध उत्पादन बढ़ जाये। पशु जीवन रक्षा की दवा बनाने की फैक्ट्री अन्य जगहों पर खोली गयी हैं उसी तरह से मेरठ मंडल में एक दवा (वैक्सीन) बनाने की फैक्ट्री खोली जाय जिससे वहां पर वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सके।

पिछले वर्ष मैंने इसी सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न भी किया था। वैक्सीन की कमी से किसानों के पशु मर गये थे। इसलिये मेरठ मंडल में दवा बनाने वाली फैक्ट्री खोली जाय। जैसा कि अंचल जी ने कहा "किसान, मजदूरों के पशु आज भी मर जाते हैं इसलिये जरूरी है कि हर पंचायत स्तर पर पशुओं की देख-रेख के स्टाकमैन सेन्टर्स स्थापित किये जायें जहां की आबादी 2 हजार से अधिक है वहां पर ऐसे स्टोर्स होने आवश्यक हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं और मान्यवर आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री हरेन्द्र सिंह

मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर मुझको बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय अंचल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर ध्यान दें। मान्यवर, पशुओं की चिकित्सा और उनके विकास की बात है, आप खुद ही सहमत होंगे और मंत्री जी भी सहमत होंगे कि हमारे प्रदेश में पशुओं के रख-रखाव और देखभाल करने की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पायी है। जो आंकड़े दिये गये उनसे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत बड़े जानवरों की संख्या पर एक अस्पताल है।

सूखे के समय में घास जो जहरीली थी उसको खाने से हमारे जनपद में दसियों पशु मरे हैं। एक भी पशु को चिकित्सा सुविधा नही मिल पायी। काजी खेड़ा, विकास खंड में बघरा में, मोक्का रेहड़ी, मोरना में दर्जनों पशु मरे हैं। जो बैकवर्ड और गरीब लोग थे उनके पशु अधिक मरे हैं। 7-7 हजार की भैंसें मरी हैं। मंत्री जी उनको मुआवजा नहीं दिला पाये हैं और न दवायें उपलब्ध करा पाये हैं। जिला सेक्टर में अस्पतालों को खोलने की जो योजना प्रस्तावित थी वह नहीं खोले गये हैं। मेरे क्षेत्र में विकास खंड बघरा में काजी खेड़ा, बुढ़ाने में कुरावां, शाहपुर में जीवनापुर तथा बलियान में अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी ने स्वीकृति भी दी थी लेकिन अस्पताल नहीं खुले हैं। जिन क्षेत्रों में लोगों के पास उन्नत किस्म के पशु हैं उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर दवाओं तथा अस्पतालों की व्यवस्था करें। मंत्री जी ने विद्वतापूर्ण भाषण दिया है लेकिन मंत्री जी उलझाने, लटकाने वाला भाषण दिया करते हैं।

मंत्री जी ने मुजफ्फरनगर में पाली क्लीनिक खोलने की बात कही है। लेकिन आपने उसका प्राविधान जिला सेक्टर योजना से कराया है। जबकि इसका प्राविधान राज्य सेक्टर से किया जाना चाहिये था। 55 लाख रुपये की लागत से यह खोल रहे हैं, दसियों साल लगेंगे और इसकी लागत 1 करोड़ की हो जायगी। जिला सेक्टर से इतना परिव्यय उपलब्ध नहीं करा पायेंगे इसलिये इसका प्राविधान राज्य सेक्टर में किया जाना चाहिये। नस्ल सुधार और पशुपालन का कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरह से दुग्ध संघ की बात है। सहकारिता के अन्तर्गत यह खोलने की बात कही गयी है लेकिन सहकारी समितियां केवल जो सड़क के किनारे के गांव हैं उनकी सहकारी समितियों के द्वारा दूध बेचने की सुविधायें मुहैया हो सकी हैं। और उसमें केवल जनपद के 10 से 20 फीसदी ग्राम आते हैं और वे गरीब लोग जो दूध उत्पादन के धंधे से जुड़े हुए हैं वे इससे वंचित हो जाते हैं और अपना दूध सस्ते दामों पर बेचते हैं।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की बात है, वहां के पी0सी0डी0एफ0 सेन्टर पर पहले एक गुप्ता नाम के जनरल मैनेजर थे, जिनकी सहकारी समितियों के सचिव तथा चेयरमैन से दर्जनों बार शिकायत की गयी, परन्तु वहां पर एक आई0ए0एस0 बैठे हैं जिन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि दूध कैसे उत्पादित होता है, भैंस और गाय में क्या अन्तर है और दुग्ध उत्पादकों को क्या परेशानी है। मान्यवर, आप के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि आई0ए0एस0 को हटा कर वहां पर डेरी विशेषज्ञ को बैठाया जाय। वहां के मौजूदा जनरल मैनेजर के प्रयास के बावजूद भी वहां के चिलिंग सेन्टर का कांटा जिस पर दूध तौला जाता है, खराब रहता है, चूंकि यह कांटा सदियों पुराना है और इसका मिस्त्री वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है; ऐसे में जनरल मैनेजर की ईमानदारी भी दुग्ध उत्पादकों की रक्षा नहीं कर पा रही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। यही नहीं वहां के सुपरवाइजर षडयंत्र के तहत दुग्ध उत्पादक के दूध में कम फैट दिखा कर दुग्ध उत्पादक को कम दाम देकर अन्याय करते हैं। इस प्रकार से किसानों को लूटा जाता है।

मान्यवर, मछली और मुर्गी पालन की बात कही गयी, मैं व्यक्तिगत तौर से इस राम और कृष्ण के प्रदेश में मांस की बात पसन्द नहीं करता, परन्तु इस स्कीम के तहत जो लोग मछली पालन के पेशे में लगे हैं, उनको कहीं पर कोई सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मछली पालन में गरीब तबके के लोग लगे हैं, ज्यादातर कश्यप लोग हैं। उन लोगों को तालाबों के पट्टे कराने में पटवारी से लेकर एस0डी0एम0 तक सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं और सभी को सुविधा शुल्क देना पड़ता है।

मान्यवर, मैं अपने जनपद जहां से माननीय मंत्री जी भी हैं, का ही उदाहरण दूंगा उम्मीद है, माननीय मंत्री जी जांच कराने का कष्ट करेंगे। तहसील बुढ़ाना के ग्राम जीवना एवं सियाजुड्डी में पट्टे हुए थे, परन्तु उन्हें तालाब अभी तक नहीं मिल पाया, वे लोग तहसील के चक्कर लगाते-लगाते तंग आ गये हैं, उनका काफी धन इस दौड़-धूप में खर्च भी हुआ, परन्तु अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। मान्यवर, इस तरह से किसानों को क्या मदद की गयी ?

मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे प्रस्तावित अस्पतालों को वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए जनहित में आज ही खोलने की घोषणा सम्मानित सदन में करेंगे। माननीय मंत्री जी, खादर से लगाव को छोड़कर खतौली विधान सभा क्षेत्र में जहां अच्छे पशु रखे जाते हैं, को महत्वपूर्ण मानते हुए यह ध्यान रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अंचल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पशुधन और मत्स्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, पशुधन एवं दुग्ध विकास पर हमारे बहुत से सहयोगी बोल रहे हैं, मैं आपका ध्यान मत्स्य विभाग के बजट की तरफ लाना चाहता हूं। मान्यवर, जहा से उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग को माननीय सीता राम निषाद ने सभाला है, तब से मत्स्य विकास जो है, दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है। मैं आपका बताना चाहता हूं कि मत्स्य विभाग निगम, की स्थापना जिस समय हुई, उस समय पूरे प्रदेश में केवल 40 लाख अंगुलिकायें, (मछली के बच्चे) जो हैं, प्रदेश के कोने-कोने में भेजे जाते थे, लेकिन आज मत्स्य विकास निगम की मदद से, उनके कर्मचारियों की मेहनत से आज 13 करोड़ अंगुलिकायें, मछली के बच्चे जगह-जगह पर मत्स्य पालन हेतु भेजे जा रहे हैं।

श्रीमन् मत्स्य पालन के माध्यम से ऐसे वर्ग विशेष की तरक्की माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की आशाओं के अनुरूप प्रदेश की सरकार ने मछुआ वर्ग, जिसकी आबादी प्रदेश में 75 लाख है, उसके उत्थान की तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी मछुवारों के उत्थान के लिये बहुत सी योजनायें चलायी है जैसे सहकारी समितियों का गठन, मछुवारों के लिये राष्ट्रीय कल्याण योजना, दुर्घटना बीमा योजना आदि हैं।

मान्यवर, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि लोग चाहे शासन को और देश को कुछ देत हों या न देते हों लकिन हिन्दुस्तान के मछुवारे 500 करोड़ सालाना विदशी मुद्रा भारत सरकार को अपनी महनत से देते हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहता हूं शासन ने मछुवारों के हित में बहुत से काम किये हैं लेकिन कुछ काम में क्षेत्र में अधिकारियों ने अड़चन डाल रखी है। मछुवारों के हित में वह काम नहीं करते हैं। इस

सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि पानी जितना है उत्तर प्रदेश में उस सारे पानी पर मत्स्य विभाग का अधिकार होना चाहिये लेकिन ऐसा न होकर राजस्व विभाग के अन्तर्गत, वन विभाग के अन्तर्गत, जिला परिषद् के अन्तर्गत, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत, नगरपालिका के अन्तर्गत और तमाम विभागों के अन्तर्गत यह जल का अधिकार है। इस वजह से मछुवारों को तमाम अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है जिससे बहुत परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से और शासन से अनुरोध करता हूं कि जल का सारा मामला मत्स्य विभाग के अधीन कर दिया जाय ताकि गरीब मछुवारों का हित हो जाय।

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि नदियों की तलहटी पर मछुवारों का सदैव से अधिकार है इसलिए मछुवारों के हित में इसका स्थाई पट्टा स्थायी बन्दोबस्त करने की सरकार कृपा करें ताकि मछुआरों की आर्थिक व सामजिक हालत सुधर सके। माननीय प्रधानमन्त्री राजीव गांधी जी ने मछुवारों की हालत के सुधारने के लिये देश के कोने-कोने से आये हुए 5 हजार मछुवारों के बीच में यह कहा कि मछुवारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी सामाजिक, शक्षिक और आर्थिक हालत सुधारने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं

*श्री महेन्द्र भाटी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, पशुधन के संबंध में मैं आपको एक उदारहरण देना चाहता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण है यह पशुधन। हमारे यहां एक किसान जिसकी पत्नी बीमार थी, वह अस्पताल गया। मान्यवर, डाक्टर ने कहा कि आपको रात भर यहां रुकना पड़ेगा क्योंकि आपकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है उसने कहा पत्नी महज 2 हजार में आ जायेगी लेकिन अगर कहीं भैंस चली गयी तो वह 10 हजार से कम की नहीं है। यह मानवीय भावनाओं के अनुरूप भल ही न हो लकिन किसान किस तरह से इस बात को समझता है और अगर उसके पशुधन का कोई भी नुकसान होता है तो सारी उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है।

मान्यवर, एक तरफ तो कहते हैं कि खेती के ऊपर से खाने वालों का बोझ हटाना चाहते है और दूसरी तरफ दुग्ध उत्पादन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं जिला गाजियाबाद की तहसील दादरी से आता हूं वहां पर सारी आर्थिक व्यवस्था दूध पर निर्भर करती है लेकिन वहां पर पशुओं की चिकित्सा का कोई इंताजाम नहीं है। अगर कोई सारी दिल्ली को दूध देता है तो वह दादरी तहसील ही है। इन परिस्थितियों में जबकि किसानों की जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में चली गयी है। 6 इंडस्ट्रियल एरिया दादरी तहसील में आपरेट करती हैं।

मान्यवर, वहां पर पशुओं की चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं है यह बड़े दुख की बात है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर आपने बैन्ड लगाया हुआ है सरकार ने छोटे-छोटे किसानों को जो पनीर और मक्खन आदि बनाकर बाजार में बेचना चाहते हैं उनके ऊपर भी रोक लगा दी है। जो लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं उन लोगों को तो लाइसेंस पहले से ही दे दिया गया है और छोटे किसान अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसको बैंड कर दिया गया है उसको भैंस पालन के लिए लोन भी नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मिल्क प्रोडक्ट पर लगे बैन्ड को तुरन्त हटाया जाय ताकि छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें और कुछ भी कहना समय बर्बाद करना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं मा0 अंचल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पशुधन एवं मत्स्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी मा0 पशुधन मंत्री जी बोल रहे थे कि जो विदेशी गायें हैं, 60 किलो, 70 किलो दूध देती हैं और हमारी जो गायें हैं, वह दो किलो दूध देती हैं। मान्यवर, विदेशी गायों में मा0 मंत्री जी ज्यादा न ललचाइये। मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि जो हमारी देशी गायें हैं, उनकी नस्ल सुधारने का प्रयास करें। उनकी नस्ल कैसे सुधारी जा सकती है, उसके लिये हमारे देश में जो गायें हैं, उनकी नस्ल कैसे सुधारी जा सकती है, उनके लिये प्रयास किया जा रहा है अति हिमीकृत वीर्य के सेन्टर्स खोले हैं, लेकिन उनका कितना फायदा किसानों को मिला है, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हमरे प्रदेश में सैकड़ों ग्राम ऐसे हैं जहां एक भी गाय उन्नतिशील नस्ल की नहीं है। इसका कारण यह है कि जो सेन्टर्स हैं, उन पर जो वीर्य उपलब्ध कराया जाता है वह किस स्थिति में होना चाहिये, नहीं मिल पाता है। यह हमारा जो किसान है वह इतना अनुभवशील या प्रशिक्षित नहीं है कि वह समझ पाए कि कब उसकी गाय हीट पर है और कब अपनी गाय सेन्टर पर ले जाय तथा गर्भाधान कराए। मेरा मा0 मंत्री जी से सुझाव है कि जो उन्नतिशील किस्म की गायें हैं उनके ज्यादा से ज्यादा नर बच्चों को कम से कम ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक बच्चा नर सांड़ दिलवाने की व्यवस्था करें, जिससे हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक नर बच्चा पहुंच जाय, जिससे वहां के गरीब किसानों लाभान्वित हो सकें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, कृपया विचार कर लें।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, इससे हमारे गरीब किसानों की देशी गायों की नस्ल सुधर सकती है और इसके साथ-साथ गांवों में जो देशी गायें हैं, मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है कि गांवों में जो देशी गायें हैं, उनके जो नर बच्चे होते हैं, सरकार से ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि युवावस्था में आते ही उनका बंध्याकरण कर दिया जाय, जिससे कि उनके बच्चे देशी किस्म के न हों और उन्नतिशील सांड़ों से किसान प्रेरित होकर गर्भाधान करावे इससे अच्छी गायें होंगी। एक बात और है कि मत्स्य एवं पशु पालन का जो व्यवसाय है, वह कृषि से ही जुड़ा हुआ नहीं है। वह कृषक ही नहीं गांव में रहने वाले गरीब और हरिजन निर्बल वर्ग से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, यह व्यवसाय ऐसा है कि गांव में रहने वाला हर निर्बल वर्ग का व्यक्ति, हर हरिजन एवं भूमिहीन जो अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता है, वह इस व्यवसाय को करके अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। लेकिन मान्यवर, खेद है कि शासन की नीति के कारण हम इस व्यवसाय का लाभ अपने उन गरीबों और हरिजनों को नहीं दे पाते हैं। जिससे कि उनका लाभ हो सके। मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि जो प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते हैं, वह न्याय पंचायत स्तर पर चलाये जायं, ताकि गांव में रहने वाले हरिजन, भूमिहीन और नीचे के लोग इस व्यवसाय से लाभ अर्जित कर पाए। इसके साथ ही मैं आपका आभारी हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग की जो मुख्य कमी है, उसको उन्होंने स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया है। एक तरफ तो आप बात कहते हैं पशुधन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास की और दूसरी तरफ स्वयं कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है। जब डाक्टरों की कमी है और जिनके विकास की बात आप कह रहे हैं, तो अन्य उनकी देखभाल कैसे कर सकेंगे, यह माननीय मंत्री स्वयं बतायें, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। आपने स्वयं डाक्टरों की कमी को एक्सेप्ट किया है, अगर आप डाक्टर नही दे पा रहे हैं अस्पतालों में, तब तक न्याय पंचायत स्तर पर या हर दो न्याय पंचायत स्तर पर दो स्टाकमेन सेंटर ही खोलदें। स्टाकमैन सेंटर खोलकर कुछ दवायें उपलब्ध करा दें, थोड़ा बहुत उससे काम हो सकता है। दूसरी चीज आपका मिल्क फेडरेशन है लखनऊ का, मिल्क फेडरेशन का एम0डी0 ही आपका मिल्क कमिश्नर है, वही रजिस्ट्रार है, और वही शासन में सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी भी है। चेयरमैन आप उसमें रखें हुए हैं एक जनता के प्रतिनिधि को। एम0 डी0 की हैसियत से, तो आपका एम0डी0 चैयरमैन के नीचे है लेकिन रजिस्ट्रार की हैसियत से वह चयरमैन के ऊपर है।

(इस समय 7 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, ऐसी स्थिति में आप किस तरह से कार्य करवायेंगे, कुछ यह बात समझ में आ नहीं रही है। वह प्रबन्ध निदेशक चेयरमैन को कौन सी तबज्जो देगा जो स्वयं रजिस्ट्रार हो। मेरा कहना यह है कि मिल्क कमिश्नर और सचिव का पद आप भिन्न करें और प्रबन्ध निदेशक का पद आप भिन्न करें तब तो कुछ बात बनेगी। प्रबन्ध निदेशक ही मिल्क कमिश्नर रहेंगे वही रजिस्ट्रार रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था में आप सुधार नहीं ला सकते हैं।

माननीय निषाद साहब ने तमाम हैचरीज खोलने की बात कही। बस्ती में राप्ती हैचरी की बात का निषाद साहब ने जिक्र किया। दो साल से राप्ती हैचरी बनकर तैयार है, वहां सिवरी के बच्चे बांटने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। राप्ती नदी से वहां के लोग मछली पकड़कर लाते हैं और आपकी हैचरी से वह दी जाती है। आपकी हैचरी से हैचरिंग का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि हम हैचरी से मछली के बच्चे बांट रहे हैं। जब तक हैचरी से हैचरिंग करके बच्चों को पैदा करके इन्डयूस्ड ब्रीडिंग कराकर और सही किस्म के बच्चे पैदा कराके नहीं देंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। नदियों, तालाबों से पकड़कर हैचरी के माध्यम से दिलाने का कार्य जारी रखेंगे, तब तक आपका मत्स्य विकास नहीं होगा। केवल वहां फर्जी ढंग से कागज की खानापूरी की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं पशुधन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम सहकारी समितियों की बात उन्होंने कही है, बस्ती जनपद प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है कृषि के आधार पर। मैंने मंत्री जी से पिछली बार भी अनुरोध किया था इस बार फिर अनुरोध कर रहा हूं उन्होंने मेरी बात पर पिछली बार तबज्जो नहीं दी, बस्ती में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कराने का आप कार्य करायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती कमला साहनी---

मान्यवर मैं आपकी आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, उ0 प्र0 की अधिकांश जनता देहातों में रहती है, उनका आर्थिक ढांचा, उनकी रोजी रोटी उनके पशुधन पर ही निर्भर करती है। मान्यवर, सरकार ने इस बात की बड़ी कोशिश की है कि किसानों के पशुधन के लिये, उन पशुधन की विभिन्न बीमारियों से रोकथाम के लिये अच्छी व्यवस्था हो। पशुधन अस्पतालों में अच्छी दवाइयों की व्यवस्था की है, उनकी ओर ध्यान दिया है ताकि हमारे किसानों के जानवरों की पशुधन की स्थिति सुधार सके ताकि वह अपनी अच्छी खेतीबारी कर सकें।

मान्यवर, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और उसके चारों कोने में चार तरह के मौसम होते हैं। कहीं तेज ठंडक, कहीं लू के थपेड़े चलते हैं। इसी प्रकार विभिन्न अंचलों में विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, उनकी बीमारियां भी भिन्न-भिन्न होती हैं। इसके पहले ऐसा होता था कि पैसा जो दवा का होता था वह सारे मंडल वाइज बांट दिया जाता था। मंडल में लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार डाइरेक्टर या वहां के जो अधिकारी होते थे, दवा खरीदते थे। लेकिन वर्तमान सचिव ने उसमें व्यवधान पैदा करके नई व्यवस्था पैदा करके प्रदेश के पशुपालन जगत में बहुत धक्का पहुंचाया है।

मान्यवर, इस सचिव ने एक समिति बनाई और उसके अध्यक्ष भी स्वयं बन गये। मैं समझती हूं कि निहित स्वार्थवश ऐसा किया गया है। अब एक ही जगह समिति के माध्यम से दवा खरीदकर उत्तर प्रदेश में हर जगह भेज दी जाती है, इस बात की मैं निन्दा करती हूं। साथ ही मैं यह सुझाव भी देना चाहती हूं कि इस तरह की व्यवस्था को समाप्त किया जाय और जैसा पहले व्यवस्था थी, मंडल वाइज पैसा बांटने की, उसी को पुनः लागू किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--साहनी जी, अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मछुवारों का यह एक ऐसा वर्ग है जो देश में और प्रदेश में, जो अपनी नाव से सबको पार उतारता है लेकिन खुद डूबता रहता है। मैं कहना चाहती हूं कि मछुवारों की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है उनकी आर्थिक, सामाजिक उन्नति के लिये जो प्रयास किया गया, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं। मान्यवर, जो मछुवारों द्वारा समितियां बनाई जाती हैं उनको वर्तमान सचिव ने समाप्त करने की कोशिश की और सारे तालाब, पोखरों को निगम को ट्रांसफर कर दिया, साथ ही साथ काम को ठेकेदारों की मदद से कराना शुरु कर दिया, इससे गरीब मछुवारों को बहुत नुकसान हुआ है। बाद में इसके लिये उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें उनकी व्यवस्था दी। मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है।

मान्यवर, यही स्थिति शासन द्वारा एक सामान्य नीति की है जिसके अन्तर्गत वन विभाग, नगर विकास, राजस्व और सिंचाई विभाग आते हैं, उसके अनुसार तालाबों और पोखरों का प्रबन्ध अब मत्स्य विभाग द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है। लेकिन सचिव की लापरवाही के कारण यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के बजहा सागर की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मान्यवर, उसकी नीलामी हुई और ऐसी समिति को उसका ठेका दे दिया गया, जो बेनामी है जिसके अन्तर्गत माफिया गिरोह के लोगों ने उस ठेके को ले लिया है। वह मछुवारों की समिति नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि बजहा सागर की नीलामी वहां के मछुवारों की समिति को दी जाये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम शरण दास जी, आप कुछ कहेंगे ?

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लकिन वैसे जो मेरी भावना थी, वह भावनायें कमला साहनी ने व्यक्त कर दी हैं। मान्यवर, हमारे पशुधन मंत्री और मछली मंत्री दोनों ही मेरे सामने बैठे हैं। दोनों का करीब-करीब बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता, पशुधन मंत्री इतने खूबसूरत हैं.....

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और ये तो हमारी नस्ल के हैं, इनसे हम क्या कहें।

मान्यवर, मैं पशुधन मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। यह जो आपके विभाग के पशु चिकित्सालय हैं, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि जो दवाईयां आप इन चिकित्सालयों में भेजते हैं, वहां पर जो डाक्टर्स हैं या स्टाकमैंन हैं, वे किसानों से पैसा लेते हैं। इसलिए इस आप रोकिये। इस साल बहुत ज्यादा जानवर बीमार हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई दवाई का इन्तजाम नहीं था। मैं आपके संसाधनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इन पर आप कंट्रोल कीजिए। अभी उधर से एक सदस्य चारे के बारे में कह रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां चारे का इन्तजाम हो रहा है, कहीं आप एक क्विन्टल चारा दिखा दीजिए। ऐसी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए।

हमारे यहां पशुधन बहुत हैं, लेकिन उस पर आप तबज्जुह नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां भैंस, गाय, बकरी, भेंड़, गधा, गधी, ऊंट आदि जानवर हैं, इन सब पर आप ध्यान दें। भेड़े पर ही यदि आप तबज्जुह दें तो आप लोगों को कपड़ा मिलेगा, दूध की समस्या हल होगी। आप अच्छे सांड़ लायें। [* * *] निषादजी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो उन्हें यार करता हूं। इसलिए भी कि वह हम जैसे तबके से आये हैं, उन्हें हमीं लोग यहां लाये हैं।

आपका जो यह मछली पालन विभाग है, उसके बारे में श्रीमती कमला साहनी जी ने कह ही दिया है। सब के सब ठेके पर चल रहे हैं। गांव के जो तालाब हैं, वे सबके सब ठेकेदारों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि गांव के जो तालाब हैं, उन्हें जो कहार हैं, मछुवारे हैं या जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें दिया जाय, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ यदि मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। श्री हुकुम सिंह जी तो मेरे वैसे भी रिश्तेदार हैं।

श्री फूल सिंह सौदाई---

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पशुधन दुग्ध विकास और मछली विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां निर्बल वर्ग, छोटे किसान और मध्यम किसान का बाहुल्य है और उनके लिये पशुओं का बहुत बड़ा उपयोग है। सरकार ने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये उनके उत्पादन के लिये यहां अच्छी-अच्छी नस्ल के सांड़ तैयार किये हैं और उनकी दवा और उनके रोग के निराकरण के लिये अच्छे अस्पताल भी खोले हैं लेकिन जितने होने चाहिये, उतने नहीं हैं। जो पशु रक्षा केन्द्र हैं, वह भी काफ़ी दूर-दूर हैं। मेरे क्षेत्र चरखावल में दूध की विरालसी, कुटेसरा, वरला और केल्हनपुर में पशुओं की संख्या बहुत है, लेकिन वहां पर पशु रक्षा केन्द्र नहीं हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां पशु रक्षा केन्द्र खोले जायं। गाय, भैंस, बकरी माननीय वरिष्ठ सदस्य ने गिनवाये लेकिन उन्होंने एक कसर छोड़ दी। दूध के लिये जहां पशुओं की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के लिये भी उनकी आवश्यकता है, मछली, मुर्गी, बकरी, भैंस और सुअर बहुत अच्छे मांस के उत्पादक पशु हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुअर के लिये कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि वह सबसे ज्यादा मांस पैदा करता है, उसके लिये मार्केट में वैक्सीन तैयार किये जायं और दिये जायं ताकि पिछड़े वर्ग के लोग, जो उसे पालते हैं, उनको लाभ हो क्योंकि जब वे बीमारी की वजह से मर जाते हैं, तो उनका बहुत नुकसान होता है।

अंत में मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

नोट : [ ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 15, 16 और 17 पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव, जिसे माननीय शारदानन्द अंचल ने रखा है, उस पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, पशुधन विकास, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग के बजट को देखकर बहुत हैरानी हुई। पशु से हिन्दुस्तान के किसान की जिन्दगी जुड़ी हुई है। मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है, अभी हमारे मलिक साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि पशु धन विकास मन्त्री कृषक पुत्र हैं, होंगे भी, लेकिन इस बजट से नहीं महसूस हो रहा है कि कृषक पुत्र हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि राजकुमार हैं। 35 करोड़ 2 लाख 5 हजार रुपये उन्होंने पशुओं के विकास के लिये रखा है, पशुधन विकास का बजट है। उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ पशु हैं। इसमें 35 करोड़ में से आधे से अधिक तो इनके इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जायगा। इस तरह एक पशु पर एक वर्ष में 2 रुपये का प्रस्ताव है। अगर बीमारी हो जाय, महामारी हो, वह फैल जाय, तो ऐसा कोई इन्जेक्शन नहीं है जो 2 रु0 में मिल जाय। यह है इनका बजट, जो अपने को कृषक पुत्र कहते हैं और विकास की दुहाई देते हैं।

जहां तक प्रजनन का सवाल है, अस्पतालों की हालत तो मैंने बता दी, जब 2 रुपये मात्र खर्च करेंगे तो कहां से दवाई आयगी। अस्पतालों के रख-रखाव का दवा का इस बजट में कहीं कोई प्राविधान नहीं है। अभी माननीय मन्त्री जी ने विचार व्यक्त किये थे कि हमने नस्ल सुधार के लिये इस तरह से सांड़ों के "सीमेन" की व्यवस्था की है यह इतने मखौल का बयान है, जिसको सुनकर, जिसे से कुछ भी जानकारी है, वह मन्त्री जी को क्या कहेगा, यह मैं नहीं कह सकता। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि 1 प्रतिशत गांव भी ऐसे नहीं हैं, जिसमें जर्सी गाय या संकर गाय का उत्पादन होता हो। यह उनके विकास पर है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त गायों के विकास के लिये, भैंसों के बिकास के लिये जो बातें कही गयी हैं, जैसे कृषि में जनशक्ति लगती है वैसे ही कृषि में पशु-शक्ति भी लगती है। आज आजादी के 40 सालों के बाद भी खेतों में काम करने के लिये बलशाली पशु नहीं हैं, पशुओं को बलशाली बनाने के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। यह बजट खेतिहार मजदूरों के लिये, किसानों के लिये बहुत ही निराशाजनक है, इससे उनको कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है।

अभी माननीय मंत्री जी ने डेरी की बात कही कि 17 जिलों में यह योजना पूरी की गयी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह नाम मात्र की डेरियां हैं, जिस प्रकार से पुराने जमाने में दूधिया लोग दूध लेकर आते थे और यहां बेच जाते थे उसी प्रकार आज भी गांवों से दूध शहरों में आता है। आपकी कितनी ही सहकारी समितियां डेड पड़ी हुई हैं। उनमें पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप नौजवान हैं, कम से कम कुछ ऐसा सुधार तो कर दें कि किसानों को राहत मिल जाय।

हमारे मछली मंत्री जी कह रहे थे, पहले मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप उसी तबके से जुड़े हुए हैं, आप पेशे से उसी तबके के हैं और आप काम यह कर रहे हैं? आज हालत यह हो रही है कि जो बड़े-बड़े परिवार हैं वह मछलियों के तालाबों का ठेका ले लेते हैं और बेचारे कहारों को, जिनका पेशा मछली पकड़ना है और बेचना है, उनको मजबूर हो जाना पड़ता है। कम से कम आपको इस बात की शर्म करनी चाहिये और उनको न्याय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिलाना चाहिये और ठेकेदारों को मछलियों का ठेका न देकर के उनको दिलाना चाहिये मछली का ठेका केवल कहार और निषाद को दिया जाना चाहिये । इसी के साथ मैं माननीय शारदा नन्द अंचल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । दूध, मांस, अण्डा, मछली का जो व्यापक उत्पादन और उससे जो लाभ होना चाहिये था, वैसा नहीं हुआ है । यह सरकार इस क्षेत्र में फेल रही है । मेरा सुझाव है कि हरियाणा की नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी इन चीजों के उत्पादन का कार्य शुरू किया जाय पशुधन का भी उत्पादन कम हो रहा है, इसमें भी प्रगति करायी जाय । प्रजनन की गति को और तेज किया जाय और अच्छे पशु का उत्पादन किया जाय । पशुओं के लिये पौष्टिक चारा की व्यवस्था की जाय । पशुओं के रोग का निराकरण करने के लिये वैज्ञानिक तरीकों से उनकी उपचार व्यवस्था किया जाय । हमारे यहां जरसी नस्ल और संकर बछिया की कमी है । उनका उत्पादन बढ़ाया जाय । पशुओं के लिये पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक चारे की व्यवस्था की जाय ।

दवाओं की खरीद में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार होता है लखनऊ में और जितने भी जिला हेड क्वाटर हैं वहां कमीशन खोरी होती है । इसको बन्द कराया जाय और इसे रोका जाय चिकित्सालयों में "सीमन" के रखने की व्यवस्था की जाय । जो वर्तमान पशु सेवा केन्द्र हैं इसके अतिरिक्त हर विकास खण्ड में तीन-तीन चिकित्सालय की स्थापना करायी जाय । जहां बड़े-बड़े ताल हैं वहां साल भर जल का जमाव रहता है वहां मछली पालन की व्यवस्था करायी जाय, मुर्गी पालन में भी सुधार लाया जाय । मछली पालन के लिये कर्नाटक की तरह से उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्था की जाय । भेड़, बकरी के रोयें का लाभ उठाया जाय और उससे ऊन का विकास किया जाय । आजमगढ़, इलाहाबाद, बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह पहाड़ी जिलों में भी इसी प्रकार की योजना चलायी जाय जिससे कि कम्बल का उद्योग चलाया जा सके ।

इस विभाग के अन्तर्गत जितनी भी शिकायतें जन-प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी हैं, उनमें से किसी भी शिकायत का दो वर्ष हो गये कोई निपटारा नहीं हुआ है, इस लिये इस ओर हमारा सुझाव है कि एक अधिकारी सेल इस सम्बन्ध में बना दिया जाय जो इनकी शिकायतों की जांच करे और उन पर कार्यवाही सम्पन्न करायें । साथ ही मान्यवर मैं उन समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे कटौती कप्रस्ताव का समर्थन किया, चाहे वह विरोध पक्ष के मा0 सदस्य हों या सत्ता पक्ष के । सभी ने भिन्न तरीकों से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है और इस कटौती के प्रस्ताव पर जो समर्थन मा0 मंत्री जी ने कम पैसा देकर किया है, उसके लिये आभार प्रकट करते हुए उन तमाम मा0 सदस्यों का भी आभार मानता हूं जिन्होंने अपने-अपने बहुमुल्य सुझाव इस ओर दिये ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आभारी हू उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सुझाव देकर हमें मार्गदर्शन दिया । माननीय अंचल जी ने पशु सेवा केन्द्र व चिकित्सा केन्द्र की स्थापना के बारे में कहा, इस सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनकी स्थापना में क्या परेशनियां हैं, परन्तु हमारे 500 ट्रेनिंग सेण्टर प्रशिक्षण के चल रहे हैं तथा इनकी क्षमता बढ़ाने के लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं तथा तीन अन्य प्रशिक्षण केन्द्र इस सिलसिले के और खोलने के प्रयास कर रहे हैं तथा इनके अस्पतालों के न खोले जाने का कारण मैं पहले भी बता चुका हूं यदि हम डाक्टर्स वहां दे न पायें तो फिर व अस्पताल ठीक नहीं होंगे । मा0 अंचल जी ने ही दिल्ली में यू0पी0 से दूध की आपूर्ति के बारे में कहा कि दूसरे

प्रदेशों के मुकाबले में नहीं के बराबर हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, हम 160 मी0 टन दूध पी0 सी0 डी0 एफ0 के माध्यम से प्रति दिन दिल्ली को आपूर्ति करते हैं और यही नहीं जो छोटे-छोटे दूध वाले हैं, जिन पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है और नहीं हम उन पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं, उनके द्वारा भी 15 लाख टन दूध दिल्ली को पहुंचता है प्रतिदिन उत्तर प्रदेश से और इसका एहसास भी वहां की जनता को इसके बारे में खूब है, वह स्वयं इस बात को कहते हैं।

श्री बाबू राम यादव—

हरियाणा से उत्तर प्रदेश 5 गुना बड़ा भी तो है।

श्री हुकुम सिंह—

इसका हम कहां इन्कार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर दूध की खपत भी तो उनसे कई गुना ज्यादा है। जैसा कि माननीय हरेन्द्र मलिक जी ने भी कहा कि कई जगहों पर पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता है, पर वहां पर नहीं खोले जा सके हैं, यह सही है कि पशु चिकित्सालय का इस वर्ष प्राविधान नहीं किया जा सकता है, आपके यहां की मांग जिला योजना के अन्तर्गत आयी थी, उस पर विचार किया गया था अब आगे के संसाधनों पर इसकी व्यवस्था हेतु अवश्य विचार किया जायगा और विभाग स्वयं इस ओर जोर दे रहा है कि आगे के चरणों में अधिक से अधिक पशु चिकित्सालयों की स्थापना हो ताकि इस ओर जो कठिनाईयां हैं, उनका निराकरण हो सके और जब वहां पर हर प्रकार की टेस्टिंग के उपकरण व अन्य सारी चीजें जब इन अस्पतालों में उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से इनके पशुओं को पूरी तरह से लाभ पहुंचेगा साथ ही चौधरी लालता प्रसाद जी व महेन्द्र भाटी आदि ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं और मान्यवर, दो बातें कही गयीं दवा और डाक्टरों की कमी के कारण चुनौती दी गयी कि कैसे विकास करेंगे ?

मिल्क कमिश्नर और एम0डी0 की बात कही गयी, तो मान्यवर, इसका परीक्षण किया गया है। यह पद एक दोनों के पूरक हैं। यहां पर रजिस्ट्रार का काम है, सहकारी आन्दोलन की देख-रेख करने का है, उसकी जिम्मेदारी पी0सी0डी0एफ0 पर रखी गयी है। अगर दोनों अधिकारियों के काम में गतिरोध होता है, तो काम में बाधा पड़ती है। लाइसेन्स के बारे में कहा गया, तो लाइसेंसिंग की बात के लिये प्राविधान किया गया है ऐक्ट में, इसकी पावर मिल्क कमिश्नर को दी गयी है। तो जो रजिस्ट्रार हैं और चेयरमैन हैं इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हैं और काम भी अलग हैं। रजिस्ट्रार का काम पंजीकरण करना है।

जहां तक सहकारी समितियों का मामला है, इन सहकारी समितियों के सिद्धान्त में अन्तर है। आप देखें कि यथोचित संशोधन उस एक्ट में है। उसका आप अध्ययन कर लें और तब आप मुझ से बात कर लेंगे। श्रीमती कमला साहनी जी ने कहा कि सचिव न नीति बदल दी है दवा क्रय करने की, तो कोई नीति नहीं बदली गयी है, जो विभाग की नीति है, वह है। आप कृपया मेरे पास आ जायें, या मुझे बुला लें, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि इस नीति से, वर्तमान क्रय नीति से विभाग को कम से कम 38 लाख रुपये का लाभ हुआ है। एक कमेटी बनायी गयी है, एक आदमी नहीं क्रय करता है। एक-एक आइटम का परीक्षण कमेटी द्वारा किया जाता है। एक्रास दि टेबिल बात होती है और दाम कम कराने का प्रयास किया जाता है। पुरानी नीति में जो भ्रष्टाचार था, उसको समाप्त करने के लिये ही नयी नीति बनायी गयी है।

राम शरण दास जी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। दवाओं की बात मैं मानता हूं, लेकिन उतनी नहीं कमी है जितनी कही गयी है। हम इस साल दवाओं की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जब आप इस बार अपने क्षेत्र में जायेंगे तो मालूम हो जायगा कि दवा की मात्रा बढ़

गयी है। दूसरी बात कही गयी है कि अन्य पशुओं पर भी अध्ययन किया जाना चाहिये तो अन्य पशुओं का अध्ययन किया जा रहा है। हमारे 19 भेंड़ प्रजनन केन्द्र हैं, उनका विकास किया जा रहा है और अच्छे किस्म के 941 पशु चिकित्सालयों में बकरा, सांड़ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 58 अतिरिक्त अस्पतालों में इनको उपलब्ध कराया जा रहा है। 241 सूकर सांड़ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। बाबूराम यादव जी ने कहा कि दवा नहीं है, तो दवा का प्राविधान किया जा रहा है।

दवा के लिये कम प्राविधान है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध थ उनके अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर समिति की बात कही गयी, तो अगर आपरेशन फ्लड-2 जो 28 जिलों में है उनमें सहकारी समिति बनायी गयी है, वह एक भी डेड होने की जानकारी दे दें तो कार्यवाही करूंगा, जो पुरानी सहकारी समितियां बनायी गयी थीं, जिनको सहकारी समिति मानना ही बन्द कर दिया गया है।

बिचौलियों ने उन पर कब्जा किया हुआ था। उसको भंग किया गया और उसके लिये नई व्यवस्था की गई है। यह सन् 82 से शुरू हुआ था। उनकी हम मानीटरिंग करते हैं। मैं एक की भी बात करता हूं कि उनमें से एक भी मृत नहीं है, सब जीवित हैं, कार्यरत हैं और लाभ कमा रही हैं। सब्सिडी पर जी रही हैं। केवल जब शुरूआत होती है तो उसके लिये कुछ सहायता उनको दी जाती है। पशुओं की बात आपने कही थी मैं उसकी जानकारी कराऊंगा और कौन अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है, यह देखकर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो माननीय सदस्यों द्वारा बिन्दु उठाये गये थे उनके निस्तारण का मैंने प्रयास किया। इसलिये मेरा आग्रह है कि जो प्रस्ताव उनकी भावना के अनुकूल है उसको वे पास कर लें और अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

एक सदस्य

माननीय निषाद साहब भी अपने विभाग के बारे में कुछ कह दें..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह ग्रान्ट पशुधन मंत्री ने ही रखी थी। इसलिये जवाब उन्होंने दे दिया। निषाद साहब की जरूरत नहीं है।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो उनके अस्पताल बिना डाक्टरों के हैं उनके सेन्टर्स बिना स्टाक-मैन के हैं उनके लिये क्या आप मई-जून तक डाक्टरों और स्टाक-मैन की नियुक्ति कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में मैंने कहा कि यह लोक सेवा आयोग क सामने प्रश्न है और हम आग्रह कर रहे हैं कि इन पर अविलम्ब साक्षात्कार करके नियुक्ति करें। लेकिन अगर उसमें विलम्ब होगा तो हम तदर्थ रूप से उस पर नियुक्ति कर देंगे। इस वर्ष हमारा प्रयास यह है कि डी0 आर0 डी0 ए0 और एन0 आर0 ई0 पी0 से कुछ पैसा गया है इससे पशु सेवा केन्द्रों पर गति आयेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आगरा में कीथम झील 3 किलोमीटर की परिधि में है उसमें 10-12 लाख रुपये का मत्स्य पालन होता था लेकिन अब उसमें उत्पादन न होने का क्या करण है ? क्या यह झील उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम को दे दिया गया है यदि हां, तो वह कब दिया गया और वह कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ? ..... (व्यवधान)

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, कीथम झील के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है वह मत्स्य बिभाग का जलाशय है और उसके प्रबन्धन में है। उसमें जलकुम्भी बढ़ गई थी। अभी पिछले साल वह जलकुंभी निकाली गई है और इसी वजह से उसमें उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इस साल वह उत्पादन शुरू किया गया है और उसका सारा प्रबन्ध हो गया है। अब उसका उत्पादन बढ़ेगा।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद की करैल तहसील सबसे ज्यादा दूध पैदा करती है इसलिये क्या आप उसमें एक डेरी खुलवाने की कृपा करेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(श्री फजलुल बारी के खड़े होने पर)--

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, फजलुल बारी साहब कुक्कुट पालन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उनको पूछने दिया जाय।

श्री फजलुल बारी--

मैं माननीय निषाद जी से वाकिफ हूं वह मेरे पड़ोस के जिले के रहने वाले हैं। तो मैं जानना चाहता हूं गोंडा में एक बहुत बड़ी झील अर्जा पार्वती है जिसमें कुछ गलत किस्म के लोगों ने सोसाइटी बना कर कब्जा कर लिया है। तो क्या उनसे उसे मुक्त करा कर मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछवारों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद--

जी हां, उसमें जांच कराकर उसमें कार्यवाही की जायगी।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, यहां पर बात आई कि पशुओं पर कैसे कम खर्च कर अधिक उत्पादन बढ़ाया जाय तो क्या वह इस बात पर भी विचार करेंगे कि यहां पर जो मंत्री पदों पर बहुत से सफेद हाथी आसीन हैं उन पर कम खर्च करके उनसे अधिक कार्य कैसे किया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उसके लिये जो आप पूछ रहे हैं इनकी तरह के मादाओं की तलाश की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि स्टाक मैनों की कमी है और इनके पास दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं वह जितने लोगों की आवश्यकता है उतने लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एसी स्थिति में एक और प्रशिक्षण कन्द्र खोलने का विचार करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर सके और स्टाक मैनों को सेन्टरों पर भर्ती किया जा सकें ?

दूसरा प्रश्न, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरठ गाजियाबाद के आस पास के जिलों से लगभग 15 लाख लीटर दूध दिल्ली जाता है। दिल्ली सही माने में काफी बड़ी मण्डी है सभी चीजों के लिये। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र पूर्वी अंचल है वहां पर सबसे छोटे किसान भी हैं जिनकी पशुपालन से अच्छी आमदनी हो सकती है। तो क्या इस पर विचार करेंगे कि जैसे गुजरात से दिल्ली एक मिल्क स्पेशल चलाई जाती है उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली और कलकत्ता के लिये क्योंकि यहां से दोनों बराबर दूरी में हैं वहां से मिल्क स्पेशल चलाने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

जहां तक पहला प्रश्न का सम्बन्ध है माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी, यह विचाराधीन पहले से ही है कि किस प्रकार प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाई जाय ?

दूसरा प्रश्न मिल्क स्पेशल चलाने का जो है उसमें एक लाख लीटर क्षमता का जो हमारे बनारस में रामनगर में कन्द्र है उस फैक्ट्री को पिछले साल तक दूध नहीं दे पा रहे थे बल्कि कानपुर से दूध भेजना पड़ता था इसी तरह से फैजाबाद में जो फैक्ट्री है वह पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही है। यह जो पूरब में फैक्ट्री लगी हैं इनको पूरा दूध नहीं मिल पा रहा है तो फिर मिल्क स्पेशल चलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हां, एक बात जरूर है कि हमने इसमें एक स्टेट ग्रिड बनाया है क्योंकि मेरठ से दिल्ली को दूध सप्लाई होता है वहां कमी पड़ती है तो यहां से ले जाया जा सकता है। इस बात की मानीटरिंग हम बराबर करते हैं। जो माननीय बरार साहब ने बात कही उसमें हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया उसमें और एड करना चाहता हूं कि अगर नेचुरल व्यवस्था से पूरा नहीं होगा तो अननेचुरल से व्यवस्था कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

(माननीय हरेन्द्र सिंह) यह अन्तिम सवाल होगा।

श्री हरेन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्टाफ मैनों की और डाक्टरों की कमी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा डाक्टरों में से जो ब्लाक स्तर पर हैं उनको सम्बन्धित विकास खण्ड के गांवों में जिनका मैंने नाम लिया उनमें तीन दिन बैठने के लिये निर्देश देंगे ? दूसरा सूखी घास खाने से जो पशु मर गये हैं उसमें डाक्टरों का दोष नहीं है। पशुपालकों ने सूखी घास खिला दी जो जहरीली हो गयी थी जिससे पशु मर गये, तो उनको कोई सहायता प्रदान करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि नये पशु चिकित्सकों की भर्ती विचाराधीन है और प्रयास कर रहे हैं एवं आशा है कि जल्दी ही एक-दो महीने में उसकी व्यवस्था कर देंगे।

जहां तक मृतक पशुओं की बात कही गयी है तो यह हाईपोथेटिकल है, इसलिये पूरी जानकारी करके ही कुछ कह सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अंचल जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे कि नहीं ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मंत्री जी की ओर से हमारी बातों का कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिये मैं प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगकी राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 35,02,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अपनी अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 6,32,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एकरुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,84,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम-51 के अन्तर्गत आज 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें बांदा जनपद के उतरी थाने में अराजक तत्वों द्वारा किये गये हमले के सम्बन्ध में श्री बदन सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और आगरा जनपद के थाना अछनेरा के ग्राम मुड़ियापुरा में हुए महादेवी हत्या कांड के सम्बन्ध में डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । बाकी सभी सूचनायें अस्वीकार की गयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन कराने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, हम आज दिनांक 11 मार्च, 1988 को एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो इस प्रकार है:--

यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1988-89 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों

को परामर्श देने वाली 31 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये, जिनके निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा इस माननीय सदन को दी गयी है, सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1988-89 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में दिनांक 30 मई, 1988 से पूर्वनाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियां की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम, निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार काम का निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो प्रस्ताव जाहिदी साहब ने पेश किया है, सिद्धान्ततः इससे विरोध होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन संसदीय परिपाटी और परम्परा भी कुछ रहती है, उसका अपना महत्व है जिसके अनुसार हम यह अपेक्षा करते हैं कि यह सर्व सम्मति से पास हो । तो इस विषय में अन्य दलों के नेताओं से भी आवश्यक रूप से परामर्श हो जाना चाहिये था । उनसे बिना कोई परामर्श किये जाहिदी साहब ने इसे इस तरह पेश कर दिया है । इसके अलावा इस तरह के प्रस्ताव जिनके सर्वसम्मति पारित होने की अपेक्षा होती है वह नेता सदन अथवा संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा ही यहां प्रस्तुत किये जाते हैं ।

हमें खुशी होगी कि जाहिदी साहब संसदीय कार्य मंत्री हो जायें, लेकिन जब तक वह संसदीय कार्य मंत्री का पद हमारे लायक दोस्त के पास नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं । इसलिये मेरी विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना है कि इस सब को देखते हुए इसे इस समय स्थगित कर दिया जाय और 14 तारीख को सभी नेताओं की बैठक है, उसमें इसको रखा जाए और उसमें सबके परामर्श के बाद, सहमति के बाद यह पास हो । 14 तारीख को जब नेताओं की बैठक हो, तो उसमें इसको लिया जाए ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (डा0 अम्मार रिजवी)--

यह हमेशा होता है, यह नई चीज नहीं है और यह एक औपचारिकता है । इसमें जहां तक सम्मानित नेतागण का सम्बन्ध है विरोध पक्ष से बात कर ली गई है । दिवाकर जी से बात की गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस तरह सदन में गलत बयानी करना अच्छी बात नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

सदन में कोई भी कभी कोई प्रस्ताव रख सकता है, इसलिये इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, अब इस पर आप प्रश्न उपस्थित करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मुझसे तो यह बताया गया था कि इस पर सबसे बात हो गई है, संसदीय कार्य मंत्री ने भेजा है आप दस्तखत कर दीजिये । मुझे यह कहा गया कि यह सबको भेजा गया है । सबको नहीं भेजा गया है, तो मुझ से क्यों दस्तखत कराये गये ? मैंने यह सोचा कि नेता विरोधी दल, नहीं हैं इसलिए हमसे कह रहे हैं ।

*श्री राजकिशोर सिंह--

किसी से इस पर नहीं पूछा है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। 14 तारीख को साढ़े चार बजे मीटिंग नेताओं की रखी गई है और इसके पहले बहुत से लोग अनुपस्थित हैं। इसलिये इस समय इसको उपस्थित करना उचित नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आप इस प्रश्न को उपस्थित करें। नेताओं की बैठक हो रही है, यदि उसमें कोई बात होगी तो वह फिर आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी खान गुफरान जाहिदी जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सूत के मूल्यों में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्य में वृद्धि न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कतिपय विधायकों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा को आज स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या-11 के अन्तर्गत 1 घंटे की चर्चा है, यदि सदन को स्वीकार हो तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाए ?

श्री फ़जलुल बारी--

इस तरह नहीं, यह बहुत अहम मसला है, मान्यवर, यह सवाल बहुत दिनों से उठा हुआ है। यह तो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी थी...

श्री राजकिशोर सिंह--

यह बहुत पुराना मामला है।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

यह मसला बहुत दिनों से उठा हुआ है और यह टाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे फिर ले लीजिएगा अब साढ़े आठ बजने वाले हैं तो आप लोगों को भी कठिनाई होगी इसको पोस्टपोन कर दिया जाये ?

श्री फ़जलुल बारी--

मान्यवर, यह बहुत जरूरी मसला है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको जल्दी लगवा देंगे।

श्री रामशरण दास--

यह चर्चा आज के बजाय ऐसे समय पर ले ली जाए जब ज्यादा सदस्य रहें क्योंकि यह एक अहम मसला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है माननीय रामशरण दास जी ने जो बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिये कल जब इस आदरणीय सदन के ज्यादा सदस्य रहें तो इसको आप सुन लें कल प्रश्नोत्तर काल भी नहीं होना है, तो पहले इस आइटम को आप ले लें और बजट के आइटम को बाद में ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल तो इसको नहीं लिया जा सकता है फिर इसको ले लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपका सुझाव तो हम मान लेते हैं, लेकिन कभी आप हमारी व्यवस्था को भी तो मानें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल तो संभव नहीं हो सकेगा । कल नौ बजे तक तो सदन चलेगा नहीं । अगर आप सहमत नहीं हैं तो चर्चा शुरू की जाये, नहीं तो इसको बाद में ले लिया जाय ।

श्री रामशरण दास--

मान्यवर, आप बैठक बुला लें और बैठक जल्दी बुला लें ताकि इसको एसे समय पर ल लिया जाय कि माननीय सदस्यों की भावनायें व्यक्त हो सकें ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, रामशरण दास जी ने और माननीय दिवाकर विक्रम जी ने जैसा कहा है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों पार्टी के सदस्य बोलना चाहेंगे । आजकल जो समस्या है उस पर अपनी बात कहना चाहेंगे, तो कल कार्यमंत्रणा समिति में इसको रख लेगें और इस पर विचार करेंगे कि इसको कब रखा जायगा ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या--12 पुकारे जाने पर)

श्री फ़जलुल बारी --

इसको भी मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति ही तय करें । बुनकरों की बात को तो आप टाल रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

अगर टालने की बात है, तो चर्चा को अभी ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

बुनियाद जी, चर्चा को शुरू करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे किसी और दिन ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

यही तो हम भी कह रहे हैं ।

जिला मुजफ्फरनगर तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में गन्ना किसानों को उनके गन्ने की खरीद में गड़बड़ी एवं गन्ने की न्यायोचित कीमत न मिलने के कारण किसानों में उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर वक्तव्य

*गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुन्शी)--

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[(क) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के गन्ना सुरक्षण आदेश दिनांक 20-11-87 द्वारा सर सादी लाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स, मन्सूरपुर के सुरक्षित क्षेत्र में पेराई सत्र 1987-88 हेतु 3 नये क्रय केन्द्र (1) शाहडब्बर (2) शौरम (3) दुल्हेरा नाम से गन्ना आपूर्ति हेतु सुरक्षित किये गये है। इन क्रय-केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति हेतु सम्बद्ध किये जाने वाले ग्रामों की पूर्व वर्षों में गन्ना आपूर्ति नाम मात्र थी, जिसे वर्ष 1987-88 में जारी की गई सट्टा नीति के अनुसार इन क्रय केन्द्रों का बेसिक कोटा दुल्हेरा 0.06 लाख कुन्टल, शौरम 0.05 लाख कुन्टल, शाहडब्बर 0.03 लाख कुन्टल बना। सत्र 1987-88 की सट्टा नीति के अनुसार चीनी मिल के गन्ना पेराई हेतु वर्तमान दर्शाई गई आवश्यकता के अनुरूप सामान्य बढ़ोत्तरी 62 प्रतिशत किये जाने पर सामान्य बढ़ोत्तरी मिला कर इन क्रय केन्द्रों का बेसिक कोटा दुल्हेरा 0.10 लाख कुन्टल, शौरम 0.10 लाख कुन्टल तथा शाहडब्बर 0.05 लाख कुन्टल बना। चीनी मिल की आवश्यकता को देखते हुए मन्सूरपुर चीनी मिल क्षेत्र में 5.00 लाख कुन्टल गन्ने की अतिरिक्त सट्टा की गई जिसमें से दुल्हेरा पर 0.14 लाख कुन्टल (2) शौरम पर 0.17 लाख कुन्टल तथा शाहडब्बर पर 0.18 लाख कुन्तल के अतिरिक्त सट्टे किये गये। दुल्हेरा और शौरम में पुराने कर्जों के लिये सट्टा नीति के अनुसार क्रमशः 0.01 लाख कुन्टल एवं 0.01 लाख कुन्टल के सट्टे हुए। कुल मिलाकर वर्तमान पेराई सत्र 1987-88 में दुल्हेरा, शौरम तथा शाहडब्बर पर कुल सट्टा क्रमशः 0.25 लाख कुन्टल, 0.28 लाख कुन्टल तथा 0.23 लाख कुन्टल के सट्टे किये गये तथा इसकी सट्टे की मात्रा के अनुसार ही चीनी मिल को आफर दिया गया है।

दिनांक 29-2-88 की स्थिति के अनुसार मन्सूरपुर चीनी मिल द्वारा दुल्हेरा से 0.13 कुन्टल, शौरम 0.14 लाख कुन्टल, शाहडब्बर से 0.14 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी है जो कि इन क्रय केन्द्रों के लिये दी गई आफर का क्रमशः 52 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत है। इसके विपरीत मन्सूरपुर चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से आफर के अनुसार केवल 42 प्रतिशत ही गन्ने की खरीद की गई है। चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से आफर के अनुसार केवल 42 प्रतिशत ही गन्ने की खरीद की गई है।

जहां तक क्रय केन्द्र गोयला का सम्बन्ध है, यह उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई सकौती चीनी मिल का क्षेत्र है। प्रत्येक चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता, उसकी पेराई क्षमता, क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता तथा उसका कोल्हू एवं क्रेशरों के व्यावर्तन आदि को देखते हुए ही निर्धारित किया जाता है अतः एक चीनी मिल क्षेत्र की तुलना दूसरी चीनी मिल से किया जाना उचित नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि दुल्हेरा, शौरम, शहाडब्बर क्रय केन्द्रों पर गन्ने की खरीद मिल की पेराई क्षमता एवं नियमों के अनुसार ही की जा रही है। अतः खतौली के उक्त क्रय केन्द्रों पर कृषकों के साथ गन्ना आपूर्ति में कोई अन्याय नहीं हुआ है।

(ख) चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। गन्ने की उत्पादन लागत, किसानों को दूसरी फसलों से मिलने वाली आय तथा कृषि उत्पादों से मिलने वाली मूल्य की सामान्य वृद्धि उपभोक्ता उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने, गन्ने से उत्पादित चीनी का विक्रय मूल्य एवं गन्ने का चीनी पर्ता को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गन्ने की न्यूनतम दर निर्धारित करती है। तदनुसार भारत सरकार ने वर्तमान सत्र 1987-88 के लिये 8.5 प्रतिशत चीनी पर्ता से सम्बद्ध रु0 18.50 प्रति कुन्टल न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किया है।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शुगर केन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के क्लाज 5 (ए) में विधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा अतिरिक्त गन्ना मूल्य दिये जाने का प्राविधान है। इसे सामान्यत: "भार्गव फार्मूला की संज्ञा दी जाती है। इस फार्मूले के अनुसार चीनी पर्ता से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य के भुगतान के पश्चात् वर्ष के अन्त में चीनी मिलों को चीनी की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त अर्जन का 50 प्रतिशत भाग किसानों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य के रूप में देय होता है। परन्तु उक्त व्यवस्था के विपरीत प्रदेश शासन कृषकों के हित व अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने कृषकों को सीजन प्रारम्भ से ही न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देने की पहल करता आया है। विगत वर्षों से यह परम्परा चली आ रही है कि प्रदेश शासन निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक गन्ना मूल्य सरकारी व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु निर्धारित करता है। निजी क्षेत्र को चीनी मिलों से भी यही मूल्य अपनाने का सुझाव देता है जिसे इस सेक्टर की भी चीनी मिलें मानती आयी हैं। तदनुसार पिछले पेराई सत्र 1986-87 में पश्चिम/मध्य क्षेत्रों के लिये रु0 25 प्रति कुन्टल तथा पूर्वी क्षेत्र के लिये रु0 24 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य दिये जाने का शासन द्वारा चीनी मिलों को परामर्श दिया गया। वर्तमान पेराई सत्र 1987-88 के लिये इसे बढ़ाकर उक्त क्षेत्रों में क्रमश: रु0 27 व रु0 26 प्रति कुन्टल का परामर्श दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में दिनांक 1-12-87 से 50 पैसे की और वृद्धि कर दी गयी है।

चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1987-88 के विभिन्न स्तर से अनुमानित मुक्त चीनी के औसत भाव तथा अनुमानित लेवी चीनी मूल्य के आधार पर उनकी "गन्ना मूल्य" देने की क्षमता का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है। पश्चिम, मध्य व पूर्वी जोन की चीनी मिलों द्वारा सत्र 1987-88 में मुक्त चीनी के रु0 525/- प्रति कुन्टल के औसत अर्जन पर "भार्गव फार्मूला" व "ब्रेक इवन" बिन्दु के आधार पर गन्ना मूल्य देने की अनुमानित क्षमता निम्नवत् आती है:--

आधार	वर्ष 1987-88 में मिलों द्वारा गन्ना मूल्य देने की अनुमानित क्षमता (रु0/कुन्टल)		
	पश्चिम	मध्य	पूर्व
1--भार्गव फार्मूला के अनुसार--			
चीनी की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त अर्जन का 50 प्रतिशत भाग गन्ना मूल्य के रुप में देने पर ..	23.18	23.61	22.42
2--ब्रेक ईवन बिन्दु के अनुसार--			
चीनी के अतिरिक्त अर्जन का शत प्रतिशत भाग गन्ना मूल्य के रूप में देने पर ..	25.19	26.30	24.30

उपरोक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य तथा भार्गव फार्मूले के आधार पर चीनी मिलों की गन्ना मूल्य देने की क्षमता पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में रु0 23.50 और पूर्वी क्षेत्र में रु0 22.50 प्रति कुन्टल से अधिक नहीं है।

जहां तक हरियाणा में गन्ना मूल्य का प्रश्न है उपलब्ध स्थिति के अनुसार व 32 रुपया प्रति कुन्टल मात्र सी0 ओ0 जे0-64 जाति के गन्ने के लिये है व सामान्य जाति के गन्ने का मूल्य रु0 28.00 प्रति कुन्टल मिल गेट पर है व क्रय केन्द्रों पर रु0 1.50 से 2.00 रु0

की यातायात कटौती की जा रही है। इसके विपरीत उ0 प्र0 के पश्चिम क्षेत्र के कृषकों को मिल गेट पर 27.00 तथा क्रय केन्द्रों पर मूल्य मात्र रु0 0.50 कम अर्थात् रु0 26.50 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य प्राप्त हो रहा है। जहां तक क्रेशरों का सम्बन्ध है क्रेशरों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य गन्ने की मांग एवं पूर्ति के सिद्धान्त पर घटता बढ़ता रहता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्रेशरों द्वारा 16 से 26 रुपया प्रति कुन्टल तक गन्ना मूल्य भुगतान किया जा रहा है।

यह कहना उचित नहीं है कि बेसिक कोटा व अतिरिक्त बाउन्ड के सभी नियम ताख पर रखकर नसबन्दी के केस वालों को ही गन्ने की पर्चियां दी जा रही हैं। वास्तविकता यह है कि प्रदेश में समस्त जिला गन्ना अधिकारियों द्वारा गन्ना आयुक्त द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही गन्ना पूर्ति की व्यवस्था कराई जा रही है। जहां कहीं नियमों का उल्लंघन किया गया है वहां आवश्यकता अनुसार जांच के आदेश समय-समय पर दिये गये हैं। सहारनपुर समिति में अब तक कुल जारी 77500 पर्चियों में से केवल 400 पर्चियां ही नसबन्दी से सम्बन्धित कृषकों को दी गई है जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के हित में उचित है।

यह सही है कि गुड़ एवं खण्डसारी इकाईयों में गन्ने का व्यावर्तन गत वर्षों की तुलना में कम हो रहा है। चूंकि प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों को कुल उत्पादित गन्ने का लगभग 30 प्रतिशत ही आपूर्ति होता है तथा शेष की खपत बीज, गुड़, खाण्डसारी आदि में होती है अतः प्रदेश में उत्पादित समस्त गन्ने की खरीद हेतु मिलों को न तो बाध्य किया जा सकता है और न ही यह व्यवहारिक रूप से सम्भव है। फिर भी शासन इस बात के लिये कटिबद्ध है कि चीनी मिलों में गत वर्ष की अपेक्षा गन्ने की अच्छी पेराई हो तथा मिल को पूर्ति योग्य उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई करने के उपरान्त ही मिलें बन्द हों। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की मिलों ने दिनांक 7-2-88 तक 131.75 लाख टन गन्ने की पेराई की है जो कि गत वर्षों की अपेक्षा 11.25 लाख टन अधिक है।

जहां तक जनपद सहारनपुर की ननौता, सरसावां, सहारनपुर चीनी मिलों के क्षेत्र में का गन्ना खड़ा रह जाने का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि इन चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धता को देखते हुए ही अधिक उपलब्ध गन्ना दूसरी समीपवर्ती मिलों जैसे दौराला, देवबन्द आदि को व्यावर्तित कर दिया गया है। उक्त तीनों मिल क्षेत्रों के गन्ने की उपलब्धता एवं खरीद की स्थिति निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने का आफर (ला0कु0)	गन्ना पेराई (ला0कु0) 29-2-88	औसत पेराई में टी.सी.डी0 तक	मिल बन्द होने की संभावित तिथि
1	ननौता ..	27.07	15.23	1500	जून तृतीय सप्ताह
2	सरसावां ..	32.75	20.24	1700	जून प्रथम सप्ताह
3	सहारनपुर ..	24.00	12.75	1250	जून तृतीय सप्ताह

उक्त से स्पष्ट है कि सहारनपुर जनपद की उक्त चीनी मिलों की समस्याओं के समाधान के संबंध में शासन द्वारा सीजन के प्रारम्भ से ही कदम उठाये गये हैं तथा आशा है कि ये मिलें जून तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की पेराई करके बन्द हो जायेंगी।

इन मिलों के साथ ही प्रदेश की सभी चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना उपलब्धता की समीक्षा समय पर नियमित रूप से शासन द्वारा की जा रही है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना निस्तारण में कोई कठिनाई न आने पाये।]

श्री हरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा जैसा कि गन्ना मंत्री जी ने बताया है कि गन्ने के क्रय केन्द्र शाहडब्बर शौरम, दुल्हेरा पर अब खरीद की व्यवस्था की जा रही है।

माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि यह तीनों केन्द्र नये लगाये गये थे तो बेसिक कोटा होने का सवाल नहीं पैदा होता है। जिस समय क्रय केन्द्र लगाये गये थे तो गन्ना विभाग अधिकारियों ने 3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक-एक लाख रुपये प्रति सेंटर अतिरिक्त सट्टा कराया था। मैं जानकारी चाहूंगा कि जैसा माह फरवरी, के अंतिम पखवारे में आदेश किया था तो गोयला के समान इन केन्द्रों के 80 प्रतिशत अतिरिक्त गन्ने को क्रय करने का निर्देश देंगे ?

श्री रामनाथ मुन्शी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दुल्हेरा, सौरम, शाहडब्बर इन तीन केन्द्रों के नये क्रय केन्द्रों के आधार पर गन्ना लेने की बात कही है तो मैं बताना चाहता हूं कि नया केन्द्र जब खोलते हैं तो 80 प्रतिशत नहीं लिया जाता। जिस रेशियो से उस क्षेत्र का गन्ना लिया जाता है उस रेशियो से गणना करके लिया जाता है यह नये केन्द्र हों या पुराने सबके लिये समान होता है। आप कह रहे हैं कि तीनों सेंटर पर 2 लाख क्विंटल गन्ना हुआ तो 80 हजार क्विंटल गन्ना ले लें। यह नहीं है। वहां 4 साल का बेसिक कोटा नहीं बना तो उसके बाद जो निर्धारित होता है वह एक वर्ष के प्रतिशत के आधार पर होता है। उसी आधार पर जो बेसिक कोटा बना तो दुल्हरा का, 06, लाख कुन्तल, सौरम का, 05 लाख कुन्तल तथा शाहडब्बर का, 03 लाख कुन्तल बना। चीनी मिल की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त सट्टा किया गया जिसमें से दुल्हरा पर .14 लाख कुन्तल, शौरम पर .17 लाख कुन्तल तथा शाहडब्बर पर .18 लाख कुन्तल के अतिरिक्त सट्टे किये गये।

यह जो कह रहे हैं तो कुल सट्टा दुल्हरा पर .25 लाख कुन्तल, सौरम पर .28 लाख कुन्तल तथा शाहडब्बर पर .23 लाख कुन्तल के सट्टे किये गये। यह पूरे अब तक खरीदे गये गन्ने का 52 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत है। जबकि चीनी मिल ने अभी कुल मांगे गये गन्ने का 42 प्रतिशत ही पेरा है। इससे स्पष्ट है कि इन तीनों सेंटर्स का गन्ना पेरा गया और गन्ने के औसत से ज्यादा लिया जा चुका है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान या व्यतिक्रम की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है।

श्री हरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गलत बयानी इस सदन में हो रही है। मेरी चुनौती है कि मंत्री जी स्वीकार करें। किसी भी नये केन्द्र को बेसिक कोटे के आधार पर गन्ना खरीदने की इजाजत दी जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में और सौरम गांव के बराबर गन्ना केन्द्र गोयला है जहां पर सकौती सहकारी चीनी मिल का नया सेंटर लगा है वहां पर 80 फ़ीसदी खरीदा गया है। जहां पर गन्ना केन्द्र

नहीं थे और जहां का गन्ना मिल को नहीं जाता था वहां 4 साल का बेसिक कोटा कहां से आयेगा ?

मान्यवर, मेरा सवाल सीधा यह था कि जिस प्रकार से सकौती चीनी मिल से सम्बंधित गन्ना क्रय केन्द्र गोयला पर अतिरिक्त सट्टे का 80 प्रतिशत गन्ना क्रय किया गया, उसी प्रकार से इन तीनों, सारों, दुल्हरा, और शाहडब्बर क्रय केन्द्रों पर अतिरिक्त सट्टा 80 प्रतिशत लागू करेंगे, ताकि वे केन्द्र चलाये जा सकें और इसके लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे ? मान्यवर, इन्होंने अतिरिक्त सट्टे की बात कहा कि वहां पर बेसिक कोटे नहीं हैं, चूंकि वे केन्द्र नये हैं, कुल 18 हजार कुंटल का कोटा बैठता है 500 कुन्टल गन्ने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से 36 दिन कुल ये सेन्टर चल पायेंगे, उन किसानों से 3 रु0 प्रति कुंटल पैनाल्टी ली गयी है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी गलतियों को सुधारते हुए जिस प्रकार से गोयला का 80 प्रतिशत खरीदना स्वीकार किया है, उसी प्रकार से सोरों, दुलहरा और शाहडब्बर में अतिरिक्त सट्टा 80 प्रतिशत लागू करेंगे ? मैं मान्यवर, यह कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी गयी है। इन्होंने जो 80 प्रतिशत गन्ना खरीदने को मना किया है, मेरी सत्य सूचना है कि वहीं पर बराबर के गांव में नये केन्द्र पर 80 प्रतिशत गन्ना खरीदा गया है। मान्यवर, जो नये केन्द्र खुलते हैं, वहां पर बेसिक कोटा नहीं होता। इन तीनों सेन्टरों को चलाने के लिए, जब कि संबंधित मिल सहमत हैं, तो क्या आप 80 प्रतिशत गन्ना खरीदने के लिए आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी---

श्रीमन्, एक तो नया केन्द्र खोला गया और चीनी मिल की क्षमता जो निर्धारित है, उसके अनुसार 80 प्रतिशत गन्ना खरीदने की प्राब्लम है। जहां पर मिलें चलती हैं। वहां की क्षमता के अनुसार वहां के क्रय केन्द्रों पर गन्ना देते हैं। मान्यवर, हमें पेरने लिए गन्ना चाहिए, अगर हम 10 केन्द्र खोल देंगे, तो शेष जो बेसिक सट्टा पाने वाले लोग हैं या सामान्य बढ़ोत्तरी के जो किसान हैं, उनका हक माना जायगा। ऐसी स्थिति में हम आपका गन्ना लेने में सक्षम नहीं होंगे।

श्री राम शरण दास---

यह जो अबकी साल गन्ने की दिक्कत सूखे में हुई है, यह तो कभी अच्छे सीजन में नहीं हुई। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि दो-तीन बातें इसमें जो हमने नियम 56 में दिया था, इसमें आपने एक तो ज्यादती यह की थी किसानों के साथ कि नसबन्दी उनके पीछे लगा दी और नसबन्दी में भी श्रीमन्, हमारे यहां तो सहारनपुर में अजीब ही किस्म से डाक्टरों ने दो-दो सौ रु0 लेकर फर्जी पर्चे देना शुरू कर दिया, तो यह नशबन्दी का आदेश आपने क्यों दिया, पहले तो यही बता दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल करूंगा ?

श्री राम नाथ मुन्शी---

श्रीमन्, माननीय सम्मानित सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि 77,500 पर्चियां, जो पूरे खरीद का 99 5 और 400 पर्चियां नशबन्दी पर दी गयी हैं, जो पूरी खरीद की 5 प्रतिशत हैं। यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है, स्वेच्छा से किसान नशबन्दी कराते हैं। इसमें आपत्ति की क्या गुन्जाइश है ? मैं समझता हूं कि यह सर्वथा उचित है।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, यह तो आज ऐसी बहकी-बहकी बात कह रहे हैं। आपकी नसबन्दी करा दें कि आपको कैबिनेट मिल जायेगा तो करा देंगे ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

श्रीमन्, मैंने कहा स्वेच्छा से, इच्छा से, स्वतन्त्रता से, आपके ऊपर है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो इसमें प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, एक-एक हजार रुपये रिश्वत दी है, किसानों ने।

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, अगर इस तरह का कोई भी केस माननीय सदस्य जानकारी में ला देंगे तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा, यह मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने जो अभी कहा, मैं तो उसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मान्यवर, जिस प्रकार गोयला क्रय केन्द्र जो सकौती मिल से स्पष्ट किया गया है, 80 प्रतिशत गन्ने का क्रय किया जा रहा है। क्या उसी प्रकार यदि मंसूरपुर मिल गन्ना लेने को तैयार हो तो उन तीनों क्रय केन्द्रों के किसानों का 80 प्रतिशत गन्ना क्रय करने का आदेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, गोयला सकौती मिल का केन्द्र है, मंसूरपुर की अपनी एक अलग क्षमता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

अगर मंसूरपुर चीनी मिल गन्ना लेने को तैयार हो तो क्या आप जिस तरह से गोयला पर 80 प्रतिशत गन्ने का क्रय करा रहे हैं उसी प्रकार इन-तीनों क्रय केन्द्रों पर 80 प्रतिशत गन्ना क्रय करने का आदेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी—

श्रीमन्, अगर इस तरह की कोई बात है तो लिखकर दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह क्या उत्तर दे रहे हैं, मान्यवर, दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो बात कही है, मेरे क्षेत्र का मामला है, मंसूरपुर मिल तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष—

इन्होंने कह दिया कि जांच करायेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह—

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री राम शरण दास तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह के एक साथ बोलने से व्यवधान)

मान्यवर मेरा निवेदन है कि माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो बात कही; यदि मंसूरपुर मिल सहमत है तो गन्ना क्रय करायेंगे ? इसमें क्या जांच करायेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

श्रीमन्, हमारे यहां एक महीना, 15 दिन पर इन सबकी समीक्षा होती रहती है।

(व्यवधान)

वैसे 30 जून तक मिलों को चलाने की सरकारी नीति है। जब तक गन्ना खेत में है तब तक पट्टा चलता रहेगा। इसमें घबराने की क्या जरूरत है और इस सदन में आश्वासन लेने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मंसूरपुर मिल सहमत है तो इनको क्या कठिनाई है?

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, 80 प्रतिशत पूरे पैदावार का गन्ना पिरवाकर यह किसानों के हक को मारना चाहते हैं, मैं जांच करवा लूंगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

बाकी सेन्टरों के मान्यवर, अपने सट्टे बने हुए हैं। यह तो नये सेन्टर खुले हुए हैं। यह कैसी बात कह रहे हैं कि किसानों का हक मारना चाहते ह? यह बड़े रक्षक हैं किसानों के। जहां पर जो पुराने सेन्टर हैं वहां पर सट्टे बने हुए हैं उसकी तो जांच कराने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो सट्टे बने हुए हैं उसको तो चीनी मिल गन्ना लेने को तैयार हैं लेकिन जो नये सेन्टर बने हुए हैं उनका गन्ना लेने में माननीय मंत्री जी को क्या परेशानी है?

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं..... (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जबाव दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं जवाब देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में दो स्पष्टीकरण चाहता हू। अपने वक्तव्य के पृष्ठ 4 पर माननीय मंत्री जी ने नसबन्दी के केस के बारे में कहा है। क्या यह बात सही है कि गन्ना आयुक्त के आदेश हैं कि नसबन्दी कराने वाले काश्तकार को ही पर्ची दी जाय, परन्तु वास्तव में हुआ यह है कि बरेली और रामपुर में मैं जानता हूं कि वहां पर किसी ने कोई भी किसी अन्य व्यक्ति का नसबन्दी सर्टीफिकेट ला दिया और उसकी पर्ची जारी कर दी गयी। क्या इसकी जांच करायेंगे कि स्वयं काश्तकार की नसबन्दी के बजाय फर्जी तथा अन्य लोगों की नसबन्दी पर पर्ची जारी की गयी है। जांच कराकर इसके लिये दोषी लोगों को दंडित करेंगे। दूसरे वक्तव्य के पृष्ठ 2, 3 और 4 में गन्ना मूल्य के बारे में उल्लेख किया है कि गन्ने की कीमत कैसे निकाली? फैक्ट्री की मूल्य देने की क्षमता क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें इस बात का आंकलन किया है कि गन्ने के काश्तकार को गन्ना पैदा करने में कितनी लागत आयी। वह आंकलन किया गया हो तो बता दें कि पूर्व और पश्चिम में क्या लागत है? गन्ने की लागत प्रति क्विंटल क्या आयी? इसको मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री राम नाथ मुन्शी--

श्रीमन्, नसबन्दी में जो धोखाधड़ी की बात कही गयी, इस तरह का अगर कोई केस होगा तो उसकी जांच करायेंगे। नीति के तहत जो होना चाहिये वही होगा। जहां तक

मूल्य निर्धारण की बात है, बरार साहब बहुत ही विद्वान हैं, जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। उत्पादित वस्तु का मूल्य शुगर केन कन्ट्रोल ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है।

श्री जयदीप सिह बरार---

मान्यवर, मैंने जो जानकारी मांगी है, माननीय मंत्री जी के पास वक्तव्य के अलावा अलग से हो तो दे दें।

श्री रामनाथ मुन्शी--

मान्यवर, मैं भी पसीना बहाना जानता हूं। गन्ने में कितनी मेहनत होती है, जानता हूं, लागत कितनी होती है, जानता हूं। मैं खुद गन्ना पैदा करता हूं। मैं यह सब जानता हूं। बरार साहब को यह प्रश्न नहीं करना चाहिये था।

श्री जयदीप सिह बरार--

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से गन्ने का लागत मूल्य जानना चाहा है। आपने मंत्री जी को उसका उत्तर देने की अनुमति दे दी और उनको उत्तर देने का आपने निर्देश दिया। तो फिर मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देना चाहिये, न कि यह कहना चाहिये मुझको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिये था। यह जानते हैं तो बता दें, नहीं जानते हैं तो न बतायें, लेकिन आपके निर्देश के बाद में यह नहीं कह सकते कि यह प्रश्न मुझको नहीं करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न करने का अधिकार आपको है और उनको उत्तर देने का अधिकार है।

श्री जयदीप सिह बरार--

उन्होंने यह कहा कि मुझको यह प्रश्न नहीं करना चाहिये।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, आप इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिये हम भी कुछ अपने मन की बात कह देंगे। गन्ना हमारी रग में है। आप इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं ली जा सकती। आप नियमों में दीजिये।

श्री राम शरण दास--

वक्तव्य से हम संतुष्ट न हों तो आप चर्चा स्वीकार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

वक्तव्य पर चर्चा स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, यह जो मंत्री जी बैठे हैं यह बड़े ज्ञानी हैं

श्री फजलुल बारी--

चूसते हैं गन्ना

*श्री राम शरण दास---

तीन फैक्ट्री मेरे जिले से हैं, ननौता, सरसावां, सहारनपुर, माननीय मंत्री जी ने इनका पूरा ब्यौरा विवरण के पृष्ठ पांच पर दिया है। ननौता जून के तृतीय सप्ताह तक चलगी, सरसावां जून के प्रथम सप्ताह तक चलेगी, सहारनपुर जून के तृतीय सप्ताह तक चलेगी। माननीय हरेन्द्र जी का सीधा सवाल था कि सकौती मिल का गन्ना मसूरपुर मिल लेने के लिये तैयार है, तो फिर उसमें आपको क्या आपत्ति है। 20 लाख कुंटल गन्ना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब्दुल्लापुर मिल जो जगदारी हरियाणा के पास है, वह कह सकती है लेने के लिये, वह सहारनपुर के ऊपर आ रही है। दूसरे जगहों की मिलों का तो यह हाल है और आप उ0 प्र0 की एक मिल का गन्ना दूसरी मिल को देने में आनाकानी दिखा रहे हैं। किसान को परेशान करने की आपकी एक आदत सी बन गयी है। दूसरी मिलें जिनके पास गन्ना कम है और ऐसी मिलें जिनके पास गन्ना ज्यादा है, तो कम गन्ने वाली मिलों के पास यदि गन्ना जाने की बात है तो उसमें क्या दिक्कत है और जबकि दूसरी मिल गन्ना लेने के लिये तैयार है ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि हर पन्द्रहवें दिन हम समीक्षा किया करते हैं, हमारे अधिकारी वहां जाते हैं। जो स्थिति बतायी है उसे अधिकारी वहां पर जाकर देख लेंगे। मान्यवर, जब तक खेत में गन्ना रहेगा, हमें मिलों को चलाना है, इसके बाद किसी विवाद का कहां सवाल रह जाता है।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब तक खेत में गन्ना रहेगा तब तक मिलें चलाने की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, हमारे यहां तीन नये क्रय केन्द्र हैं, शाहडब्बर, शौरम और दुल्हेरा, इन क्रय केन्द्रों का गन्ना, जिनका सट्टा हुआ है, उनकी पेराई की व्यवस्था करायेंगे जब कि मिल सहमत है, इसके लिये।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर के अलग से दें। वक्तव्य के बाद चर्चा नहीं होती।

श्री राम शरण दास--

मैं लिखकर के दे दूं, आप स्वीकार कर लेंगे चर्चा नियम के अन्तर्गत।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों में देखा जायेगा। वक्तव्य के बाद चर्चा नहीं होती।

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र जी ने जिन तीन सेन्टर्स का जिक्र किया, तीन सेन्टर्स की बात अलग से क्या स्पष्ट कर दूं ?

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह अयोग्य मंत्री हैं, अनभिज्ञ मंत्री हैं। मैं इनको नीति के विरोध में सदन से बहिष्कार करता हूं। इन्होंने मंसूरपुर मिल के मालिक से पैसा लिया हुआ है।

(श्री हरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये)

पुलिस उप निरीक्षक श्री जी0 एफ0 पवार थाना किच्छा, नैनीताल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मैं एक सूचना दे दूं।

श्री अकबर अहमद (डम्पी) सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 10-5-87 को पुलिस उप निरीक्षक, श्री जी0एफ0 पवार थाना किच्छा, नैनीताल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन

की सूचना दी है। माननीय अध्यक्ष ने उपर्युक्त मामले की जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया है।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

11 मार्च, 1988

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 11 विधान सभा—18—6—88—(715)—1988—813(प्रो0)।